कम्पनी विधि

Company Law

ओ० पी० तिवारी

एशिया बुक कम्पनी
९, यूनिवर्सिटी रोड
इलाहाबाद-२

विषय-सूची

कम्पनी विधि

Company Law

प्रारम्भिक (Preliminary)

प्रश्न १—भारत में संयुक्त-स्कन्ध प्रमण्डलों के विकास का इतिहास संक्षेप में बतलाइये ।

Discuss in brief the history of the growth of joint stock companies in India.

उत्तर—भारत में जॉइन्ट-स्टॉक-कम्पनियों के विकास का संक्षिप्त इतिहास :—

यह १८५० का अधिनियम था जिसने भारत में संयुक्त पूँजी कम्पनियों (Joint Stock Companies) को जन्म दिया और वह १८५७ का अधिनियम था जिसने निगमित व्यक्तित्व (corporate personality) की जिम्मेदारी को सीमित किया । १८८२ और १६०० की अवधि के दरम्यान में जब संयुक्त पूँजी कम्पनी औद्योगिक वर्गों की सीमित संख्या तक ही परिसीमित थी जैसे महाजनी और उधार; कपास और जूट; चाय तथा कोयला इत्यादि, उस समय उनके दायरे में भारी उद्योग तथा उपभोक्ता उद्योग (heavy and light industries) सभी प्रकार के उद्योग आ गये थे । सन् १६२० के पश्चात् इस देश में औद्योगिक युग के आगमन के साथ तथा बाद में १६४७ में इस देश में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ, संयुक्त पूँजी कम्पनियों की क्रियाशीलता का आधार और भी अधिक विस्तृत हो गया ।

कम्पनिया के अधिनियम पर अंतिम बार व्यापक रूप से १६३६ में पुनर्विचार किया गया । नियमों का एक समूह, कम्पनियों के मैनेजिंग एजेन्टों तथा प्रोमोटरों द्वारा अबाध शक्ति एवं अनुचित असर के प्रयोग के विरुद्ध, तथा किसी कम्पनी के डाइरेक्टरों द्वारा वित्तीय कार्यों एवं संविदाओं (contracts) के पक्षपातपूर्ण संचालन के विरुद्ध शेयरहोल्डरों के हितों की सुरक्षा के लिये, १६१३ के अधिनियम में संयुक्त कर दिया गया था । किन्तु इसके पहले ही कि संशोधित विधि को लागू होने का समय मिले,

द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया और उसने व्यापारिक और औद्योगिक क्रियाशीलता में महान् विस्तार के साथ-साथ नयी स्थितियाँ एवं समस्यायें पैदा कर दीं जो पर्याप्त मात्रा में भारत में संयुक्त पूंजी कम्पनियों की वृद्धि में लक्षित हुई। १६३६-४५ के बीच में चालू कम्पनियों की संख्या बढ़ कर ३७४५ हो गई और उनकी प्रदत्त पूंजी पहले से ११० करोड़ रुपये बढ़ गई। इस विकास के साथ-साथ व्यापार तथा उद्योग में बहुत-सी अवांछनीय कार्य-प्रणालियाँ (practices) भी आ गईं जो केवल युद्ध के बाद ही स्पष्ट दिखाई पड़ीं। कम्पनी के निर्माण एवं प्रबन्ध में इन दुराचारों को कम्पनी अधिनियम १६१३ (१६३६ में संशोधित) द्वारा, उसमें कुछ विधिक और प्रशासनिक कमियों के कारण रोका नही जा सकता था। विविध प्रकार के दुराचारों के रहते हुये भी १६४७ में स्वतन्त्रता की प्राप्ति तथा १६५० में भारतीय संविधान के ग्रहण करने के समय से, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन में भी परिवर्तन हो गये हैं जैसा कि सन् १६४८ का औद्योगिक नीति विवरण, संविधान के निदेशात्मक सिद्धान्त, दिसम्बर १६५४ आर्थिक नीति विवरण Industrial Policy Statement of 1948, Directive Principles of the Constitution, Economic Policy Statement of December 1954 इत्यादि में दिये गए हैं।

वर्तमान शती के प्रारम्भ में भारत में चालू कम्पनियों की संख्या १३४० थी और उनकी प्रदत्त पूंजी ३४·०७ करोड़ थी जब कि सन् १८८२ में कम्पनियों की संख्या ५०५ थी तथा प्रदत्त पूंजी १५.०७ करोड़ थी और १८६२ में कम्पनियों की संख्या ६५० थी और प्रदत्त पूंजी २६.०६ करोड़ थी। १८८२-१६०० के बीच में कम्पनियों की संख्या तथा उनकी प्रदत्त पूंजी दुगुनी से भी अधिक बढ़ गई थी। यह वृद्धि "मिलों और प्रेसों" ("Mills and Presses") तथा "व्यापारिक कम्पनियों" ("Trading Companies") के मामलों में विशेष सार्थक सिद्ध हुई थी। गत शती के अन्तिम दश वर्षों में १५० कम्पनियाँ प्रति वर्ष चालू की जाती थीं जबकि एक वर्ष में ६१ परिसमापन (inquidations) होते थे। कम्पनियों का केन्द्र पहले-पहल बंगाल, मद्रास तथा बाम्बे की प्रेसीडेन्सियों में था। कुल प्रदत्त पूंजियों में जिनके शेयर १८६६-१६०० के बीच में क्रमशः ४३·०२ प्रतिशत, ४२·०३ प्रतिशत तथा ७·०४ प्र० श० थे। इससे यह प्रदर्शित होता है कि सम्पूर्ण भारत में लगाई गई कुल पूंजी का ४६ प्र० श० केवल बंगाल और बाम्बे में ही वर्तमान था। दूसरे प्रान्तों में जैसे उत्तर प्रदेश में चालू कम्पनियों की संख्या ७१ थी और उनकी प्रदत्त पूंजी का योग १·०५ करोड़ था तथा अन्य प्रान्तों की अवस्था में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों की

प्रदत्त पूँजी १/२ करोड़ से कुछ अधिक थी। बाम्बे की चालू ५५२ कंपनियों में से २२१ कंपनियाँ जिनकी प्रदत्त पूँजी १३·०२ करोड़ थी, कपास की मिलें तथा अन्य मिलें और प्रेस के रूप में थीं। बंगाल की प्रेसीडेन्सी में चालू कंपनियाँ बहुसंख्या में चाय, जूट और खान तथा पत्थर-उत्खनन की संस्थायें थीं।

१९००-१९३९ के बीच में की कम्पनी—पिछली शती में संयुक्त कंपनियों की वृद्धि बहुत कम रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारिक उद्यम के नये रूप ने अब तक देश में लोगों की कल्पनाओं को प्रभावित नहीं किया था और उनका निर्माण कुछ अग्रगामी व्यक्तियों एवं उनके घनिष्ठ सहयोगियों तथा सम्बन्धियों तक ही सीमित था, जिन्होंने उन उद्यमों को संचालित करने के लिये अपने साधनों को संगृहीत किया था जिनकी सफलता पहले यूरोपिन व्यापारियों द्वारा सुनिश्चित की गई थी। १९०९-१९१० के दर्म्यान में कंपनियों की संख्या बढ़कर २२१७ तक पहुँच गई और उनकी प्रदत्त पूंजी का योग ६१ करोड़ रुपया हो गया। उसके बाद के ४ वर्षों में कंपनियों की वृद्धि १९१३-१४ में और भी अधिक हो गई। उस समय उनकी संख्या २७४४ हो गई और उनकी कुल प्रदत्त पूंजी ७७ करोड़ रुपये हो गई। इस शती के प्रथम १५ वर्षों में कंपनियों की संख्या तथा उनकी प्रदत्त पूंजी सौ प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गई। संयुक्त-पूँजी-व्यापार के क्षेत्र में झुकावों को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं में एक पहलू स्वदेशी आन्दोलन (१९०७-८) था, जिसने भारत में उत्पन्न हुई वस्तुओं की माँग को बढ़ावा दिया। उसी समय सरकार ने भी राज्य के प्रयोजन के लिये वस्तुओं और सामग्रियों की खरीद सम्बन्धी नीति को बदल दिया। जिस समय औद्योगिक क्षेत्र में घरेलू उद्योगों की आवश्यकता समझी जा रही थी, उसी समय १९१४-१५ के युद्ध ने भी देश में निगमों की क्रियाशीलता (Corporate activity) के विकास में भी सहायता की।

उस समय में औगिक कारखानों को स्थापित करने के लिये यन्त्रों के आयात (import) करने की कठिनाइयों ने कुछ सीमा तक उद्योगों की तेजी से होने वाली वृद्धि को रोक दिया। विदेश में पूँजीगत वस्तुओं की पूर्ति की स्थिति (Supply position) के सरल होने एवं उपभोग्य वस्तुओं (consumer goods) के लिये बन्द माँगों के प्रकट होने के साथ १९१८-२२ के बीच में तीव्र औद्योगिक क्रियाशीलता (activity) थी। इस व्यस्त समय में १९२२ में कंपनियों की संख्या ५१८९ हो गई जबकि १९१८ में इनकी संख्या २६६८ थी। १९२२ में इन कंपनियों की कुल प्रदत्त पूंजी २३५ करोड़ थी जबकि १९१८ के अन्तिम वर्ष मार्च महीने में उनकी

प्रदत्त पूँजी ६६ करोड़ थी। बाद के १० वर्षों में संयुक्त पूँजी कंपनियों की संख्या तथा प्रदत्त पूँजी में कोई विशिष्ट वृद्धि नहीं हुई जबकि १६१३-२२ में प्रदत्त पूँजी में तिगुनी वृद्धि हुई (अर्थात् ७२ करोड़ से २३१ करोड़ की वृद्धि) तो उसके बाद आने वाले १० वर्षों में १६३५ तक केवल ४५ करोड़ की वृद्धि हुई। अर्थात् १६२२ में ३१ करोड़ से १६३२ में २८० करोड़ तक प्रदत्त पूँजी की वृद्धि हुई। इन दश वर्षों के अन्तिम चार वर्षों में इतनी तीव्र व्यापारिक मन्दी रही कि संयुक्त पूँजी कंपनियों का परिसमापन होने लगा। बर्मा के १६३७ में अलग होने से भारत में चालू कम्पनियों की संख्या २७८ तथा उनकी प्रदत्त पूँजी २५ ७ करोड़ कम हो गई। दूसरे शब्दों में कंपनियों की कुल संख्या तक उसकी प्रदत्त पूँजी २·६ प्रतिशत कम हो गई क्योंकि ८·२ प्रतिशत पृथक् हुये प्रान्त का शेयर था। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ में १६३६ में कंपनियों की संख्या ११,११४ थी तथा उनकी प्रदत्त पूँजी कुल २६० करोड़ रुपये थी। विस्तृत रूप से कहा जाय तो जबकि कंपनियों की संख्या अधिकतर लगातार बढ़ रही थी, उस समय १६३६ में अंतिम रूप से प्रदत्त पूँजी में उतार-चढ़ाव दिखाई पड़ा क्योंकि इस समय की प्रदत्त पूँजी १६३२ की प्रदत्त पूँजी से बिलकुल थोड़ी अधिक थी।

द्वितीय महायुद्ध के समय में अर्थात् १६३६-४५ में कंपनियों की संख्या बढ़कर १४,८५६ हो गई तथा उनकी प्रदत्त पूँजी ३८६ करोड़ हो गई अर्थात् जो प्रदत्त पूँजी द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ में थी, उससे लगभग १०० करोड़ अधिक हो गई। सन् १६४५-४६ तथा १६४६-४७ के दरम्यान में कंपनियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और उसके साथ-साथ चालू कंपनियों की पूँजी के साधनों में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। १६४६ और १६४७ में क्रमशः कंपनियों की संख्या बढ़कर २४८४ से ४५१० तक पहुँच गई और प्रदत्त पूँजी से भी ३५ करोड़ रुपये से ५६ करोड़ रुपये तक उसी के अनुसार वृद्धि हो गई।

बाद में देश के विभाजन के परिणामस्वरूप कंपनियों की संख्या २,००० से कुछ अधिक तथा कुल लगभग १८ करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी की कमी हो गई है। किन्तु इस कमी के बावजूद भी विभाजन के पश्चात् प्रथम वर्ष १६४८ के मार्च तक कंपनियों की संख्या बढ़कर २२,६७१ तक पहुँच गई तथा कुल प्रदत्त पूँजी ५७० करोड़ हो गई। विभाजन के बाद के समय में तथा १६४७ में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ प्रारंभ हुये नये युग में भारत में संयुक्त पूँजी कंपनियों की संख्या में तथा पूँजी के लगाने में विख्यात सुझाव निरन्तर दिखाई पड़ने लगे। राष्ट्रीय समृद्धि में सामान्य विश्वास तथा कोरिया-युद्ध के प्रारंभ होने एवं चलते रहने के कारण उत्पन्न हुये उन्नत

व्यापारिक दृष्टिकोण ने एक में मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति को उत्तेजित एवं उत्प्रेरित किया। १९४७ के २२,६७५ के आँकड़े पर १९५५ के मार्च तक ७ वर्षों में ७,००० कंपनियाँ और भी बढ़ गईं। इस प्रकार उसी समय के भीतर इन कंपनियों की प्रदत्त पूँजी १९४८ की प्रदत्त पूँजी ५७० रुपये पर, ४१२ करोड़ रुपये और भी बढ़ गई।

मुख्य औद्योगिक वर्गों में संयुक्त पूँजी की वृद्धि के सुझावों के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ में संयुक्त पूंजी बैंकों तथा बीमा कंपनियों की संख्या में एक सामान्य बढ़ती हुई थी। संयुक्त पूँजी बैंकों की संख्या १९०० में ४०७ से बढ़कर १९३९ में २०४५ तक पहुँच गई थी और उसी प्रकार उस समय में बीमा कंपनियों की संख्या ४३ से बढ़कर ६८८ तक पहुँच गई थी। किन्तु १९३९ के बाद से इन दोनों वर्गों की कंपनियों की संख्या में कमी होने लगी। इन वर्गों के विषय में उल्लेखनीय है कि युद्धकाल में इनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई जब कि दूसरे औद्योगिक वर्गों की कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई। हाल के वर्षों में अर्थात् १९४८-५५ के बीच में बैंकों की संख्या में ३०० की कमी हुई जबकि बीमा कम्पनियों की सख्या में २५ की कमी हुई।

इन दोनों वर्गों की प्रदत्त पूँजियों में, तो भी, कोई वैसी प्रवृत्ति नहीं दिखाई दी। बीमा कंपनियों का जहाँ तक संबंध है, उनकी प्रदत्त पूंजी पिछले ५५ वर्षों के समय में लगातार बढ़ती ही गई जबकि महाजनी और उधार (banking and loan) की प्रदत्त पूँजी १९२१-३९ के बीच में ३ करोड़ घट गई और १९४८-५५ के बीच स्थिर रही। १९३९ तथा १९४८ के बीच में इन दोनों वर्गों की प्रदत्त पूँजी युद्ध के पूर्ववर्ती स्तर से तिगुनी हो गई थी। दूसरे वर्गों में, विशेषतया कपास, जूट, ऊन, रेशम, चाय, कहवा, सुरा-कर्मशाला (breweries) तथा चीनी कंपनियों की संख्या तथा उनकी प्रदत्त पूँजी दोनों में वृद्धि हुई। दूसरे वर्गों जैसे मुद्रण (Printing), प्रकाशन (Publishing), लेखन सामग्री (Stationery), रसायन पदार्थ (Chemicals), इंजीनियरिंग, काँच एचेन्सी तथा मैनेजिंग एजेन्सी में पिछले ३५ वर्षों के समय में संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में अधिक वृद्धि हुई। इस विकास का महत्वपूर्ण भाग पिछले महायुद्ध के समय तथा उसके पश्चाद्वर्ती काल में घटित हुआ था।

कंपनी विधि-विधेयक (Company Law Bill) १९५५ ने भारत की प्रचलित आर्थिक नीति के सामान्य संदर्भ में प्रोमोटरों के लिये तथा कंपनियों के प्रबंध के लिये आचरण की एक व्यापक संहिता बनाना चाहा। यह विधेयक जिस में संशोधन

करने वाले तथा समेकन (Consolidating) करने वाले दोनों कार्य हैं, सन् १८५० में प्रथम कंपनी अधिनियम (First Companies Act) से लेकर अब तक भारत में संयुक्त पूँजी कंपनियों को नियमित करने वाला पाँचवाँ प्रधान अधिनियम है। अधिनियमों के अतिरिक्त १९५० से लेकर अब तक २५ अन्य लघु विधान भी पारित हुये हैं जो विभिन्न दिनांकों पर लागू प्रधान अधिनियम के कुछ नियमों के सम्बन्ध में संशोधन करने वाले अधिनियमों के स्वरूप में थे।

अभिनव घटनाओं की प्रवृत्ति तथा कुख्यात व्यापारिक कार्य-प्रणालियों के प्रचलन ने कंपनी-विधि की पूर्ण कायापलट की माँग की, ताकि निगमित क्षेत्र में (corporate sector) विधि और व्यवस्था (law and order) को प्रभावी रूप में लागू किया जा सके और कंपनी की कार्य-प्रणाली अच्छी एवं स्वस्थ परम्पराओं पर विकसित हो सके। १९५५ का विधेयक इसी उद्देश्य को प्राप्त करने का एक प्रयत्न था।

प्रश्न २—कंपनी क्या होती है ? एक सार्वजनिक कंपनी व्यक्तिगत कंपनी से किस प्रकार भिन्न होती है ? क्या एक व्यक्तिगत कंपनी को सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तित किया जा सकता है ?

What is a company ? How does a public company differ from a private company ? Can a private company be converted into a public company ?

उत्तर—कम्पनी क्या होती है ? (What is a company ?)—कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा २ (१०) के अन्तर्गत "कम्पनी" का अर्थ ऐक्ट की धारा ३ में परिभाषित कम्पनी होता है। धारा ३ (१) (झ) की परिभाषा के अनुसार "कम्पनी" का अर्थ वह कम्पनी है जिसे इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत स्थापित और रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, या कोई ऐसी वर्तमान कम्पनी, जिसे किसी पिछले कम्पनी-कानून के अन्तर्गत स्थापित और रजिस्ट्रीकृत किया गया हो।

लाभ और ऐसे लाभ को सदस्यों के बीच वितरित किये जाने के प्रयोजन के लिये सामान्य रूप से व्यापार या कारोबार चलाने के लिये व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई संस्था को कम्पनी कहते हैं।

इसको व्यक्तियों की संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका उद्देश्य संस्था के नाम में कोई व्यापार या कारोबार चलाना होता है, जिसमें कम्पनी के

विनियमों के अधीन प्रत्येक सदस्य को अपने शेयरों को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अभिहस्तांकित करने का अधिकार होता है। इस प्रकार इसमें दो भावनाएँ अन्तर्ग्रस्त हैं :—(१) संस्था के सदस्यों की संख्या असंख्य होती है, और यह किसी फर्म या साझेदारी से पृथक् होती है; और (२) प्रत्येक सदस्य को बिना अन्य सदस्यों की सहमति से, लेकिन विनियमों के अधीन, अपने शेयरों को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अभिहस्तांकन करने का अधिकार होता है।

लार्ड लिन्डले के अनुसार—

"एक कम्पनी से मतलब कई व्यक्तियों के उस समुदाय से है जो धन या धनों की कीमत की पूँजी एक सम्मिलित स्कन्ध (भंडार) में अंशदान करते (लगाते) हैं और इसे एक सामान्य प्रयोजन के लिये काम में लाते हैं। इस प्रकार अंशदान किया गया सामान्य स्कन्ध (भंडार : स्टॉक) धन के रूप में अंकित किया जाता है, और कम्पनी की पूँजी (कैपिटल) होता है। वे व्यक्ति जो इसमें अंशदान करते हैं या जिनका इस पर स्वामित्व होता है, सदस्य होते हैं। पूँजी का वह अनुपात जिसका प्रत्येक सदस्य हकदार है, उसका भंडार होता है।"

"By a company is meant an association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and employ it for a common purpose. The common stock so contributed is denoted in money, and is the capital of the company. The persons who contribute to it or to whom it belongs are the members. The proportion of capital to which each member is entitled is his store."

प्राइवेट कम्पनी का अर्थ—भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा २ (३५) के अधीन 'प्राइवेट कम्पनी' का तात्पर्य उस प्राइवेट कम्पनी से है, जो धारा ८ में परिभाषित की गई है। धारा ३ (१) (iii) के अनुसार प्राइवेट कम्पनी वह कम्पनी है, जो अपने आर्टिकिल्स आव् ऐसोसियेशन द्वारा—

(क) अपने शेयरों के, यदि कोई हों, हस्तान्तरित करने के अधिकार पर रोक लगाती है।

(ख) अपने सदस्यों की संख्या को ५० तक सीमित करती है। इसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं—

(i) वे व्यक्ति, जो कम्पनी के नियोजन में हैं, और

(ii) वे व्यक्ति, जो पहले कम्पनी के नियोजन में रहने के कारण जब तक वे उस नियोजन में थे तब तक उस कम्पनी के सदस्य थे और उस नियोजन के समाप्त हो जाने के बाद भी सदस्य बने रहे हैं, और

(ग) उस कम्पनी में अंशों के लिये या उस कम्पनी के ऋण-पत्रों (debentures) के लिये अभिदान (subscribe) करने के निमित्त जनता को आमंत्रित करने को मना करती है। परन्तु जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति एक कम्पनी में संयुक्त रूप से शेयर धारण करते हैं, वे इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिये एक एकल सदस्य माने जायेंगे।

पब्लिक कम्पनी का अर्थ—समवाय अधिनियम १९५६ की धारा २ (३७) के अधीन 'पब्लिक कम्पनी' का तात्पर्य उस कम्पनी से है जो धारा ७ में परिभाषित की गई है। धारा ३ (१) (iv) के अनुसार 'पब्लिक कम्पनी' का तात्पर्य उस कम्पनी से है; जो कोई प्राइवेट कम्पनी नहीं है।

एक प्राइवेट कम्पनी, पब्लिक कम्पनी में परिवर्तित की जा सकती है। यदि एक प्राइवेट कम्पनी अपने आर्टिकिल्स आव् ऐसोसियेशन को इस तरह परिवर्तित करती है कि वह अब—

(१) उसके शेयरों के हस्तान्तरित करने के अधिकार पर रोक नहीं लगाती है;

(२) अपने सदस्यों की संख्या को ५० तक ही सीमित नहीं रखती है, और

(३) किन्हीं शेयरों के लिये अभिदान करने के निमित्त लोक को आमन्त्रित करने को मना नहीं करती है।

वह कम्पनी परिवर्तन के दिनांक पर की तरह एक प्राइवेट कम्पनी रहेगी [धारा ४४ (१)]

यदि आर्टिकिल्स आव् ऐसोसियेशन में पूर्वोक्त तीन नियम सम्मिलित हैं किन्तु प्राइवेट कम्पनी उनके पालन में विफल हो जाती है, तो वह कम्पनी उन विशेषाधिकारों एवं छूटों का उपभोग नहीं कर सकेगी, जो अधिनियम द्वारा प्राइवेट

कम्पनियों के लिये मंजूर किये गये हैं तथा एक पब्लिक कम्पनी के सभी कर्त्तव्यों के अधीन हो जायेगी (धारा ४३)।

प्राइवेट और पब्लिक कम्पनी में अन्तर

प्राइवेट और पब्लिक कम्पनी में निम्नलिखित अन्तर है—

(१) न्यूनतम संख्या एक पब्लिक कंपनी का निर्माण करने के लिये व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात होती है जबकि प्राइवेट कंपनी की स्थिति में यह दो होती हैं (धारा १२)

(२) सदस्यों की अधिकतम संख्या—प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या ५० नियत की गई है किन्तु पब्लिक कंपनी की अवस्था में ऐसी कोई रुकावट नहीं है (धारा ३ (१) (iii)।

(३) डाइरेक्टरों की न्यूनतम संख्या—प्रत्येक पब्लिक कंपनी में कम से कम ३ डाइरेक्टर होते हैं जबकि एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम दो डाइरेक्टर होते हैं। (धारा २५२)

(४) किसी डाइरेक्टर की नियुक्ति पर रुकावट—एक प्राइवेट कंपनी के मामले में डाइरेक्टरों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे एक डाइरेक्टर की हैसियत से कार्य करने के लिये रजिस्ट्रार के पास अपनी सम्मति पेश करें या मेमोरेण्डम आव् ऐसोसियेशन पर हस्ताक्षर करें या अपनी योग्यता शेयरों के लिये संविदा करें किन्तु एक पब्लिक कंपनी की स्थिति में यह आवश्यक है। (धारा २६६)

(५) एक प्राइवेट कंपनी उन औपचारिकताओं का पालन करने से निर्मुक्त है, जो एक पब्लिक कंपनी के लिये आवश्यक है। वे एक प्राइवेट कंपनी के विशिष्ट विशेषाधिकार हैं, जिनका एक पब्लिक कंपनी में अभाव है। निम्नलिखित कुछ ऐसे विशिष्ट विशेषाधिकार हैं, जिनका उपभोग केवल एक प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जाता है, पब्लिक कंपनी द्वारा नहीं—

(क) कोई अधिनियमित अधिवेशन (statutory meeting) करना, समवाय के सदस्यों के पास अधिनियमित प्रतिवेदन भेजना, या रजिस्ट्रार के पास पेश करना आवश्यक नहीं है (धारा १६५)।

(ख) प्राइवेट कंपनी का कोई डाइरेक्टर, कंपनी द्वारा की गयी किसी संविदा या करार के विवाद में या उस पर मतदान करने में, जिससे वह हितबद्ध है, भाग ले सकता है। (धारा ३००)

(ग) रजिस्ट्रार के पास कोई विवरणिका या विवरणिका के स्थान में कोई विवरण जारी करना या पेश करना आवश्यक नहीं है (धारा ७०)।

शेयर कैपिटल के न्यूनतम या संपूर्ण रकम का अभिदान हो जाने के पहले शेयरों को बांटा जा सकता है (धारा ६९ ।

(६) पब्लिक कंपनी के डाइरेक्टर को बतौर डाइरेक्टर कार्य करने के लिये अपनी सहमति रजिस्ट्रार के सामने दाखिल करनी होती है। उसें अपने क्वालिफिकेशन शेयरों के मूल्य से कम मूल्य या संख्या के शेयरों के लिये मेमोरेन्डम आफ एसोसियेशन पर हस्ताक्षर करना पड़ता है और अपने क्वालिफिकेशन शेयरों को लेने या दाखिल करने के लिये उसे कंपनी से अपने क्वालिफिकेशन शेयर लेने के लिये रजिस्ट्रार के सामने एक अंडरटेकिंग दाखिल करनी पड़ती है। प्राइवेट कंपनी की सूरत में यह सब जरूरी नहीं होता। (धारा २६६)।

(७) पब्लिक कंपनी को कारोबार शुरू करने के लिये हकदार होने के समय से कम से कम एक माह से पहले नहीं, और छः माह की अवधि के भीतर कानूनी मीटिंग करनी पड़ती है, और सदस्यों को कानूनी रिपोर्ट माननी पड़ती है और रजिस्ट्रार के पास इसे दाखिल करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी की सूरत में यह सब जरूरी नहीं होता। (धारा १६५)।

(८) प्राइवेट कंपनी निगमित होते ही अपना कारोबार शुरू कर सकती है और ऋण लेने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी, जिसने अपने शेयरों में धन लगाने के लिये जनता को प्रास्पेक्टस जारी करके आमंत्रित किया है, उस समय तक न तो अपना कारबार शुरू कर सकती है और न ही ऋण लेने की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जब तक कि धारा १४९ के अन्तर्गत यथाविधि प्रमाणित घोषणा-पत्र दाखिल न किया गया हो, और रजिस्ट्रार ने प्रमाणित न कर दिया हो कि कंपनी अपना कारोबार शुरू करने के लिये हकदार है। (धारा १४९)।

(९) यदि पब्लिक कंपनी के सदस्यों की संख्या सात से कम हो जाती है, तो न्यायालय इसका समापन कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के समापन का आदेश दिये जाने से पहले इसके सदस्यों की संख्या दो से कम होना जरूरी है। (धारा ४३३ (घ))

प्राइवेट कम्पनी का पब्लिक कम्पनी में बदला जाना :—

हाँ। एक प्राइवेट कम्पनी को एक पब्लिक कम्पनी के रूप में बदला जा सकता है।

एक प्राइवेट कम्पनी कुछ विहित अवस्थाओं में पब्लिक कम्पनी में बदली जा सकती है। धारा ४३ में दो तरीके दिए गए हैं, जिनमें यह परिवर्तन किया जा सकता है :—

(१) यदि प्राइवेट कम्पनी अपने आर्टिकिल्स को इस रीति से बदलती है कि उसमें धारा ३ (१) (iii) के समान नियम नहीं रह जाते हैं, तो उस कम्पनी के लिए यह आवश्यक है कि यह रजिस्ट्रार के पास एक प्रास्पेक्टस या प्रास्पेक्टस के स्थान मे एक विवरण, आर्टिकिल्स को बदलने वाले संकल्प के पारित होने के १४ दिन के भीतर ही पेश करे [धारा ४४ (१)]।

(२) यदि आर्टिक्लिस में पूर्वोक्त नियम मौजूद हों लेकिन प्राइवेट कम्पनी उसका पालन करने में असफल रहता है। जिस दिनांक से कम्पनी उक्त नियमों का पालन करने में असफल हो जाती है, तो उस दिनांक से वह उन विशेषाधिकारों (privileges) और छूटों का उपभोग नहीं कर पाएगी, जो कंपनी अधिनियम द्वारा प्राइवेट कंपनी को दिए गए हैं और वह एक पब्लिक कंपनी के सभी कर्त्तव्यों के अधीन होगी।

दूसरे शब्दों में, एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी में निम्नलिखित तरीके से बदली जा सकती है।

शेयरों के हस्तान्तर (transfer) के सम्बन्ध में एक विशेष संकल्प द्वारा आर्टिक्लिस को बदल करके, और उन शेयरों को लोक के समक्ष पेश करके और १४ दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास प्रास्पेक्टस के स्थान में एक विवरण पेश करके।

प्रश्न ३—आधुनिक काल में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रचलित कंपनियों के अनुसार कंपनियों का वर्गीकरण कीजिये।

Make a classification of companies according to different types of companies prevalent in modern times.

उत्तर—कम्पनियों का वर्गीकरण (Classification of Companies)—

साधारणतः कंपनियों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है :—
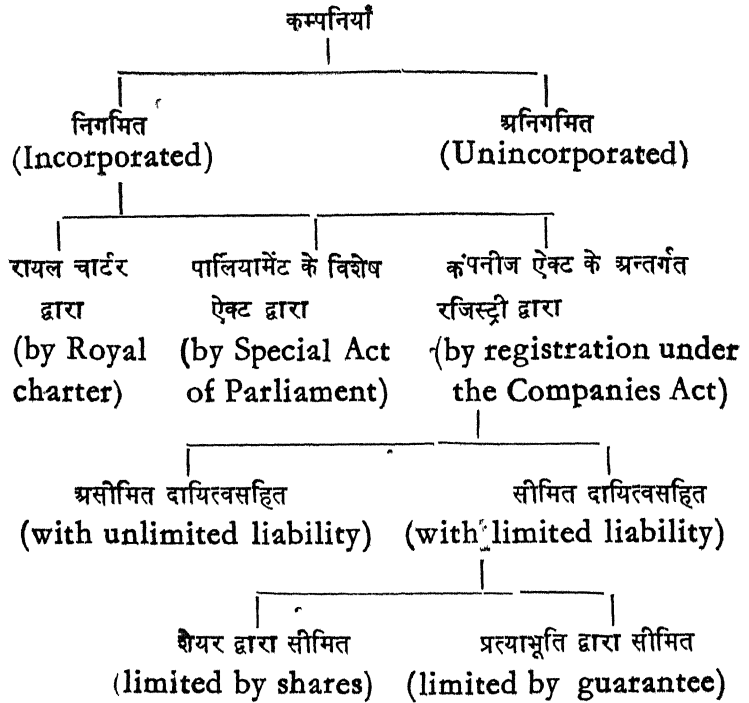
(A) निगमित कम्पनियाँ (Incorporated companies):—

किसी कारोबार या लाभ के प्रयोजन के लिये स्थापित की गई कंपनियों को निगमित कंपनियाँ कहते हैं।

ये तीन प्रकार से स्थापित की जा सकती हैं :—

(१) रायल चार्टर द्वारा—रायलचार्टर द्वारा स्थापित की गई कंपनी को साधारण व्यक्ति को प्राप्त सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसे गठित करने वाले चार्टर द्वारा भी रूपभेदित (माँडीफाई) नहीं किया जा सकता। यदि प्रदत्त अधिकारों पर चार्टर द्वारा भी निर्धारित सीमा की उपेक्षा की जाती है, तो सम्राट् (क्राउन) चार्टर को समाप्त कर सकता है।

(२) पार्लियामेंट के विशेष ऐक्ट द्वारा:—ऐसी कंपनियाँ संविधिक कंपनियाँ (Statutory companies) होती हैं। भूमि अर्जित करने और अवच्छेदक (nuisance) उत्पन्न करने के अनिवार्य अधिकारों वाली रेलवे कंपनी पार्लियामेंट

के विशेष ऐक्ट द्वारा निगमित होती हैं। ऐसी कंपनियों की शक्तियाँ विशेष ऐक्ट द्वारा सीमित होती हैं जिनसे उनका सर्जन होता है तथा जिस पर वे अपने पूर्ण अस्तित्व के लिये आश्रित होती हैं।

(३) कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्री द्वारा—भारतीय कंपनीज ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्री द्वारा निगमित की गई कंपनियाँ अपने सदस्यों के दायित्व, सीमित अथवा असीमित के अनुसार सीमित या असीमित हो सकती हैं। असीमित कंपनी की सूरत में सदस्यों के दायित्व पर कोई सीमा नहीं होती, और प्रत्येक सदस्य अपनी सम्पति की सीमा तक कंपनी के ऋणों के लिये अंशदान करने के लिये उत्तरदायी होता है। शेयरों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी की सूरत में, प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा धारित शेयरों पर उसके द्वारा अदा न की गई (unpaid) रकम, यदि कोई है, तक सीमित होता है। प्रत्याभूति (गारन्टी) द्वारा सीमित कम्पनी की सूरत में प्रत्येक सदस्य का दायित्व उस रकम तक सीमित होता है जो वे कम्पनी के समापन की सूरत में कम्पनी की परिसम्पत् (असेट्स) के प्रति अंशदान करने का जिम्मा लेते हैं।

(B) अनिगमित कम्पनियाँ (Unincorporated Companies)—अनिगमित कम्पनियाँ सभी आशय और प्रयोजनों के लिये बड़े रूप में साझेदारियाँ होती हैं। कानून की निगाह में इनका अस्तित्व उनको गठित करने वाले सदस्य से अलग नहीं माना जाता। अनिगमित कम्पनियों में शेयर निस्संदेह हस्तान्तरणीय होते हैं। मृत्यु या दिवाला निकलने से इन कम्पनियों की निरन्तरता में कोई बाधा नहीं पड़ती। सदस्यों का दायित्व भी असीमित होता है।

अब ऐसी कम्पनियाँ गठित नहीं की जा सकतीं क्योंकि इंडियन ऐक्ट १९५६ के अनुसार बैंकिंग के कारोबार के लिये दस व्यक्तियों से अधिक सदस्यों वाली कम्पनी, या कोई अन्य कारोबार, जिसका उद्देश्य किसी कम्पनी, संघटन या साझेदारी या उनके सदस्यों द्वारा लाभ कमाना हो, के लिये बीस व्यक्तियों से अधिक सदस्यों वाली कम्पनी तब तक नहीं बनाई जा सकेगी, जब तक कि इसे इस ऐक्ट के अन्तर्गत बतौर कम्पनी के रजिस्टर्ड न कराया जाय, या किसी अन्य भारतीय कानून के अनुसार स्थापित न किया जाय। (धारा ११)।

उपरोक्त वर्गीकरण के अलावा, कम्पनियों को निम्नलिखित विभिन्न किस्मों में भी विभाजित किया जा सकता है :—

(१) सार्वजनिक कम्पनियाँ (Public Companies),

(२) व्यक्तिगत कम्पनियाँ (Private Companies),

(३) धारक कम्पनियाँ (Holding Companies),

(४) सहायक कम्पनियाँ (Subsidiary Companies),

(५) सरकारी कम्पनियाँ (Government Companies),

(६) सीमित कम्पनियाँ (Limited Companies) ।

प्रश्न ४. ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी क्या होती है ? क्या यह शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी से भिन्न संस्था होती है ?

What is a Joint stock Company ? Is it is a different institution than a company limited by shares ?

उत्तर—ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी :—

ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियाँ वे कम्पनियाँ होती हैं जिनका स्टाक ज्वाइन्ट होता है, या जिनकी पूंजी अनगिनत हस्तान्तरणीय शेयरों में विभाजित होती है, या जिनका स्टाक हस्तान्तरणीय होता है । यह लाभ के प्रयोजन के लिये स्थापित की गई व्यक्तियों की एक संस्था होती है जिसकी पूंजी उसके सदस्यों द्वारा अंशदान की गई पूंजी के रूप में होती है और जो सामान्यतः शेयरों के रूप में विभाजित होती है और एक सदस्य के पास एक या एक से अधिक शेयर होते हैं, जो उनके द्वारा, अर्थात् शेयरों के स्वामी द्वारा, हस्तारन्तणीय होते हैं ।

धारा ५६६ परिभाषित करती है कि ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी एक ऐसी कम्पनी है जिसके पास स्थायी अदा की गई या शेयरों के रूप में विभाजित एक निश्चित राशि का नोमिनल शेयर कैपिटल होता है, तथा निश्चित राशि, या बतौर धारित (held) हस्तान्तरणीय स्टाक, या विभाजित तथा अंशतः धारित और अंशतः अन्य रूप से धारित होता है, तथा जो इस सिद्धांत पर धारित होती है कि उनके शेयर्स या स्टाक को धारण करने वाले ही उसके सदस्य होंगे, अन्य कोई व्यक्ति नहीं । ऐसी कम्पनी के जब सीमित दायित्वसहित ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया जाता है, तो उसे शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी कहा जाता है । अन्यथा अपने कानूनी स्वरूप में वह शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी से भिन्न नहीं है ।

प्रश्न ५—कम्पनियों के निगमन से क्या लाभ और हानियाँ हैं ? विवेचन कीजिये ।

What are advantages and disadvantages of incorporation of companies ? Discuss

उत्तर :—कम्पनियों के निगमन से लाभ और हानियाँ

लाभ

(Advantages)

सालोमन बनाम सालोमन कम्पनी. के वाद में लार्ड मैकनाटन ने कहा था कि प्रमुख कारणों में से एक, जिससे लोग प्राइवेट कम्पनियाँ स्थापित करने के लिये प्रेरित होते हैं, यह है कि वे दिवाला निकलने के जोखिम से बचना चाहते हैं और उन्हें ऋण लेने की अधिक सुविधा मिलती है। प्राइवेट कम्पनी द्वारा व्यापार सीमित दायित्व सहित किया जा सकता है, और दिवाले की सूरत में उसमें हितबद्ध व्यक्तियों का अनावरण नहीं होता और वे दिवाला सम्बंधी कठोर कानून की कठिनाइयों से बच जाते हैं। कम्पनी ऋण-पत्रों अर्थात् डिबेन्चर्स द्वारा धन उगाह सकती है जबकि साधारण निजी व्यापारी ऐसा नहीं कर पाता। कम्पनी का कोई भी सदस्य, सद्भावनापूर्वक कार्य करते हुए, किसी बाहरी व्यक्ति के समान उतने ही डिबेन्चर्स ले सकता है और धारण कर सकता है जितने प्रत्येक ऋणदाता कानून द्वारा स्वीकृत उत्तम से उत्तम प्रतिभूति प्राप्त करने और धारण करने का हकदार होता है।

निगमित कम्पनी से प्रमुख सुविधा यह होती है कि निगमन द्वारा इसका एक अलग कानूनी अस्तित्व हो जाता है, जो कि सदस्यों से बिलकुल अलग होता है। किसी सदस्य का दिवाला निकलने या उसकी मृत्यु हो जाने से कम्पनी के कारोबार पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। सम्पत्तियों को कम्पनी अपने नाम में धारण कर सकती है और वह इसी नाम में वाद दायर कर सकती है और उसके खिलाफ उसी नाम में वाद दायर किया जा सकता है। इसके अलावा सीमित दायित्व सहित ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी की सूरत में सदस्यों को शुरू में ही इस बात का पता चल जाता है कि उसकी जोखिम या दायित्व की क्या सीमा है? इसका उत्तराधिकार भी शाश्वत हो सकता है।

ज्वाइन्ट स्टाक कंपनी में साधारण से साधारण व्यक्ति अंशदान द्वारा औद्योगिक कार्यों में अपना योगदान कर सकता है। इस प्रकार हर कोने से व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि शेयर्स को सरलता से हस्तान्तरित किया जा सकता है, धन लगाने वाला अपना धन जब चाहे वापिस ले सकता है। वह अपना धन विभिन्न

कम्पनियों में लगा सकता है जिससे कि वह धन किसी एक कम्पनी में ही बन्द न पड़ा रहे। इस प्रकार उद्योग में विनियोग और नियंत्रण (investment and control) को लोकतन्त्रात्मक रूप प्रदान होता है। प्रत्येक सदस्य को कम्पनी में भाग लेने का अवसर मिलता है।

हानियां

(Disadvantages)

यद्यपि वर्तमान ऐक्ट ने कपटी व्यक्तियों द्वारा धन लगाने के अवसरों को काफी सीमा तक संकुचित कर दिया है, फिर भी कम्पनी स्थापित करने वाले व्यक्तियों द्वारा भोले-भाले धन लगाने वालों को ठगे जाने की सम्भावना हमेशा बनी रहेगी। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनमें कपटपूर्ण आशय से कम्पनियाँ स्थापित की गयीं और जल्दी ही उन्हें समाप्त कर दिया गया और गरीब धन लगाने वालों की गाढ़ी कमाई का धन नष्ट हो गया।

उपरोक्त के अलावा शेयरहोल्डरों के रूप में डाइरेक्टरों और कम्पनी के अधिकारियों के रूप में कम्पनी के प्रबन्ध के बीच सम्बन्ध विच्छेद के कारण कम्पनी के संघटन में उस वैयक्तिक रुचि और प्रेरक शक्ति का अभाव होता है जो किसी व्यक्तिगत स्वामी या साझेदारी फर्म का विशेष गुण माना जाता है। चूंकि, शेयरहोल्डर्स काफी फैले हुये होते हैं और वे एक दूसरे से दूर होते हैं कम्पनी के करोबार सम्बन्धी मामलों पर उनके बीच कोई विचार-विमर्श का अवसर नहीं मिल पाता।

अधिमान शेयर (prefrence shares) धारण करने वाले शेयरहोल्डर्स का कम्पनी के प्रबन्ध में बहुत मामूली हाथ होता है; भले ही वे कम्पनी की पूंजी में काफी सीमा तक अंशदान करते हैं।

स्टाक एक्सचेन्ज में अन्धाधुन्ध सट्टेबाजी भी होती है। यह ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी संगठन का एक अनिवार्य दोष है। हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा शेयरों को इकट्ठा कर लिया जाता है और वे अपने फायदे के लिये शेयरहोल्डरों के भाग्य से खिलवाड़ किया करते हैं। परिणाम यह होता है कि मामूली धन लगाने वाले व्यक्तियों के हितों पर ऐसी चालों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न ६ (क)—इस प्रतिपादन का क्या महत्व है कि निगम एक वैधिक व्यक्तित्व होता है? क्या साझेदारी वैधिक व्यक्तित्व है?

(ख) एक व्यक्तिगत कम्पनी के चारों सदस्य मर गये। क्या कम्पनी का अन्त हो गया है ?

(a) What is the significance of the proposition that a corporation is a legal entity ? Is a partnership a legal entity ?

(b) All the four members of a private company died as a result of a car accident. Has the company come to an end ?

उत्तर—(क) निगम : एक वैधिक व्यक्तित्व (Corporation a ligal entity):—

निगम या ज्वायन्ट स्टाक कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। इसका अस्तित्व उसी समय तक रहता है जब तक उसे इसके लिये कानूनी मान्यता प्राप्त रहती है। जब तक इसका अस्तित्व रहता है; इसे प्राकृतिक व्यक्ति के सभी विशेषाधिकार उपलब्ध रहते हैं। यह सम्पत्ति धारण कर सकती है, ऋण ले सकती है, वाद दायर कर सकती है, और इसके खिलाफ वाद दायर किया जा सकता है। यह अपने सदस्यों से एक भिन्न व्यक्ति होती है। इसका व्यक्तित्व कानूनी होता है। अतः इसे एक कानूनी व्यक्ति (legal person) कहा जाता है।

शेयरहोल्डरों से जिनसे इसका निर्माण होता है इसका अलग वैधिक अस्तित्व होता है। स्वयं शेयरहोल्डर भी इसके खिलाफ वाद दायर कर सकता है और कम्पनी उनके खिलाफ वाद दायर कर सकती है। इसका अस्तित्व शाश्वत होता है और किसी शेयरहोल्डर या कम्पनी के किसी अधिकारी की मृत्यु हो जाने से या उनका दिवाला निकल जाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

क्या साझेदारी वैधिक व्यक्ति होता है ?—नहीं। कम्पनी की भाँति साझेदारी का वैधिक व्यक्तित्व नहीं होता। साझेदारों से अलग साझेदारी का कोई व्यक्तित्व नहीं होता। साझेदार फर्म के एजेन्ट होते हैं और फर्म के सभी कार्यों के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं, जब कि कम्पनी के शेयरहोल्डर व्यक्तिगत रूप से कम्पनी के किसी कार्य के लिये जिम्मेदार नहीं होते।

समस्या

हाँ। प्राइवेट कम्पनी के चारों सदस्यों के मर जाने से कम्पनी का कोई सदस्य

ही न रह जाने पर कम्पनी का समापन हो जायगा। प्राइवेट कम्पनी में दो से कम सदस्य रह जाने पर कम्पनी का समापन अनिवार्य हो जाता है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में कम्पनी का समापन अनिवार्य रूप से कर दिया जायेगा। परन्तु शेयरहोल्डरों के मरते ही कम्पनी का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। यह समापन हो जाने पर समाप्त होगा। किसी सदस्य के मर जाने से कम्पनी के अस्तित्व पर कोई असर नहीं आता क्योंकि कम्पनी सदस्यों से एक अलग व्यक्ति होता है।

प्रश्न ७—प्राइवेट सीमित कम्पनी और साझेदारी में क्या अन्तर होता है?

What is the difference between private limited company and partnership?

उत्तर—प्राइवेट सीमित कम्पनी तथा पार्टनरशिप में अन्तर—

(१) प्राइवेट सीमित कम्पनी में जिम्मेदारी सीमित होती है; प्रत्येक शेयर-होल्डर शेयरों पर भुगतान न की गई रकम के लिये ही जिम्मेदार होता है। किन्तु पार्टनरों की जिम्मेदारी असीमित होती है; वे संयुक्ततः तथा पृथकतः (jointly and severally) फर्म के सम्पूर्ण ऋणों के लिये जिम्मेदार होते हैं।

(२) एक प्राइवेट सीमित कम्पनी के ऋणदाता सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं; किन्तु एक फर्म के ऋणदाता केवल उस फर्म की सम्पत्ति के ही विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते बल्कि प्रत्येक व्यक्तिगत पार्टनर के विरुद्ध भी कार्यवाही कर सकते हैं।

(३) एक प्राइवेट सीमित कम्पनी अपने नाम का एकाधिकार (monopoly) प्राप्त कर सकता है, जबकि एक फर्म सर्वदा ऐसे एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती।

प्रश्न ८—विदेशी कम्पनी की परिभाषा कीजिये। इसकी मुख्य अपेक्षाएँ क्या होती हैं जिनको इसे कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत पूरा करना चाहिये?

Define a "Foreign Company." What are the main requirements, which it must fulfil under the Companies Act?

उत्तर—विदेशी कम्पनी की परिभाषा :—

(अ) भारत के बाहर कार्पोरेट कम्पनी जिन्होंने १-४-५६ के बाद अपने व्यापार का स्थान भारत में स्थापित किया है; या

(ब) भारत के बाहर कार्पोरेट कम्पनी जिन्होंने १-४-५६ के पहले भारत में अपने व्यापार का स्थान स्थापित किया था और १-४-५६ के दिनांक पर भी भारत में व्यापार-स्थान को स्थापित रखना चालू रखा है—विदेशी कम्पनी कही जाती हैं।

अपेक्षायें (Repuirements)—धारा ५९२ के अनुसार एक विदेशी कम्पनी के लिये, जो १-४-५६ के पश्चात् व्यापार का स्थान भारत में स्थापित करती हैं, यह आवश्यक है कि वह भारत में व्यापार-स्थान के स्थापित होने के १ महीने के भीतर ही, रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण के लिये वस्तुयें पेश करे—

(क) शासपत्र (Charter) संविधियों या कम्पनी के मेमोरैण्डम और आर्टिकिल्स आव् ऐसोसियेशन की एक प्रमाणित प्रति, जिसके अधीन वह अपने कृत्य करती है;

(ख) कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत या मुख्य कार्यालय का पूरा पता;

(ग) विहित किये गये विवरणों के साथ उस कम्पनी के डाइरेक्टरों तथा सचिव की एक सूची;

(घ) भारत में निवास करने वाले किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों के नाम और पते, जो उस कम्पनी के निमित्त आदेशिका (process) या सूचनाओं की तामील को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किये गये हैं;

(ङ) भारत में कम्पनी के कार्यालय का पूरा पता, जिसे भारत में उस कम्पनी के व्यापार का मुख्य स्थान माना जाता है।

(२) उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह रजिस्ट्रार के पास लाभ और हानि का लेखा प्रस्तुत करे।

(३) यदि सदस्यों की जिम्मेदारी सीमित है, तो इसका वर्णन सभी दस्तावेजों, विपत्रों (bills), विवरणिकाओं, सूचनाओं तथा विज्ञापनों इत्यादि में किया जाना चाहिए।

(४) ५९४ के अधीन ऐसी कम्पनी के लिये यह भी आवश्यक है कि वह लेखा की समुचित पुस्तक रखने के लिए (धारा २०९) अधिनियम में दिये गए नियमों का अनुपालन करे।

प्रश्न ९—धारक और सहायक कम्पनी से तुम क्या समझते हो ?

What do you understand by a holding company and subsidiary company ?

उत्तर—होल्डिंग कम्पनी—भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा २ (१९) के अधीन "होल्डिंग कम्पनी" का तात्पर्य धारा ४ के अर्थ में एक होल्डिंग कम्पनी से है। धारा ४ (४) के अनुसार एक कम्पनी को दूसरी कम्पनी की होल्डिंग कम्पनी समझा जायेगा यदि, किन्तु केवल यदि, वह दूसरी कम्पनी इसकी सहायक या नियंत्रित कम्पनी हो।

सब्सिडियरी कम्पनी—भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा २ (४७) के अधीन "सब्सिडियरी कम्पनी" का तात्पर्य धारा ४ के अर्थ में सब्सिडियरी कम्पनी से है। धारा ४ (१) के अधीन एक कम्पनी किसी दूसरी कम्पनी की सहायक या सब्सिडियरी केवल तभी कही जायेगी जब,—

(अ) वह दूसरी कम्पनी इसके बोर्ड आव् डायरेक्टर्स की संरचना का नियन्त्रण करती है; या

(ब) वह दूसरी—

(i) जहाँ पहले वर्णित कम्पनी एक वर्तमान कम्पनी है, जिसके विषय में, कम्पनी अधिनियम, १९५६ के प्रारम्भ होने के पहले जारी किये गये शेयरों के होल्डरों को सभी विषयों में वही मताधिकार प्राप्त है, जो इक्विटी शेयरों के होल्डरों को प्राप्त हैं, ऐसी कम्पनी की कुल मतदान करने की शक्ति के आधे से अधिक भाग का प्रयोग या नियन्त्रण करती है।

(ii) जहाँ पहले वर्णित कम्पनी कोई अन्य कम्पनी है, इक्विटी शेयर-पूँजी के अभिहित मूल्य के आधे से अधिक भाग को धारण करती है; या

(स) पहले वर्णित कम्पनी किसी ऐसी कम्पनी की सहायक है जो उस दूसरी कम्पनी की सहायक है।

दृष्टान्त—कम्पनी 'ब' कम्पनी 'अ' की सब्सिडियरी कम्पनी है और कम्पनी 'स' कम्पनी 'ब' की सहायक है। यहाँ कम्पनी 'स' ऊपर के खंड (स) के आधार पर कम्पनी 'अ' की सब्सिडियरी कम्पनी होगी। यदि कम्पनी 'ड' कम्पनी 'स' की सहायक है, तो कम्पनी 'ड' कम्पनी 'ब' की सब्सिडियरी होगी और फलस्वरूप ऊपर के खंड (स) के आधार पर कम्पनी 'अ' की सब्सिडियरी कम्पनी होगी और भी इसी प्रकार आगे—

उपर्युक्त खंड (अ) के प्रयोजनों के लिए एक कम्पनी के बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स की रचना की बाबत यह समझा जायेगा कि यह किसी दूसरी कम्पनी द्वारा नियन्त्रित

होती है यदि, किन्तु केवल यदि, वह दूसरी कम्पनी बिना किसी दूसरे व्यक्ति की सम्मति या सहमति (concurrence) के अपने विवेक के अधीन प्रयुक्त की जाने वाली किसी शक्ति के प्रयोग द्वारा सभी डाइरेक्टरों को या उनमें से बहुसंख्यक को नियुक्त या अपदस्थ कर सकती है। किन्तु उस दूसरी कम्पनी की बाबत यह समझा जायेगा कि वह एक डाइरेक्टर पद के लिए किसी व्यक्ति को तभी नियुक्त कर सकती है, जब उस व्यक्ति के विषय में निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों—

(अ) कोई व्यक्ति डाइरेक्टर के लिए तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उस दूसरी कम्पनी ने पूर्वोक्त शक्ति का प्रयोग उसके पक्ष में न किया हो;

(ब) उस पद के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति, उस दूसरी कम्पनी में उसकी डाइरेक्टर, मैनेजिंग एजेण्ट, सचिव और कोषाध्यक्ष या मैनेजर की हैसियत से नियुक्ति की या किसी अन्य पद या नियोजन की, आवश्यक है; या

(स) डाइरेक्टर का पद एक ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित किया जाता है जो या तो उस दूसरी कम्पनी द्वारा नामनिर्दिष्ट (nominated) रहता है, या उसकी सब्सि-डियरी कम्पनी द्वारा नामनिर्दिष्ट रहता है, या यह निर्धारित करने के लिये कि एक कम्पनी एक दूसरी कम्पनी की सब्सिडियरी कम्पनी है।

(१) उस दूसरी कम्पनी द्वारा न्यासवत् हैसियत (fiduciary capacity) धारण किये गये शेयर या प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति की बाबत यह समझा जायेगा कि वह शेयर न तो इसके द्वारा धारित किया गया है और न वह शक्ति इसके द्वारा प्रयुक्त ही की जा सकती है।

(२) पहले वर्णित कम्पनी डिबेन्चरों के नियमों के आधार पर या न्यासविलेख (trust deed) के आधार पर, ऐसे डिबेन्चरों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा धारित किये गये किन्हीं शेयरों को या प्रयुक्त की जा सकने वाली शक्ति की उपेक्षा की जायगी।

(३) उस दूसरी कम्पनी द्वारा या उसके निमित्त उसके नामित (nominee) द्वारा या उसके सहायक द्वारा धारण किये गये कोई शेयर या प्रयोग करने योग्य शक्ति को (जो उपर्युक्त धारा (२) में वर्णन के अनुसार धारित या प्रयोज्य नहीं है) यह माना जायेगा कि वे उस दूसरे कम्पनी द्वारा धारित या प्रयोज्य नहीं हैं, यदि यथास्थिति कम्पनी या उसकी सब्सिडियरी कम्पनी के साधारण व्यापार में धन का उधार देना सम्मिलित है और अंशों का धारण तथा शक्ति का प्रयोग पूर्वोक्त प्रकार से जमानत

के रूप में केवल व्यापार-कार्य के प्रयोजनों के लिये जो उस कार्य-व्यापार के सामान्य क्रम में निश्चित किये गये हैं, किया जाता है;

(४) किन्हीं शेयरों को या शक्ति के विषय में, जो :—

(i) उस दूसरी कम्पनी के निमित्त एक नामित के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा धारण किये गये हैं या प्रयोग करने योग्य हैं (उस सूरत के सिवाय जहाँ वह दूसरी कम्पनी केवल एक न्यासवत् हैसियत से सम्बन्धित है); या

(ii) उस दूसरी कम्पनी के द्वारा या उसके निमित्त किसी नामित द्वारा या उसकी किसी सहायक कम्पनी द्वारा, धारण किये गये हैं या प्रयोग करने योग्य हैं, और जो ऐसी सहायक कम्पनी नहीं है, जो केवल एक न्यासवत् हैसियत से ही सम्बद्ध है,

यह माना जायेगा कि वे शेयर उस दूसरी कम्पनी द्वारा धारण किये गये हैं और वह शक्ति उस दूसरी कम्पनी द्वारा प्रयुक्त की जा सकती है।

प्रश्न १०—प्रत्याभूति द्वारा सीमित कम्पनी से तुम क्या समझते हो ?।

What do you understand by a company limited by guarantee ?

उत्तर—जिस कम्पनी में उसके सदस्यों की जिम्मेदारी मेमोरेण्डम द्वारा एक रकम तक सीमित रहती है जैसा कि वे सदस्य क्रमशः उसके द्वारा उस समवाय के समापन की अवस्था में उसकी सम्पत्तियों में अंशदान करने का वचन देते हैं, उस कम्पनी को गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी कहते हैं। एक "गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी" की गारण्टी की रकम रक्षित पूँजी होती है और परिसमापन (liquidation) के पहले उसे बन्धक या भारित (charge) नहीं किया जा सकता, किन्तु वह रकम कम्पनी की सामान्य जिम्मेदारियों तथा समापन के खर्चों का भुगतान करने के लिए प्राप्य रहती है।

गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी के सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य कम्पनी के समापन की अवस्था में, जब तक वह सदस्य है, या उसके बाद १ वर्ष के भीतर ही, उस कम्पनी के ऋणों और दायित्वों के भुगतान के लिए, जो सदस्यता समाप्त होने के पहले संवेदित (contracted) किये गये थे, तथा समापन के परिव्यय तथा खर्चों के भुगतान के लिये और अंशदाताओं के अपने बीच में अधिकारों के समायोजन के लिये उसकी संपत्तियों में अंशदान करने का वचन देते हैं और ऐसी रकम यथापेक्षित एक यथोल्लिखित रकम से अधिक नहीं होती।

प्रश्न ११—सरकारी कम्पनी की परिभाषा कीजिये और इसके विषय में कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत दिये गये उपबन्धों का वर्णन कीजिये।

Define Government Company and state the provisions as to it under the Companies Act.

उत्तर—सरकारी कम्पनी की परिभाषा—'सरकारी कम्पनी' का अभिप्राय उस कम्पनी से है, जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम ५१ प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या कुछ भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा और कुछ भाग एक या एक से अधिक राज्य-सरकारों द्वारा, धारण किया जाता है और जिसमें वह कम्पनी भी शामिल है, जो किसी सरकारी कम्पनी की सब्सिडियरी कम्पनी है जैसा इस प्रकार परिभाषित की गई है। (धारा ६१७)।

एक सरकारी कम्पनी की मुख्य विशेषतायें ये हैं—

(१) कोई भी सरकारी कम्पनी चाहे वह १-४-१९५६ के पहले या बाद में निर्मित की गई हो, The Companies (Amendment) Act 1960 के शुरू होने के बाद किसी मैनेजिंग एजेन्ट को न तो नियुक्त करेगी या न तो नियोजित करेगी, अथवा ऐसी शुरुआत के बाद किसी मैनेजिंग एजेन्ट की नियुक्ति या नियोजन को चालू नहीं रखेगी;

परन्तु जहाँ कि कोई कम्पनी १-४-१९५६ के बाद एक सरकारी कम्पनी बन गई हो, वहाँ इस धारा में की कोई भी बात उस समवाय को, The Companies (Amendment) Act, 1960 के शुरू होने के बाद किसी मैनेजिंग एजेन्ट की नियुक्ति या नियोजन को चालू रखने से निवारित नहीं करेगी, जो ऐसी शुरुआत के पहले नियुक्त या नियोजित कर दिया गया हो। (धारा ६१८)।

(२) किसी सरकारी कम्पनी का लेखा-परीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India) की सलाह पर नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जायेगा। [धारा ६११ (२)]।

(३) किसी सरकारी कम्पनी का लेखा-परीक्षक अपनी लेखा-परीक्षा (audit) के प्रतिवेदन (report) की एक प्रति (copy) भारत के नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक के पास पेश करेगा जो उस लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन पर आलोचना करने का या उसकी अनुपूर्ति (supplement) का अधिकार रखता है। [धारा ६१९ (४)] उस लेखा-परीक्षा के प्रतिवेदन पर, ऐसी आलोचनायें या ऐसा अनुपूरण (supple-

ment) वार्षिक सामान्य अधिवेशन के समक्ष उसी समय और उसी ढङ्ग से रखी जायेंगी, जैसे कि लेखा-परीक्षा का प्रतिवेदन किया गया था। [धारा ६१६ (५)]।

(४) केन्द्रीय सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि कम्पनी अधिनियम, १९५६ के निगमों में का कोई भी नियम जो अधिसूचना (notification) में उल्लिखित (specified) किया गया है, किसी सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं होगा या केवल ऐसे अपवादों, संशोधनों और रूपान्तरों के साथ उस पर लागू होगा, जो उस अधिसूचना में उल्लिखित किये गये हैं। [धारा ६२० (१)]।

प्रश्न १२—कम्पनी अधिनियम १९५६ के मुख्य लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।

State briefly the main characteristics of the Companies Act, 1956.

उत्तर—कम्पनी अधिनियम १९५६ के मुख्य लक्षण—नवीन कम्पनी अधिनियम ने तत्समय वर्तमान विधि के नियमों में व्यापक परिवर्तन किया। यद्यपि अधिनियम की प्रस्तावना (preamble) में "कम्पनियों तथा अन्य संस्थाओं से सम्बन्धित विधि को समेतिक एव संशोधित करने के लिए" एक साधारण दावा किया गया है तथापि अधिनियम के तत्समय वर्तमान विधि का वास्तव में नवीकरण किया गया है। सम्पूर्ण क्षेत्र में परिवर्तन हुआ तथा परिभाषाओं, कम्पनियों के निगमन, प्रास्पेक्टस् शेयरों, डिबेन्चरों, चार्जों के रजिस्ट्रीकरण, प्रबन्ध तथा प्रशासन, समझौते, व्यवस्थायें एवं पुनर्निर्माण, समापन (winding up) तथा विशेष अधिनियमों द्वारा विनियमित कम्पनियों और सरकारी कम्पनियों के प्रति अधिनियम के लागू होने तथा बहुत से प्रकीर्ण विषयों (miscellaneous matters) से सम्बन्धित कम्पनियों में व्यापक परिवर्तन हुआ।

नवीन अधिनियम में कुप्रबन्ध की बुराइयों एवं कमजोरियों के शोषण के विषय में सुधार करने का प्रयत्न किया गया है। पीड़न तथा कुप्रबन्ध को रोकने के लिए नियम बनाने के लिए नया छठाँ अध्याय जोड़ा गया है।

वह नियम बनाया गया है कि यदि किसी कम्पनी के आर्टिकिल्स आफ ऐसोसिएशन, कम्पनी के डाइरेक्टरों के लिये कोई शेयर-सम्बन्धी योग्यता को आवश्यक बनाती है, तो ऐसी योग्यता ५०००) रु० के अभिहित मूल्य (nominal value) के अंशों से अधिक नहीं होगी या उस अवस्था में जब कोई शेयर ५०००) रु० से अधिक अभि-

हित मूल्य का है; तो यह योग्यता एक शेयर से अधिक नहीं होगी (धारा २७०)। अधि-नियम के अन्य नियमों का आशय कुप्रबन्ध एवं अपकरण (misfeasance) के लिये डाइरेक्टरों की निजी जिम्मेदारी को बढ़ाना तथा अधिक तेज करना है।

एक दूसरा असंगत नियम डाइरेक्टरों की उधार लेने की शक्ति के बारे में है। किसी सार्वजनिक या असार्वजनिक कम्पनी का बोर्ड आफ् डाइरेक्टर्स जो एक सार्वजनिक कम्पनी का सहायक होता है; किसी सामान्य अधिवेशन में कम्पनी की सम्मति के सिवाय, किसी भी समय अप्राप्त रकमों को उधार लेने के लिये, जो उसकी प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त रूप से संचित राशि के कुल योग से अधिक नहीं है, सशक्त नहीं किया गया (धारा २९३)। यह युक्तियुक्त प्रतीत हो सकता है कि इसके पहले कि कानून स्थापित किया जाय, शेयरहोल्डरों को उस कानून के प्रयोजनों की जाँच करने का अवसर प्रदान किया जाय, ताकि डाइरेक्टर लोग कम्पनी को परिकल्पित (speculative) या अहितकर प्रयोजनाओं (projects) से भारित न करने पावें। किन्तु साथ ही साथ ऐसे अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं जब एक सामान्य अधिवेशन करने में लगने वाले समय की प्रतीक्षा किये बिना ही धन उधार लेना आवश्यक हो सकता है। व्यापार के सामान्य क्रम में कम्पनी के महाजनों (bankers) से अस्थायी उधार लेने के निमित्त डाइरेक्टरों के लिये अधिनियम में कुछ नियम बनाये गये हैं। किन्तु एक अस्थायी उधार क्या होता है इसके विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

प्रबन्ध का कुल पारिश्रमिक कंपनी के शुद्ध लाभों के ग्यारह प्रतिशत या ५०,०००) रुपये से, जो कोई भी अधिक हो, अधिक नहीं होना चाहिये। यह संकेत किया गया कि ५०,०००) रु० का यह शिखर (ceiling) किसी नवीन कंपनी के या किसी ऐसी कंपनी के, जो लंबी अवधि वाली प्रत्याशित या खोज करने वाली प्रक्रियाओं के व्यापार में संलग्न है, किसी योग्य प्रबन्ध में गम्भीर कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। विधायकों (legislators) ने इस विवाद के बल पर ध्यान दिया और इसलिये केन्द्रीय सरकार को समुचित अवस्थाओं में ५०,०००) रु० के शिखर को उठाने की अनुमति दी।

सचिवों एवं कोषाध्यक्षों के बनाने का उद्देश्य शायद, समय के क्रम में मैनेजिंग एजेन्टों की अत्यधिक हानिकारक नियुक्ति की जगह, नियुक्त करना है।

यह नियम बनाया गया है कि किसी कंपनी का कुल प्रभावी मतदान करने की शक्ति के ५ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य या मतदान करने की शक्ति रखने वाले, किसी कंपनी के सौ या सौ से अधिक सदस्य कंपनी से यह अपेक्षा कर

सकते हैं कि वह आगामी सामान्य अधिवेशन पर प्रस्तावित किये जाने वाले संकल्प (resolution) की सूचना शेयरहोल्डरों को दें और उसी प्रकार उस संकल्प की विषय-वस्तु के संबन्ध में भी किसी विवरण की सूचना दें जो १००० शब्दों से अधिक की न हो। यद्यपि ऐसे भी नियम बनाये गये हैं जो असंतुष्ट व्यक्तियों को ऐसे विवरणों या वक्तव्यो के परिचालन (circulation) को रोकने के लिये अदालत की संरक्षा प्राप्त करने में समर्थ बनाते हैं, जिनका आशय मानहानिकारक विषय का अनावश्यक प्रकाशन करना है। तथापि अदालत में की जाने वाली स्वयं कार्यवाहियों द्वारा ही विद्वेषी व्यक्तियों के अनुचित आचरण के पर्याप्त प्रकाशन का प्रयोजन पूरा हो जायेगा। यह और भी कहा जा सकता है कि बैंकिंग कंपनी को किसी वक्तव्य या विवरण के परिचालन से छूट प्राप्त है यदि उस बैंकिंग कंपनी के डाइरेक्टर यह विश्वास करते हैं कि इस सरकुलेशन से कंपनी के हितों को हानि पहुँचेगी।

जिस गम्भीरता के साथ निदेशकों की चूकों पर विचार किया जाता है, वह जुर्मानों के लिए बनाये गये नियमों से और भी स्पष्ट हो जाती है। लाभांशों (dividends) की घोषणा के तीन महीनों के भीतर लाभांशों के वितरण में विफलता के लिये ७ दिनों के कारावास का नियम बनाया गया है।

नवीन विधि के दूसरे मुख्य लक्षण वे नियम हैं, जो प्रबन्ध की शक्तियों को निर्बन्धित (restrict) करने के लिये, पारिश्रमिकों को सीमित करने के लिये अधि-नियम के अधीन की गई चूकों के लिये, जुर्मानों (Penalties) को और बढ़ाने के लिये, तथा या तो मतदान की आनुपातिक पद्धति द्वारा सरकार के द्वारा नाम-निर्देश (nomination) से, प्रबन्ध पर अल्पसंख्यक वर्ग (minority) के प्रतिनिधित्व के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिये, आँके गये है।

II. कम्पनियों का निगमन और रजिस्ट्रेशन (Incorporation and Registration of Companies)—

प्रश्न १३—किसी कम्पनी के निर्माण (या रचना) के लिये कौन-कौन से आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं? संगणना कीजिये। निगमित कम्पनी की रचना का क्या तरीका है?

What essential steps are to be taken for the formation of a company? Enumerate. What is the mode of forming an incoporated company?

उत्तर—कम्पनी की रचना के लिये आवश्यक कदम (Essential

steps in formation of a company)—कम्पनी के निर्माण के लिये निम्नलिखित आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे :—

(१) मैमोरेन्डम आॅफ एसोसियेशन की तैयारी ;

(२) आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन की तैयारी ;

(३) प्रारम्भिक संविदाओं की तैयारी यदि कोई हों ;

(४) शेयरों में धन लगाने के लिये जनता को आमन्त्रित करते हुए प्रास्पेक्टस को जारी करना ;

(५) कम्पनी की रजिस्ट्री कराना; और

(६) कम्पनी का कारोबार शुरू करने के लिये वर्किंग कैपिटल को प्राप्त करना।

निगमित कम्पनी की रचना का तरीका (Mode of forming incoporated company)—कम्पनी ऐक्ट की धारा १२ यह उपबन्ध करती है कि कोई भी सात या अधिक व्यक्ति, या जहाँ रचना की जाने वाली कम्पनी प्राइवेट कम्पनी हो, तो कोई दो या अधिक व्यक्ति, जो किसी वैध प्रयोजन के लिये सम्बद्ध हों, एक मैमोरेन्डम आफ एसोसियेशन में अपना नाम अंकित करके और अन्यथा ऐक्ट द्वारा रजिस्ट्रेशन से संबन्धित अपेक्षित बातों का पालन करके, सीमित दायित्व सहित या बिना इसके एक निगमित कम्पनी की रचना कर सकते हैं।

कम्पनी का उद्देश्य या प्रयोजन वैध होना चाहिये। इसके द्वारा देश के कानून का अतिलंघन नहीं होना चाहिये। सिर्फ इस बात से कि किसी कम्पनी के कुछ उद्देश्य लोकोपकारी हैं कोई अवैध कंपनी वैध कम्पनी के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती है।

जब तक कि कोई प्रतिकूल बात न हो, हस्ताक्षरकर्त्ता तब तक अपने शेयरों का भुगतान करने के लिये बद्ध नहीं हो सकते जब तक कि उनसे यथाविधि याचना या माँग (call) न किया जाय। मैमोरेन्डम में अपना नाम अभिदत्त (subscribe) करने वाला व्यक्ति संविदा को विखंडित नहीं कर सकता।

सालोमन बनाम सालोमन के केस के निर्णय के बाद, मेमोरेन्डम के हस्ताक्षर-कर्त्ता किसी एकल व्यक्ति (single person) के अभिहस्तांकनकर्त्ता (assignees) हो सकते हैं और उनके द्वारा अपना नाम सबस्क्राइब किया जाना केवल एक औपचारिक कृत्य-मात्र हो सकता है।

प्रश्न १४—एक कम्पनी या एक साझेदारी के सदस्यों की संख्या के बारे में कम्पनीज ऐक्ट में क्या निषेध दिया गया है ? इसके उल्लंघन करने वाले का क्या दायित्व है ?

What prohition has been made in the Companies Act relating to the number of members in a Company as a Partnership ? What is the liability of the person infringing it ?

उत्तर—एक निश्चित संख्या से अधिक असोसियेशनों और पार्टनरशिपों के प्रति निषेध (Prohibition of Associations and Partnerships exceeding certain number)—

बैंकिग का व्यापार करने के प्रयोजन के लिये कोई कम्पनी, एसोसियेशन या पार्टनरशिप दस व्यक्तियों से अधिक सदस्यों की तब तक नहीं बनाई जा सकेगी जब तक कि वह कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड न कराई गई हो, या किसी अन्य भारतीय कानून के अन्तर्गत न बनाई गई हो।

(२) बीस सदस्यों से अधिक की कोई कम्पनी, एसोसियेशन या पार्टनरशिप कोई अन्य व्यापार करने के प्रयोजन के लिये, जिसका उद्देश्य कम्पनी एसोसियेशन या पार्टनरशिप द्वारा या उसके सदस्यों द्वारा लाभ अर्जित करना हो, तब तक नहीं बनाई जायेगी जबकि तक कि वह कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड न कराई गई हो, या किसी भारतीय कानून के अन्तर्गत न बनाई गई हो।

(३) उपरोक्त उपबन्ध संयुक्त परिवार पर लागू नहीं होंगे जो इस रूप में व्यापार कर रहा हो; और जहाँ कोई व्यापार दो या अधिक संयुक्त परिवारों द्वारा किया जा रहा हो, उपरोक्त उपधाराएं (१) और (२) के प्रयोजन के लिये, व्यक्तियों की गणना में नाबालिगों के नहीं जोड़ा जायगा।

(४) किसी ऐसी कम्पनी, एसोसियेशन या पार्टनरशिप का प्रत्येक सदस्य जो उपरोक्त उपबन्धों के प्रतिकूल व्यापार कर रही हो, ऐसे व्यापार के दौरान में उपागत (incurred) किये गये दायित्वों (liabilities) के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

(५) ऐसी कम्पनी, एसोसियेशन या पार्टनरशिप के प्रत्येक सदस्य, जिसे इन उपबन्धों के प्रतिकूल स्थापित किया गया गया है, जुर्माने द्वारा दण्डित किये जायेंगे जो १०००) रु० तक हो सकता है (धारा ११)।

प्रवर्तक (प्रमोटर्स)

(Promotors)

प्रश्न २५—प्रवर्तक की परिभाषा कीजिये। उसके क्या कर्तव्य हैं? उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए।

Define "Promotor". What are his duties? Describe his position.

उत्तर—प्रमोटर की परिभाषा—Twycross v. Grant, 2 C. P. D. 541 के मुकदमे में न्यायाधीश काकबर्न ने प्रवर्तक की परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति से की है, जो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर एक कम्पनी के निर्माण करने का तथा उसे संचालित करने का उपक्रम करता है, और जो उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय करता है। इसके पहले कि कोई कम्पनी निर्मित होवे, यह आवश्यक है कि विक्रेताओं के साथ व्यापार तथा उन सम्पत्तियों की खरीद के प्रयोजन से जिनको प्रस्तावित कम्पनी खरीदने का आशय रखती है, पर्याप्त मात्रा में बातचीत चलाई जाय और वह कम्पनी अपने आशयित व्यापार के सम्बन्ध में लाइसेन्स, रियायतें तथा एकस्व (Patents) प्राप्त करे। यह प्रोमोटर की प्रेरणा, श्रम तथा कौशल है, जो कम्पनी को अस्तित्व में लाता है। स्पष्ट रूप से वह एक महान् न्याय का पद तथा उत्तरदायित्व धारण करता है और इसीलिये कम्पनी विधि उचित रूप से यह मानती है कि वह कम्पनी के सम्बन्ध में न्यासवत् सम्बन्ध धारण करता है।

भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा ३२ के प्रयोजन के लिए, जो डाइरेक्टरों, प्रोमोटरों इत्यादि के व्यावहारिक दायित्व (civil liability) का संव्यवहार करती है, या विवरणिका में गलत विवरण के लिए, एक प्रोमोटर का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो विवरणिका को तैयार करने में एक पक्षकार था, या विवरणिका के उस भाग को तैयार करने में एक पक्षकार था, जिसमें असत्य विवरण शामिल है, किन्तु इस पद में वह व्यक्ति जो उन व्यक्तियों की ओर से, जो कम्पनी के निर्माण में लगे हुए थे, व्यावसायिक रूप में कार्य करने के कारण सम्मिलित नहीं माना जाता है। (धारा ६२)।

प्रमोटरों की स्थिति—एक प्रोमोटर की ठीक-ठीक वैध स्थिति (legal position) की परिभाषा देना कठिन है। वह कम्पनी का न्यासधारी (trustee) नहीं होता है क्योंकि अभी किसी का अस्तित्व ही नहीं होता है। उस सम्बन्ध का तब तक अस्तित्व नहीं होता जब तक कि वह कम्पनी इन्कार्पोरेटेड न हो गई हो। इसी

कारण उसे कम्पनी का एजेन्ट भी नहीं कह सकते। ठीक तरह से उसकी स्थिति की व्यवस्था की जाय तो उसकी स्थिति अभी निर्मित होने वाली कम्पनी के प्रति एक न्यासवत् स्थिति (fiduciary position) होगी Lyndley and Wigpol Iron Ore Co. v. Bird, 33 Ch. D. 85, के मूकदमे में लार्ड जस्टिस लिण्डले ने यह विचार प्रकट किया है कि—

"Although not an agent of the company nor a trustee for it before its incorporation, the old familiar principles of agency and of trusteeship has been extended, and very property extended to meet such cases, and using the word "promoter" to describe a person acting as James Bird did it is perfectly well settled that a promoter of a company is accountable to it for all moneys secretly obtained by him from it just as if the relationship of principal and agent or trustee and cestui que trust had really existed between them and the company when the money was so obtained."

प्रोमोटर के कर्त्तव्य (Duties of a Promoter)—जब कम्पनी निर्मित हो जाती है, तो प्रोमोटर उस कम्पनी की न्यासवत् हैसियत में वर्तमान होते हैं। उस कम्पनी के प्रति अपने आचरण में उच्चतम श्रेणी की सत्यनिष्ठा (integrity) एवं औचित्य (fairness) बनाये रखना उनके लिये आवश्यक है। यदि वे अपनी संपत्ति को कम्पनी के हाथ बेच देते हैं, तो उनके लिए यह आवश्यक है कि वे उन कार्यों से प्राप्त हुये लाभों को प्रकट करें, अन्यथा (otherwise) वह बिक्री रद्द हो सकती है। वह उस समस्त धन का लेखा देने के लिये बाध्य है, जो उसे कम्पनी की निधियों (Funds) के कंपनी की जानकारी के बिना प्राप्त हुआ है। उसका यह कर्त्तव्य है कि वह स्वतन्त्र व्यक्तियों का एक मंडल कंपनी के डाइरेक्टरों के रूप में स्थापित करे और तब अपनी संपत्ति को उन डाइरेक्टरों की मंजूरी से, कंपनी के हाथ बेंचे, जिससे वे डाइरेक्टर आशयित सदस्यों (intended members) को उस खरीद की जानकारी करा दे। उन सभी गुप्त लाभों का लेखा देना, जो उसे प्राप्त हुये हैं, उसके लिये आवश्यक है। वह युक्तियुक्त खर्चों को घटा लेने का हकदार है जैसे सालिसिटरों का शुल्क, दलालों, अभियन्ताओं (engineers) का शुल्क, विज्ञापन के खर्चे तथा अन्य वैध परिव्यय।

प्रोमोटरों, का कर्त्तव्य यह देखना है कि प्रासपेक्टस में कोई मिथ्या विवरण

नहीं जाने पाता है। कोई भी कंपनी उस संविदा (contract) से बाध्य नहीं हो सकती है, जो उसके निमित्त उसके निर्मित होने के पहले ही किया गया था। प्रत्येक अवस्था में यह तथ्य का प्रश्न है कि किस समय एक व्यक्ति प्रोमोटर बनने लगता है और कब से प्रोमोटर नहीं रह जाता है। एक प्रोमोटर केवल कंपनी के निर्माण तथा डाइरेक्टरों की नियुक्ति के कारण स्वतः ही प्रोमोटर नहीं रह जाता है, बल्कि वह प्रोमोटर तब नहीं रह जाता है जब तक डाइरेक्टर कंपनी के निर्माण का कार्य अपने हाथ में नहीं ले लेते। उसके निम्नलिखित कृत्य (functions) हैं :—

स्कीम की रूप-रेखा तैयार करना, विक्रेताओं से बातचीत चलाना, बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स को एकत्र करना, कंपनी के लिये बैंक से व्यवहार करना, दलालों तथा सालिसिटरों को कायम रखना, मेमोरेण्डम तथा आर्टिकिल्स तैयार करना, प्रासपेक्टस प्रारूपित करना, रजिस्ट्रीकरण के शुल्क के लिये नियम बनाना इत्यादि।

मेमोरेन्डम और आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन

प्रश्न १६—कंपनी के स्मरण-पत्र और अन्तर्नियम से आप क्या समझते हैं? इन दोनों के आशय और प्रभाव क्या हैं?

What do you understand by Memorandum of Association of a company? What is the purpose of each and what is their effect?

या

कंपनी का पार्षद् सीमा नियम क्या होता है? उसको क्या आवश्यक बातें रहती हैं? क्या एक कंपनी का काम बदला जा सकता है? अगर ऐसा है तो किन दशाओं में?

What is Memorandum of Association of a Company? What are its contents? Can the name of a company be changed? If so, under what circumstances?

या

एक कंपनी का पार्षद् सीमा-नियम क्या है? इसके क्या अन्तर्विषय हैं? क्या हर कंपनी के लिये पार्षद सीमा नियम होना आवश्यक है? किन परिस्थितियों में कंपनी का नाम परिवर्तित किया जा सकता है?

What is Memorandum of Association of a company ? What are its contents ? Is it necessary that every company should have a Memorandum of Association ? Under what cricumstance can the names of a company be changed ?

मेमोरेन्डम आव् ऐसोसियेशन—एक कंपनी के निर्माण के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज मेमोरेण्डम तथा आर्टिकिल्स होते हैं। ये मेमोरेण्डम किसी कंपनी "मेमोरेण्डम" के हैं, जो प्रारम्भ में बनाए गए होते हैं और जो समय-समय पर परिवर्तित किये गये रहते हैं। [धारा २ (२८)]। यह किसी प्रस्तावित कंपनी की शक्तियों के उद्देश्य तथा सीमाओं को परिभाषित करता है। यह कंपनी का शास-पत्र (charter) होता है। इसमें वे शर्तें अन्तर्विष्ट रहती हैं, केवल जिन पर ही एक कंपनी निगमित (incorporated) होने के लिए मन्जूर होती है। यह कंपनी का बाह्य संसार से संबंध को, तथा इसके कार्यों के क्षेत्र को निश्चित करता है। यही वह दस्तावेज है; जो प्रस्तावित इन्वेस्टर को उस जोखिम का विचार देता है, जिसका वह उपक्रम करता है।

प्रत्येक कंपनी का मेमोरेंडम निम्नलिखित विवरण देगा—

(क) एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अवस्था में उस कंपनी के नाम का अन्तिम शब्द "सीमित" (limited) और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थिति में उस कंपनी के नाम के अन्तिम शब्द 'अलोक सीमित' (Private Limited);

(ख) वह राज्य, जिसमें उस कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; और

(ग) कंपनी के उद्देश्य, और व्यापारिक कंपनियों की अवस्था के सिवाय, राज्य या राज्यों के नाम, जिन तक उन उद्देश्यों का विस्तार हो। उस प्रस्तावित उद्देश्य में कोई ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिये, जो अवैध हो या भारतीय कंपनी अधिनियम १९५६, के नियमों के प्रतिकूल हो। उद्देश्यों का विवरण द्विगुण (twofold purpose) को पूरा करता है—(१) सकारात्मक रूप से (affirmatively)। अर्थात् यह कंपनी की शक्तियों को निर्धारित करता है, और (२) नकारात्मक रूप से, अर्थात् कंपनी को प्रदत्त की गई शक्तियों पर रुकावट डालता है।

शेयरों द्वारा सीमित या गारण्टी द्वारा सीमित किसी कंपनी का मेमोरेण्डम यह भी वर्णन करेगा कि इसके सदस्यों की जिम्मेदारी सीमित है।

एक शेयर पूँजी रखने वाली कंपनी की अवस्था में :—

(अ) यदि वह कंपनी एक असीमित कंपनी न हो, तो मेमोरेण्डम में शेयर पूँजी की उस रकम का भी वर्णन रहेगा, जिसके साथ उस कंपनी को रजिस्ट्रीकृत करना है, और एक नियत रकम वाले शेयरों में उस पूँजी के विभाजन का वर्णन रहेगा ;

(ब) मेमोरेण्डम का कोई भी अभिदाता एक से कम शेयर नहीं ग्रहण करेगा ; और

(स) मेमोरेण्डम का प्रत्येक अभिदाता अपने नाम के सामने उन शेयरों की संख्या लिखेगा, जिनको वह ग्रहण करता है।

गारण्टी द्वारा सीमित किसी कंपनी के मेमोरेण्डम में यह भी विवरण रहेगा कि प्रत्येक सदस्य, जब तक वह एक सदस्य है या सदस्य न रहने के एक वर्ष के भीतर, कम्पनी के समापित होने की अवस्था में, कम्पनी के ऋणों एवं जिम्मेदारियों के भुगतान के लिए, या कंपनी के ऐसे ऋणों एवं जिम्मेदारियों के भुगतान के लिये, जिनके विषय में संविदा उसके सदस्य न रहने के पहले ही किया गया है और समापन के परिव्यय, खर्च तथा प्रभारों (charges) के भुगतान के लिये तथा अंशदायियों के अधिकारों के पारस्परिक समायोजन (adjustment) के लिये, कम्पनी की चल-संपत्तियों को ऐसी रकम का अंशदान करने के लिये वचन देता है जो अपेक्षित की जा सकती हो और जो एक यथोल्लिखित रकम से अधिक न हो।

किसी कम्पनी की मेमोरेण्डम आव् ऐसोसियेशन अनुसूची १ में की सारणियों (Tables) 'ब', 'स', 'द', 'ई' में के प्ररूपों (forms) में से किसी एक प्ररूप में होगा जैसा कि वह उस कंपनी की अवस्था में उपयुक्त हो सकता है या उसके निकट-तम किसी प्ररूप में हो सकता है जैसा कि परिस्थितियाँ मंजूर करें। मेमोरेण्डम मुद्रित (printed) होता है, पैराग्राफों में विभाजित होता है; क्रमोत्तर संख्यांकित होता है और प्रत्येक अभिदाता द्वारा (जो अपना पता, वर्णन तथा धन्धा उसमें जोड़ देगा) कम से कम एक साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित होगा, जो उस हस्ताक्षर को अभिप्रमाणित (attest) करेगा और उसी प्रकार अपना पता, वर्णन तथा धन्धा उसमें जोड़ देगा।

मेमोरेण्डम में उद्देश्य-खंड (Object clause in the Memorandum)—मेमोरेण्डम में उद्देश्यों के वर्णन करने का प्रयोजन, शेयरहोल्डरों,

ऋणदाताओं तथा उन लोगों को, जो समवाय के साथ संव्यवहार करते हैं, यह मानने के लिये समर्थ बनाता है कि मन्जूर की गई क्रियाओं को सीमा क्या है। इस प्रकार उद्देश्य-खंड द्विगुण प्रयोजन का काम करता है—यह उन अभिदाताओं की संरक्षा करता है, जो इससे उन प्रयोजनों को सीखते हैं, जिनके लिये उनके धन का उपयोग किया जा सकता है, और यह कंपनी की शक्तियों के सम्बन्ध में उनको जानकारी करा कर उन व्यक्तियों की संरक्षा करता है, जो कंपनी के साथ संव्यवहार करते हैं।

आर्टिकिल्स आव् ऐसोसियेशन—धारा २६ यह नियम बनाती है कि शेयरों द्वारा सीमित किसी पब्लिक कम्पनी की अवस्था में सम्भवतः, और किसी असीमित कम्पनी, या गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी या शेयरों द्वारा सीमित किसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की अवस्था में आवश्यक रूप से मेमोरेण्डम के साथ आर्टिकिल्स आव् ऐसोसियेशन का भी रजिस्ट्रीकरण किया जायगा, जिस पर मेमोरेण्डम के अभिदाताओं का हस्ताक्षर होगा तथा जो कम्पनी के लिये नियमों का विधान करेगी।

इस प्रकार आर्टिकिल्स में कम्पनी के आन्तरिक नियम दिये जाते हैं अर्थात् वे नियम, जिनका सम्बन्ध कम्पनी के कार्यों से, तथा उनसे सम्बन्धित विषयों से रहता है। वे शेयर होल्डरों तथा उन व्यक्तियों के बीच में बन्धनकारी (binding) होते हैं, जो कम्पनी में कोई अन्य हित रखते हैं। आर्टिकिल्स में कोई ऐसी वस्तु अन्तर्विष्ट नहीं होनी चाहिये, जो या तो अवैध हो या कम्पनी की शक्ति से परे हो (ultra vires)। आर्टिकिल्स, कम्पनी को कोई ऐसा कार्य करने का प्राधिकार नहीं दे सकती, जो मेमोरेण्डम द्वारा दी हुई शक्तियों से परे हो। सामान्यतः वह कम्पनी के आन्तरिक प्रशासन के विषयों सम्बन्धी नियमों की एक संहिता होता है। आर्टिकिल्स कम्पनी और उसके सदस्यों के बीच संविदा स्थापित करते हैं और सदस्यों के आपसी सम्बन्धों को भी नियमित करते हैं। चूंकि आर्टिकिल्स किसी बाहरी व्यक्ति के साथ कोई संविदा नहीं होते, वे आगन्तुकों को कोई लाभ नहीं प्रदान करते।

क्या प्रत्येक कम्पनी का मेमोरैन्डम आफ एसोसियेशन होना चाहिये ?

धारा १२ के अनुसार कम्पनी का निर्माण मेमोरैण्डम आफ एसोसियेशन में निर्दिष्ट सीमित व्यक्तियों से अन्यून व्यक्तियों द्वारा अपना नाम सब्सक्राइब करके ही हो सकता है, और कम्पनी ऐक्ट के उपबन्धों का भी उपलक्षित प्रभाव यह है कि प्रत्येक कम्पनी का मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन होना चाहिये, बिना इसके किसी कम्पनी का वैध रूप से निर्माण नहीं हो सकता।

नाम-परिवर्तन—

कोई कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिखित अनुमोदन सहित अपना नाम बदल सकती है। लेकिन ऐसी सूरत में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी जबकि कम्पनी के नाम में किया जाने वाला परिवर्तन उसके नाम में से शब्द "प्राइवेट" को जोड़ना या निकालना मात्र हो, जो कि ऐक्ट के उपबन्ध के अनुसार किसी लोक-कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी या किसी प्राईवेट कम्पनी को लोक कम्पनी के रूप में परिवर्तित होने के कारण आवश्यक हो गया हो। (धारा २१)।

यदि भूल के कारण या अन्यथा, किसी कम्पनी का नाम किसी ऐसे गलत नाम से रजिस्टर्ड हो गया हो जो केन्द्रीय सरकार के विचार में, किसी अन्य अस्तित्व शील तथा पहिले से रजिस्टर्ड कम्पनी के नाम के एक सम है, तो पहले कम्पनी क नाम एक साधारण प्रस्ताव पारित करके, तथा केन्द्रीय सरकार की लिखित पूर्व-अनुमतिसहित परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रश्न १७—मेमोरैण्डम तथा आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन के बीच क्या सम्बन्ध है, विवेचन कीजिये।

What is the relation between Memorandum and Articles of Association.

या

मेमोरैन्डम और आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन के बीच अन्तर बताइये।

Describe the distinction between Memorandum and Articles of Association.

उत्तर—मेमोरैन्डम और आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन के बीच सम्बन्ध और अन्तर—

मेमोरैन्डम और आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन दो प्रमुख दस्तावेज हैं जिनसे सीमित कम्पनी का संघटन और उसके कार्य-क्षेत्र का निर्धारण होता है, दोनों एक दूसरे के लिये अनुपूरक हैं। जहाँ मेमोरेण्डम, जिस उद्देश्य या उद्देश्यों के लिये कम्पनी बनाई जाती है उसके सहित कम्पनी के निगमन की शर्तों को परिभाषित और निर्धारित करता है, वहाँ आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन उन साधनों और तरीकों को निर्धारित करता है जिनकी सहायता से कम्पनी उन शर्तों की पूर्ति तथा उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहती है।

रेलवे कम्पनी के केस में केर्न्स, एल० सी० ने निर्धारित किया है कि आर्टिकिल्स मेमोरेन्डम के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ये मेमोरैन्डम को कम्पनी के चार्टर के रूप में स्वीकार करते हैं और इस प्रकार स्वीकार करते हुये गवर्निङ्ग बाडी के कर्तव्यों, अधिकारों और शक्तियों इत्यादि को परिभाषित करते हैं।

आर्टिकिल्स कम्पनी और उसके सदस्यों के बीच संविदा स्थापित करते हैं, और सदस्यों के आपसी सम्बन्ध को भी नियमित करते हैं। चूंकि आर्टिकिल्स किसी बाहरी व्यक्ति के साथ कोई संविदा नहीं होते, वे आगन्तुकों को कोई लाभ नहीं प्रदान करते। आर्टिकिल्स को किसी अन्य व्यक्ति, जो विक्रेता हो, तथा कम्पनी के बीच संविदा नहीं माना जा सकता। कम्पनी अपने आर्टिकिल्स द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति के प्रति बद्ध नहीं होती, बल्कि शेयरहोल्डरों के प्रति बद्ध होती है। आर्टिकिल्स में इस कथन का कि कोई व्यक्ति कम्पनी का सेक्रेटरी, मैनेजर या अन्य अधिकारी होगा, यह अर्थ नहीं होगा कि उसके साथ कोई संविदा हुई थी; लेकिन जहाँ आर्टिकिल्स के आधार पर कंपनी डाइरेक्टों की नियुक्ति करती है और वे उस पद को स्वीकार कर लेते हैं, तो आर्टिकिल्स की शर्तों से कम्पनी और डायरेक्टरों के बीच उपलक्षित रूप से एक संविदा होती है। आर्टिकिल्स में प्रमोटर के पक्ष में इस उपबन्ध से भी कि वह आकस्मिक खर्चों का भुगतान करेगा प्रमोटर को कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा।

मेमोरैन्डम आफ एसोसियेशन और आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन के बीच अन्तर बताते हुये, लार्ड जस्टिस बोवेन ने गिनेस बनाम सैन्ड कारपोरेशन आफ आयरलैन्ड (१८८२) सी० एच० डी० ३४६, में कहा है कि—

मेमोरेन्डम में वे मूलभूत सिद्धान्त अन्तर्विष्ट होते हैं सिर्फ जिन पर कि कंपनी के निगमन की इजाजत दी जाती है। वे ऋणदाताओं और बाहरी पब्लिक और शेयरहोल्डरों के फायदे के लिये पेश की गई शर्तें हैं। आर्टिकिल्स कम्पनी के आन्तरिक विनियम हैं "(The memorandum contains fundamental principles upon which alone the company is allowed to be incorporated. They are conditions introduced for the benefit of the creditors and the outside public as the shareholders. The articles are internal regulations of the company."

चूंकि मेमोरैन्डम कम्पनी का मूल तथा आधारभूत चार्टर होता है, ऐक्ट में

उपबन्धों द्वारा उनमें परिवर्तन करने में कम्पनी के अधिकारों को कड़ाई से परिसीमित किया गया है। परिवर्तन विशेष प्रस्ताव द्वारा ही किया जा सकता है और कोर्ट द्वारा इसकी पुष्टि जरूरी है; आर्टिकिल्स को किसी समय भी विशेष प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते कि किया गया परिवर्तन मेमोरेन्डम के उपबन्धों के प्रतिकूल न हो।

मेमोरेन्डम उस क्षेत्र को परिभाषित करता है जिसके बाहर कम्पनी नहीं जा सकती, लेकिन इस क्षेत्र के भीतर आर्टिकिल्स द्वारा कम्पनी के प्रबन्ध के लिये विनियम निर्धारित किये जा सकते हैं।

मेमोरेन्डम कम्पनी और बाहरी संसार के बीच होने वाले व्यवहारों को परिभाषित करता है; और आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन कम्पनी और सदस्यों के बीच एक संविदा: स्थापित करते हैं तथा सदस्यों के आपसी अधिकारों को नियमित करते हैं।

प्रश्न १८—कब और किस प्रकार मेमोरेन्डम आफ एसोसियेशन और आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन को परिवर्तित किया जा सकता है ?

When and how may the Memorandum of Association and Articles of Association be altered ?

उत्तर—मेमोरेण्डम आव एसोसियेशन का परिवर्तन—कोई भी कम्पनी अपने मेमोरेण्डम में अन्तर्विष्ट शर्तों को, उन सूरतों के सिवाय, उस रीति में के सिवाय तथा उस मात्रा तक के सिवाय जिसके लिए कम्पनी अधिनियम में अभिव्यक्त नियम बनाया गया है, परिवर्तित नहीं करेगी।

धारा १७ में यह दिया हुआ है कि एक कम्पनी विशेष संकल्प द्वारा अपने मेमोरेण्डम के उपबन्धों को, एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थान बदलने के लिए या कम्पनी के उद्देश्यों के संबंध में, इस प्रकार बदल सकती है कि जिससे वह :—

(क) अपने व्यापार को और भी अधिक मितव्ययिता से (economically) तथा और भी दक्षता से (efficiently) चला सके;

(ख) नवीन तथा उन्नत साधनों द्वारा अपने मुख्य प्रयोजन को पूरा कर सके;

(ग) अपनी प्रक्रियाओं के स्थानीय क्षेत्र को विस्तृत या परिवर्तित कर सके;

(घ) किसी ऐसे व्यापार को भी चला सके, जो वर्त्तमान परिस्थितियों के अधीन, सुविधापूर्वक तथा अभिलाभपूर्वक कम्पनी के व्यापार से मिलाया जा सकता है;

(ङ) मेमोरेण्डम में उल्लिखित किन्हीं उद्देश्यों को निर्बन्धित (restrict) करने में या त्याग देने में समर्थ हो सके,

(च) कम्पनी के उपक्रम के समस्त भाग को या उसके किसी एक भाग को बेचने या निपटाने में असमर्थ हो सके; या

(छ) किसी अन्य कम्पनी के साथ या व्यक्तियों के किसी बॉडी के साथ समामेलन करने में समर्थ हो सके।

खंड (ख) में पदावली (expression) "और भी अधिक दक्षता से व्यापार चलाने" का आवश्यक रूप से अर्थ यह है कि व्यापार को इस रीति से चलाना कि उससे वांछित फल या प्रभाव उत्पन्न हों। दूसरे शब्दों में, यदि कोई विशिष्ट रीति, ढंग, या साधन जो व्यापार से सम्बन्धित है और व्यापार का सहायक है तथा और भी लाभप्रद है एवं सुरक्षा या स्थायित्व (security or stability) को उन्नत करता है, तब वह रीति, ढंग या साधन ऐसा ढंग या साधन है, जो और भी दक्षतापूर्ण है। "दक्षता से" (efficiently) यह शब्द केवल उत्पादन (production) के मामले में ही सीमित किया जा सकता है; अन्य किसी मामले में नहीं (Jayantilal Ranchoddas Koticha *v.* Tata Iron and Steel Co. Ltd. A. I. R. 1958, Bom. 155)

उपर्युक्त खंड (अ) के प्रयोजनों के लिये न्यायालय जिस बात पर विचार करता है, वह यह है "वह कौन-सा उद्देश्य है, जिसे सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है यदि वह लाभ-अर्जन करने के प्रयोजन से एक व्यापारिक कम्पनी है ? या वह कौन-सा उद्देश्य है, जिसे वह कम्पनी लाभार्जन करने के लिए सक्रिय रूप से (actively) बढ़ावा देना चाह रही है। और उसी उद्देश्य के सम्बन्ध में जो परिस्थितियों के अधीन कम्पनी का व्यापार बन जाता है यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या यह सुझाया गया संशोधन (amendment) ऐसा संशोधन है, जो कम्पनी को और भी अधिक मितव्ययिता तथा और भी अधिक दक्षता से उस उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ बना सकेगा।

कोई परिवर्तन तब तक प्रभाव नहीं रखता जब तक कि वह याचिका पर न्यायालय द्वारा पुष्ट नहीं कर दिया जाता है और वहीं तक प्रभाव रखता है जहाँ

तक न्यायालय इसे पुष्ट (confirm) करता है। किसी परिवर्तन को पुष्टि करने के पहले न्यायालय को इस बात से अवश्य संतुष्ट होना चाहिए कि :—

(अ) कम्पनी के प्रत्येक ऋण-पत्रधारी को तथा उन व्यक्तियों को, जिनके हित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होंगे, पर्याप्त सूचना दे दी गई है;

(ब) उस प्रत्येक ऋणदाता के सम्बन्ध में, जो उस परिवर्तन पर आपत्ति करने का हकदार है, और जो अपनी आपत्ति को प्रकट करता है, या तो उस परिवर्तन के प्रति उसकी सम्पत्ति प्राप्त कर ली गई है या उसका ऋण या दावा (claim) न्यायालय के सन्तोषप्रद रूप में उन्मुक्त (discharged) निपटा दिया गया है या प्रतिभूत (secured) कर दिया गया है [धारा १७ (३)]

न्यायालय परिवर्तन की पुष्टि के लिये दी गई याचिक की सूचना रजिस्ट्रार पर भी तामील करायेगा। रजिस्ट्रार को भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिये तथा परिवर्तन की पुष्टि के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियों को प्रकट करने के लिये युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा [धारा १७ (४)]। न्यायालय ऐसी शर्तों पर जैसा कि वह ठीक समझता है उस परिवर्तन को पूर्णतः या भागतः पुष्टि करने वाला आदेश जारी कर सकता है।

मेमोरेण्डम के परिवर्तन के उदाहरण

(१) नाम का परिवर्तन—कोई भी कम्पनी विशेष संकल्प द्वारा और केन्द्रीय सरकार की मन्जूरी से, जो लेखन-बद्ध हो, अपने नाम को परिवर्तित कर सकती है। (धारा २१)।

(२) उसके उद्देश्यों का परिवर्तन :—

(३) एक सीमित कम्पनी की अवस्था में शेयर पूंजी का परिवर्तन (धारा ९४)।

(४) शेयर पूंजी का पुनर्गठन (re-organisation of share-capital) (धारा ३९)।

(५) शेयर पूंजी का घटाव (reduction) (धारा १००)।

(६) सीमित कम्पनी की रक्षित जिम्मेदारी का सृजन (धारा ९९)।

(७) सीमित कम्पनी का विशेष संकल्प, जिसके द्वारा डाइरेक्टरों की जिम्मेदारी असीमित बनायी जाती है। धारा ३२३ के अधीन गया परिवर्तन न्यायालय के पुष्ट होने की अपेक्षा नहीं करता है।

(८) शेयरों के विशेष वर्गों के होल्डरों के अधिकारों का परिवर्तन (धारा १०६)।

आर्टिकिल्स आव् ऐसोसियेशन का परिवर्तन—आर्टिकिल्स के परिवर्तन के सम्बन्ध में निम्नलिखित पदों पर ध्यान देना चाहिए :—

(१) आर्टिकिल्स आव् ऐसोसियेशन केवल एक विशेष संकल्प द्वारा ही परिवर्तित की जा सकती है।

(२) परिवर्तन में कोई ऐसी वस्तु अन्तर्विष्ट नहीं होनी चाहिये, जो अवैध हो या भारतीय कम्पनी अधिनियम के नियमों के विरुद्ध हो या लोकनीति (public policy) के विरुद्ध हो।

(३ मेमोरेण्डम में प्रदत्त शक्तियों के परे "संस्था की अन्तर्नियमावली" का परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

(४) परिवर्तन का मेमोरेण्डम से विरोध नहीं होना चाहिये।

(५) इसके द्वारा अवयस्कता (minority) पर कोई कपट नहीं किया जाना चाहिये।

(६) इसको समस्त कम्पनी के फ़ायदे के लिये किया जाना चाहिये।

(७) इसे ऐसा नहीं होना चाहिये कि जिससे कम्पनी किसी व्यक्ति के साथ की गयी संविदा को भंग करने में समर्थ हो।

उपर्युक्त परिसीमाओं (limitations) के अधीन रहते हुये आर्टिकिल्स परिवर्तित की जा सकती है और यदि उस आर्टिकिल्स में कोई ऐसा खंड (clause) है कि जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो ऐसा खंड कानून में लागू होने योग्य नहीं है Andrews v. Gas Meter Co. (1897) 1 Ch 361) के वाद में, कम्पनी की मूल में आर्टिकिल्स प्रेफेरेन्स शेयरों को प्रचालित करने की कोई शक्ति अन्तर्विष्ट नहीं थी किन्तु कम्पनी ने विशेष संकल्प द्वारा उस शक्ति को धारण करने के लिये आर्टिकिल्स को परिवर्तित कर दिया और प्रेफेरेन्स शेयरों को निर्गमित किया। अपील-न्यायालय ने यह निर्णय किया कि आर्टिलिकस का परिवर्तन प्रभावी (effective) है।

प्रोस्पेक्टस
(Prospectus)

प्रश्न १६—"प्रोस्पेक्टस" क्या है? इसमें क्या अन्तर्विष्ट होना चाहिये?

What is a "prospectus"? What must it contain?

प्रास्पेक्टस का तात्पर्य— भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ की धारा २ (३६) के अधीन प्रास्पेक्टस का अभिप्राय उस दस्तावेज से है, जो एक प्रास्पेक्टस के रूप में वर्णिततथा प्रचलित किये गये हैं; और इसमें कोई भी सूचना, परिपत्र (circular) विज्ञापन (advertisement) या वह दस्तावेज जो किसी कार्पोरेट बाडी, में शेयरों को, या उनके डिबेन्चरों को खरीदने के लिये लोक (public) से प्रस्तावों (offers) को आमन्त्रित करता है, सम्मिलित है। इसमें वह व्यापार-विज्ञापन भी सम्मिलित है, जो प्रत्यक्ष रूप से यह प्रदर्शित करता है कि एक औपचारिक (formal) प्रास्पेक्टस तैयार किया गया है तथा फाइल किया गया है। धारा २ (२२) के अधीन 'सामान्य रूप से प्रचलित एक प्रास्पेक्टस' का अभिप्राय उस प्रास्पेक्टस से है, जो सभी व्यक्तियों के लिये प्रचालित कर दिये गये हैं, चाहे वे व्यक्ति उस कार्पोरेट बाडी के वर्तमान सदस्य या डिबेन्चरहोल्डर हों या न हों, जिससे वह प्रास्पेक्टस संबंध रखता है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक प्रास्पेक्टस का अभिप्राय किसी कम्पनी य कार्पोरेट बाडी के शेयरों के प्रति अभिदान करने के लिये लोक को आमन्त्रिता (invite) करना है। यह प्रलोभन देती है और उन अभिलाभों का वर्णन करती है जो किसी विशेष कम्पनी के शेयरों को खरीदने से • प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण शब्द हैं 'लोक से प्रस्ताव'। इसलिये डाइरेक्टरों के मित्र-मंडली में या वर्तमान सदस्यों के मध्य में किया गया परिपत्र, लोक के लिये प्रस्ताव (offer) नहीं होता है। (Lindley v. Wash) किन्तु किसी कम्पनी के सदस्यों के बीच में ३००० प्रतियों का वितरण करना लोक के प्रति प्रस्ताव करना माना जाता है।

"लोक के प्रति शेयरों या डिबेन्चरों का प्रस्ताव करना" इस पदावली में वह प्रस्ताव भी सम्मिलित है, जो लोक के किसी एक वर्ग को दिया जाता है, चाहे वे उस संपृक्त (Concerned) कम्पनी के सदस्यों या डिबेन्चरहोल्डरों के रूप में चुने गये हों या उस व्यक्ति के मुवक्किलों के रूप में चुने गये हों, जिसने प्रास्पेक्टस प्रचालित किया हो या अन्य किसी रीति में चुने गये हैं।

उसी प्रकार शेयरों या डिबेन्चरों के प्रति अभिदान करने के लिये लोक को दिये गये आमन्त्रणों में वे आमन्त्रण भी सम्मिलित हैं, जो उनके प्रति अभिदान करने के लिये लोक के किसी वर्ग तक बढ़ाये गये हैं, चाहे वे उस सम्बन्धित कम्पनी के सदस्यों या डिबेन्चरहोल्डरों के रूप में चुने गये हों या उस व्यक्ति के मुवक्किलों के रूप में चुने गये हों, जिसने प्रास्पेक्टस प्रचालित किया हो, या किसी अन्य रीति में चुने गये

हों। कोई भी प्रस्ताव या आमन्त्रण लोक के प्रति किया गया नहीं माना जायेगा यदि वह प्रस्ताव या आमन्त्रण उचित रूप से यह माना जाय कि—

(अ) उसका परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं आँका गया है कि शेयर और डिबेन्चर उन व्यक्तियों द्वारा अभिदान तथा खरीद के लिये प्राप्य होंगे जो व्यक्ति प्रस्ताव या आमन्त्रण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से भिन्न हैं; या

(ब) अन्यथा वह प्रस्ताव तथा आमन्त्रण देने वाले या प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति की एक घरेलू संस्था है। (धारा ८७)

प्रास्पेक्टस में वर्णित किये जाने वाले तथ्य—भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ की धारा ५६ (१) यह नियम बनाती है कि प्रत्येक प्रास्पेक्टस जो (अ) कम्पनी द्वारा या कम्पनी के निमित्त डिबेन्चर की गई है या (ब) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके निमित्त प्रचालित की गई है, जो एक कम्पनी के निर्माण में लगा है या हितबद्ध है अथवा लगा रहा है या हितबद्ध रहा है, उस अधिनियम की अनुसूची २ के भाग १ में उल्लिखित विषयों का विवरण देगी। द्वितीय अनुसूची के भाग १ में निम्नलिखित विषय दिये गये हैं, जो प्रास्पेक्टस में उल्लिखित किये जायेंगे—

(१) (i) कम्पनी के मुख्य उद्देश्य, और साथ-साथ मेमोरेन्डम के हस्ताक्षर-कर्त्ताओं (signatories) के नाम, पते, विवरण तथा धंधे, एवं उनके द्वारा अभिदत्त (subscribed) किये गये शेयरों की संख्या।

(ii) शेयरों के वर्गों की संख्या, यदि कोई हो, तथा कम्पनी की सम्पत्ति तथा लाभ में शेयरहोल्डरों के हित का स्वरूप तथा उसकी मात्रा।

(iii) छुड़ाने योग्य प्रेफेरेन्स शेयरों की संख्या, जिन्हें प्रचालित करने का आशय किया गया है, मोचन के दिनांक के साथ-साथ, या जहाँ कि कोई दिनांक नियत नहीं किया गया है, वहाँ उन शेयरों के मोचन के लिये अपेक्षित सूचना की अवधि तथा मोचन करने की प्रस्तावित रीति।

(२) (i) शेयरों की संख्या, यदि कोई हों, जो आर्टिकिल्स द्वारा एक डाइरेक्टर की योग्यता के रूप में नियत किये गये हैं।

(ii) डाइरेक्टरों के मेहनताना के सम्बन्ध में आर्टिकिल्स में कोई नियम चाहे वह मेहनताना, कम्पनी के प्रति उनकी सेवाओं के लिये एक डाइरेक्टर के रूप में हो या मैनेजिंग डाइरेक्टर या अन्य किसी रूप में हो।

(३) (i) (अ) डाइरेक्टरों या प्रस्तावित डाइरेक्टरों के;

(ब) मैनेजिंग डाइरेक्टर या प्रस्तावित मैनेजिंग डाइरेक्टर के, यदि कोई हों;

(स) मैनेजिंग एजेन्ट या प्रस्तावित मैनेजिंग एजेन्ट के, यदि कोई हों;

(द) सचिव और कोषाध्यक्ष या प्रस्तावित सचिव और कोषाध्यक्ष के यदि कोई हों;

(ई) प्रबन्धक या प्रस्तावित प्रबन्धक के, यदि कोई हों;—

नाम, पते, विवरण और धन्धे

(ii) आर्टिकिल्स में का या किसी संविदा में का; जो किसी मैनेजिंग डाइरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सचिव एवं कोषाध्यक्ष अथवा प्रबन्धक की नियुक्ति के सम्बन्ध में किया गया है, उसको या उनको देय पारिश्रमिक और मुआवजा यदि कोई हो, जो पद की हानि होने के कारण उसको या उनको देय है ।

(४) किसी ऐसी कम्पनी की स्थिति में, जिसका प्रबन्ध, मैनेजिंग एजेन्ट या सचिवों एवं कोषाध्यक्षों द्वारा किया जाता है और जो एक कार्पोरेट बाडी है, (तो) उस बाडी की अभिदत्त पूंजी ।

(५) जहाँ कि शेयर अभिदान के लिये लोक के प्रति प्रचालित किये जाते हैं, वहाँ निम्नलिखित वस्तुओं के सम्बन्ध में विवरण:—

(अ) वह न्यूनतम रकम, जिसे डाइरेक्टरों या मेमोरेन्डम-पत्र के हस्ताक्षर-कर्त्ताओं की राय में, सम्यक् जाँच के परिणामस्वरूप, रकमों का उपबन्ध करने के लिये उन शेयरों के प्रचालन द्वारा संगृहीत (raise) करना आवश्यक है, या, उसका कोई भाग किसी अन्य रीति से व्यय किया जाता है; तो उन रकमों का शेष (balance) जिसका निम्नलिखित शीर्षों (heads) में प्रत्येक शीर्ष के सम्बन्ध में नियम बनाना अपेक्षित है और प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत अपेक्षित रकम का अन्तर करते हुये :—

(१) खरीदी हुई या खरीदी जाने वाली किसी सम्पत्ति की खरीद-कीमत प्रचालन के आगमों (proceeds) में से सम्पूर्णतः या भागतः देय हैं;

(२) कम्पनी द्वारा देय प्रारम्भिक खर्चे और कम्पनी में शेयरों के लिये अभिदान करने के करार के प्रतिफल के रूप में या शेयरों के लिये अभिदान प्राप्त करने के, या प्राप्त करने के करार के लिये उस प्रकार से देय कोई बट्टा;

(३) पूर्वगामी विषयों में से किसी विषय के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा उधार लिये गयें धन की अदायगी;

(४) सक्रिय पूंजी (working capital);

(५) कोई अन्य खर्चा, उसके स्वरूप तथा प्रयोजन का विवरण देते हुये, और प्रत्येक अवस्था में आँकी गई रकम; और

(ब) पूर्वोक्त विषयों के सम्बन्ध में उपबन्धित की जाने वाली रकमें जो प्रचालन तथा साधनों के आगमों के अतिरिक्त, जिनसे वे रकमें, उपबन्धित की जाने वाली हैं, किसी अन्य रीति से उपबन्धित की जाने वाली हों।

(६) अभिदान-सूची के खोलने का समय।

(७) आवेदन पर तथा प्रत्येक शेयर के बाँटने पर देय रकम, और शेयरों के द्वितीय या पश्चाद्वर्ती प्रस्ताव की अवस्था में प्रत्येक भूतपूर्व बाँटने पर अभिदान के लिये पेश की गई रकम, जो बाँटने के दो पूर्वगत् वर्षों के भीतर किया गया है, वस्तुतः बाँटी गई रकम, और उस प्रकार से बाँटे गये शेयरों पर प्रदत्त की गई कोई रकम।

(८) किसी संविदा, या व्यवस्था (arrangement) का अथवा किसी प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था सार, जिसके द्वारा कोई विकल्प (option) या किसी प्रकार का प्रेफैरेन्शल अधिकार किसी कम्पनी में शेयरों के लिये या कम्पनी के डिबेन्चरों के लिये अभिदान करने के लिये दिया गया है या देने के लिये प्रस्तावित किया गया हैं, उसमें ऐसे शेयरों या डिबेन्चरों की संख्या, विवरण तथा रकम दी गई है, और उसमें विकल्प या अधिकार के निम्नलिखित विवरण भी सम्मिलित हैं :—

(क) वह अवधि, जिसके भीतर वह विकल्प या अधिकार प्रयोज्य (exercisable) है;

(ख) उन शेयरों या डिबेन्चरों के लिये दी जाने वाली कीमत, जो उस विकल्प या अधिकार के अधीन अभिदत्त किये गये हैं;

(ग) प्रतिफल, यदि कोई हो, जो उस विकल्प या अधिकार के लिये या उनके प्रति अधिकारों के लिए, या तो दे दिये गये हैं या दिये जाने वाले हैं,

(घ) उन व्यक्तियों के नाम, पते तथा धन्धे, जिनको वह विकल्प या अधिकार या उनके प्रति अधिकार दिया गया है या देने के लिये प्रस्तावित किया गया है, या यदि इस रूप में वर्तमान शेयर-होल्डरों या डिबेन्चरहोल्डरों को दे दिये गये हैं, तो उन सम्बन्धित शेयरों या डिबेन्चरों का विवरण एवं संख्या,

(ङ) कोई अन्य सारवान तथ्य या परिस्थितियाँ, जो उस विकल्प या अधिकार की मन्जूरी से सम्बन्धित हैं।

(६) उन शेयरों और डिबेन्चरों की संख्या, विवरण एवं रकम, जो पूर्वगत दो वर्षों के भीतर नकद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से पूर्णतः या भागतः प्रदत्त

रूप में, या तो प्रचालित कर दिये गये हैं, या उनको प्रचालित करने का करार किया गया है, और पश्चात् की अवस्था में वह मात्रा, जहाँ तक वे प्रदत्त किये गये हैं और दोनों अवस्थाओं में वह प्रतिफल, जिसके लिये वे शेयर या डिबेन्चर या तो प्रचालित किये गये हैं या उनको प्रचालित करने का करार किया गया है ।

(१०) उस प्रत्येक शेयर पर बीमा किश्त द्वारा दी गई या देय रकम, जो शेयर प्रास्पेक्टस के दिनांक के पूर्वगत दो वर्षों के भीतर या तो प्रचालित कर दिया गया है या प्रचालित किया जाने वाला है, उसके साथ प्रचालन के दिनांकों तथा प्रस्तावित दिनांकों का विवरण भी दिया जायेगा और कुछ शेयर जो किसी बीमा किश्त पर या तो प्रचालित कर दिये गये हैं या प्रचालित किये जाने वाले हैं, और उसी वर्ग के अन्य शेयर निम्न प्रीमियम या बराबर प्रीमियम पर, या बट्टे पर, प्रचालित किये गये हैं या प्रचालित किए जाने वाले हैं, तो उस भेदीकरण के कारण, और प्राप्त हुए प्रीमियम कैसे निपटाये गए हैं, या निपटाये जाने वाले हैं ।

(११) जहाँ कि शेयरों या डिबेन्चरों का कोई प्रचालन बीमाकृत है वहाँ बीमा-कर्त्ताओं के नाम, और डाइरेक्टरों की यह राय कि बीमाकर्त्ताओं के साधन उनके आभारों को उन्मुक्त करने के लिये पर्याप्त है ।

(१२) (१) किसी ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जिस पर यह खंड लागू होता है :—

(अ) विक्रेताओं के नाम, पते तथा धंधे;

(ब) दी हुई या देय रकम; विक्रेता को दिये गये शेयर या डिबेन्चर और जहाँ कि एक से अधिक पृथक् विक्रेता हैं या कम्पनी ही एक :उप-खरीदार है, वहाँ प्रत्येक विक्रेता को उस प्रकार दी गई या देय रकम, पृथक् रूप से उस रकम का उल्लेख करते हुये, यदि कोई हो, जो कीर्तिस्व (goodwill) के लिये या तो दी गई है या देय है;

(स) ऐसी सम्पत्ति में हक या हित का स्वरूप, जो कम्पनी द्वारा या तो अर्जित की गई है या अर्जित की जाने वाली है;

(द) संपत्ति से सम्बन्धित प्रत्येक व्यवहार का संक्षिप्त विवरण, जो पूर्वगत दो वर्षों के भीतर पूरा किया गया हो, जिसमें कम्पनी को संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो व्यवहार (transaction) के समय, एक प्रोमोटर या एक डाइरेक्टर या कम्पनी का प्रस्तावित डाइरेक्टर हो, या रहा हो, कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित रखता था, उसके साथ-साथ व्यवहार का दिनांक, उस प्रोमोटर, डाइ-

रेक्टर या प्रस्तावित डाइरेक्टर का नाम उल्लिखित रहेगा और उस विक्रेता, प्रोमोटर या डाइरेक्टर या प्रस्तावित डाइरेक्टर द्वारा या उसको, उस व्यवहार के सम्बन्ध में देय रकम।

(२) वह संपत्ति, जिस पर खंड १२ का उपखंड (१) लागू होता है; कम्पनी द्वारा खरीदी गई या अर्जित की गई संपत्ति है या जो खरीदी या अर्जित की जाने के लिये प्रस्तावित की गई है या जो प्रचालन के आगमों में से पूर्णतः या भागतः दी जाने वाली है और जो प्रचालन, प्रास्पेक्टस द्वारा अभिदान के लिये पेश किये गये हैं, या जिसकी खरीद या अर्जन, प्रास्पेक्टस के प्रचलान के दिनांक पर पूरा नही किया गया है, उस संपत्ति के अतिरिक्त :—

(अ) जिसकी खरीद या अर्जन के लिये संविदा-कम्पनी के व्यापार के सामान्य क्रम में किया गया था, संविदा-प्रचलन के विचार से नहीं किया गया था और न प्रचालन-संविदा का परिणाम ही था, या

(ब) उसके संबंध में कीमत खरीद की रकम आवश्यक नहीं है।

(१३) रकम, यदि कोई हो, या किसी प्रतिफल की प्रकृति तथा मात्रा (extent) जो दो पूर्वगत वर्षों के भीतर, किसी व्यक्ति को आढ़त (commission) के रूप में, अभिदान करने के लिये या अभिदान के लिये करार करने के लिये या कम्पनी में शेयरों के या उसके डिबेन्चरों के लिये अभिदान उपाप्त (Procure) करने के लिये, या अभिदान उपाप्त करने का करार करने के लिये दे दी गई या देय है; उसमें उसके साथ-साथ निम्नलिखित विवरण भी दिये जायँगे :—

(क) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम, विवरण तथा धंधा (occupation);

(ख) उन रकमों का विवरण, जिन्हें प्रत्येक ने पूर्वोक्त की तरह बीमाकृत किया है।

(ग) ऐसे बीमाकरण के लिये देय आढ़त की दर;

(घ) ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा के बीमाकरण की सारवान शर्त; और—

(ङ) जब ऐसा व्यक्ति कोई कम्पनी या फर्म है, तो ऐसी कम्पनी या फर्म में उस कम्पनी के प्रोमोटर या किसी प्राधिकारी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी हित का स्वरूप, जिस कम्पनी के विषय में प्रास्पेक्टस निकाला जाता है।

(१४) रकम या प्रचालन के खर्चों की आँकी गई रकम और प्रारम्भिक खर्चे और वे व्यक्ति, जिनके द्वारा वे खर्चे दिये गये हैं, या देय हैं।

(१५) किसी प्रवर्तक या पदाधिकारी को पूर्वगत दो वर्षों के भीतर प्रदत्त की गई या दी गई कोई रकम या लाभ या जिसे प्रदत्त करने या देने का आशय किया गया है और लाभ को भुगताने या देने के लिये प्रतिफल (consideration)।

(१६) (अ) उस प्रत्येक संविदा के दिनांक, पक्षकार तथा सामान्य स्वरूप जो किसी मैनेजिंग डाइरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सचिवों एवं कोषाध्यक्षों या प्रबन्धक के मेहनताना को नियुक्त या नियत (fix) करता है चाहे जब कभी किया गया हो;

(ब) प्रत्येक अन्य सारवान संविदा, जो ऐसे संविदा नहीं है, जो उस व्यापार के सामान्य क्रम में किया गया हो, जो कम्पनी द्वारा संचालित या जिसके संचालन के लिये कम्पनी ने आशय किया हो, अथवा कोई ऐसी संविदा जो प्रास्पेक्टस के दिनांक से २ वर्ष से और भी अधिक पहले किया गया हो।

(१७) कम्पनी के लेखा-परीक्षकों (auditors) के नाम और पते, यदि कोई हों।

(१८) प्रत्येक डाइरेक्टर या प्रोमोटर के हित के, यदि कोई हो, स्वरूप और मात्रा का पूरा विवरण—और वह निम्नलिखित अवस्था में—

(अ) कम्पनी के प्रोमोशन में।

(ब) किसी भी संपत्ति में, जो कम्पनी द्वारा प्रास्पेक्टस के दिनांक से २ वर्षों के भीतर ही अर्जित की गई है या उसके द्वारा अर्जित होने के लिये प्रस्तावित की गई है।

(१९) यदि कम्पनी की शेयर-पूँजी अंशों के विभिन्न वर्गों में विभाजित की जाती है, तो कम्पनी के अधिवेशन में मतदान करने का अधिकार, जो शेयरों के अनेक वर्गों द्वारा प्रदान किया गया है, और उनसे संलग्न पूंजी और लाभांशों के सम्बन्ध में अधिकार है।

प्रश्न २०—प्रास्पेक्टस के स्थान में विवरण पर एक टिप्पणी लिखिये। ऐसे दस्तावेज में असत्य विवरण के लिये दायित्व का वर्णन कीजिये और उन प्रतिवादों को बतलाइये जो लिये जा सकते हैं।

Write a note on a statement in lieu of prospectus. Describe liability for untrue statement in such document and the defences that can be taken.

उत्तर—प्रास्पेक्टस के स्थान में विवरण (Statement)—उस अवस्था में जब कोई कम्पनो विवरणिका नहीं निकालती है, कम्पनी अधिनियम की धारा ७० यह अपेक्षा करती है कि प्रत्येक कंपनी, प्राइवेट कंपनी को छोड़ कर, प्रास्पेक्टस के स्थान में विवरण विहित प्ररूप (prescribed form) में विवरणों

को देते हुए, अवश्य निकाले और वह विवरण प्रत्येक डाइरेक्टर द्वारा या उसके एजेन्ट द्वारा, जिसको लेखनबद्ध प्राधिकार मिला है, अवश्य हस्ताक्षरित होना चाहिये।

शेयरों या डिबेन्चरों के प्रथम बाँटने के कम से कम ३ दिन पहले प्रास्पेक्टस के स्थान में विवरण रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास अवश्य अर्पित हो जाना चाहिए। इसमें अधिनियम की तृतीय अनुसूची के प्रथम भाग में दिये हुये विहित विवरण (prescribed pariculars) अवश्य अन्तर्विष्ट होने चाहिए। जब तक यह नहीं किया जाता है, तब तक कोई शेयर या डिबेन्चर बाँटे नहीं जा सकते (allotted)। यदि उपर्युक्त नियमों का अनुपालन किये बिना ही शेयर या डिबेन्चर बाँट दिये जाते हैं तो कंपनी या प्रत्येक डाइरेक्टर जो जानबूझ कर उल्लंघन को प्राधिकृत करता है, अर्थदंड से दंडनीय होगा, जो १,०००) रु० की मात्रा का हो सकता है।

धारा ४४ के अधीन यदि कोई कंपनी, जो एक प्राइवेट कंपनी है; अपनी आर्टिकिल्स को इस रीति स परिवर्तित करती है, कि उसमें वे नियम सम्मिलित नहीं किये जाते, धारा ३ (१) (iii) के अधीन एक प्राइवेट कंपनी के निर्माण के लिए एक प्राइवेट कम्पनी की आर्टिकिल्स में सम्मिलित किये जाने के लिये अपेक्षित होते हैं, तो वह कम्पनी उक्त दिनांक के पश्चात् १४ दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास या तो एक प्रास्पेक्टस या प्रास्पेक्टस के स्थान में एक विवरण अवश्य निवेशित करे। विवरणिका के स्थान में ऐसा विवरण, विहित प्ररूप (prescribed form) में होना चाहिए और उसमें अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के प्रथम भाग में दिये गये विवरण अन्तर्विष्ट होने चाहिए।

धारा १४६ (२) के अधीन, जहाँ कि किसी कम्पनी ने शेयर पूँजी रखते हुए अपने शेयरों के लिये अभिदान करने के निमित्त लोक को आमन्त्रित करने के लिये प्रास्पेक्टस नहीं निकाली है, वहाँ वह कम्पनी, प्राइवेट कम्पनी को छोड़कर तब तक कोई व्यापार प्रारंभ नहीं करेगी, या उधार लेने की शक्तियों का प्रयोग नही करेगी जब तक कि रजिस्ट्रार के पास प्रास्पेक्टस के स्थान में कोई विवरण पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार व्यापार के प्रारंभ के पहले या उधार लेते की शक्तियों के पहले ऐसे विवरण का रजिस्ट्रार के पास पेश करना आवश्यक है।

(1814) 1 Ch., p. 39 में यह निर्णय किया गया था कि जो व्यक्ति प्रास्पेक्टस के स्थान के विवरण के विश्वास पर शेयरों के लिए आवेदन करता है, वह व्यक्ति विखंडन करने का अधिकार रखता है यदि वह मिथ्या सिद्ध हो जाता है।

जहाँ कि रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रास्पेक्टस के स्थान में कोई विवरण अर्पित किया जाता है, और उस विवरण में कोई झूठा वर्णन सम्मिलित रहता है वहाँ जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रास्पेक्टस के स्थान में विवरण अर्पित करने को प्राधिकृत (authorised) किया था, वह व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो ५,०००) रु० तक का हो सकता है, दण्डनीय (punishable) होगा।

अभियुक्त सफलतापूर्वक निम्नलिखित प्रतिवादों (defences) को ले सकते हैं, कि—

(१) विवरण असारवान् था; या

(२) विश्वास करने का उसके पास युक्तियुक्त (reasonable) आधार था, और रजिस्ट्रीकरण के वास्ते प्रास्पेक्टस के स्थान में विवरण अर्पित करने के समय तक उसे विश्वास था कि विवरण सत्य है।

प्रारम्भिक संविदाएँ

प्रश्न २१—उन संविदाओं के विषय में जो कम्पनी के द्वारा उस समय किये गये हैं जब कि यह ऐसा करने की हकदार नहीं बनी थी, क्या स्थिति है ?

What is the position as regards contracts entered into by the company before it becomes entitled to do so ?

उत्तर—यह निर्णय किया गया है कि वे संविदायें, जो एक कम्पनी द्वारा उस दिनांक के पहले की गयी हैं जिस पर कम्पनी वैसा करने के लिये हकदार होती है, केवल अस्थायी संविदा होते हैं। वे उस दिनांक तक कम्पनी पर बन्धनकारी हो जाते हैं। इसलिये यदि कम्पनी उस दिनांक के पहले समापित हो जाती है, तो वह संविदा कम्पनी पर बिल्कुल बन्धनकारी नहीं होगा। [Re: Otto Electrical Co. Ltd. (1906) 2. Ch. D. 390]

प्रश्न २२—क्या किसी व्यक्ति को, जिसने कम्पनी में कुछ शेयर लेने की संविदा की है, उस संविदा को विखंडित करने का मार्ग खुला है ? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में ?

Is it open to a person, who has taken shares in a company to rescind the contract ? If so, under what circumstances ?

उत्तर—पामर (Palmer) अपनी 'कम्पनी लॉ' में कहता है, कि कोई

भी व्यक्ति, जो किसी कम्पनी के शेयरों को ग्रहण करता है, वह मिथ्या-निरूपण (गलतबयानी) या भूल (mistake) के आधार पर सदस्यता की संविदा को मंसूख कर सकता है। यह उन शेयरों पर लागू नहीं होता है, जिनका मेमोरेन्डम अभिदान (subscribed) किया गया है। भूल, यदि कही गयी है, अवश्य सद्भावी (bonafide) होनी चाहिए और वह भूल के आधार में होनी चाहिए। उदाहरण के लिये शेयरों को लेने के लिए की गयी किसी संविदा को मंसूख (repudiate) करने में यह मान्य आधार नहीं होगा कि खरीदार ने शेयरों को इस विश्वास पर लिया कि उनसे ऊँचे लाभांश (dividends) प्राप्त होंगे, किन्तु बाद में यह मालूम हुआ कि उस कम्पनी का दिवाला होने वाला है। भूल को यदि प्रभावशाली बनाना है, तो उसे एक पक्ष की भूल न होकर दोनों पक्षों की भूल होनी चाहिये अर्थात् भूल संविदा के दोनों पक्षों की ओर से होनी चाहिये, एक ही तरफ से नहीं। इस प्रकार जहाँ कि कोई व्यक्ति किसी कम्पनी में, उसे 'Y' कंपनी समझकर, शेयरों के लिए आवेदन करता है, और उसे शेयर दे दिए जाते हैं, वहाँ वह व्यक्ति भूल के आधार पर सदस्यता (membership) को मंसूख करने का हकदार है। (vide Cundy v. Lindsay 3 A. C. 459.)

यह आवश्यक है कि कम्पनी द्वारा निकाले गये प्रास्पेक्टस में मिथ्या-निरूपण (गलतबयानी) नहीं होता है। इसमें ऐसा कोई छिपाव या गलत बयान नहीं होना चाहिए जिससे सच्चाई विकृत (distort) हो जाए। उसी प्रकार मैनेजिंग एजेन्टों तथा डाइरेक्टरों को यह व्यादेश है कि कम्पनी की स्थिति का मिथ्या-निरूपण न करे। जो व्यक्ति किसी ऐसे मिथ्या निरूपण या कपट का शिकार बन जाता है, वह व्यक्ति उस कपट या मिथ्या निरूपण का भेद खुल जाने पर अपनी सदस्यता को मंसूख (repudiate) करने का हकदार होता है।

प्रश्न २२—निगमन से पूर्व प्रवर्तकों द्वारा या अंशधारियों द्वारा की गई संविदाओं का क्या कानूनी प्रभाव होता है? विवेचन कीजिये।

Discuss; what is the legal effect of contracts entered into before incorporation of a company by its promoters or shareholders?

उत्तर—निगमन से पूर्व की गई संविदाओं का प्रभाव (Effect of contract entered into before incorporation)—किसी कम्पनी के अस्तित्व में आने से पहले उसकी ओर से किये गये किसी संविदा से कम्पनी बद्ध नहीं होती, और न ही अपनी स्थापना के बाद वह ऐसी संविदा को अनुसमर्थित कर सकती है लेकिन यदि किसी पक्षकार ने कम्पनी के फायदे के लिये कोई करार किया है

तो कुछ परिस्थितियों में संविदा करने वाला पक्षकार उन करारों के सिलसिले में कम्पनी का न्यासधारी हो सकता है और उपरोक्त उपबन्ध इसमें रुकावट नहीं पैदा कर सकते। बेर्न ब्रदर्स लि० ब० रुक्सा इंजीनियरिंग वर्क्स, (१६२८) रंगून (पी० सी०)]

लेकिन स्पेसफिक रिलीफ ऐक्ट १६६३ में यह उपबंध है कि जब किसी कम्पनी के प्रमोटरों ने उसके निगमन के पहले कम्पनी के प्रयोजनों के लिये संविदा की है और ऐसी संविदा निगमन के निबंधनों द्वारा अधिदिष्ट (warranted) है, तब कम्पनी ऐसी संविदा का यथावत् पालन करा सकती है, इसी ऐक्ट की धारा १६ यह उपबंध भी करती है कि जब किसी कम्पनी के प्रमोटरों ने उसके निगमन के पहले कम्पनी के प्रयोजन के लिये कोई संविदा की है और ऐसी संविदा निगमन के निबंधनों द्वारा अधिदिष्ट (warranted) है, तब कम्पनी के खिलाफ उसका यथावत् पालन कराया जा सकता है, परन्तु यह तब जब कि कम्पनी ने सम्विदा को अनुसमर्थित और अंगीकृत कर लिया हो और इस स्वीकृति की सूचना संविदा के अन्य पक्षकार को दे दी गई हो।

कम्पनी की पूँजी

(Capital of Company)

प्रश्न २३—पूँजी से क्या तात्पर्य है ?

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाली पूँजियाँ कितने प्रकार की होती हैं ? विवेचन कीजिये।

What is meant by Capital ?

What kinds of Capital are used under the provisions of the Companies Act ? Discuss.

उत्तर—पूँजी—साधारण तौर से पूँजी का तात्पर्य उस धन-राशि से है, जिससे कोई व्यापार प्रारम्भ किया जाता है।

कम्पनी अधिनियम के अधीन प्रयुक्त होने वाली पूँजियों के प्रकार :—

एक कम्पनी के संबंध में पूँजी के निम्नलिखित विभिन्न प्रकार हैं:—

(१) अभिहित पूँजी या प्राधिकृत पूँजी (Nominal Capital and Authorised Capital);

(२) प्रचालित पूंजी या अभिदत्त पूंजी (Issued Capital or Subscribed Capital);

(३) प्रदत्त पूंजी (Paid-up Capital);

(४) अनाहूत पूंजी (Uncalled Capital);

(१) अभिहित पूंजी या प्राधिकृत पूंजी—"अभिहित पूंजी" वह रकम है, जो किसी समवाय की शेयरों को प्रचालित (issue) करने की संभाव्यता को सीमित करती है, जिनमें वह पूंजी विभाजित की जाती है। दूसरे शब्दों में, "अभिहित पूंजी" का तात्पर्य शेयरों के उस "अभिहित मूल्य" से है, जिसे अपने ज्ञापन-पत्र द्वारा निर्गमित करने के लिए कोई समवाय प्राधिकृत है।

(२) निर्गमित या अभिदत्त पूंजी—जब अभिहित पूंजी में से कोई पूंजी अभिदत्त की जाती है तो वह तुरन्त "प्रचालित पूंजी" हो जाती है। प्रचालित पूंजी का तात्पर्य शेयरों के उस अभिहित मूल्य से है, जो शेयरहोल्डर द्वारा वास्तव में अभिदत्त किये गये हैं (subscribed)।

(३) प्रदत्त पूंजी—आवेदन-राशि (Application Money); आबंटन-राशि (allotment) और याचना-राशि (call) के भुगतान का कुल योग, जिसे कम्पनी ने प्रचालित शेयरों के संबंध में प्राप्त किया है, "प्रदत्त पूंजी" कहलाती है।

धारा २ (२३) के अनुसार प्रदत्त पूंजी में वह पूंजी भी सम्मिलित है, जो प्रदत्त के रूप में जमा की गई होती है। प्रचालित पूंजी का वह भाग जो वास्तव में सदस्यों द्वारा प्रदत्त किया जाता है, प्रदत्त पूंजी कहलाता है।

उदाहरण—एक कम्पनी १००,००० रु० की एक अंश पूंजी के साथ पंजीयित की जाती है, जो १०० रु० के १,००० शेयरों में विभाजित की गई है। १,००० शेयरों में से केवल ५०० शेयर ही जनता द्वारा अभिदत्त किये जाते हैं और प्रत्येक शेयर पर केवल २० रु० प्रदत्त किये जाते हैं।

उस कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी होगी—	१,००,००० रु०
प्रचालित पूंजी	५०,००० रु०
प्रदत्त पूंजी	१०,००० रु० (निर्गमित ५०० अंशों पर प्रति अंश २० रु०)

(४) अनाहूत पूंजी—प्रचालित पूंजी का शेष भाग, जो अप्रदत्त रह जाती है, अनाहूत पूंजी कहलाती है, जिसके लिए शेयरहोल्डर की जिम्मेदारी बनी रहती है।

प्रश्न २४—वे विभिन्न प्रकार के अंश कौन से होते हैं जिनमें किसी कम्पनी की अंशपूंजी विभाजित की जा सकती है ? प्रत्येक के लाभ और हानियो का वर्णन कीजिये ।

What are different kinds of shares in which the share-capital of a company may be divided ? Describe the advantages and disadvantages of each.

उत्तर:—किसी सदस्य या कम्पनी के शेयर चल संपत्ति होते हैं और कम्पनी की आर्टिकिल्स में दी गई रीति से उनका हस्तान्तरण किया जा सकता है। धारा ८६ अन्शों द्वारा सीमित किसी कम्पनी की शेयर पूंजी को केवल दो वर्गों में विभाजित करती है जैसे प्रेफेरेन्स शेयर पूंजी तथा इक्विटी शेयर पूंजी। यह किसी प्राइवेट कम्पनी पर, जब तक वह किसी लोक समवाय की सहायक न हो, लागू नहीं होती इसलिये एक प्राइवेट कम्पनी ऐसे अन्य प्रकारों की भी शेयर पूंजी प्रचालित कर सकती है जैसा कि वह उचित समझती है ।

एक कम्पनी की शेयर पूंजी शेयरों के निम्नलिखित मुख्य प्रकारों में विभाजित की जा सकती है :—

(१) प्रेफेरेन्स शेयर

(२) इक्विटी शेयर

(३) आस्थगित शेयर या प्रवर्तक अंश (Deferred Shares or Founders Shares); और

(४) मोचनीय प्रेफेरेन्स शेयर ।

(१) प्रेफेरेन्स शेयर, शेयरों द्वारा सीमित किसी कम्पनी के संबंध में प्रेफेरेन्स शेयर कम्पनी के वे शेयर हैं जो निम्नलिखित दो शर्तों को पूरी करते हैं :—

(अ) लाभांशों के संबंध में, दी जाने वाली किसी नियत रकम के प्रति किसी प्रेफेरेन्शल अधिकार को वहन करना उन शेयरों के लिये आवश्यक है जो या तो मुक्त हो सकता है या आयकर (income tax) के अधीन हो सकता है; और

(ब) पूंजी के संबंध में, समापन की अवस्था में या पूंजी के पुनर्भुगतान के लिये की जाने वाली किसी अन्य व्यवस्था में, ऐसे शेयरों पर प्रदत्त पूंजी की रकम को पुन: प्रदत्त करने के लिए कोई प्रेफेरेन्शल अधिकार अवश्य होना चाहिये । (धारा ८५)

प्रेफेरेन्स शेयरों को धारण करने वाले व्यक्ति, इक्विटी शेयरहोल्डरों को लाभांश का भुगतान होने के पहले, एक नियत लाभांश के हकदार होते हैं। ऐसे शेयरों के संबंध में अधिकार सामान्यतया आर्टिकिल्स आव ऐसोसियेशन में निश्चित किये गये

रहते है। इससे अलाभ (disadvantage) यही है कि प्रेफेरेन्स शेयर एक नियत सीमा से अधिक के लिये हकदार नहीं होते हैं।

प्रेफेरेन्स शेयर या तो संचयी (cumulative) हो सकते हैं या असंचयी। संचयी प्रेफेरेन्स शेयरों की स्थिति में, यदि लाभांशों के सम्बन्ध में कोई बकाया न पड़ा हो तो ऐसे शेयर होल्डर पिछले वर्षों के लाभाशों के बकाये पर दावा करने के लिए हकदार हैं। असंचयी प्रेफेरेन्स शेयरों की स्थिति में, शेयर-होल्डर केवल एक विशेष वर्ष के लाभों में से विभाजित प्रेफेरेन्स के लिये हकदार होते हैं और लाभांश का बकाया अग्रेनीत (carry over) नहीं किया जाता है। संचयी प्रेफेरेन्स शेयर वे हैं, जो इसके पहले कि कोई लाभांश इक्विटी शेयरों को दिया जाय, एक नियत लाभांश के लिये हकदार होते हैं और यदि किसी वर्ष नियत लाभांश का भुगतान करने के लिए लाभ पर्याप्त नहीं है, तो वह कभी दूसरे वर्ष के लाभों से पूरी की जाती है।

इक्वीटी शेयर पूँजी—"इक्विटी शेयरों" का तात्पर्य शेयरों द्वारा सीमित किसी कम्पनी के संबंध में, उन सभी शेयरों से होता है, जो प्रेफेरेन्स शेयर नही होते। इक्विटी शेयरों को धारण करने वाले व्यक्ति लाभांश के प्रति तब हकदार होते हैं, जब इक्विटी शेयरों पर नियत लाभांश का भुगतान कर दिया जाता है। इससे अलाभ यह है कि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि सम्पूर्ण लाभांश केवल प्रेफेरेन्स शेयरों में ही खर्च हो जाते हैं और इक्विटी शेयरों के लिये कुछ नहीं बच पाता। इक्विटी शेयरों के लिये लाभ यह है कि लाभांश की कोई नियत सीमा नहीं है, और इसलिये वे अधिक से अधिक भी लाभांश प्राप्त कर सकते हैं।

(३) आस्थगित अंश या प्रवर्तक अंश—आस्थगित अंश या प्रवर्तक अंश सामान्यतः किसी कम्पनी के प्रवर्तकों (Promoters) को या विक्रेताओं को नियत किये जाते हैं, जिनका व्यापार उस कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। उनके अधिकार और कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से ज्ञापन-पत्र में वर्णित किये गये हैं, और यदि ऐसा है तो वे परिवर्तित नहीं किये जा सकते। ऐसे शेयरहोल्डरों को सामान्यतः उन अतिरिक्त (surplus) लाभों में भाग लेने के लिये, जो प्रेफेरेन्स शेयर होल्डरों को भुगतान करने के बाद तथा इक्विटी शेयरों पर लाभांश देने के बाद बच रहते हैं, अधिकार दिया जाता है।

इन शेयरों का लाभ यह है कि लाभांश की कोई नियत सीमा नहीं है और इसलिये उनको अधिक से अधिक लाभांश मिलते हैं। अलाभ यह है कि इक्विटी शेयरों के भुगतान के बाद उनको देने के लिये कुछ नहीं बचता है।

(४) मोचनीय प्रेफेरेन्स शेयर (Redeemable Preference Shares)—मोचनीय प्रेफेरेन्स शेयर भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ की धारा ८० में संव्यवहृत (dealt with) किये गये हैं। ऐसे शेयरों की विशेषतायें ये हैं:—

(अ) ऐसे शेयरों का पूर्ण रूप से प्रदत्त होना आवश्यक है;

(ब) ऐसे शेयरों का मोचन, सिवाय—

(i) कम्पनी के लाभों से, जो अन्यथा (otherwise) वितरण के लिये प्राप्त होंगे; या

(ii) मोचन के प्रयोजन के लिए किये गये नये शेयरों के नये निर्गमन के आगमों (Proceeds) से;

नहीं किया जा सकता।

(स) ऐसे शेयरों का प्रचालन, आर्टिकिल्स द्वारा अवश्य प्राधिकृत होना चाहिये।

प्रश्न २५—शेयर और शेयर वारन्ट में अन्तर बताइये। शेयर वारन्ट के धारक की स्थिति कम्पनी के संबंध में जिसने यह जारी किये हैं क्या होती है ?

Point out the difference between a share and a share warrant. What is the position of a share warrant-holder in respect of a company which issued it ?

उत्तर—शेयर तथा शेयर वारण्ट में अन्तर—

कम्पनी अधिनियम की धारा २ (४६) शेयर की इस प्रकार परिभाषा करती है :—शेयर का तात्पर्य किसी कम्पनी की शेयर पूँजी में के शेयर से होता है और उसमें उस सूरत के सिवाय जहाँ कि निधिपत्र और शेयर के बीच में का अन्तर अभिव्यक्त या लक्षित (implied) है, निधि-पत्र भी सम्मिलित है।"

धारा ११३ (१) यह नियम बनाती है कि प्रत्येक कम्पनी अपने शेयरों में से किसी शेयर के नियत होने के तीन महीने के भीतर सभी नियत शेयरों के प्रमाण-पत्र पूर्ण एवं अर्पण (delivery) के लिए तैयार रखेगी, जब तक कि शेयरों के प्रचालन के लिये लगाई गई शर्तें कोई दूसरी चीज करती हैं।

धारायें ११४ और ११५ शेयर वारन्टों का संव्यवहार करती हैं। धारा ११४ के अनुसार शेयरों द्वारा सीमित एक लोक समवाय किन्हीं पूर्ण रूप से प्रदत्त

शेयरों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की पूर्व मन्जूरी प्राप्त कर, यदि वह अपना आर्टिकिल्स आव् ऐसोसियेशन द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत की गई है, तो, अपनी सामान्य मुहर के अधीन, यह कथन करते हुये कि इस वारण्ट का वाहक उसमें उल्लिखित शेयरों का हकदार है, एक वारण्ट जारी कर सकती है तथा उस अधिपत्र में उल्लिखित शेयरों पर कूपनों द्वारा या अन्य प्रकार से भावी लाभांशों के भुगतान के लिये नियम बना सकती है। पूर्वोक्त अधिपत्र को शेयर "वारन्ट" कहते हैं एक शेयर वारन्ट अपने वाहक को अपने में उल्लिखित शेयरों का हस्तान्तरण उस वारन्ट के अर्पण (delivery) द्वारा किया जा सकता है।

एक शेयर और एक वारन्ट में निम्नलिखित मुख्य अन्तर है-—

(१) शेयर वारन्ट को परक्राम्य लिखत (negotiable instrument) माना जाता है। शेयर वारन्ट के केवल अर्पण-मात्र से ही हक का संक्रमण हो जाता है। एक शेयर सर्टिफिकेट एक परक्राम्य लिखत नहीं है।

(२) एक शेयर सर्टिफिकेट भागतः (partly) प्रदत्त शेयरों के संबंध में भी दिया जा सकता है लेकिन एक शेयर वारन्ट केवल पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों के ही लिये और केवल तभी जारी किया जाता है जब आर्टिकिल्स आव् ऐसोसियेशन इसके जारी करने को मन्जूर करती है।

(३) किसी शेयर वारन्ट को धारण करने वाला व्यक्ति कम्पनी का सदस्य नहीं होता जब तक कि वह कंपनी की आर्टिकिल्स द्वारा ऐसा नहीं माना जाता है; जब कि एक शेयर होल्डर, कंपनी का सदस्य होता है। [(धारा ११५ (५)]।

शेयरवारन्ट होल्डर की हैसियत—धारा ११५ के अनुसार एक शेयर वारन्ट के प्रचालित होने पर कंपनी अपने सदस्य-रजिस्टर से उन शेयरों के होल्डर का नाम इस प्रकार काट देती है, जो शेयर उस वारन्ट में उल्लिखित किये गये हैं मानों वह अब सदस्य नहीं है और उस रजिस्टर में उसके स्थान पर निम्नलिखित विवरण प्रविष्ट करती है :—

(अ) वारन्ट के जारी करने का तथ्य;

(ब) प्रत्येक शेयर का उसके अंक द्वारा अन्तर दिखाते हुए वारन्ट में वर्णित शेयरों का विवरण; और

(स) अधिपत्र के जारी करने का दिनांक,

किन्तु शेयर वारन्ट का वाहक, रद्द के लिए उस वारन्ट पत्र को कंपनी को अभ्य-र्पित करने पर, और कंपनी को वह शुल्क दे देने पर, जिसे बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स समय-

समय पर निर्धारित करता है, कंपनी के सदस्य के रूप में, उस कंपनी के सदस्य-रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करवाने का हकदार होगा और सभी प्रयोजनों के लिये उस समवाय का सदस्य होगा, यदि कंपनी की आर्टिकिल्स में ऐसा नियम दिया गया है। यदि वारन्ट के बिना अभ्यर्पित या रद्द हुये, उस वारन्ट में उल्लिखित शेयरों के संबंध में उस वारन्ट के किसी वाहक का नाम कंपनी द्वारा उस पंजी में प्रविष्ट किया जाता है और उससे किसी व्यक्ति को हानि पहुँचती है तो वह कंपनी उत्तरदायी होगी।

एक शेयर वारन्ट का वाहक किसी भी समय उस वारन्ट को कंपनी के कार्यालय में जमा कर सकता है, और जब तक वह वारन्ट उस प्रकार जमा रहता है, तब तक वह जमाकर्त्ता उस कंपनी के अधिवेशन को आहूत करने के लिए माँग पर हस्ताक्षर करने का, तथा जमा करने के दो पूरे दिनों की समाप्ति के बाद, किये गये किसी अधिवेशन पर उपस्थित होने, मतदान करने, एवं एक सदस्य के अन्य विशेषाधिकारों के प्रयोग करने का वही अधिकार रखता है, मानों उसका नाम जमा किये गये अधिपत्र में अन्तर्विष्ट शेयरों के होल्डर की हैसियत से सदस्यों के रजिस्टर में जोड़ दिया गया है। केवल एक व्यक्ति को ही (एक से अधिक को नहीं) शेयर वारण्ट के जमाकर्त्ता के रूप में मान्यता दी जा सकती है। समवाय दो दिनों की लेखन-बद्ध सूचना पर जमा किये गये वारण्ट को जमाकर्त्ता के पास लौटा सकती है।

प्रश्न २६—(क) किन परिस्थितियों में एक कंपनी अपनी अंश-पूँजी अधिक या कम कर सकती है, इसके विवेचना कीजिये।

(ख) क्या एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे (discount) या प्रीमियम (premium) पर कर सकती है?

(a) Explain the circumstances when a company can increase or reduce its share-capital.

(b) Can a company issue share at a discount or at a premium? If so, when?

उत्तर—(क) अंशपूँजी का बढ़ाना और कम करना—

शेयर-पूँजी की वृद्धि—जहाँ किसी कम्पनी में शेयर के प्रथम आबंटन (allotment) के पश्चात् किसी भी समय, नये शेयरों के प्रचालन द्वारा कम्पनी की अभिदत्त (Subscribed) पूंजी को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है, यह कम्पनी द्वारा सामान्य अधिवेशन में एक साधारण संकल्प द्वारा किया जा सकता है, वहाँ प्रति-

कूल निदेशों के अधीन रहते हुये, जो कम्पनी द्वारा एक सामान्य अधिवेशन में दिये जा सकते हैं, और केवल उन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुये :—

(१) ऐसे नये शेयर उन व्यक्तियों को पेश किये जायेंगे, जो उस प्रस्ताव के दिनांक पर उस कम्पनी के इक्विटी शेयरों के उस पूंजी के अनुपात में होल्डर हों, जो पूंजी उस दिनांक पर उन शेयरों पर प्रदत्त की गई है,

(२) पूर्वोक्त प्रस्ताव सूचना द्वारा किया जायेगा, जिसमें प्रस्तुत किये गये शेयरों की सूचना का उल्लेख रहेगा और एक अवधि भी निश्चित की गई होगी जो प्रस्ताव के दिनांक से १५ दिन से कम नहीं होगी; जिसके दरम्यान में यदि वह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि वह अस्वीकृत कर दिया गया है;

(३) जब तक कम्पनी की आर्टिकिल्स अन्यथा नियम न बनावे, तब तक उस पूर्वोक्त प्रस्ताव की बाबत यह समझा जायेगा कि उसमें वह अधिकार भी सम्मिलित है, जो सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा, उनके लिये प्रस्तुत किये गये शेयरों को त्याग देने में प्रयुक्त किया जा सकता है; और उपर्युक्त (२) में निर्दिष्ट सूचना में इस अधिकार का एक विवरण शामिल रहेगा;

(४) पूर्वोक्त सूचना में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् या उस व्यक्ति से कोई सूचना पाने के पश्चात्, जिसे वह सूचना दी जाती है कि वह उन प्रस्तुत किये गये शेयरों को स्वीकृत करने से इन्कार करता है, बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स उनका निर्वर्तन इस रीति से करेगा जैसा कि वे कम्पनी के लिये अधिकतम लाभप्रद (beneficial) समझते हों। (धारा ८१)

(b) अंशपूँजी का घटाव—भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९५६, की १०० से लेकर १०५ तक की धारायें शेयर पूंजी के घटाव का संव्यवहार करती । न्यायालय द्वारा पुष्टिकरण के अधीन करते हुये कोई शेयर सीमित (limited by shares) कम्पनी या कोई गारन्टी-सीमित जिसके पास शेयर पूंजी है, विशेष संकल्प (Special resolution) द्वारा किसी भी प्रकार से अपनी अंश-पूंजी को घटा सकती है यदि वह ऐसा करने के लिये अपनी अन्तर्नियमावली द्वारा प्राधिकृत की गई हो।

कम्पनी द्वारा शेयर पूंजी का घटाव, जिसमें न्यायालय की मन्जूरी की अपेक्षा की जाती है, निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है :—

(१) अप्रदत्त शेयर पूंजी के सम्बन्ध में शेयर होल्डरों की जिम्मेदारी को उपशांत (extinguish) करके या घटा करके,

(२) शेयर-होल्डरों की जिम्मेदारी को उपशान्त कर या घटा कर, या बिना उपशान्त किये या बिना घटाये ही, किसी प्रकार शेयर पूँजी को रद्द करके, जो नष्ट हो गई हो या प्राप्य संपत्तियों द्वारा प्रदर्शित न की गई हो; या

(३) शेयरहोल्डरों की जिम्मेदारी को उपशान्त कर या घटा कर, या बिना उपशान्त किये या बिना घटाये ही, किसी प्रदत्त शेयर पूँजी को चुकता करके जिसे कम्पनी न चाहती हो। (धारा १००)

जहाँ कि एक कम्पनी ने शेयर पूँजी को घटाने के लिये एक संकल्प पारित किया है, तो वह याचिका द्वारा, न्यायालय के समक्ष, उस घटाव को पुष्ट करने के लिये, एक आदेश के लिये, आवेदन कर सकती है।

जहाँ कि शेयर पूँजी के प्रस्तावित घटाव में या तो अप्रदत्त शेयर पूँजी से सम्बन्धित जिम्मेदारी का घटाव अन्तर्ग्रस्त हो या किसी शेयर होल्डर को किसी प्रदत्त शेयर पूँजी का भुगतान अन्तर्ग्रस्त हो, और किसी अन्य मामले में न्यायालय ऐसा अनुदेश (instruction) देता हो, वहाँ—

(१) कंपनी का प्रत्येक ऋणदाता, न्यायालय द्वारा नियत किसी दिनांक पर किसी ऋण या दावे के लिये हकदार है, यदि वह ऋण उस कंपनी के समापन के प्रारम्भ के समय वर्तमान होता, तो वह (ऋण या दावा) कंपनी के विरुद्ध प्रमाण के लिये ग्राह्य होता, उस घटाव पर आपत्ति करने के लिये हकदार होगा।

(२) न्यायालय उन ऋणदाताओं की एक सूची निर्धारित करेगा, जो आपत्ति करने के लिये उस प्रकार से हकदार है और उस प्रयोजन के लिये यथासंभव, बिना किसी ऋणदाता से किसी आवेदन की अपेक्षा किये उन ऋणदाताओं के नाम, उनके ऋणों एवं दावों का स्वरूप तथा राशि का अभिनिश्चय करेगा; और कोई दिन या अनेक दिन नियत करके सूचनायें प्रकाशित कर सकता है, जिसके या जिनके भीतर वे ऋणदाता, जो सूची में प्रविष्ट नहीं किये गये हैं, उस प्रकार प्रविष्ट किये जाने का दावा करेंगे या उस घटाव के प्रति आपत्ति करने के अधिकार से वर्जित कर दिये जायेंगे।

(३) जहाँ कि सूची में प्रविष्ट कोई ऋणदाता, जिसका ऋण या दावा उन्मुक्त नहीं किया गया है या निपटाया नहीं गया है, उस घटाव के प्रति अपनी सम्मति नहीं देता है वहाँ न्यायालय यदि वह ठीक समझता है, तो उस ऋणदाता की सम्मति की उपेक्षा कर सकता है यदि कंपनी ने, जैसा कि न्यायालय निर्दिष्ट करे, निम्नलिखित राशि के विनियोग (appropriating) द्वारा उसके ऋण या दावे का भुगतान कर दिया है—

(अ) यदि वह कंपनी उस ऋण या दावे की पूरी रकम को ग्रहण करता है, या यद्यपि उसे ग्रहण न कर उसके नियम बनाने की इच्छुक हो, तब उस ऋण या दावे की पूरी रकम :

(ब) यदि वह कंपनी ग्रहण नहीं करती है, या उस ऋण या दावे का पूरी रकम के लिये नियम बनाने की इच्छुक न हो, या यदि वह रकम आकस्मिक (contingent) हो, या अभिनिश्चित नहीं की गई हो तो उस प्रकार की जाँच और न्याय-निर्णय के पश्चात् कि मानों यह कम्पनी न्यायालय द्वारा समापित की जा रही हो, न्यायालय द्वारा नियत की गई रकम ।

जहाँ कि शेयर पूँजी के प्रस्तावित घटाव में, अप्रदत्त शेयर पूँजी के संबंध में किसी जिम्मेदारी को घटाव अन्तर्ग्रस्त हो या किसी शेयर होल्डर को किसी प्रदत्त शेयर पूँजी की, भुगतान अन्तर्ग्रस्त (involved) हो, वहाँ न्यायालय, उस मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, यदि ऐसा करना उचित समझता है, तो यह निदेश कर सकता है कि उपर्युक्त नियम ऋणदाताओं के किसी वर्ग या वर्गों के संबंध में लागू नहीं होंगे । (धारा १०१)

उस घटाव पर आपत्ति करने के हकदार प्रत्येक ऋणदाता के विषय में न्याया-लय यदि इस वाद से सन्तुष्ट है कि या तो उस घटाव के प्रति उसकी सम्मति प्राप्त कर ली गई है या, उसका ऋण या दावा या तो उन्मुक्त कर दिया गया है या निपटा दिया गया है या प्रतिभूत (secured) कर लिया गया है, तो वह न्यायालय ऐसी रुकावट एवं शर्तों पर जैसा कि वह उचित समझता है, उस घटाव की पुष्टि करने के लिये एक आदेश करेगा । जहाँ न्यायालय ऐसा कोई आदेश देता है, वहाँ वह—

(अ) यदि किसी विशेष कारण से ऐसा करना उचित समझता है, तो यह निदेश देते हुये एक आदेश दे सकता है कि वह कंपनी उस अवधि के दरम्यान में, जो उस आदेश के दिनांक पर या उसके पश्चात् प्रारंभ होती है, जैसा कि उस आदेश में उल्लिखित है, अपने नाम के साथ कंपनी के अन्तिम शब्दों के रूप में 'और न्यूनीकृत' (and reduced) जोड़ सकती है, और

(ब) कंपनी से यह अपेक्षा करते हुये एक आदेश कर सकता है कि वह, जैसा कि न्यायालय निर्दिष्ट करे, घटाव करने के कारणों को या उसके संबंध में ऐसी सूचना (information) के कारणों को प्रकाशित करे जैसा कि न्यायालय जनसाधारण को सूचना देने के विचार से इष्टकर (expedient) समझता है, और यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह कंपनी उन कारणों को भी प्रकाशित करे, जिनसे वह घटाव किया गया । (धारा १०२) ।

रजिस्ट्रार

(अ) अपने समक्ष न्यायालय के आदेश के उपस्थित किये जाने पर, जिसमें किसी कंपनी की शेयर पूंजी के घटाव का पुष्टीकरण किया गया है, और—

(ब) उसे न्यायालय के आदेश की एक प्रमाणित प्रति तथा न्यायालय द्वारा मन्जूर विवरण की एक प्रमाणित प्रति अर्पित की जाने पर, जिसमें उस आदेश द्वारा परिवर्तित की गई, कंपनी की शेयर पूँजी के संबंध में—

(१) उस शेयर पूंजी की रकम,

(२) शेयरों की संख्या, जिसमें उसको विभाजित करना है,

(३) प्रत्येक शेयर की रकम, और

(४) वह रकम, यदि कोई हो, जिसकी बाबत यह समझा गया हो कि वह रजिस्ट्रीकरण के दिनांक पर प्रत्येक शेयर पर प्रदत्त की गई हैं, प्रदर्शित की गई हो, एक आदेश तथा विवरण को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

उस आदेश तथा विवरण के रजिस्ट्रीकरण के समय लेकिन उसके पहले नहीं, शेयर पूँजी के घटाव से संबंधित संकल्प, जो आदेश द्वारा पुष्ट कर दिया गया है, प्रभावी होगा। रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से उस आदेश तथा वृत को प्रमाणित करेगा और उसका प्रमाण-पत्र इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा (conclusive evidence) कि शेयर पूँजी के घटाव से संबन्धित उस अधिनियम के सभी अपेक्षित तत्वों का अनुपालन किया गया है और कंपनी की शेयर उस पूंजी वही है जो उस विवरण में वर्णित की गई है (धारा १०३)।

घटाव का उपयोग यह है कि एक सीमित कंपनी जिसने अपनी पूंजी के एक भाग की हानि उठा ली है, उस हानि को ग्रहण कर तथा उसे बट्टेखाते में डालकर, उसी घटी हुई पूंजी से व्यापार कर सकती है और लाभांश उस बची हुई शेयर पूंजी पर ही घोषित किये जायेंगे।

बट्टे पर शेयरों का प्रचलन—सामान्य नियम यह है कि कंपनी द्वारा बट्टे पर शेयरों का प्रचलन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो व्यक्ति १००) रु० के शेयर के लिए आवेदन करता है, उसे शेयर के लिए १००) रु० अवश्य देना चाहिए और कंपनी १००) रु० से कम रकम लेने के लिए सहमत नहीं हो सकती। [धारा ७६ (२)] किन्तु भारतीय कंपनी अधिनियम १६५६, की धारा ७६ के अधीन, एक कंपनी पहले से ही प्रचालित किसी वर्ग की कंपनी में शेयरों को बट्टे पर प्रचालित कर सकती है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :—

(१) बट्टे पर शेयरों की प्रचालन एक सामान्य अधिवेशन में कंपनी द्वारा दंडित किये गए एक संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और न्यायालय द्वारा उसकी मंजूरी हो गई हो; और

(२) यह संकल्प बट्टे की अधिकतर दर का उल्लेख करता हो, (जो १० प्रतिशत से अधिक न हो या ऐसी उच्चतर प्रतिशतता (percentage) हो जैसी कि केन्द्रीय सरकार विशेष अवस्थाओं में मंजूर करे) जिस पर शेयरों को प्रचालित करना हो।

(३) उस दिनांक से जिस पर वह कंपनी व्यापार प्रारम्भ करने के लिये हकदार थी, प्रचालन के दिनांक तक एक वर्ष से अन्यून समय बीत गया हो; और

(४) बट्टे पर प्रचालित होने वाले शेयर, उस दिनांक के पश्चात्, दो महीने के भीतर, जिस पर न्यायालय द्वारा उस प्रचालन को मंजूरी दी जाती है, या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा कि न्यायालय मंजूर करे; प्रचालित किये जाते हैं।

जब्त किये गये शेयर बट्टे पर प्रचालित किये जा सकते है।

एक कंपनी प्रीमियम पर शेयरों को प्रचालित कर सकती है।

शेयर बढ़ौती लेखा (Share Premium Account) :—जहाँ कि कोई कंपनी बढ़ौती पर नकद या अन्यथा, किन्हीं शेयरों को प्रचालित करती है, वहाँ इन शेयरों की बढ़ौतियों की कुल रकम या मूल्य के बराबर एक रकम एक ऐसे लेखा में स्थानान्तरित की जायेगी, जिसे "शेयर बढ़ौती लेखा" कहते हैं।

किसी कंपनी की शेयर पूंजी के घटाव (reduction) से सम्बन्धित भारतीय कंपनी अधिनियम, १९५६ के नियम उसी प्रकार लागू होते हैं कि मानो शेयर बढ़ौती लेखा उस कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी हो।

कंपनी द्वारा शेयर-बढ़ौती लेखा का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है :—

(अ) कंपनी के उन अप्रचालित शेयरों को प्रदान करने में, जो उस कंपनी के सदस्यों को पूर्ण रूप से भुगताये गये बोनस के रूप में प्रचालित किये जाने वाले हों;

(ब) कंपनी के प्रारम्भिक खर्चों को बट्टे खाते में डालने में;

(स) शेयरों के किसी प्रचालन के या कंपनी के डिबेन्चरों के खर्चों को या अंशों के किसी प्रचालन पर या कंपनी के डिबेन्चरों पर, दिये गये बट्टे (commission) को या मंजूर बट्टे को, बट्टे खाते में डालने में; या

(द) प्रीमियम के लिये नियम बनाने में, जो छुड़ाने योग्य प्रेफेरेन्स शेयरों के मोचन (redemption) पर या कंपनी के किन्हीं डिबेन्चरों पर, देय है (धारा ७८) ।

जहाँ कि कंपनी ने १-४-५६ के पहले प्रीमियम पर शेयरों का प्रचालन किया है, वहाँ उपर्युक्त नियमों के अनुसार, पूंजी के घटाव के प्रयोजन के लिये शेयर प्रीमियम को प्रदत्त पूंजी के रूप में अभिलिखित किया जायेगा। किन्तु प्रीमियम का कोई भाग, जो इस प्रकार प्रयुक्त किया गया है कि वह अनुसूची छठीं के अर्थ में १-४-५६ पर कंपनी की संचितियों (reserves) का कोई पहिचान योग्य भाग नहीं बनता है, शेयर प्रीमियम लेखा में सम्मिलित किये जाने वाली रकम को निर्धारण करते समय उपेक्षित कर दिया जायेगा ।

धारा ७८ एक नये नियम को अधिनियमित (enacts) करती है, जो पुराने कंपनी अधिनियम में नहीं था। यह धारा कंपनी की पूंजी के एक नये वर्ग का सृजन (creates) करती है, जो यद्यपि शेयर पूँजी तो नहीं है, तथापि (yet) वह आय (income) के रूप में, अन्य पूंजी-संपतियों से अधिक रूप में, बाँटने योग्य नहीं है ।

समापन होने पर, शेयर प्रीमियिम लेखा में के अतिरिक्त (surplus) धन शेयरहोल्डरों को लौटा दिये जायेंगे और जब तक वह समवाय एक चालू व्यापारिक संस्था रहती है, तब तक यह रकम कटौती याचिका (reduction petition) के माध्यम के सिवाय, अन्य किसी प्रकार से कभी भी उन शेयरहोल्डरों को लौटायी नहीं जा सकती [Re Duff's Statements Trusts (1951) A. E. R. (1869)]

प्रश्न २७—(क) अंश-धारकों द्वारा अंशों और ऋण-पत्रों का हस्तान्तरण कब किया जा सकता है ? ऐसे हस्तान्तरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये ।

(ख) अनाम हस्तान्तरण का क्या तात्पर्य है ?

(a) When can the shares and debentures be transferred by the shareholders ? Describe procedure for such transfer.

(b) What is meant by blank transfers ?

उत्तर—(क) शेयरों और डिबेन्चरों का हस्तान्तरण—

शेयरों को हस्तान्तर करने का अधिकार परिनियमित कर दिया गया है। शेयरहोल्डर को चाहे वह पब्लिक कम्पनी का हो या प्राइवेट कम्पनी का शेयरों में

सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त होता है और वह केवल आर्टिकिल्स में किसी अभिव्यक्त निर्बन्धन के अधीन, अपने शेयरों को हस्तान्तरित कर सकता है। [गोपाल वार्निश कम्पनी (१९१७) २ सी-एच० ३४६]

शेयरों के हस्तान्तरण का प्रत्येक दस्तावेज (क) निर्धारित प्रपत्र में होगा; और इससे पहले कि उस पर हस्तान्तरणकर्ता हस्ताक्षर करे या उसकी ओर से उस पर हस्ताक्षर किया जाय, उसे निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा और निर्धारित प्राधिकारी उसे मुद्रित करेगा या अन्यथा उस पर पेश किये जाने की तारीख पृष्ठांकित करेगा, तथा (ख) कम्पनी को डिलीवर कर दिया जायगा :—

(१) मान्य स्टाक एक्सचेंज में लेन-देन किये जाने वाले या कोटेड शेयरों की सूरत में उस तारीख से किसी|समय पहले जिस पर ऐसे आदेश किये जाने के बाद सदस्यों के रजिस्टर को पहली बार विधिनुसार बन्द किया जाता है।

(२) किसी अन्य सूरत में, ऐसे प्रस्तुतीकरण की तारीख से दो माह के भीतर (धारा १०८)।

यह उपबन्ध कि हस्तान्तरिणी दाखिल खारिज (mutation) केवल पक्षकारों द्वारा हस्तान्तरित हस्तान्तरण के दस्तावेज के आधार पर ही प्राप्त कर सकता है केवल शेयरों के प्राइवेट हस्तान्तरणों तक ही सीमित है और न्यायालय में विक्रयों पर नहीं लागू होता। [महादेव बनाम न्यू दार्जलिंग टी कम्पनी, (१९५१) ५५ सी० डब्लू० सन० ४०८]

(ख) अनाम हस्तान्तरण (Blank transfer)—अनाम हस्तान्तरण वह हस्तान्तरण है, जिसके द्वारा हस्तान्तरक हस्तान्तरी को पूर्ण रूप से कोरे (blank) किन्तु केवल हस्तान्तरक द्वारा हस्ताक्षरित एक हस्तान्तरण-प्ररूप (transfer form) के साथ शेयर प्रमाण-पत्र अर्पित करता है।

व्यवहार में, हस्तान्तरण अक्सर अनामी ही छोड़े जाते हैं। एक कम्पनी की आर्टिकिल्स सामान्यतः किसी लेखन-बद्ध लिखत द्वारा ही शेयरों के हस्तान्तरण को मन्जूर करती है। हस्तान्तरक अनाम-हस्तान्तरण पर हस्ताक्षर करता है और उसे हस्तान्तरी को अर्पित कर देता है।

अनाम-हस्तान्तरण के साथ शेयर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तब तक आगे बढ़ते रहते हैं, जब तक कि अन्तिम हस्तान्तरी उसे अपने नाम से रजिस्ट्रीकृत करने का विचार नहीं कर लेता है। वह सामान्यतया उस हस्तान्तरण प्ररूप में उस हस्तान्तरी के सामने स्वयं अपने नाम को भरता है और उसे कम्पनी के पास आगे बढ़ाता है।

ऐसा हस्तान्तरण भरे जाने पर रजिस्ट्रीकरण के लिये भेजा जायेगा और वह हस्तान्तरण उस कार्य में के पक्षकारों के बीच में मान्य होगा और जहाँ किन्हीं अन्य (तीसरे) व्यक्तियों का अधिकार अन्तर्ग्रस्त नहीं। [अर्जुनप्रसाद बनाम सेन्ट्रल बैंक आव् इन्डिया (१६५६), पटना ३२]

लार्ड वाट्सन ने (Colonial Bank v. John Cads C. 267) के वाद में एक अनाम हस्तान्तरण को धारण करने वाले एक हस्तान्तरी के अधिकारों का वर्णन इस प्रकार किया है—

"अनाम निष्पादित (executed in blank) हस्तान्तरण के साथ प्रमाण-पत्र का अर्पण शेयरों की सम्पत्ति को निम्नलिखित व्याख्याओं के अधीन रहते हुये, जिनके द्वारा वह सीमित (qualified) किया गया है, अन्तरित करता है।

"The right of the share holder appears to be in the nature of a jus ad rem and not of a jus in rem" अर्पण उस व्यक्ति में शेयरों का स्वामित्व इस अर्थ में नहीं निहित करता है कि उस व्यक्ति के अधिकार को पूर्ण करने के लिये किसी अतिरिक्त कार्य की अपेक्षा नहीं होती है। शेयर प्रमाण-पत्र तथा हस्तान्तरण के देने के बावजूद भी, आरम्भिक हस्तान्तरक, जो उस प्रमाण-पत्र में तथा रजिस्ट्री में स्वामी के रूप में प्रविष्ट किया जाता है, उन शेयरों के संबंध में मतदान करने एवं लाभांश लेने के हकदार के रूप में उस कम्पनी द्वारा मान्यता-प्राप्त एकमात्र शेयरहोल्डर तब तक बना रहता है, जब तक कि हस्तान्तरी या धारक (holder) अपने नाम रजिस्ट्रीकरण नहीं करा लेता है। अतएव यह कहना और भी उपयुक्त होगा कि ऐसा अर्पण शेयरों की संपत्ति को अन्तरित (passes) नहीं करता है बल्कि एक वैध और साम्यिक (equitable) हक को अन्तरित करता है, जो उस होल्डर के उन शेयरों को अपने में निहित करने में समर्थ बनायेगा और वैसा करने में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत स्वामी से अपने हक प्राप्त करता है, उसके अधिकारों के विफलीकृत किये जाने का जोखिम भी नहीं रहेगा।"

प्रश्न २८—(क) एक सीमित कम्पनी की पूंजी को किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है?

(ख) चौतरफा घटाव से क्या तात्पर्य है ?

(a) How can the capital of a limited company be altered ?

(b) What is meant by the term "all round reduction" ?

उत्तर—(क) शेयरपूंजी का परिवर्तन (Alteration of Share Capital)—शेयरपूंजी रखने वाली किसी सीमित कम्पनी की शेयरपूंजी का परिवर्तन उसकी आर्टिकिल्स में यथावत् दी जानी चाहिये। उस आर्टिकिल्स में यह भी वर्णन होना चाहिये कि उस शेयरपूंजी का परिवर्तन किस प्रकार किया जायेगा। निम्नलिखित एक या एक से अधिक प्रकारों से परिवर्तन किया जा सकता है :—

(१) इसकी शेयर पूंजी में इतनी रकम की वृद्धि करने से, जिसे वह नये शेयरों को प्रचालित करने के कारण इष्टकर (expedient) समझती है;

(२) इसकी सम्पूर्ण या किसी शेयर पूंजी को इसके वर्तमान शेयरों से भी बड़ी रकम वाले शेयरों में समेकित एवं विभाजित करने से;

(३) इसके समस्त या किन्हीं, पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों को निधिपत्र में संपरिवर्तित करने से; और उस निधिपत्र को, किसी भी अभिप्राय (denomination) के पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों में पुनः संपरिवर्तित करने से;

(४) इसके शेयरों को या उनमें से किसी शेयरों को इतनी छोटी रकम वाले शेयरो में उपविभाजित (subdivide) करने से, जो रकम ज्ञापनपत्र (memorandum) द्वारा नियत की गई रकम से भी छोटी है;

(५) उन शेयरों को रद्द करने से, जिनको रद्द करने के लिये संकल्प के पारित होने के दिनांक पर, न तो किसी व्यक्ति ने ग्रहण किया है और न ग्रहण करने का करार किया है, और उस प्रकार रद्द किये गये शेयरों की रकम द्वारा उसकी शेयर पूंजी की रकम को घटाने से;

परिवर्तन की शक्ति का प्रयोग कम्पनी द्वारा एवं सामान्य अधिवेशन में किया जाना चाहिये और न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९५६ के अर्थ में, शेयरों के रद्द किये जाने को शेयर-पूंजी का घटाव (reduction) नहीं समझा जाना चाहिए। (धारा ९७)

(ख) "चौतरफा घटाव का तात्पर्य" Meaning of all-round reduction)—"चौतरफा घटाव" पद का तात्पर्य उस घटाव से है जिसमें प्रत्येक शेयर के सम्बन्ध में एक ही प्रतिशतता (percentage) या तो चुकता कर दी जाती है या रद्द कर दी, या घटा दी जाती है।

प्रश्न २९—अंशों के आवंटन से तुम क्या समझते हो ? आवंटन के नियमों का वर्णन कीजिये।

अंशों के अनियमित आवंटन का क्या प्रभाव होता है ?

What do you mean by allotment? Describe the rules as to allotment.

What is the effect of irregular allotment to shares ?

उत्तर—आबन्टन (बांट) का अर्थ—आबन्टन प्रस्ताव की स्वीकृति (acceptance) है, जो एक व्यक्ति द्वारा, किसी कम्पनी का शेयरहोल्डर बनाने के लिए दी जाती है। यह यथोल्लिखित शेयरों का विनियोजन (appropriation) नहीं है बल्कि शेयरों का एक निश्चित संख्या का विनियोजन है। तिस पर भी यह उस व्यक्ति को, जिसने शेयरों को लेने का करार किया है, उसी क्षण से सदस्य नहीं बना देता है। जो कुछ यह करता है, वह यह है कि यह एक बन्धनकारी (binding) संविदा का निर्माण करता है, जिसके अधीन (under) कम्पनी शेयरों की यथोल्लिखित संख्या का आबन्टन (allotment) करने के लिए बाध्य हो जाती है और जिसके अधीन वह व्यक्ति, जिसने प्रस्ताव किया है, अब शेयरों के उस विशिष्ट संख्या को लेने के लिए अपनी स्वीकृति द्वारा बाध्य है।

"आबन्टन" (बाँट) इस रूप में कम्पनी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। कम्पनी विधि के विधिशास्त्र (jurisprudence) में शेयरों के आबन्टन का तकनीकी (technical) अर्थ है। इसका अर्थ होता है संपूर्ण शेयर-पूंजी का निश्चित शेयरों में विभाजन करना, जिनमें प्रत्येक शेयर की एक विशेष कीमत होती है और वह शेयर-पूंजी विभिन्न वर्गों में विभाजित की जाती है और विभिन्न व्यक्तियों को एक या अनेक शेयर सौंपे जाते हैं। "The true meaning of the word "allot" must, therefore, be first the creation of lots of shares and then division of them into value and classes and lastly, allocation of them individually or numerously to particular applicant or applicants" (In re Calcutta Stock Exchange Association Ltd. A.I.R. 1957 Cal. 438).

आबंटन के सम्बन्ध में नियम—किसी कम्पनी की शेयर-पूंजी का आबंटन जो शेयर-पूंजी अभिदान के लिये लोक के समक्ष पेश की गई है, तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रास्पेक्टस में न्यूनतम रकम के रूप में वर्णित की गई रकम का

अभिदान नहीं किया गया है और ऐसी रकम के लिए दिये गये आवेदन पर देय रकम न तो कम्पनी को दी गई है और न कम्पनी ने उसे प्राप्त ही किया है। [धारा ६९ (१)] प्रत्येक शेयर पर देय रकम शेयर की अभिहित रकम (nominal amount) की ५ प्रतिशत से कम नहीं होगी। [धारा ६९ (३)]। धारा (३) के सिवाय धारा ६९ शेयरों के किसी आबंटन पर लागू नहीं होती है, जो उन अंशों के बाद हुआ है, जो अभिदान के लिये लोक के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। [धारा ६९ (७)]

(२) शेयरपूंजी रखने वाली प्रत्येक कम्पनी, प्राइवेट कम्पनी को छोड़कर, जो कोई प्रास्पेक्टस नहीं निकालती है, या जिसने प्रास्पेक्टस तो निकाल दिया है लेकिन उन शेयरों में से किसी शेयर को आबंटित करने के लिये आगे नहीं बढ़ी है, जो अभिदान के लिये लोक के समक्ष पेश किये गये हैं, किन्हीं शेयरों और डिबेन्चरों को तब तक आबंटित नहीं करेगी जब तक कि उन शेयरों या डिबेन्चरों के प्रथम आबंटन के कम से कम ३ दिन पहले प्रास्पेक्टस के स्थान में एक विवरण रजिस्ट्रीकरण के लिये रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं किया गया है [धारा ७० (१) और (३)]

(३) आमतौर से निकाली जाने वाली प्रास्पेक्टस के अनुसार उस तारीख के पाँचवे दिन के प्रारंभ तक जब वह प्रास्पेक्टस पहले-पहल निकाली जाती है, या बाद में किसी उल्लिखित समय के भीतर, कम्पनी किन्हीं शेयरों या डिबेन्चरों का आबंटन नहीं किया जा सकता। जहाँ कि ऐसी प्रास्पेक्टस के निकालने के बाद किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कोई सार्वजनिक सूचना दी जाती है, जिसका प्रभाव उसकी जिम्मेदारी को हटाना, सीमित करना या कम करना होता है, वहाँ ऐसी सूचना के पहले-पहल देने के बाद ५वें दिन के प्रारंभ तक कोई आबंटन नहीं किया जायेगा। [धारा ७२ (१)] इस नियम का उल्लंघन आबंटन को अमान्य नहीं करता है। [धारा ७२ (२)]

(४) जहाँ कि कोई प्रास्पेक्टस चाहे वह सामान्य रूप से निकाली जाती है या नहीं निकाली जाती है, यह वर्णन करती है कि उन शेयरों या डिबेन्चरों के लिये अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन से आवेदन किया गया है या किया जायेगा जो किसी मान्यता-प्राप्त सट्टा बाजार (stock exchange) में बेचे जाने के लिये पेश किये गये हैं; और कोई भी आबंटन, जो प्रास्पेक्टस के अनुसार किसी आवेदन पर किया गया है, शून्य होगा यदि प्रास्पेक्टस के पहले-पहल निकाले जाने के बाद १०वें दिन के पहले ही अनुमति के लिये आवेदन नहीं किया गया है, या यदि अभिदान सूचियों (subscrip-

tion lists) के बन्द होने की तारीख से ४ सप्ताह की समाप्ति के पहले वह अनुमति मंजूर नही की गई है। [धारा ७३ (१)]

(५) आबंटनों के सम्बन्ध में विवरण (Return as to allotments)—जहाँ कि कोई कम्पनी अपने शेयरों का आबंटन करता है, वहाँ वह कम्पनी आबंटन के पश्चात् १ महीने के भीतर :—

(१) रजिस्ट्रार के पास उन आबंटनों (बाँटों) का एक विवरण (return) पेश करेगी, जिसमें उन शेयरों की संख्या तथा अभिहित रकम (nominal amount) का वर्णन होगा, जो उस आबंटन में समाविष्ट (comprised) होंगे; तथा जिसमें बंटनियों (जिनको अंश दिये गये हैं) के नाम, पते और धन्धों का तथा दी गयी या देय (payable) रकम का वर्णन होगा ;

(२) उन शेयरों के मामले में, जो (बोनस शेयरों को छोड़कर) नकद के अलावा पूर्ण रूप से या भागतः (partly) प्रदत्त (paid up) रूप में आबंटित किए गए हैं, रजिस्ट्रार के निरीक्षण और जाँच के लिये उस लिखित संविदा (contract) को पेश करेगी जो उस आबंटन के प्रति उस बंटनी (allotee) के हक को बताता है और उसके साथ-साथ बेंची का भी कोई संविदा रहेगा, और इन संविदाओं की सत्यापित प्रतियाँ (verified copies) और एक विवरण (return) रजिस्ट्रार के पास पेश करेगी, जिसमें आबंटित शेयरों की संख्या तथा अभिहित रकम (nominal amount) और वह मात्रा जहाँ तक उनको प्रदत्त (paid-up) माना जाएगा और वह प्रतिफल (consideration) जिसके लिये वे आबंटित किये गये हैं, वर्णित किए जायेंगे; और रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित अवस्था में निम्नलिखित वस्तुयें पेश करेगी :—

कम्पनी :—

(i) बोनस शेयरों की अवस्था में, एक विवरण फाइल करेगी, जिसमें उन शेयरों की संख्या तथा अभिहित मूल्य (nominal value) का वर्णन रहेगा, जो उस आबंटन में समाविष्ट है और उसके साथ उन व्यक्तियों के नाम, पते तथा धन्धों का वर्णन रहेगा, जिनको शेयर सौंपे गये हैं, तथा उस संकल्प (resolution) की एक प्रति (copy) का भी वर्णन रहेगा जिसमें उन शेयरों के प्रचालन को प्राधिकृत (authorised) किया गया है;

(ii) बट्टे पर शेयरों के प्रचालन करने की अवस्था में, कम्पनी द्वारा पारित किये गये संकल्प (resolution) की एक प्रति (copy) जिसमें ऐसे प्रचालन को

प्राधिकृत किया गया है फाइल करेगी और उसके साथ-साथ न्यायालय के उस आदेश की प्रति (copy) भी फाइल की जायेगी, जिसमें उस निर्गमन (issue) की मन्जूरी की गई है, और जहाँ कि बट्टे की अधिकतम दर १० प्रतिशत से अधिक हो जाती है, वहाँ केन्द्रीय सरकार को एक प्रति भी फाइल की जायगी, जिसमें और भी ऊँची प्रतिशत की दर से प्रचालन करने की अनुमति दी गई होती है। ये उपबन्ध कम्पनी द्वारा किये गये उन शेयरों के प्रचालन तथा आबंटन पर लागू नहीं होते हैं, तो आर्टिकिल्स के अधीन अभियाचनाओं (calls) का भुगतान न करने के कारण जब्त कर लिये गये हैं।

प्रश्न ३०—अभियाचनाओं (माँगों) की अन-अदायगी के कारण जब्त किये गये अंश आबंटनों के प्रत्याय में से निकाल दिये जाने चाहिये। विवेचन कीजिये।

Shares forfeited for non-payment of calls should be excluded from the return of allotments. Discuss.

उत्तर—जब्त किये गये अंशों का आबंटनों के प्रत्याय से निकालना—

कम्पनी अधिनियम १९५६ की धारा ७५ की उपधारा ५ में यह दिया हुआ हैं कि धारा ७५ में की कोई बात कम्पनी द्वारा शेयरों के प्रचालन तथा आबंटन पर लागू नहीं होगी, जो आर्टिकिल्स के अधीन अभियाचनाओं का भुगतान न करने के कारण जब्त कर लिए गए हैं। धारा ७५ (५) के द्वारा आबंटन से संबन्धित विवरण से अभियाचनाओं पर भुगतान न होने के कारण जब्त हुए शेयरों को निकाल देने का कारण है।

कम्पनी अधिनियम में जो जब्ती का वर्णन किया गया है वह यही जब्ती है जो अभियाचनाओं की भुगतान न होने के कारण की जाती है और आर्टिकिल्स आव् ऐसोसियेशन में इसे सारणी 'अ' (Table 'A') कहते हैं। उसके परिणाम स्वरूप, अभियाचनाओं के भुगतान न होने पर शेयरों की जब्ती को अलग करके संसद् (Parliament) ने जब्ती के सभी तरीकों को अलग करने का आशय रखा है। किसी संविधि (statute) या सांविधिक नियम का कोई ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए जिससे संसद पर अविवेकशीलता (illogicality) का आरोप लगे। यदि धारा ७५ के अधीन शेयर के आबंटन के प्रत्येक मामले में किसी विवरण की आवश्यकता समझी जाती है तो वह नियम बनाना अतर्कसंगत (illogical) होगा कि यह आबंटन अंशों के बाद या उनके फिर से प्रचालन के बाद किया गया था।

शेयरों के अनियमित आबन्टन (बाँटने) का प्रभाव (Effect of

ption) - "न्यूनतम अभिदान" वह रकम है, जो प्रास्पेक्टस में न्यूनतम रकम के रूप में वर्णित की जाती है, और जो, बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स की राय में, शेयर पूंजी के प्रचालन द्वारा नीचे उल्लिखित विषयों के लिये इकट्ठा की जाती है :—

(क) खरीदी हुई या खरीदी जाने वाली किसी संपत्ति की कीमत-खरीद के लिये;

(ख) प्रारम्भिक खर्चे और कम्पनी द्वारा देय (payable) कमीशन (आढ़त);

(ग) पूर्वगामी विषयों में से किसी भी विषय के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा उधार लिये गये धन के प्रतिदान के लिये;

(घ) सक्रिय पूंजी के लिये; और

(ङ) दूसरे खर्चों के लिये, उसके स्वरूप (nature) तथा प्रयोजन को और प्रत्येक अवस्था में आँके गये मूल्य को बताते हुये (देखिये धारा ६९ अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के खंड ५ के साथ)।

न्यूनतम अभिदान से सम्बन्धित नियम केवल उन्हीं मामलों में लागू होते हैं, जहाँ अभिदान के लिये शेयर लोक के सामने पेश किये जाते हैं। जब तक न्यूनतम रकम का अभिदान नहीं किया गया हो तब तक कम्पनी के उन शेयरों को बाँटा नहीं जा सकता, जो अभिदान के लिये लोक के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

न्यूनतम अभिदान की रकम उस रकम को निकाल कर गिनी जाती है, जो रुपये के अलावा किसी दूसरी तरह से देय (payable) होती है।

व्यापार के प्रारम्भ पर रुकावटें—धारा १४९ में यह दिया गया है कि जहाँ कि किसी कम्पनी ने, जिसके पास शेयर पूंजी है, एक प्रास्पेक्टस निकाल दी है, जिसमें शेयरों के लिये अभिदान करने के लिये लोक को आमन्त्रित (invite) किया गया है, वहाँ वह कम्पनी कोई व्यापार तब तक प्रारम्भ नहीं करेगी या उधार लेने की शक्तियों का प्रयोग तब तक नहीं करेगी जब तक कि निम्नलिखित शर्तें न पूरी होती हों—

(अ) वे शेयर जो उसकी सारी रकम के नकद भुगतान के अधीन होल्ड किये गये हैं, उस रकम तक बाँटे गये हैं, जो पूर्ण रूप में, न्यूनतम अभिदान से कम नहीं है; और

(ब) प्रत्येक डाइरेक्टर ने प्रत्येक शेयर पर जिसे उसने लिया है या लेने का

करार किया है, और जिसके लिये वह नकद देने के लिये जिम्मेदार है, कम्पनी को ऐसी रकम दी है, जो उस रकम के अनुपात में है, जो रकम आवेदन पर तथा अभिदान के लिये लोक के समक्ष पेश किये गये शेयरों के बाँटने पर देय है; और

(स) उन व्यक्तियों को न तो कोई धन लौटाया ही जायगा और न लौटाये जाने के योग्य ही होगा, जिन्होंने उन शेयरों या डिबेन्चरों के लिये आवेदन किया है, जो अभिदान के लिये लोक के समक्ष पेश किये गये हैं और वह भी इस कारण लौटाया नहीं जायगा कि उन शेयरों या डिबेन्चरों की अनुमति के लिये आवेदन करने में या उसे प्राप्त करने में विफलता पाई है, जो सट्टा बाजार (stock exchange) में बेचे जाने वाले हैं या जिनका सौदा होने वाला हो।

(द) डाइरेक्टरों में से किसी एक डाइरेक्टर द्वारा या सचिव द्वारा विहित प्ररूप (prescribed form) में सम्यक् रूप से सत्यापित (duly verified) यह घोषणा रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दी गयी है कि पूर्वोक्त शर्तों का अनुपालन किया गया है।

जहाँ कि शेयरपूँजी रखने वाली किसी कम्पनी ने अपने शेयरों के लिये अभिदान करने के प्रयोजन से लोक को आमन्त्रित करने के लिये प्रास्पेक्टस नहीं निकाला है, वहाँ वह कम्पनी तब तक कोई व्यापार प्रारम्भ नहीं कर सकती या उधार लेने की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती जब तक कि निम्नलिखित बातें न हुई हों—

(१) रजिस्ट्रार के पास प्रास्पेक्टस के स्थान में कोई विवरण फाइल किया गया है; और

(२) प्रत्येक डाइरेक्टर ने प्रत्येक शेयर पर, जिसे उसने लिया है या लेने का करार किया है या जिसके लिये वह नकद देने के लिये जिम्मेदार है, कम्पनी को ऐसी रकम दी है, जो उस रकम के अनुपात में है, जो रकम आवेदन पर और शेयरों के बाँटने पर नकद देय है; और

(३) डाइरेक्टरों में से किसी एक डाइरेक्टर द्वारा या सचिव द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित (verified) यह घोषणा रजिस्ट्रार के पास पेश कर दी गयी है कि पूर्वोक्त सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

सम्यक् रूप से सत्यापित पूर्वोक्त प्रकार से घोषणा को फाइल करने पर, और एक कम्पनी के मामले में, जिससे प्रास्पेक्टस के स्थान में विवरण फाइल करने की अपेक्षा की गयी है, ऐसे विवरण के फाइल किये जाने पर रजिस्ट्रार यह प्रमाणित करेगा कि कम्पनी व्यापार प्रारम्भ करने की हकदार है और वह व्यापार प्रारम्भ करने

का प्रमाण-पत्र इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि कम्पनी वैसा करने के लिये हकदार है।

ये नियम किसी प्राइवेट कम्पनी पर या उस कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं, जो पहली अप्रैल १६१४ के पहले रजिस्ट्रीकृत की गई है और जिसने अपने शेयरों के लिये अभिदान करने के प्रयोजन से लोक को आमन्त्रित करने के लिये कोई प्रास्पेक्टस नहीं निकाला है।

प्रश्न ३२—अंशपूंजी के पुनःसंगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। क्या इस विषय में न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई अपील हो सकती है ?

Write a brief note on the reorganisation of share capital. Does an appeal lie from the order of the court in this connection ?

उत्तर—शेयरपूंजी का पुनर्गठन (Reorganisation of Share Capital)—कम्पनी की शेयरपूंजी का पुनर्गठन तीन प्रकार से निष्पादित किया जा सकता है :—

(१) विभिन्न वर्गों के शेयरों के समेकन (consolidation) द्वारा, या

(२) एक वर्ग के अंशों का विभिन्न वर्गों के शेयरों में विभाजन द्वारा, या

(३) इन दोनों प्रकारों से।

ऐसा पुनर्गठन कम्पनी अधिनियम की धारा ३६१ में दिये गये नियमों के अधीन ही हो सकता है। इस धारा के द्वारा, जहाँ कि अंशपूंजी का पुनर्गठन—

(१) किसी कम्पनी और उसके ऋणदाताओं के बीच में, या

(२) किसी कम्पनी और उसके सदस्यों के बीच में, प्रस्तावित किया जाता है, वहाँ, न्यायालय जो प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, कंम्पनी के या किसी ऋणदाता के, या कम्पनी के किसी सदस्य के या समापित हो रही किसी कम्पनी की अवस्था में, परिसमापक (liquidator) के आवेदन पर, ऋणदाताओं के या सदस्यों के एक अधिवेशन को बुलाने का तथा इस प्रकार उसे करने एवं संचालित करने का आदेश कर सकता है जैसा कि न्यायालय निर्दिष्ट करे।

यदि अधिवेशन पर उपस्थित तथा या तो स्वयं या प्रतिपत्री (proxy) द्वारा मतदान करने वाले ऋणदाताओं या सदस्यों का, मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाला बहुमत शेयरपूंजी के पुनर्गठन पर सहमत हो जाता है, तो वह पुनर्गठन

यदि न्यायालय द्वारा मन्जूर है (तो) सभी ऋणदाताओं पर, या सभी सदस्यों पर, तथा कम्पनी पर भी, अथवा उस समवाय की स्थिति में, जो समापित हो रही है, परिसमापक पर और कम्पनी के या अंशदायियों पर बन्धनकारी (binding) होगा।

न्यायालय का आदेश उस समय प्रभावी होगा जब उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार के समक्ष पेश कर दी गई है।

आरम्भिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा किये गये आदेश के विरुद्ध कोई अपील उस न्यायालय में होगी, जो उस न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपीलें सुनने के लिये सशक्त (empowered) किया गया हो। यदि एक से अधिक न्यायालय इस प्रकार सशक्त है, तो अपील निचले न्यायालय (inferior court) में होगी। (धारा ३६१ (१)]

प्रश्न ३३—ऋण-पत्र की परिभाषा कीजिये और इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिये। यह भी बताइये कि ये कितने प्रकार के होते है ?

Define 'Debenture' and point out its characteristics. Tell also, of how many kinds they are ?

उत्तर—"ऋणपत्र" की परिभाषा(definition of debenture)—डिबेन्चर (ऋण-पत्र) पद की परिभाषा करना कठिन है कम्पनी अधिनियम की धारा २ (१२) में दी गई परिभाषा कोई परिभाषा नहीं है। यह लैटिन शब्द 'debenture' से ली गई है, जो पहले-पहल उस समय प्रयोग में आया था जब सरकार ने सिपाहियों तथा अन्य सरकारी सेवकों के प्रति अपनी ऋणग्रस्तता(indebtedness को अभिस्वीकार (acknowledgment) किया था। इसके उस प्रकार प्रयुक्त होने का तात्पर्य उस लिखत से था, जिसके द्वारा कोई ऋण अभिस्वीकृत किया गया था या गृहीत किया गया था। आधुनिक समय में कम्पनियों द्वारा धन उधार लेने के लिए ऋण-पत्रों की शरण ली जाती है। वे वास्तव में बंध-पत्र (bonds) या विलेख (deeds) होते हैं, जो ऋण को साक्ष्य देते है (British India and Co v. Commissioner of Inland Revenue 3 Q. B. D. 165 के वाद में लार्ड लिण्डले कहते हैं कि "सामान्यतया, यदि सर्वदा नहीं, इस लिखत का तात्पर्य भुगतान करने के आभार या प्रसंविदा से है (obligation or covenant) यह आभार या प्रसंविदा आधुनिक काल के अधिकतम मामलों में किसी प्रभार या जमानत के साथ-साथ रहता है।" Levy v. Aber Corries State and Co. 37 Ch. D.

260) के वाद में लार्ड चेट्टी ने कहा है कि "मेरी राय में "ऋण-पत्र" का तात्पर्य किसी ऐसे दस्तावेज से है, जो या तो किसी ऋण का सृजन करता है या उसे अभि-स्वीकृत करता है और उस दस्तावेज से है जो एक ऋण-पत्र की इन शर्तों में से किसी शर्त को पूरी करता है। मुझे इस पद की कोई उपयुक्त वैध परिभाषा नहीं प्राप्त होती है।"

कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा २ (१२) यह कहती है कि "ऋण-पत्र में डिबेन्चर स्टाक बंधनामा और कम्पनी की अन्य कोई जमानतें सम्मिलित हैं, चहे वे उस कम्पनी की आस्तियों पर प्रभार उत्पन्न करती हैं या नहीं।"

इसका शुद्ध परिणाम यह है कि यद्यपि एक डिबेन्चर की कोई उपयुक्त परिभाषा नहीं है, तथापि व्यावहारिक प्रयोजन के लिये इसका वर्णन कम्पनी की मुहर के अधीन एक लिखत के रूप में किया जा सकता है, जिसमें किसी मूल रकम तथा एक उल्लिखित दर पर ब्याज के भुगतान के लिये नियम बनाया गया है, और जो समान डिबेन्चर की श्रेणी में से एक होने के कारण कम्पनी के उपक्रम (udnertaking) पर प्रभार या जमानतों को वहन करता है। तो भी यह सारवान् रूप से आवश्यक नहीं है कि प्रभार हमेशा वर्तमान रहे और न तो यही आवश्यक है कि डिबेन्चरों की एक श्रेणी हो। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब एक डिबेन्चर प्रतिभूत (secure) करने के लिये प्रभार नहीं होता।

जब डिबेन्चरों के साथ कोई प्रभार लगा रहता है, तो उनको 'बंधक-डिबेन्चर' कहते हैं; और अन्य अवस्थाओं में; जब कोई प्रभार नहीं होता है, तो उन्हें "अप्रतिभूत ऋण-पत्र" या "साधारण ऋण-पत्र" (Naked debenture) कहते हैं। जहाँ प्रभारों का सृजन होता है, वहाँ तो भी यह आवश्यक नहीं है कि वहाँ एक स्पष्ट प्रभार हो भुगतान के लिये नियम सशर्त (conditional) हों। मुख्य बात यह है कि किसी ऋण का अभिस्वीकरण होना चाहिये, जिसके विषय में एम० आर० पोलाक का कहना है कि "वह प्राथमिक शर्त (primary qualification) है। प्रभार के साथ-साथ समवाय एक सांपार्श्विक अभिलाभ (collateral advantage) के लिये करार कर सकती है, जो प्रभार के छुड़ाने के पश्चात् भी चालू रह सकता है परन्तु उसे अनुचित या नृशंस (unfair or unconscionable) नहीं होना चाहिये या उसे किसी जुर्माना के स्वरूप का नहीं होना चाहिये या छुड़ाने से सम्बन्धित संविदागत या साम्यिक अधिकार (contractual or equitable right) के असंगत या विरुद्ध नहीं होना चाहिये"।

ऋण-पत्र तीन प्रकार के हो सकते हैं :—

(अ) किसी आकस्मिकता (contingency) के घटने पर मोचनीय (redeemable) ; (ब) किसी निश्चित अवधि की समाप्ति पर; या (स) चिरस्थायी। डिबेन्चरों के विभिन्न रूपों पर विचार करते हुये हम कह सकते हैं, सामान्यतया उनमें निम्नलिखित विशेषतायें हैं :—

(१) डिबेन्चर सामान्यतया श्रेणियों में प्रचालित किये जाते हैं।

(२) डिबेन्चर किसी कम्पनी के मामले में, प्रायः मुहर के अधीन प्रचालित किए जाते हैं, किन्तु यह आवश्यक नहीं है।

(३) डिबेन्चर सामान्यतया एक उल्लिखित रकम को एक उल्लिखित दिनांक पर भुगताने का नियम बनाते है, और उसके दरम्यान में ब्याज भुगतान का नियम बनाते हैं। वे शाश्वत् या चिरस्थायी डिबेन्चर हो सकते हैं जो किसी नियत दिनांक पर देय (Payable) नहीं होते बल्कि केवल किसी आकस्मिकता के घटने पर ही देय होते हैं।

(४) एक डिबेन्चर प्रायः कम्पनी के उपक्रम (undertaking) पर या उसकी संपत्ति के किसी भाग पर प्रभार द्वारा प्रतिभूत (secured) किया जाता है। किन्तु बड़ी रकमों के लिये भी डिबेन्चर प्रचालित किये जा सकते हैं, और किये भी जाते हैं, जो किसी प्रभार द्वारा प्रतिभूत (secured) नहीं किये जाते हैं जब कि डिबेन्चर अक्सर एक ट्रस्ट डीड द्वारा प्रतिभूत किये जाते हैं, जिसके द्वारा न्यासधारी (trustee) को न्यास के आधार पर डिबेन्चरहोल्डरों के लिये संपत्ति का बन्धक किया जाता है यदि कम्पनी डिबेन्चर को बेचने और चुकता करने में चूक करती है।

(५) सामान्यतः मोचक की एक अवधि होती है किन्तु वह आवश्यक नहीं है। अधिनियम के अधीन चिरस्थायी डिबेन्चर भी हो सकता है।

चिरस्थायी ऋण-पत्र—चिरस्थायी डिबेन्चर वे डिबेन्चर हैं जो मूल रकम के भुगतान के लिये कोई अवधि नियत नहीं करते हैं या ऋण का भुगतान सशर्तरूप से (conditionally) किसी घटना के घटने पर किया जाता है, जो किसी अनिश्चित अवधि तक घटित नहीं हो सकती है। इसलिये "चिरस्थायी" शब्द का तात्पर्य यह है कि डिबेन्चरहोल्डर भुगतान की माँग नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि कम्पनी यदि चाहे तो कभी भी भुगतान न करे। धारा १२० में यह दिया गया है कि कोई ऐसी शर्त जो किसी डिबेन्चर में या किसी डिबेन्चरों को प्रतिभूत करने के लिये किसी विलेख (deed) में अन्तर्विष्ट की गई है, केवल इसी कारण अमान्य नहीं होगी कि उसके द्वारा डिबेंचर छुड़ाने योग्य बना दिये जाते हैं, या वे केवल

किसी आकस्मिकता के घटने पर चाहे वह कितनी दूरस्थ (remote) हो, या किसी अवधि की समाप्ति पर, चाहे वह कितनी लम्बी हो, मोचनीय बनाये जाते हैं।

प्रश्न ३४—डिबेन्चर स्टाक क्या है ? यह डिबेन्चर से किस प्रकार भिन्न होता है ?

What is debenture-stock and distinguish it from debenture.

उत्तर—डिबेन्चर स्टॉक क्या है ?

लार्ड लिण्डले ने एक डिब्बेन्चर स्टॉक की परिभाषा इस प्रकार की है कि वह एक उधार ली हुई पूंजी है, जो विभाज्यता (divisibility) तथा हस्तान्तरण (transfer) के लिये एक पुज (mass) में समेकित (consolidated) की गई है। पामर (Palmer) का कथन है कि डिबेन्चर और डिबेन्चर स्टाक में अंतर यह है कि जब कि डिबेन्चर का तात्पर्य एक ऐसी लिखत से होता है, जिसमें प्रायः मुहर के अधीन एक संविदा होती है, तो डिबेन्चर उस ऋण को कहते हैं जो ट्रस्ट डीड या डिबेन्चर द्वारा सृष्ट किया जाता है। डिबेन्चर स्टाक, डिबेन्चर ट्रस्टडीड के प्रयोग द्वारा घटित तथा प्रतिभूत होता है। साधारण डिबेन्चर ट्रस्ट डीड में निम्न-लिखित उपबन्ध रहते हैं :—

(क) उस रकम को देने की प्रतिज्ञा, जिसके लिये स्टॉक का सृजन किया जाता है;

(ख) जब तक उस रकम का प्रतिदान नहीं हो जाता है, तब तक उस पर ब्याज देने का नियम;

(ग) मूलधन और ब्याज के भुगतान को प्रतिभूत (secure) करने के लिये न्यासधारियों की संपत्ति का हस्तान्तरण करना;

(घ) डिबेन्चरहोल्डरों को मूलधन और ब्याज देने का नियम अर्थात् उन व्यक्तियों को, जो डिबेन्चर धारण करते हैं, उस रूप में पुस्तक में रजिस्ट्रीकृत किये जाते हैं;

(ङ) भावी ऋण नियत करने के नियम, किन्तु जो कंपनी के समापित होने पर या किसी बात के घटने पर, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति को लागू किया जा सकता है, देय होने वाले धन के अधीन है।

डिबेन्चर स्टॉक की अवस्था में प्रचालक कंपनी (issuing company)

सामान्यतः डिबेन्चरहोल्डरों के निमित्त न्यासधारियों के साथ कोवनेएट करते हैं, स्वयं डिबेन्चर होल्डरों के साथ कोवनेएट नही करते हैं। वे कंपनियों की ऋणदाता नहीं होती हैं और, जेसेल की भाषा में "They are merely cestue que trust of a charge having a right no doubt to put their trustees in motion to compel payment under the covenant but not having an independent right to sue the Company either at law or in equity." इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुये यह निर्णय किया गया है कि डिबेन्चर स्टाक होल्डर उस कंपनी के समापन के लिये आवेदन नहीं कर सकता, जो डिबेन्चर स्टाक का सृजन करता है।

डिबेन्चर और डिबेन्चर स्टाक में अन्तर

डिबेन्चर बाण्ड पूर्णरूप से हस्तान्तरणीय होते है जब कि डिबेन्चर स्टाक पूर्णतः या भागतः हस्तान्तरित की जा सकती है। डिबेन्चर स्टाक के मामले में प्रचालक कंपनी सामान्यतः डिबेन्चर होल्डरों के निमित्त न्यासधारियों के साथ करार करती है, स्वयं डिबेन्चर स्टाक होल्डरों के साथ नहीं करती है। डिबेन्चर स्टाक होल्डर वस्तुतः कंपनी के ऋणदाता नहीं होते हैं जिनको निःसन्देह यह अधिकार होता है कि वे अपने न्यासधारियों के माध्यम से भुगतान करने को बाध्य कर सकते हैं। किन्तु उनको कंपनी के विरुद्ध मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं है। डिबेन्चर स्टाक पर्याप्त मात्रा में अभिदान के लिए प्रस्तावित किया जाता है और अभिदाता (subscriber) को किसी भी रकम का अभिदान करने के लिये निमंत्रित किया जाता है, जिसे वह चुने। प्रत्येक उधारदाता (lender) के एक पृथक् विलेख-पत्र (deed) रखने के स्थान में, वह एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है, जिसमें उसे एक निश्चित रकम के लिये हकदार बनाया गया होता है और वह रकम एक बड़ी उधार रकम का एक भाग होती है।

भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन डिबेन्चर स्टाक एक डिबेन्चर है [धारा २ (१२)]

प्रश्न ३५—डिबेन्चर-स्टाक प्रमाण-पत्रों से तुम क्या समझते हो ?

What do you understand by debenture stock certificates ?

उत्तर—डिबेन्चर स्टाक प्रमाण-पत्र—

डिबेन्चर के संबंध में स्टाक प्रमाण-पत्र वे प्रमाण-पत्र हैं, जो प्रायः प्रत्येक

स्टाक होल्डर के नाम निकाले जाते हैं। इस प्रमाण-पत्र में यह विवरण अन्तर्विष्ट रहता है कि वह व्यक्ति, जिसको वह प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है, उन स्टाकों का हकदार है, जिनके प्रति धारक हकदार होता है और सद्भावी हस्तान्तरी (bona-fide transferee) बिना प्रतिकूल सूचना के इस तथ्य द्वारा प्रभावित नहीं होता कि वह रकम जिसका प्रदत्त होना प्रमाणित हो गया है, वस्तुतः प्रदत्त नहीं की गई है और कंपनी मामलों की वास्तविक दशा को प्रदर्शित करने के लिये विबंधित (estopped) है। विबंधन का सिद्धान्त लागू नहीं होता यदि हस्तान्तरक (transferor) का हस्ताक्षर जाली है। दोषपूर्ण प्रमाण-पत्र दूसरी ओर विबंधन द्वारा लागू होते हैं लेकिन विबंधन में मुकदमा करने के लिये अधिकारों को प्रदान करते हैं। जब कोई जाली हस्तान्तरण किसी व्यक्ति द्वारा भेजा जाता है, जो सद्भावनापूर्वक कार्य करता है, और कंपनी भी सद्भावनापूर्वक कार्य करते हुये उस हस्तान्तरण को रजिस्ट्री करती है, तो जो व्यक्ति उसको कंपनी के पास भेजता है, उसकी बाबत यह समझा जाता है कि उसने विवक्षित रूप से (impliedly) उसके रजिस्ट्रीकरण के परिणामों से कंपनी की क्षतिपूर्ति (indemnify) करने का वचन दिया है, और यदि वास्तविक स्वामी द्वारा उस संबंध में उपाय किये जाने के परिणामस्वरूप, कंपनी को उस स्टाक को उसकी जगह रखना है, तो समवाय को यह हक है कि वह उस विवक्षित क्षतिपूर्ति के वचन को एक मुकदमे द्वारा लागू कर सकती है, और हानियों को उस व्यक्ति से वसूल कर सकती है, जिसने रजिस्ट्रीकरण के लिये हस्तान्तरण को भेजा है। (देखिये १८०३, क्यू० बी० १)

प्रश्न ३६—ऋणपत्रों के धारकों के अधिकारों का वर्णन कीजिये।

Describe rights of the holders of debentures.

उत्तर—डिबेन्चरहोल्डरों के अधिकार—डिबेन्चरहोल्डरों के अधिकार सामान्यतः जमानत की शर्तों पर निर्भर करते हैं। प्रायः उनको ये अधिकार प्राप्त हैं:—

(१) एक डिबेन्चर होल्डर एक सेक्योर्ड ऋणदाता होता है और इसलिये उसे साधारण ऋणदाताओं से अधिक प्रेफरेन्स दिया जाता है, यदि समापन के प्रारम्भ होने के पहले वह डिबेन्चर रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और यदि समापन के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, तो उनका पद अप्रतिभूत (unsecured) ऋणदाताओं के बराबर होता है, (In re Anglo-Oriental Carpet Co. (1903) 1 CH. 914)।

(२) यदि डिबेन्चर होल्डर चुकता नहीं किया जाता है, तो वह अपने लिये तथा सभी डिबेन्चर होल्डरों की ओर से उनके ऋणों के भुगतान के लिये मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिये मुकदमा कर सकता है।

(३) वह मोचन-निषेध (foreclosure) तथा विक्रय के लिये अपनी जमानत को लागू कर सकता है जब कंपनी मूलधन तथा ब्याज का भुगतान करने में, जैसा कि अनुबंध (stipulation) किया गया है, विफल हो जाती है।

(४) वह कंपनी के समापन के लिये न्यायालय में एक याचिका पेश कर सकता है।

(५) डिबेन्चर होल्डर, सामान्यतया स्टाक की शर्तों द्वारा संभाव्य घटनाओं पर किसी आदाता (receiver) को नियुक्त करने के लिये सशक्त किये गए हैं। इस उपाय का अक्सर प्रयोग किया जाता है क्योंकि कंपनी केवल अस्थायी कठिनाइयों में पड़ सकती है, जिससे उसका उद्धार विवेकसंगत (judicious) प्रबन्ध के फलस्वरूप हो सकता है। यदि डीड द्वारा ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई रहती है, तो डिबेन्चरहोल्डर किसी रिसीवर की नियुक्ति के लिये न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न ३७—निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :—

(क) लाभांश अधिपत्र।
(ख) अधोलेखन कमीशन।
(ग) अधिमानी देय।
(घ) अपकरण सम्मन।
(ङ) अवैध संस्थाएँ।
(च) अभियाचना।
(छ) रक्षित जिम्मेदारी।

Write short notes on the following :—

(a) Dividend warrant ;
(b) Underwriting commission ;
(c) Preferential payments ;
(d) Misfeasance Summons ;
(e) Illegal associations ;
(f) Calls ;
(g) Reserve liability.

उत्तर—लाभांश-अधिपत्र (Dividend warrant)—एक लाभांश-अधिपत्र एक चैक (cheque) के रूप में होता है और इस रूप में वह परक्राम्य (negotiable) होता है। लाभांश, जो शेयरों के संबंध में नकद रूप में देय है, चैक या अधिपत्र द्वारा दिया जा सकता है, जिसे कंपनी डाक द्वारा धारक (holder) के रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजती है। ऐसा अधिपत्र उस व्यक्ति के आदेश पर देय होता है, जिसके पास वह भेजा जाता है।

यदि कोई लाभांश-अधिपत्र निर्गमित तो हुआ किन्तु किसी अंशधारी को प्राप्त नहीं हुआ बल्कि वह किसी अप्राधिकृत (unauthorized) व्यक्ति द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या किसी बैंक द्वारा भुना लिया जाता है, तो कंपनी संरक्षित (protected) नहीं है, चाहे कितने ही सद्भावनापूर्वक वह भुगतान किया गया हो, क्योंकि ऐसी अवस्था में लाभांश के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह धारा २०६ के अर्थ में प्रदत्त किया गया है।

(ख) अधोलेखन कमीशन (Underwriting Commission) :—'अधोलेखक होना' या बीमा करना (to underwrite) यह शब्द कंपनी के मामलों में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक पद है, जिसका अर्थ एक संविदा करना होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति [जिसे हामीदार या बीमाकर्त्ता (underwriter) कहते हैं] यह करार करता है (अक्सर एक कमीशन के लिये) कि यदि शेयर, डिबेन्चर, या डिबेन्चर स्टाक जो अभिदान (subscription) के लिये पेश किये जाने वाले होते हैं, या उनका कोई उल्लिखित भाग उसके लिये पेश किया जाने वाला हो, एक यथोल्लिखित समय के भीतर लोक द्वारा या लोक के किसी ऐसे वर्ग द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, जिनके लिए वे पेश किए जाते हैं, तो वह व्यक्ति स्वयं उनको ले लेगा और उस भाग के लिए प्रदान करेगा, जिसको लोक ग्रहण नहीं करता है या उसके किसी यथोल्लिखित भाग को ले लेगा। कभी-कभी यह संविदा हामीदार (underwriter) को या तो शेयरों को लेने के लिए बाध्य करता है या वैसा करने के लिए उसे किसी उत्तरदायी को ढूंढ़ कर लाने के लिये बाध्य करता है। तिसपर भी, दोनों अवस्थाओं में इसे हामीदारी या बीमाकरण संविदा (underwriting contract) कहते हैं। इसका प्रतिफल (consideration) एक कमीशन (आढ़त) का भुगतान होता है, जिसे अधोलेखन या 'हामीदारी कमीशन' कहा जाता है। बीमा करने (underwriting) का अभिलाभ यह है कि एक प्रस्तावित प्रचालन की सफलता आश्वासित (assured) हो जाती है। हानिमय या जोखिम के विरुद्ध यह स्वरूप में एक प्रकार का बीमा ही (insurance) होता है।

अधोलेखन कमीशन के भुगतान के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं :—

(१) कमीशन का भुगतान कंपनी की आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन द्वारा अवश्य प्राधिकृत होना चाहिए।

(२) कमीशन (आढ़त) जो भुगतान दिया गया है या जिसे भुगताने का करार किया गया है, शेयरों के मामले में, उस कीमत के, जिस पर वे शेयर प्रचलित किये जाते हैं या उस रकम या दर के जो आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन द्वारा प्राधिकृत है, जो भी कम हो, ५ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, और डिपेन्चरों के मामले में, उस कीमत के, जिस पर डिबेन्चर प्रचालित किए जाते है या उस रकम दर के, जो अन्तर्नियमावली द्वारा प्राधिकृत है, जो भी कम हो, २।। प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(३) उस कमीशन की रकम या दर का प्रतिशत, भुगता दिया गया है या जिसको भुगताने का करार किया गया है, उन अंशों या डिबेन्चरों के मामले में जिन्हें अभिदान के लिए लोक के समक्ष पेश किया गया है, विवरणिका में प्रकट किया जाता है।

(४) उस कमीशन की रकम या दर का प्रतिशत, जो भुगता दिया गया है या जिसको भुगताते का करार किया गया है, उन शेयरों या डिबेंचरों के मामले में, जो अभिदान के लिए लोक के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, विवरणिका के स्थान पर एक विवरण (statement) में प्रकट किया जाता है और उस अवस्था में जहाँ कि एक परिपत्र (circular) या सूचना, जो एक विवरणिका नहीं होती है, और शेयरों या डिबेन्चरों के लिए अभिदान (subscription) आमंत्रित करती है, जारी की जाती है, तो उस परिपत्र या सूचना में भी प्रकट किया जाता है।

(५) उन शेयरों या डिबेंचरों की संख्या, जिनको अभिदान करने के लिये व्यक्तियों ने निरपेक्ष रूप से (absolutely) या सापेक्ष (conditionally) सशर्त रूप से करार किया है, पूर्वोक्त (३) और (४) में की रीति में प्रकट की जानी चाहिये।

एक अधोलेखन कमीशन वही वस्तु नहीं है जो दलाली (brokerage) होती है। उन दोनों में स्पष्ट अन्तर है। एक हामीदार (underwriter) शेयरों की एक निश्चित रकम के लिए अभिदाताओं (subscribers) को पाने के लिए करार करता है और उन शेयरों के अभिदान करने में उसके विफल होने पर जिन अंशों के लिए अभिदाताओं को प्राप्त करने में वह विफल हो जाता है, वैसा करार

करता है। इसमें सन्देह नहीं है कि एक अभिदाता अपने प्रति एक हामीदारी कमीशन के भुगतान के लिये अनुबन्ध (stipulate) कर सकता है किन्तु वह उससे अधिक की माँग नहीं कर सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि वह अपने प्रति किसी दलाली के भुगतान की माँग नहीं कर सकता है। दलाली केवल एक सद्भावी (bonafide) दलाल को ही दी जा सकती है। एक दलाल शेयरों को खरीदने में विफल हो जाता है, तो कम्पनी उसके विरुद्ध केवल हर्जाना का मुकदमा चला सकती है, जबकि अधोलेखन (underwriting) का करार यथोल्लिखित रूप से अभिगोपक या अधोलेखक (underwriter) के विरुद्ध लागू होता है और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वैध प्रतिनिधियों के विरुद्ध लागू होता है। एक हामीदार संविदा को इस आधार पर खंडित कर सकता है कि विवरणिका में मिथ्या विवरण अन्तर्विष्ट है, जिसने उससे कम्पनी के साथ संविदा कराया। दलाली एक कमीशन (आढ़त) है, जो उन दलालों को दी जाती है, जो कारबार के अपने-अपने स्थान पर कंपनी विवरणिका को प्रदर्शित करते हैं और वे उनको अपने ग्राहकों (customers) के पास भेज देते हैं और उनकी मध्यस्थता (mediation) के द्वारा ग्राहकों को शेयर खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है।

(ग) अधिमानी देय (preferential payment)—तरजीही अदायगी धारा ५३० अधिमानी देय का संव्यवहार करती है। इसमें यह दिया हुआ है कि समापन की अवस्था में अन्य सभी ऋणों के पहले :—

(१) सभी राजस्व (मालगुजारी) कर, उपकर (cesses) और स्थानीय कर (rates) जो कम्पनी द्वारा केन्द्रीय या राज्य सरकार को देय हैं या उसी से संबंधित दिनांक पर किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय हैं,

(२) सभी मजूरियाँ (wages) या वेतन [उन मजूरियों को मिलाकर जो सामयिक या खण्ड-कार्य (piece work) के लिये देय हैं] और किसी कर्मचारी द्वारा कम्पनी की, की गयी सेवाओं के सम्बन्ध में कमीशन के रूप में पूर्णतः या भागतः अर्जित किया गया वेतन, जो संबंधित दिनांक के तुरन्त पूर्व १२ महीनों के अन्तर्गत ४ महीनों की अवधि से अधिक समय के लिए देय है, और कोई प्रतिकर जो Industrial Disputes Act के अधीन किसी कर्मकार (workman) को देय है और जो प्रत्येक दावेदार नियोजित (claimant employee) के लिए १,०००) रु० से अधिक नहीं होता है,

जहाँ कि दावेदार कृषि-कर्म (husbandry) में एक मजदूर है, जिसने अपनी मजदूरी के एक भाग के, किराये पर लेने के वर्ष के अन्त में, एक मुश्त (lump-

sum) में भुगतान करने के लिये कोई संविदा किया है, वहाँ उसको उस पूरी रकम के या उसके एक भाग के संबंध में प्राथमिकता (priority) मिलेगी जैसा कि न्यायलय उस संविदा के अधीन संबंधित दिनांक तक की सेवा के समय के अनुपात में देय होने (due) का फैसला करे;

(३) जमा हुई छुट्टी के सभी पारिश्रमिक जो किसी कर्मचारी को देय होते हैं या उसकी मृत्यु की अवस्था में उसके अधिकार वाले किसी व्यक्ति को आदेश या संकल्प द्वारा समापन के पहले नियोजन (employment) के खत्म होने पर देय होते हैं;

(४) जब तक कि कम्पनी केवल पुनर्निर्माण के प्रयोजनों से या किसी अन्य कम्पनी के साथ समामेलन (amalgamation) के प्रयोजनों से स्वेच्छा से समापित नहीं होती है, तो वे सभी रकमें जो एक नियोजक की हैसियत से कम्पनी द्वारा संबंधित दिनांक के (निकटतम पूर्व next before) १२ महीनों तक के देय अंशदानों के सम्बन्ध में Employees' State Insurance Act, 1948 के या किसी अन्य बिधि के अधीन देय है;

(५) जब तक कि कम्पनी केवल पुनर्निर्माण के प्रयोजनों के लिये या किसी अन्य कम्पनी के साथ समामेलन के प्रयोजनों के लिए स्वेच्छा से समापित नहीं होती है, या जब तक कि कम्पनी, समापन के प्रारम्भ होने पर बीमाकर्त्ताओं के साथ किए गए ऐसी संविदा के अधीन जैसा कि Workmen's Compensation Act, 1923 में वर्णित गया है, कर्मकारों को हस्तान्तरित होने योग्य या उनमें निहित होने योग्य अधिकार नहीं रखती है तो वे सभी रकमें जो किसी मुआवजा, या मुआवजा के लिये जिम्मेदारी के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन कंपनी के किसी कर्मचारी की मृत्यु या निर्योग्यता (disablement) के विषय में देय है;

(६) वे सभी रकमें, जो किसी कर्मचारी को भविष्य-निधि (Providend fund) से या पेंशन फण्ड से आनुतोषिक निधि से (Gratuity Fund) या किसी अन्य निधि से, जो कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिये पोषित की गई है, देय है;

(७) निरीक्षकों द्वारा धारा २३५, या २३७ के अधीन कम्पनी के कार्यों की जाँच के खर्चे, जहाँ तक वे कम्पनी द्वारा देय हैं;

दिये जायेंगे।

उपर्युक्त सभी ऋण आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे और पूर्णरूप से भुगताये

जायेंगे यदि चल संपत्तियाँ उनको पूरा करने में अपर्याप्त हैं, तो उस अवस्था में उनका बराबर अनुपातों में उपशमन हो जायेगा। यदि कम्पनी की चल-संपत्तियाँ जो सामान्य ऋणदाताओं की भुगतान के लिये प्राप्य हैं, उनकी पूर्ति करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं, तो उपर्युक्त ऋण, कम्पनी द्वारा सृष्ट किये गये किसी चलभार (floating charge) के अधीन डिबेन्चर होल्डरों के दावों के ऊपर प्राथमिकता रखेंगे और तदनुसार किसी संपत्ति में से उनका भुगतान किया जायेगा, जो संपत्ति उस भार में या तो समाविष्ट है या उसके अधीन है।

(घ) अपकरण सम्मन (Misfeasance Summons)—एक अपकरण सम्मन प्रक्रिया का उचित ढंग है, जहाँ—

(१) शेयर या डिबेन्चर निदेशकों को बट्टे पर या अधोमूल्य (undervalue) पर प्रचलित कर दिये गये हैं; या

(२) डाइरेक्टरों ने पूँजियों में से अनुचित रीति से लाभांशों का भुगतान कर दिया है; या

(३) उन्होंने जनबूझ कर शिशुओं को शेयरों को बाँट दिया है,

(४) उन्होंने अनुचित रीत से डाइरेक्टरों के शुल्क को प्राप्त किया है; या

(५) उन्होंने सामान्यतः शक्ति से परे काम किया है।

किन्तु जहाँ अपकरण एक ऐसा कार्य है, जो न तो शक्ति से परे है और न बेईमानी से किया गया है, वहाँ डाइरेक्टर तब तक जिम्मेदार नहीं है, जब तक कि यह नहीं प्रदर्शित किया जाता है कि उन्होंने वास्तव में अपने निर्णय का प्रयोग नहीं किया था। यदि वे अपनी शक्तियों के अन्तर्गत ऐसी सावधानी से काम करते हैं, जैसी कि युक्तियुक्त रूप से (reasonably) उनसे आशा की जा सकती है, तो वे जिम्मेदार नहीं होंगे। जहाँ, तिस पर भी, कार्य शक्ति से परे है, वहाँ डाइरेक्टर, यद्यपि उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, उन धनों को उसके स्थान पर रखने के लिए जिम्मेदार होंगे, जिनका दुरुपयोग किया गया है, यदि उन्होंने उचित जाँच के पश्चात् कार्य न किया हो और सम्यक् सावधानी न बरती हो; उस अवस्था में वे पूँजी में से लाभांशों का भुगतान करने के लिए, या अनुचित रीति से कम्पनी के धन को लगाने या उसका भुगतान करने के लिये, या जहाँ उन्होंने अनुचित रीति से कमीशन (आढ़त) प्राप्त किया है, या जहाँ डाइरेक्टरों को फायदा पहुँचाने वाला कार्य कपटपूर्ण प्रेफेरेन्स है, वहाँ जिम्मेदार नहीं होंगे।

अपकरण-सम्मन पत्र-परिसमापक, ऋणदाता या किसी अंशदायी के आवेदन पर निकाले जाते हैं जिसमें यह निवेदन किया जाता है कि न्यायालय उस भूतपूर्व या

वर्तमान डाइरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट सचिव तथा कोषाध्यक्ष के आचरण की जाँच करे या कम्पनी के किसी अन्य अफसर के आचरण की जाँच करे, जिसके विषय में यह जान पड़ता है कि उसने समवाय के धन का दुरुपयोग किया है या उसके धन के प्रति उत्तरदायी हो गया है, या वह अपकरण का दोषी जान पड़ता है या कम्पनी के संबंध में न्यास-भंग (breach of trust) का दोषी जान पड़ता है।

(e) अवैध संस्थायें (Illegal Associations)—धारा ११ यह नियम बनाती है कि कोई भी कम्पनी, संस्था या साझेदारी जिनमें १० से अधिक व्यक्ति हैं, महाजनी व्यापार (banking business) की अवस्था में और जिसमें २० से अधिक व्यक्ति हैं, किसी अन्य व्यापार की अवस्था में, जिसका उद्देश्य लाभार्जन करना है, वैध रूप में निर्मित नहीं हो सकती है जब तक कि वह एक कम्पनी के रूप में भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाती है या किसी अन्य भारतीय विधि के अनुसरण में निर्मित नहीं की जाती है। इसी प्रकार साझेदारियाँ (partnerships) भी, जिनमें व्यक्तियों की उपर्युक्त संख्या से अधिक व्यक्ति सम्मलित हैं, यदि उस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तो अवैध संस्था होगी, और उनके साथ उनके परिणामी जोखिम और निर्योग्तायें (disabilities) होंगी।

उपर्युक्त नियम कोई व्यापार चलाने वाले किसी संयुक्त परिवार पर लागू नहीं होते हैं। इस गणना के प्रयोजन से कि क्या किसी साझेदारी (पार्टनरशिप) में २० व्यक्ति से अधिक व्यक्ति हैं एक संयुक्त परिवार, जिसका प्रतिनिधित्व उसके प्रबंधक सदस्य द्वारा किया जाता है, एक इकाई माना जायेगा और धारा ११ के अर्थ में वह एक व्यक्ति समझा जायेगा; उस परिवार के प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य की पृथक्-पृथक् गणना करना आवश्यक नहीं है।

एक अवैध संस्था अपने द्वारा किये गये किस संविदा पर मुकदमा नहीं चला सकती और उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से उस संविदा के लिये जिम्मेंदार होंगे यदि मुकदमा करने वाला व्यक्ति संविदा करते समय अवैधता (illegality) की जानकरी न रखता रहा हो।

(च) अभियाचना (Call)—'अभियाचना' की परिभाषा एक माँग के रूप में की जा सकती है, जिससे समवाय अंशधारियों से, उस पूरी शेष रकम का या उसके एक भाग का, जो प्रत्येक शेयर पर अप्रदत्त (unpaid) रही है कम्पनी के व्यापार के चालू रहने में किसी भी समय, भुगतान करने के लिये, करती है। एक अभियाचना परिसमापक द्वारा भी किसी कम्पनी के समापन के क्रम में की जा सकती है।

वह सामान्य रीति, जिसमें एक अभियाचना की जाती है, यह है कि एक संकल्प, जिसमें अभियाचना की रकम, वह समय जब, वह स्थान, जहाँ इसे प्रदत्त करना है, और वह व्यक्ति, जिसको इसे प्रदत्त करना है उल्लिखित रहता है, एक अधिवेशन में बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स द्वारा पारित किया जाता है, जहाँ पर उचित गणपूर्ति (quorum) विद्यमान रहती है। कोई भी अभियाचना शेयर के अभिहित मूल्य के एक चौथाई-भाग से अधिक नहीं होना चाहिये या अन्तिम पूर्ववर्ती अभियाचना के भुगतान के लिये नियत किये गये दिन से १ महीने से कम समय पर देय नहीं होना चाहिये। एक अभियाचना (call) बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स के विवेक पर विखण्डित (revoked) या स्थगित (postpone) की जा सकती है।

धारा ६१ यह नियम बनाती है कि जहाँ अतिरिक्त शेयर पूंजी के लिये कोई अभियाचनायें शेयरों पर की जाती है, वहाँ ऐसी अभियाचनायें एकरूपता के आधार पर की जानी चाहिये और उन सभी शेयरों पर की जानी चाहिये, जो एक ही वर्ग के अन्तर्गत आते हैं; एक ही अभिहित मूल्य के शेयरों की बाबत, जिन पर विभिन्न रकमें प्रदत्त की गई हैं, यह नहीं समझा जायेगा कि वे एक ही वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

एक सीमित कम्पनी की अवस्था में उन अभियाचनाओं की अधिकतम रकम, जो प्रत्येक शेयर होल्डर पर की जा सकती हैं, उस पूंजी की रकम से अधिक नहीं हो सकती, जो उस शेयर होल्डर द्वारा धारण किये गये शेयरों पर अप्रदत्त है। कोई भी शेयर होल्डर अपने द्वारा अभिदत्त (subscribed) शेयरों के विषय में कुछ भी देने के लिये तब तक जिम्मेदार नहीं है, जब तक कि अभियाचनायें उस पर सम्यक् प्रकार से नहीं की जाती हैं। एक शेयर के संयुक्तधारी उसके सम्बन्ध में सभी अभियाचनाओं का भुगतान करने के लिये संयुक्ततः तथा पृथकतः जिम्मेदार होते हैं (अनुसूची १ की सारणी 'अ' का विनियम १५)। निम्नलिखित वर्गों के व्यक्ति अभियाचनाओं का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार होते हैं :—

(१) मेमोरेण्डम के अभिदाता (subscribers) जिनके नाम रजिस्टरों में लिख दिये गये हैं;

(२) शेयर होल्डर, यदि उन्होंने शेयरों को अस्वीकार न किया हो, और

(३) अभिदाताओं या शेयर होल्डरों के प्रतिनिधि।

(छ) रक्षित जिम्मेदारी (Reserved liability)—कोई भी असीमित कम्पनी, जिसके पास शेयरपूंजी है, रजिस्ट्रीकरण के लिये अपने एक संकल्प द्वारा एक सीमित कम्पनी के रूप में—

(१) अपने शेयरों में से प्रत्येक शेयरों की अभिहित पूँजी को बढ़ाकर अपनी शेयर पूँजी की अभिहित रकम को बढ़ा सकती है, और

(२) यह नियम बना सकती है कि इसकी अनभियाचित (uncalled) शेयर पूँजी का कोई यथोल्लिखित भाग, उस कम्पनी के समापन की अवस्था में के सिवाय और समापन के प्रयोजनों के सिवाय, अभियाचित होने योग्य नहीं होगी (धारा ९८)।

एक सीमित कम्पनी, विशेष संकल्प के द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि इसकी शेयरपूँजी का कोई भाग जो पहले कभी अभियाचित नहीं हुआ हो, अभियाचित (called up) नहीं होगा और रक्षित किया जायेगा किन्तु उस कम्पनी के समापन की अवस्था में के तथा समापन के प्रयोजनों के सिवाय ऐसा होगा। ऐसी पूंजी को रक्षित पूँजी (reserved capital) कहते हैं (धारा ९९)। एक बार जब पूंजी का कोई भाग रक्षित कर दिया गया है तो वह भाग निदेशकों के नियन्त्रण के अधीन नहीं रह जाता है और तब वह उनके द्वारा पूर्वोक्त अवस्था में के सिवाय, प्रयुक्त तथा निपटाया जा सकता है।

प्रश्न ३८—(क) चल-भार क्या है ? इसका स्थित भार से अन्तर बताइये।

(ख) चल भार का क्या प्रभाव होता है ?

(a) What is a floating charge ? Distinguish it from a fixed charge ?

(b) What is the effect of the floating charge ?

उत्तर—चलभार (Floating Charge)—डिबेन्चरों का सृजन एक प्रतिज्ञा द्वारा किया जा सकता है, जो प्रतिज्ञा एक भार द्वारा प्रतिभूत (secured) की गई रहती है। जहाँ कि कोई भार सृष्ट किया जाता है, वहाँ वह या तो स्थिर (fixed) होता है, या चल (floating) होता है। जहाँ कि वह भार स्थिर है, वहाँ वह एक साधारण बन्धक की तरह होता है और वह कम्पनी, उस भार के अधीन रहते हुये, एक साधारण बन्धनकर्ता (mortgagor) की तरह उस संपत्ति का संव्यवहार कर सकती है। धारा १२४ के अधीन भार में बन्धक भी सम्मिलित है।

चलभार की निम्नलिखित विशेषतायें होती हैं—

(१) एक चलभार कम्पनी की वर्तमान और भावी चलसंपत्तियों के एक वर्ग पर एक भार (charge) होता है। उस प्रकार से भारित चल संपत्तियों का वर्ग

वह वर्ग होता है, जो व्यापार के सामान्य क्रम में समय-समय पर बदलता रहता है [Illingworth v. Houldsworth (1904) A. C. 355]

(२) यह सामान्य रूप से विचारित किया जाता है कि कम्पनी आस्तियों के उस वर्ग के साथ साधारण रीति से अपने कारबार को तब तक चला सकती है जब तक कोई ऐसी अवस्था नहीं आ जाती जिसमें उस समय वर्तमान सम्पत्ति में भार सन्निविष्ट कर दिया जाता है (Maheshwari Bros. v. Liquidators, Indian Sugar Mills 1942; All. 242)। वह घटना या अवस्था, जिसका यहाँ विचार किया गया है। उन घटनाओं में से कोई एक घटना होती है जो डिबेन्चरों या भार वर्णित की गई है, जिनके घटित होने पर, वह धन, जो प्रतिभूत (secured) है, तुरन्त देय हो जाता है। इस घटना का केवल घटित होना पर्याप्त नहीं है किन्तु भार या डिबेन्चरों को धारण करने वाले के लिये यह आवश्यक है कि वह ऐसी घटना के घटित होने पर अपनी जमानत को उगाहने (realise) अर्थात् अपनी प्रतिभूति को प्रभावित बनाने के लिये किसी रिसीवर की नियुक्ति प्राप्त करने के विचार से ऐसा उपाय करे। केवल तभी यह भार स्फुट होता है या एक स्थिर भार होता है।

चलभार का यह तत्व है कि यह तब तक निष्क्रिय (dormant) रहता है जब तक कि उपक्रम-भार (undertaking charge) चल व्यापार नहीं होता है या जब तक कि वह व्यक्ति जिसके पक्ष में भार सृष्ट किया जाता है, हस्तक्षेप नहीं करता है (A. I. R. 1934 Alld. 161)। यह प्रश्न कि कोई विशिष्ट भार एक चल भार है या नहीं है, उन शब्दों की रचना पर निर्भर करता है, जो भार का सृजन करने वाले दस्तावेज में प्रयुक्त किये गये हैं,

कम्पनी के उपक्रम पर के भार को (charge on undertaking) एक अच्छा चलभार माना गया है।

(३) चलभार के मामले में कम्पनी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कारबार के सामान्य क्रम में जब तक वह एक चालू संस्था रहती है, तब तक संपत्ति का व्यवहार कर सकती है।

(४) चलभार यथोल्लिखित रूप से (specifically) किसी विशिष्ट चल संपत्तियों को तब तक प्रभावित नहीं करता है, जब तक उस व्यक्ति द्वारा, जिसके पक्ष में यह सृष्ट किया जाता है, जमानत को लागू करने के लिये उपाय नहीं किये जाते हैं।

(५) कम्पनी का उस संपत्ति का संव्यवहार करने का अधिकार, जो संपत्ति किसी चलभार के अधीन है, तब तक कायम रहता है जब तक वह उक्त भार स्फुटित

या स्थिर (fixed) नहीं हो जाता है। [देखिये In re Automatic Bottle Makers, Ltd. (1926) Ch. 412)]

एक चलभार उस समय स्फुटित होता है जब—

(अ) कोई रिसीवर नियुक्त कर दिया जाता है, या

(ब) समापन होता है, या

(स) कंपनी व्यापार बन्द कर देती है।

(द) समापन की कार्यवाहियों में प्रेफेरेन्स्यल भुगतान के सिवाय; चलभार कम्पनी की सभी सामान्य जिम्मेदारियों पर प्राथमिकता (priortiy) रखता है।

चलभार तथा स्थिरभार में अन्तर—एक यथोल्लिखित भार वह भार है, जो किसी अभिनिश्चित और निश्चित संपत्ति से बँधा हुआ रहता है। एक चलभार या चल जमानत द्रवित होती है और उस सम्पत्ति के साथ जिसको यह प्रभावित करने का आशय रखती है, तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई ऐसी घटना नहीं घटित होती है या कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता है, जो अपनी पहुँच या वर्ग के अन्तर्गत उसे भार के विषय में सन्निविष्ट करती है या बँधवाती है।

जब भार स्थिर होता है, तो यह संपत्ति के प्रति हक को प्रभावित करता है और कंपनी केवल भार के अधीन ही संपत्ति का संव्यवहार कर सकती है। किन्तु जब भार चल होता है, तो कम्पनी, व्यापार से सामान्य क्रम में भारयुक्त संपत्ति का संव्यवहार कर सकती है, बन्धक कर सकती है, विक्रय कर सकती है, निपटारा कर सकती है तथा जैसी व्यापार में अपेक्षा हो, वैसा उपयोग कर सकती है—ऐसा वह भार-युक्त होने के पहले कभी भी कर सकती है।

एक चलभार भावी जमातन से भिन्न होता है। एक चलभार भावी जमानत नहीं होता है बल्कि एक वर्तमान जमानत होता है। यह कम्पनी की उन सभी चल-संपत्तियों को तुरन्त प्रभावित करता है, जो उसमें सम्मिलित होने के लिये अभिव्यक्त की जाती हैं। दूसरी ओर यह एक यथोल्लिखित जमानत (specific securtiy) भी नहीं होती है। धारक दृढ़ता से यह नहीं कह सकता है कि चल सम्पत्तियाँ यथोल्लिखित रूप से उसके यहाँ बंधक की गई थीं। चल सम्पत्तियाँ इस रीति से बन्धक की जाती हैं, कि बंधककर्ता बिना बंधकी की सहमति के उनका संव्यवहार कर सकता है। एक चल जमानत चल संपत्तियों की एक यथोल्लिखित (specific) बंधक तथा बंधक-कर्त्ता को व्यापार के क्रम में उसका निपटारा करने का लाइसेन्स नहीं है।

(b) चल भार का प्रभाव— जहाँ कि कोई कम्पनी समापित हो रही हो, वहाँ कम्पनी के उपक्रम (undertaking) या संपत्ति पर का भार जो समापन के प्रारम्भ होने के तुरन्त पहले १२ महीनों के भीतर सृष्ट किये गये हैं, जब तक यह सिद्ध न हो कि वह कम्पनी उस भार के सृष्ट होने के तुरन्त पश्चात् दिवालिया थी, तब तक अमान्य होगा; लेकिन किसी नकद रकम को छोड़कर जो भार के सृजन के समय या उसके पहले और उसके प्रतिफल के रूप में कम्पनी को प्रदत्त की गई है और उसके साथ उस रकम पर ५ प्रतिशत वार्षिक की दर से या किसी अन्य दर से, जैसा कि इस निमित्त राजकीय गजट में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है, ब्याज भी सम्मिलित रहता है।

उस भार के सम्बन्ध में जो पहली अप्रैल १९५६ के ३ महीने से अधिक समय पहले सृष्ट किया गया है, १२ महीनों के निर्देश के स्थान में ३ महीनों के निर्देश (reference) रखे जायेंगे। (धारा ५३४)

कम्पनियों का रजिस्ट्रीकरण

प्रश्न ३९—कम्पनी के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में बतलाइये।

Describe briefly the procedure for registration of a company.

उत्तर—कम्पनी के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया—कोई सात या सात से अधिक व्यक्ति, या जहां निर्मित होने वाली कम्पनी कोई प्राइवेट कम्पनी है, वहाँ कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति, किसी विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए सम्बद्ध होकर, संस्था के मेमोरेण्डम में अपने नामों का हस्ताक्षर करके, तथा रजिस्ट्रीकरण के विषय में कंपनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित तत्त्वों (requirements) का अनुपालन करके, सीमित जिम्मेदारी के साथ या उसके बिना एक निगमित कम्पनी का निर्माण कर सकते हैं। इसके पहले कि कोई कम्पनी रजिस्ट्रीकृत हो निम्नलिखित दस्तावेजों को उस राज्य के रजिस्ट्रार के सामने पेश करना चाहिये, जिसके अन्तर्गत उस कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित होने वाला हो :—

मेमोरेन्डम आव एसोसिएशन तथा आर्टिकिल्स आव एसोसिएशन—जो एक प्राइवेट कम्पनी की अवस्था में दो अभिदाताओं द्वारा और किसी अन्य कम्पनी की अवस्था में, कम से कम सात अभिदाताओं द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हो। अभिदाताओं को अपने नाम, वर्णन और पते तथा धन्धों का कम से कम एक गवाह की

-उपस्थिति में अवश्य उल्लेख करना चाहिये, जो हस्ताक्षर को अभिप्रमाणित करने वाला हो। एक अभिदाता का हस्ताक्षर किसी दूसरे अभिदाता द्वारा अभिप्रमाणित नहीं किया जाना चाहिये।

(२) वह करार, यदि कोई हो, जिसको उस कम्पनी ने, किसी व्यक्ति के साथ, किसी फर्म या कार्पोरेट बाडी के साथ, उसके मैनेजिंग एजेण्ट के रूप में नियुक्त होने के लिये, अथवा किसी फर्म या कार्पोरेट बाडी के साथ उसके सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिये, किया हो।

(३) कम्पनी अधिनियम की धारा ३८ (२) के अधीन, उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के किसी अधिवक्ता (advocate) द्वारा, या किसी अटार्नी या अभिवक्ता (pleader) द्वारा जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का हक प्राप्त है, या शासपत्रित लेखापाल (chartered accountant) द्वारा, जो भारत में व्यवसाय कर रहा हो, और उस कम्पनी के निर्माण-कार्य में लगा रहा हो, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम आर्टिकिल्स में, एक डाइरेक्टर, मैनेजिंग एजेण्ट, सचिव एवं कोषाध्यक्ष, मैनेजर या कम्पनी के सचिव के रूप में लिखा गया हो, की गई इस प्रभाव की सांविधिक घोषणा (statutory declaration) कि भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ की सभी अपेक्षाओं तथा उसके अधीन बनाये गये सभी नियमों का, रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में, अनुपालन किया गया है।

(४) धारा २६६ के अधीन एक डाइरेक्टर के रूप में कार्य करने की डाइरेक्टर की संमति।

(५) यदि डाइरेक्टरों ने योग्यता-शेयरों (qualification shares) की संख्या के कारण मेमोरेण्डम पर वास्तव में हस्ताक्षर नहीं किया है, तो धारा ३२६ के अधीन योग्यता-शेयरों को लेने का करार (agreement) भी पेश करना चाहिये।

उपर्युक्त पत्रों के साथ रजिस्ट्रीकरण शुल्क की रकम को दिखाने वाला प्रमाण (अर्थात् राजकोष चालान) भी पेश करना चाहिये।

यदि रजिस्ट्रार इस बात से सन्तुष्ट है कि कम्पनी द्वारा पूर्वोक्त सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है और अधिनियम के अधीन इसको रजिस्ट्रीकृत होने का अधिकार प्राप्त है, तो वह उस मेमोरेण्डम का, आर्टिकिल्स का, यदि कोई है, और उपर्युक्त (२) में निर्दिष्ट करार को कायम रखेगा और रजिस्ट्रीकरण करेगा। रजिस्ट्रीकरण हो जाने पर रजिस्ट्रार कम्पनी के कार्पोरेट होने का एक प्रमाण-पत्र देगा,

और एक सीमित कम्पनी की अवस्था में, यह प्रमाण-पत्र देगा कि वह कम्पनी सीमित है। इन्कार्पोरेशन के दिनांक से, जो इन्कार्पोरेशन के प्रमाण-पत्र से वर्णित है, अभिदातागण तथा अन्य व्यक्ति, जो बाद में सदस्य बनते हैं, एक कार्पोरेट बाडी का निर्माण करते हैं, जिसका नाम मेमोरेण्डम में शामिल रहता है; वह कार्पोरेट बाडी शाश्वत उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मुद्रा (common seal) रखती है (धारा ३४)। ऐसी इन्कार्पोरेटेड बाडी अपने कार्पोरेट नाम से मुकदमा कर सकती है और इसके विरुद्ध मुकदमा किया जा सकता है।

कम्पनी अधिनियम की धारा ३६ यह नियम बनाती है कि अधिनियम के नियमों के अधीन रहते हुए, मेमोरेडम और आर्टिकिल्स, रजिस्ट्रीकृत होने पर कम्पनी तथा उसके सदस्यों को उस मात्रा तक बाध्य करेंगे, कि मानो वे क्रमश: कम्पनी द्वारा तथा उसके प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किये गये हों और कम्पनी द्वारा तथा उसके प्रत्येक सदस्य की ओर से यह प्रसंविदा (covenant) शामिल करते हों कि वे मेमोरेण्डम और आर्टिकिल्स के नियमों का पालन करेंगे।

प्रश्न ४०—कम्पनी के अनरजिस्ट्रीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिये।

State the effect of non-registration as company.

उत्तर—रजिस्ट्रीकरण न होने का प्रभाव (effect of non-registration of a company) :—किसी संस्था या पार्टनरशिप का एक कम्पनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत न होने का प्रभाव, चाहें उसके सदस्य बैंक व्यापार चलाने लिए १० से अधिक हों या किसी अन्य व्यापार को चलाने के लिए २० से भी अधिक हों यह होता है कि ऐसी संस्था कोई वैध सत्ता नहीं रखती है और इसके सदस्य संपत्ति को केवल फायदा उठाने वाले स्वामी की हैसियत से ही धारण कर सकते हैं [Queen v. Tankard (1894) I. Q. B. 543]।

इसका आवश्यक परिणाम यह है कि इसका कोई सदस्य इससे संबन्धित किसी विषय के संबन्ध में किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकता और न कोई सदस्य वर्तमान आस्तियों के बँटवारे के लिये अन्य व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चला सकता है। किसी अवैध संस्था को उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए उधार दिया हुआ धन वसूल नहीं किया जा सकता। (Philips v. Davies 5 L. T. R. 98)। संक्षेप में, ऐसी संस्था कानून की दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं रखती है।

III कम्पनी के अधिवेशन

(Meeting of Company)

प्रश्न ४१—कम्पनी से संबंधित विभिन्न प्रकार के अधिवेशनों का वर्णन कीजिये।

What are the different kinds of meetings connected with the company ? Explain them.

शेयरहोल्डरों के अधिवेशन तीन प्रकार के होते हैं, जो नीचे दिये जाते हैं :—

(१) सांविधिक अधिवेशन (Statutory Meetings);

(२) वार्षिक सामान्य अधिवेशन (Annual General Meeting);

(३) असाधारण अधिवेशन (Extra-ordinary Meeting)।

(१) सांविधिक अधिवेशन—शेयरपूँजी रखने वाली प्रत्येक कम्पनी, चाहे वह शेयरों द्वारा सीमित हो या गारण्टी द्वारा सीमित हो, ऐसी अवधि के भीतर जो उस तारीख से १ महीने से कम न हो, जिस पर कम्पनी अपना व्यापार प्रारंभ करने की हकदार हुई है और छः महीने से अधिक न हो, कम्पनी के सदस्यों की एक सामान्य अधिवेशन करेगी, जिसे "सांविधिक अधिवेशन" (Statutory Meeting) कहते हैं। (धारा १६५)।

बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स उस दिन से कम से कम २१ दिन पहले, जिस दिन वह अधिवेशन किया जाता है, कम्पनी के प्रत्येक सदस्य के पास एक प्रतिवेदन (report) भेजेगा, जिसको "सांविधिक प्रतिवेदन" कहते हैं; अर्थात् सांविधिक अधिवेशन होने के पहले २१ दिन की स्पष्ट सूचना देना आवश्यक है।

पामर के शब्दों में सांविधिक अधिवेशन का उद्देश्य यह है कि जल्द से जल्द नई कम्पनी के महत्वपूर्ण तथ्यों को शेयरहोल्डरों के कब्जे में कर दिया जाय अर्थात् इन तथ्यों को कि—कौन से शेयर ले लिये गये हैं, कितना धन प्राप्त कर लिया गया है; कौन संविदा किए गए हैं, और कितनी रकम प्रारंभिक खर्चों पर लगाई गई है।

कम्पनी के सदस्य जो ऐसे अधिवेशन पर उपस्थित हों, कम्पनी के निर्माण के संबंध में या सांविधिक प्रतिवेदन (statutory report) से उत्पन्न होने वाले किसी विषय पर बहस करने के लिए स्वतन्त्र होंगे चाहे पूर्व सूचना उन्हें दी गयी हो या न दी गई हो। लेकिन कोई ऐसा संकल्प पारित नहीं किया जा सकता, जिसकी सूचना कम्पनी अधिनियम १९५६ के नियमों के अनुसार नहीं दी गयी हो। अधिवेशन समय-

समय पर स्थगित (adjourn) किया जा सकता है और प्रत्येक स्थगित अधिवेशन पर कोई भी संकल्प (resolution), जिसकी सम्यक् सूचना अधिवेशन के पहले या बाद में दी गई है, पारित किया जा सकता है। एक स्थगित सांविधिक अधिवेशन को उतनी ही शक्ति मिली है, जितनी कि प्रारंभिक अधिवेशन (original meeting) को मिली है।

वार्षिक सामान्य अधिवेशन (Annual General Meeting)—प्रत्येक कम्पनी प्रतिवर्ष दूसरे अधिवेशनों के सिवाय, एक सामान्य अधिवेशन करेगी, जिसे वार्षिक सामान्य अधिवेशन कहेंगे और उन सूचनाओं में जिनके द्वारा यह अधिवेशन बुलाया जाता है, इसका उल्लेख रहेगा, और कम्पनी के एक अधिवेशन की तारीख और दूसरे होने वाले अधिवेशन की तारीख के बीच में १५ महीने से अधिक अवधि नहीं व्यतीत होनी चाहिए।

एक कंपनी अपने इन्कार्पोरेशन की तारीख से ऐसी अवधि के भीतर जो १८ महीने से अधिक न हो, अपना पहला वार्षिक अधिवेशन कर सकती है और यदि ऐसा सामान्य अधिवेशन उस अवधि (मियाद) के भीतर किया जाता है तो कंपनी के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अपने इन्कार्पोरेशन होने के वर्ष में या उसके बाद में या उसके बाद आने वाले वर्ष में कोई सामान्य अधिवेशन करे। रजिस्ट्रार, विशेष कारण से, अधिवेशन करने की मियाद बढ़ा सकता है, जिसमें सामान्य अधिवेशन किया जा सकेगा।

लेकिन यह मियाद पहले सामान्य अधिवेशन में नहीं बढ़ाई जायगी और ३ महीने से अधिक मियाद बढ़ाई भी नहीं जा सकती है।

प्रत्येक सामान्य अधिवेशन कार्य के समय में ही बुलाया जा सकता है और वह किसी ऐसे दिन बुलाया जा सकता है, जो सार्वजनिक छुट्टी (public holiday) का दिन न हो और वह अधिवेशन कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या उस शहर, नगर, या गाँव में, जिसमें उस कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित हो, बुलाया जा सकता है। (धारा १६६)। केन्द्रीय सरकार को भी यह शक्ति दी गयी है कि वह कुछ परिस्थितियों के अधीन वार्षिक सामान्य अधिवेशन बुला सकती है। (धारा १६७)

वार्षिक सामान्य अधिवेशन में सदस्य-गण कम्पनी की व्यवस्था तथा मामलों के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हैं। कम्पनी की लेखाओं को ग्रहण किया जाता है और लाभांशों को घोषित किया जाता है। शेयर होल्डरों को प्रतिवेदन (report) की आलोचना करने की तथा और भी जानकारी की माँग करने की छूट प्राप्त है।

(३) असाधारण सामान्य अधिवेशन (Extraordinary General Meeting)—वार्षिक सामान्य अधिवेशनों को छोड़कर अन्य सभी सामान्य अधि-वेशनों को 'असाधारण सामान्य अधिवेशन' कहते हैं और इन अधिवेशनों में केवल उसी कार्य का सम्पादन किया जायेगा जो, अधिवेशन बुलाने वाली सूचना में उल्लिखित (specify) किया गया है। ये अधिवेशन या तो डाइरेक्टरों द्वारा आर्टिकिल्स के अनु-सार बुलाये जा सकते हैं या स्वयं सदस्यों द्वारा बुलाये जा सकते हैं। जब आर्टिकिल्स में ऐसे अधिवेशनों के लिये नियम न हों तो कम्पनी का बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स, कम्पनी के सदस्यों की निम्नलिखित संख्या की माँग पर, तुरन्त उचित रूप से किसी विषय के सम्बन्ध में असाधारण सामान्य अधिवेशन बुला सकता है—

(क) ऐसी कम्पनी के मामले में जिसके पास शेयर पूँजी है, उतने सदस्य, जो माँग के जमा करने की तारीख पर, उस कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूँजी के उस हिस्से को धारण करते हैं, जो उस पूँजी के दसवें हिस्से से कम नहीं है और जो उस तारीख पर उस विषय के सम्बन्ध में मतदान करने का हकदार बनाता है।

(ख) उस कम्पनी के मामले में, जिसके पास पास शेयर पूँजी नहीं है, उतने सदस्य, जो माँग जमा होने की तारीख पर उन सभी सदस्यों की मतदान करने की कुल शक्ति से ऐसे हिस्से को धारण करते हैं, जो उनके दसवें १।१० हिस्से से कम नहीं है और जो सदस्य उक्त तारीख पर उस विषय के संबन्ध में मतदान करने का अधिकार रखते हैं।

उस माँग में वे विषय दिये जायेंगे, जिनके विचार के लिये वह अधिवेशन बुलाया जाता है, उस माँग पर माँग करने वाले हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद वह माँग कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में जमा कर दी जाएगी। माँग में एक ही तरफ के कई दस्तावेज रहेंगे जिनमें से प्रत्येक दस्तावेज एक या अनेक माँग करने वाले व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित (signed) होगा।

यदि मन्डल (Board) उस तारीख से २१ दिनों के भीतर, जिस तारीख पर किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में कोई मान्य माँग जमा की जाती है, उन विषयों पर विचार करने के लिये एक अधिवेशन उचित रूप से किसी ऐसे दिन पर नहीं बुलाता है, जो दिन उस माँग के करने की तारीख से ४५ दिन बाद नहीं पड़ता है, तो वह अधिवेशन (अ) खुद माँग करने वाले व्यक्तियों द्वारा बुलाया जा सकता है;

(ब) उस कम्पनी के मामले में, जिसके पास शेयर पूँजी है, उन माँग करने

वाले व्यक्तियों द्वारा बुलाया जा सकता है, जो उन सभी सदस्यों द्वारा धारण की जाने वाली प्रदत्त शेयर पूँजी के अधिकांश (majority) मूल्य को धारण करने वाले सदस्यों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, या कम्पनी को प्रदत्त शेयर पूँजी के ऐसे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उसके दसवें हिस्से से कम नहीं है और जो माँग जमा होने की तारीख पर उस विषय के सम्बन्ध में मतदान करने का हकदार बनाता है, जो कोई भी कम हो; या

(स) उस कम्पनी के मामले में, जिसके पास पूँजी नहीं है, वह अधिवेशन ऐसे माँग करने वाले व्यक्तियों द्वारा बुलाया जा सकता है, जो माँग जमा करने की तारीख पर, उस कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूँजी के उस हिस्से को धारण करते हैं, जो उस पूँजी के दसवें हिस्से से कम नहीं है, और उस तारीख पर उस विषय के सम्बन्ध में मतदान करने का हकदार बनाता है।

उचित रूप से एक अधिवेशन बुलाने में बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स की विफलता के कारण, बुलाया गया अधिवेशन (बुलाई गई बैठक) माँग जमा करने की तारीख से ३ महीनों की समाप्ति के बाद नहीं किया जायेगा।

प्रश्न ४२—मतदान की माँग के विषय में विधि का विवेचन कीजिये।

Describe the law as to demand for poll.

उत्तर—मतदान की माँग (Demand for Poll)—किसी संकल्प पर हाथ उठा कर मतदान (voting) की घोषणा के समय या उसके पहले उस अधिवेशन का सभापति (Chairman) अपनी ही प्रेरणा से मतदान (poll) लेने का आदेश दे सकता है और जब इस सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यक्ति मतदान की माँग करेंगे, तब वह मतदान लेने का आदेश करने के लिये बाध्य होगा—

(क) किसी पब्लिक कम्पनी के मामले में, कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा माँग करने पर, जिनको उस संकल्प पर मत देने (vote) का अधिकार है और जो या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिपत्री (proxy) द्वारा उपस्थित हों;

(ख) किसी प्राइवेट कम्पनी के मामले में, किसी एक व्यक्ति द्वारा माँग करने पर, जिसको उस प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार है और जो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिपत्री (proxy) द्वारा उपस्थित है, यदि सात सदस्यों से अधिक सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हों, और यदि सात सदस्यों से अधिक सदस्य उपस्थित हों तो ऐसे सदस्यों द्वारा, माँग करने पर, जो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिपत्री द्वारा उपस्थित हैं;

(ग) किसी ऐसे सदस्य या किन्हीं ऐसे सदस्यों द्वारा माँग करने पर, जो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिपत्री द्वारा उपस्थित है या हैं या और जो उस संकल्प के संबंध में मतदान करने की कुल शक्ति का ऐसा हिस्सा धारण करता है या धारण करते हैं, जो उसके दसवें भाग से कम नहीं है; या

(घ) किसी ऐसे सदस्य या किन्हीं ऐसे सदस्यों द्वारा माँग करने पर, जो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिपत्री द्वारा उपस्थित है या हैं और जो कम्पनी में ऐसे शेयरों को धारण करता है या करते हैं जो शेयर उस संकल्प पर मतदान करने के अधिकार देते हैं और वे शेयर ऐसे हैं कि जिन पर जो कुल रकम प्रदत्त (paid up) की गई है वह उस कुल रकम के दसवें भाग से कम नहीं है जो उन सभी शेयरों पर प्रदत्त कर दी गई है, जो अंश उस अधिकार को प्रदान करते हैं। (धारा १७६)

मतदान की माँग उस व्यक्ति द्वारा या उन व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने मांग किया, किसी भी समय वापिस ली जा सकती है ।

स्थगत (adjournment) के प्रश्न पर माँगा गया मतदान तुरन्त लिया जायेगा और किसी दूसरे प्रश्न पर (जो उस अधिवेशन के सभापति के चुनाव से संबंधित न हो) मांगा गया मतदान किसी भी ऐसे समय पर लिया जा सकता है, जो माँग करने के समय से ४८ घंटे से अधिक समय के बाद न हो, जैसा कि सभापति निदेशित (direct) करे। (धारा १८०)

जहाँ कि कोई मतदान लिया जाने वाला हो, वहाँ अधिवेशन का सभापति दो संवीक्षकों (scrutinisers) को नियुक्त करेगा, जो मतदान पर दिये गये मतों का संवीक्षण (scrutinise) करेंगे और सभापति को उसका प्रतिवेदन (report) देंगे। उन दोनों संवीक्षकों में से एक संवीक्षक अधिवेशन पर उपस्थित रहने वाला एक स्थायी सदस्य होगा (जो उस कंपनी का न तो कोई पदाधिकारी (officer) होगा और न कोई (कर्मचारी) किन्तु शर्त यह है कि ऐसा सदस्य प्राप्य (available) हो और नियुक्त होने की इच्छा रखता हो। सभापति उस रीति को विनियमित करता है, जिसमें मतदान लेना चाहिये। मतदान के फल (result) को उस संकल्प पर, जिस पर वह मतदान लिया गया था, उस अधिवेशन का फैसला मानना चाहिए। (धारा १४५)

प्रश्न ४३—कम्पनी अधिनियम १९५६ में उपबंधित संकल्पों पर टिप्पणियाँ लिखिये ।

Write notes on the resolutions as provided in the Indian Companies Act, 1956.

उत्तर—　　　　　संकल्प (Resolution)

संकल्प (Resolution) कम्पनी अधिनियम के अधीन (under) कम्पनियों से संबन्धित संकल्पों के निम्नलिखित प्रकार हैं—

(१) वे संकल्प, जो विशेष सूचना की अपेक्षा रखते हैं;

(२) साधारण संकल्प (ordinary resolution);

(३) विशेष (special resolution);

(१) विशेष सूचना की अपेक्षा रखने वाले संकल्प—यह एक साधारण संकल्प है, जिसमें केवल बहुमत की अपेक्षा की जाती है किन्तु जिसके लिये एक विशेष सूचना की आवश्यकता होती है। ठीक-ठीक कहा जाय तो यह संकल्प का कोई स्वतन्त्र वर्ग नहीं है बल्कि साधारण संकल्प का ही केवल एक भिन्न प्रकार है, जिसमें एक संकल्प प्रस्तावित करने के आशय (intention) की कम से कम १४ दिन की सूचना देना आवश्यक है। सूचना की मियाद के लिये वह दिन जिस पर वह सूचना तामील की जाती है और वह दिन जिस पर अधिवेशन किया जाता है, निकाल दिया जायेगा। ऐसे संकल्प के लिए अधिनियम या आर्टिकिल्स के नियमों के अधीन विशेष सूचना की आवश्यकता होती हैं। कम्पनी को जब किसी ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय (intention) की सूचना मिल जाती है, तो वह कम्पनी इस के मिलने के तुरन्त पश्चात् अपने सदस्यों को इस संकल्प की सूचना उसी ढंग से देगी जिस ढंग से अधिवेशन की सूचना देती है; और यदि ऐसा नहीं किया जा सकता हो, तो उसकी सूचना या तो ऐसे अखबार में विज्ञापन (advertisement) द्वारा देगी, जिसका प्रचार काफी हो या किसी दूसरे ढंग से, जो आर्टिकिल्स द्वारा मंजूर किया गया हो लेकिन यह सूचना अधिवेशन से सात दिन से कम पहले नहीं देनी चाहिए अर्थात् सात दिन से अधिक पहले देनी चाहिए।

विशेष सूचना की आवश्यकता—

(क) किसी वार्षिक अधिवेशन पर एक संकल्प के लिए होती है, जिसमें सेवा निवृत्त होने वाले (retiring) लेखापरीक्षक (auditor) के अलावा किसी व्यक्ति को लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है या जिसमें यह स्पष्ट नियम बनाया जाता है कि सेवानिवृत्त (retiring) होने वाला लेखापरीक्षक (auditor) पुनः नियुक्त नहीं किया जायेगा (धारा २२५);

(ख) जिसमें कोई व्यक्ति, जो कम्पनी का कोई अफसर या कर्मचारी रहा हो, एक डाइरेक्टर नियुक्त किया जाता है; (धारा २६१);

(ग) जिसमें किसी व्यक्ति को, जो ६५ वर्ष की उम्र का हो गया हो, एक डाइरेक्टर नियुक्त किया जाता है (धारा २८१); और

(घ) जिसमें किसी डाइरेक्टर को उसकी पदावधि के समाप्त होने के पहले ही पद से हटा कर उस अधिवेशन में उस हटाए गये डाइरेक्टर के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त किया जाता है। धारा (२८४)।

(२) साधारण संकल्प (Ordinary Resolution) :—

एक साधारण संकल्प वह संकल्प है, जो एक ऐसे सामान्य अधिवेशन में पारित (passed) किया जाता है, जिसकी सूचना उचित रूप से मतदान करके (चाहे वह मतदान हाथ उठा कर किया गया हो या लिखित मतदान करके किया गया हो); वह उन सदस्यों द्वारा संकल्प के पक्ष में किया गया हो, जो वैसा करने के हकदार होने के नाते व्यक्तिगत रूप से या प्राक्सी द्वारा मतदान करते हैं। उनका मतदान उन सदस्यों के मतों से बढ़ जाता है, जिन्होंने मतदन करने के हकदार होकर उस संकल्प के विरुद्ध मतदान किया है अर्थात् साधारण संकल्प किसी सामान्य अधिवेशन पर सदस्यों के केवल बहुमत द्वारा पारित किया जाता है।

(३) विशेष संकल्प (Special Resolution)—एक संकल्प उस समय एक विशेष संकल्प हो जायेगा जब :—

(क) एक संकल्प को एक विशेष संकल्प बनाने के आशय को उस सूचना में सम्यक् प्रकार से उल्लिखित कर दिया गया है, जिसके द्वारा अधिवेशन बुलाया जाता है, अर्थात् इसके पहले कि किसी संकल्प को एक विशेष संकल्प बनाने के आशय का वर्णन किया जाय, २१ दिन की स्पष्ट सूचना देना आवश्यक है।

(ब) सामान्य अधिवेशन की सूचना सम्यक् प्रकार से दे दी गई है; या

(स) संकल्प के पक्ष में उन सदस्यों द्वारा दिये गये मत (vote) (चाहे हाथ उठाकर या लिखित मत द्वारा) जो सदस्य वैसा करने के हकदार होने के नाते व्यक्तिगत रूप से या प्राक्सी द्वारा मतदान करते हैं, उन मतों की तिगुनी संख्या से कम नहीं (जो यदि कोई हों) मतदान करने के हकदार सदस्यों द्वारा उस संकल्प के खिलाफ दिये गये हैं।

विशेष संकल्पों के उदाहरण निम्नलिखित हैं—

जैसे कम्पनी के उद्देश्यों को बदलने का संकल्प; मेमोरेण्डम या आर्टिकिल्स को बदलने का संकल्प; शेयर पूँजी को पुनर्गठित या कम करने का संकल्प, या स्वेच्छा से कम्पनी को समापित (wind up) करने का संकल्प, इत्यादि।

प्रश्न ४४—वार्षिक विवरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ।

Write a brief note on annual return.

उत्तर—वार्षिक विवरण (Annual Return):—

शेयर पूँजी रखने वाली प्रत्येक कम्पनी, वार्षिक सामान्य अधिवेशन (सालाना आम बैठक) के होने की तारीख से ४२ दिनों के भीतर एक विवरण तैयार करेगी और रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी, जिसमें अनुसूची ५ के भाग १ में उल्लिखित विवरण अन्तर्विष्ट होंगे; जैसा कि वे उस तारीख पर—

(क) उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के;

(ख) उसके सदस्यों के रजिस्टर के,

(ग) उसके डिबेन्चर होल्डरों के रजिस्टर के,

(घ) उसके शेयरों और डिबेन्चरों के,

(ङ) उसकी ऋणग्रस्तता (कर्जदारी) के;

(च) उसके भूत और वर्तमान सदस्यों और डिबेन्चरहोल्डरों के ; और

(छ) उसके भूत और वर्तमान डाइरेक्टरों, मैनेजिंग डाइरेक्टरों, मैनेजिंग एजेन्टों, सचिवों एवं कोषाध्यक्षों, प्रबन्धकों और सचिवों के—

सम्बन्ध में स्थित थे ।

यदि तुरन्त पहले होने वाले दो विवरणों में से किसी विवरण में, उस वार्षिक सामान्य अधिवेशन की तारीख पर, जिस अधिवेशन के सम्बन्ध में इसे पेश किया गया था, पूर्ण विवरण दिया गया है, जैसा कि भूतपूर्व और वर्तमान सदस्यों के सम्बन्ध में या उनके द्वारा धारण किये गये या हस्तान्तरित किये गये शेयरों के सम्बन्ध में, अपेक्षित है, तो उस विवरण में केवल वे ही ब्योरे (particulars) दिये जायँगे, जो केवल उन व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं, जो व्यक्ति उस तारीख से या तो सदस्य नहीं रहते हैं, या नये सदस्य बन जाते हैं; या जिनका सम्बन्ध केवल उन शेयरों से होता है, जो उस तारीख से हस्तान्तरित कर दिये गये हैं या उन परिवर्तनों से रहता है, जिनकी तुलना उस तारीख से उन शेयरों की संख्या में की गई है, जो शेयर सदस्य द्वारा धारण किये गये हैं ।

उपर्युक्त विवरण को वार्षिक विवरण कहते हैं (धारा १५९) । यह विहित प्रारूप (prescribed form) में होता है ।

शेयर पूँजी नहीं रखने वाली प्रत्येक कम्पनी, वार्षिक सामान्य अधिवेशन के

होने की तारीख से ४२ दिनों के भीतर, निम्नलिखित ब्योरों का वर्णन करते हुए एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी और उसे पंजीयक के पास फाइल करेगी—

(क) कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता; और

(ख) सदस्यों के नाम तथा उनकी क्रमशः तारीखें जिन पर वे सदस्य बने और उन व्यक्तियों के नाम जो तुरन्त बीते हुये वर्ष के वार्षिक सामान्य अधिवेशन की तारीख से सदस्य नहीं रह गये हैं, और वे तारीखें जिनपर वे सदस्य नहीं रहे।

डाइरेक्टरों, मैनेजिंग एजेण्टों और कोषाध्यक्षों, मैनेजर तथा सचिव के सम्बन्ध में वे सभी विवरण जो धारा ३०३ में दिये गये है। (धारा १६६)।

रजिस्ट्रार के पास पेश किये गये वार्षिक विवरण (Annual Return) के प्रति (copy) पर एक डाइरेक्टर और मैनेजिंग एजेण्ट का हस्ताक्षर होगा, और यदि कोई मैनेजिंग एजेन्ट न हो तो उस पर कम्पनी के दो डाइरेक्टरों का हस्ताक्षर होगा (धारा १६१)। यदि कोई कम्पनी पूर्वगामी नियमों में से किसी नियम का अनुपालन करने में विफल हो जाती है तो वह कम्पनी और चूक करने वाला प्रत्येक अफसर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो जुर्माना ५०) रु० तक का हो सकता है और उस प्रत्येक दिन के लिये दण्डनीय होगा, जब तक वह चूक (default) चलती रहती है। (धारा १६२)।

प्रश्न ४५— बैलेंस शीट क्या होती है? बैंकिंग कम्पनियों के अलावा कंपनियों की बैलेंस शीट की बाबत जो उपबंध भारतीय कम्पनीज ऐक्ट में दिये गये हैं उनकी संक्षिप्त रूपरेखा दीजिये।

What is a Balance Sheet? Give a brief outline of the provisions of the Indian Companies Act regarding the Balance Sheet of companies other than banking companies.

उत्तर- एक बैलेंस शीट एक कंपनी की व्यापारिक स्थिति का एक सचित्र निरूपण (pictorial representation) है; जिसे वे व्यक्ति आसानी से समझ सकते हैं, जो व्यापारिक शब्दावलियों एवं दशाओं को समझने में समर्थ हैं। (Legal Remembrancer v. Akhil Bandhu (1937) Cal. 328)। यह कम्पनी की संपत्ति का, उसकी संपत्तियों एवं जिम्मेदारियों का विवरण होता है, जिसका आशय, शेयरहोल्डरों को तथा जनसाधारण को एक विशिष्ट तारीख पर उस कम्पनी की व्यापारिक स्थिति की जानकारी कराना होता है।

बैलेंस शीट में कम्पनी की संपत्ति एवं संपदाओं का संक्षेप अवश्य अन्तर्विष्ट होता है; उसके साथ-साथ उन संपदाओं एवं जिम्मेदारियों का स्वरूप तथा विवरण दिया रहता है और यह भी दिया जाता है कि नियत संपत्तियों के मूल्य कैसे निर्धारित किये गये हैं। बैलेंस शीट के साथ आवश्यक रूप से, उस कम्पनी के मामलों की हालात से सम्बन्धित डाइरेक्टरों द्वारा दिया गया एक प्रतिवेदन (report) अवश्य नत्थी रहना चाहिये। कम्पनी के लेखा-परीक्षकों (auditors) द्वारा बैलेंस शीट की लेखा-परीक्षा अवश्य की जानी चाहिये। उसके साथ लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन (report) भी अवश्य लगा होना चाहिये।

बैलेंस शीट का मुख्यत: प्रयोजन कम्पनी की आर्थिक स्थिति को दिखाना होता है; और डाइरेक्टरों का यह देखना कर्त्तव्य है कि यह आर्थिक स्थिति को ठीक-ठीक दिखाता है ताकि कम्पनी की संपत्तियों का अधिक अनुमान न लगाया जा सके; नहीं तो वह शेयर होल्डरों के साथ कपट का व्यापार हो जायेगा। यह ठीक है कि आस्तियों का अनुमान उनके 'सम्भाव्य असली कीमत से कम ही लगाया जाय। Newton v. B. S. A. Co. Ltd. (1906) 2 Ch. 373 के मुकदमे में Buckley न्यायाधीश ने विचार किया है कि—"अक्सर चतुरता के कारण संपत्तियों का आँका जाना, उनकी सम्भाव्य असली कीमत से कम ही लगाया जाता है। बैलेंस शीट का मुख्यत: प्रयोजन यह दिखाना है कि कम्पनी की आर्थिक दशा कम से कम उतनी अच्छी है, जितनी वर्णित की गई है किन्तु साथ ही साथ यह नहीं दिखाना है कि इसकी आर्थिक दशा और भी अच्छी है या और भी अच्छी नहीं की जा सकती है।

धारा २१० के अधीन, डाइरेक्टर, वार्षिक सामान्य अधिवेशन में कम्पनी के समक्ष एक बैलेंस शीट लाभ-हानि का लेखा (account) रखेंगे और उस कंपनी के मामले में जो लाभ के लिये व्यापार नहीं करती है, और व्यय का लेखा रखेंगे।

धारा २११ के अनुसार बैलेंस शीट में कम्पनी के मामलों की दशा का वास्तविक एवं उचित दृश्य दिखाई देगा जैसा कि वित्तीय वर्ष के अन्त में था और वह विहित प्रारूप (Prescribed form) में होगा या उसके उतने ही निकट होगा जैसा कि परिस्थितियों द्वारा मान्य हो।

धारा २१५, के अनुसार, उस बैलेंस शीट तथा लाभ-हानि के लेखा पर बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स की ओर से मैनेजिंग एजेण्ट, सचिव एवं कोषाध्यक्ष, मैनेजर या सचिव का हस्ताक्षर होगा और कम्पनी के कम से कम दो डाइरेक्टरों का हस्ताक्षर होगा, जिनमें से एक डाइरेक्टर, एक मैनेजिंग डाइरेक्टर होगा, जहाँ

केवल एक ही है। जब कम्पनी के डाइरेक्टरों में से केवल एक डाइरेक्टर भारत में है, तो वह बैलेंस शीट तथा लाभ-हानि का लेखा उसी डाइरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा किन्तु इस हालत में उस बैलेंस शीट तथा लाभ-हानि के लेखा के साथ-साथ एक विवरण (statement) लगा होगा जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा और जिसमें उपर्युक्त उपबन्ध के न पालन करने का कारण भी स्पष्ट किया गया होगा। बोर्ड की ओर से उन पर हस्ताक्षर होने के पहले, तथा उन पर प्रतिवेदन (report) के लिये लेखा-परीक्षकों के पास पेश किये जाने के पहले बैलेंस शीट तथा लाभ-हानि का लेखा बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स द्वारा मन्जूर किये जायेंगे।

धारा २१७ के अधीन, डाइरेक्टर पब्लिक कम्पनी के मामलों की हालत के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन (report) तैयार करेंगे और उसे बैलेंस शीट के साथ लगा देंगे, और वह रकम, यदि कोई हो, जिसकी वे सिफारिश करते हैं, लाभांश (dividend) के रूप में भुगतान कर दी जायेगी, रक्षित निधि (Reserve Fund) या रक्षित लेखा (Reserve Account) में रखी गई रकम, जो बैलेंस शीट में दिखाई गई है; सारवान परिवर्तन तथा सुपुर्दगियाँ यदि कोई हों, जो कम्पनी की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हों, और जो कम्पनी के वित्त-वर्ष के अन्त के, जिससे वह बैलेंस शीट सम्बन्धित है और उस प्रतिवेदन की तारीख, के बीच में की गई हों; इन सभी के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा और बैलेंस शीट के साथ लगा दिया जायेगा।

यह प्रतिवेदन सभापति द्वारा सभी डाइरेक्टरों की ओर से हस्ताक्षरित किया जायेगा, यदि उस निमित्त उसे ऐसा करने के लिये प्राधिकार मिला हो। यह प्रतिवेदन एक व्याख्यात्मक दस्तावेज (explanatory document) है, जिसमें डाइरेक्टर लोग बैलेंस शीट के मुख्य लक्षणों की ओर तथा वर्ष के कार्यचालन से संबंधित महत्व-पूर्ण विषयों की ओर शेयर होल्डरों का ध्यान खींचेंगे, जिससे कि शेयरहोल्डर लोग अपने सामने वर्ष के कार्यचालन की समीक्षा (review) कर सकें।

धारा २१९ के अनुसार, उस बैलेंस शीट की एक प्रति, (जिसमें लाभहानि का लेखा, लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन तथा प्रत्येक अन्य दस्तावेज, जो कानून द्वारा बैलेंस शीट में नत्थी किये जाने के लिये अपेक्षित है) जो बैलेंस शीट सामान्य अधिवेशन में कम्पनी के सामने रखा जाने वाला है, उस कम्पनी को तारीख से कम से कम २१ दिन पहले—

(क) कम्पनी के प्रत्येक सदस्य के पास;

(ख) प्रत्येक डिबेन्चर होल्डर के पास;

(ग) डिबेन्चर होल्डरों के प्रत्येव न्यासधारी (trustee) के पास; तथा

(घ) उपर्युक्त व्यक्तियों के अलावा उन सभी व्यक्तियों के पास, जो उस प्रकार हकदार है—भेजी जाँयगी।

धारा २२० के अनुसार जब सामान्य अधिवेशन में कम्पनी के सामने बैलेंस शीट तथा लाभ-हानि का लेखा रख दिया गया हो, उसके बाद तब उस बैलेंस शीट तथा लाभ-हानि के लेखा की तीन प्रतियाँ (copies) सम्यक् रूप से हस्ताक्षर के साथ; रजिस्ट्रार के पास पेश की जावेंगी।

यदि वह कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है, तो बैलेन्स शीट की प्रतियाँ तथा लाभ-हानि के लेखा की प्रतियाँ रजिस्ट्रार के पास अलग-अलग पेश की जायेंगी।

प्रश्न ४६—सांविधिक प्रतिवेदन क्या है? इसकी उपयोगिता की व्याख्या कीजिये और बताइये कि यह किस प्रकार बनाई जानी चाहिये?

What do you understand by Statutory Report? Explain its utility and how it should be formed.

उत्तर—सांविधिक प्रतिवेदन (Statutory Report)—कम्पनी के सांविधिक प्रतिवेदन से संबन्धित नियम भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ की धारा १६५ में अन्तर्विष्ट हैं। एक सांविधिक प्रतिवेदन एक नवनिर्मित कम्पनी की कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन (Preliminary report) होता है, जिसको तैयार करने के लिये तथा कम्पनी के प्रत्येक सदस्य के पास, जिस दिन सांविधिक अधिवेशन किया जाता है, उस दिन से कम से कम २१ दिन पहले, भेजने के लिये डाइरेक्टर लोग संविधि (statute) द्वारा अर्थात् भारतीय कम्पनी अधिनियम द्वारा बाध्य हैं।

इस प्रतिवेदन का प्रयोजन यह है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कम्पनी के महत्वपूर्ण तथ्यों को शेयरहोल्डरों के कब्जे में रखा जाय अर्थात् कौन से शेयर ले लिये गये हैं, कितना धन प्राप्त हुआ है, कौन से संविदा किये गये हैं—इत्यादि। इस प्रतिवेदन की यह उपयोगिता (utility) है कि विवरणों (particulars) के प्राप्त होने पर, शेयरहोल्डर लोग कम्पनी की पूरी स्थिति, प्रबन्ध-ढङ्ग तथा प्रत्याशायें (prospects) और अन्य कोई विषय, जो प्रतिवेदन से उत्पन्न होता है—इन सभी के लिये बैठक करने तथा इन पर बहस करने का अवसर पाते हैं।

सांविधिक प्रतिवेदन में निम्नलिखित विवरण होंगे :—

१—बाँटे गये शेयरों की कुल संख्या, यह भेद दिखाते हुये कि नकद के अलावा अन्य किसी रूप में वे शेयर पूर्णतः प्रदत्त किये गये हैं, या भागतः (partly) प्रदत्त किये गये हैं। उन शेयरों के मामले में, जो भागतः प्रदत्त किये गये हैं, इसका विवरण देते हुये कि वे किस मात्रा तक प्रदत्त किये गये हैं, और दोनों मामलों में वह प्रतिफल, जिसके लिये वे बाँटे गये हैं;

२—कुल नकद रकम, जो कम्पनी द्वारा सभी बाँटे गये शेयरों के सम्बन्ध में प्राप्त की गई है, और पूर्वोक्त प्रकार उसका भेद किया गया है;

३—कम्पनी की प्राप्तियों (receipts) का एक सार (abstract) और उन भुगतानों का सार, जो उन प्रतिवेदन की तारीख के सात दिनों के भीतर किसी तारीख तक किये गये हैं; उस प्रतिवेदन में भिन्न-भिन्न शीर्षकों में, शेयरों से, डिबेन्चरों से तथा अन्य साधनों से कम्पनी की प्राप्तियाँ (receipts) प्रदर्शित की गई है, और उन पर किये गये भुगतान, बाकी बचे हुये हिस्सों से सम्बन्धित विवरण; और कम्पनी के प्रारम्भिक खर्चों का लेखा या आँकड़े दिखाये गये हैं; और उनमें कोई कमीशन (आढ़त) या बट्टा (discount) जो शेयरों या डिबेन्चरों के प्रचालन, या बेची पर दे दिया गया है या दिया जाने वाला है, अलग-अलग दिखाया गया हो;

४—डाइरेक्टरों, लेखा-परीक्षकों, मैनेजिंग एजेन्टों, सचिवों एवं कोषाध्यक्षों, प्रबन्धकों तथा सचिवों के नाम, पते और धन्धे; इसके साथ-साथ उनमें किये गये कोई परिवर्तन;

५—किसी संविदा का विवरण (particulars), जो संविदा या उसका कोई रूपभेद (modification) सांविधिक अधिवेशन के सामने उसकी मन्जूरी के लिये पेश किया जाने वाला हो;

६—वह मात्रा यदि कोई हो, जिसके प्रति प्रत्येक हामीदारी संविदा (under-writing contract) यदि कोई हो, पूरा नहीं किया गया हो और उसका कारण;

७—बकाया (arrears) यदि कोई हो, जो माँग पर प्रत्येक डाइरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, साझीदार या मैनेजिंग एजेन्ट फार्म से जिसमें वह मैनेजिंग एजेन्ट एक साझीदार है; सचिवों और कोषाध्यक्षों से तथा प्रबन्धक से प्राप्य (due) है; और

८—दलाली के लिये किसी आढ़त का विवरण, जो दलाली उपर्युक्त (७) में संख्यांकित प्रत्येक व्यक्ति को, शेयरों या डिबेन्चरों के प्रचालन या बेंची के सम्बन्ध में दी गई है या दी जाने वाली है।

यह सांविधिक प्रतिवेदन कम से कम कम्पनी के दो डाइरेक्टरों द्वारा जिनमें से कोई एक डाइरेक्टर एक मैनेजिंग डाइरेक्टर होगा जहाँ पर एक ही डाइरेक्टर है और, कम्पनी के लेखा-परीक्षकों द्वारा सत्य रूप से प्रमाणित की जायेगी। बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स उस सांविधिक प्रतिवेदन की एक प्रति उपर्युक्त प्रकार से प्रमाणित करायेंगे और रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण के लिये पेश करेंगे।

सांविधिक प्रतिवेदन से सम्बन्धित नियम, प्राइवेट कम्पनियों पर लागू होते हैं।

IV कम्पनी के पदाधिकारी

(Officers of A Company)

प्रश्न ४७—निम्नलिखित कौन हैं ? संक्षिप्त विवरण दीजिए :—

(क) प्रबन्ध;

(ख) प्रबन्ध-अभिकर्त्ता और प्रबन्ध-अभिकर्ता सहयोगी ;

(ग) प्रबन्धक-संचालक;

(घ) सचिव और कोषाध्यक्ष;

(ङ) सचिव।

Define the following terms :—

(a) Manager;

(b) Managing agent and associate in relation to a managing agent;

(c) Managing Director:

(d) Secretaries and Treasurers; and

(e) Secretary.

उत्तर—(a) प्रबन्धक—(मैनेजर) कम्पनी अधिनियम १९५६ की धारा २ (२४) यह नियम बनाती है कि 'प्रबन्धक' वह व्यक्ति है, (जो मैनेजिंग एजेन्ट न होकर) बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स के अधीक्षण (superintendence), नियन्त्रण और निदेश के अधीन रहते हुये, एक कम्पनी के सारतः सम्पूर्ण कार्यों एवं मामलों का प्रबन्ध करता है और इस पद में डाइरेक्टर या कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है, जो एक प्रबन्धक की स्थिति धारण करता है, चाहे वह किसी नाम से पुकारा जाता हो और चाहे वह किसी सेवा करने के कन्ट्रैक्ट के अधीन हो या न हो।

सामान्य अधिवेशन पर किसी विषय के संबंध में कुल मतदान शक्ति एक-तिहाई भाग से अन्यून भाग का प्रयोग एवं नियन्त्रण निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता हो जैसे पूर्वोक्त फर्म, कोई वैसा सदस्य या कई सदस्य, संबंधी या कई संबंधी, अन्य फर्म या फर्में, तथा निजी कंपनियाँ या कई कंपनियाँ।

जहाँ मैनेजिंग एजेन्ट एक कारपोरेटेड बाडी है :—कोई सब्सिडियरी या होल्डिग कंपनी या ऐसा कोई कार्पोरेट बाडी, मैनेजिंग एजेन्ट या सचिव या कोषाध्यक्ष, कोई डाइरेक्टर, मैनेजर, या उस कार्पोरेट बाडी का कोई अफसर या उसकी किसी सब्सिडियरी या होल्डिग कंपनी का अफसर।

ऐसे किसी डायरेक्टर या प्रबन्धक का कोई साझेदार या संबंधी, कोई फर्म, जिसमें ऐसा डाइरेक्टर, प्रबन्धक, साझेदार या संबंधी एक साझेदार है;

(ii) कोई अन्य कार्पोरेट बाडी और कम्पनी जिसके किसी सामान्य अधिवेशन पर किसी विषय के संबंध में कुल भुगतान-शक्ति के एक-तिहाई भाग से अन्यून (not less than) भाग का प्रयोग या नियन्त्रण निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जैसे, कार्पोरेट बाडी और कंपनी तथा अन्य व्यक्ति जो उपर्युक्त कंडिका (i) में उल्लिखित हैं, और

(iii) अन्य कार्पोरेट बाडी का कोई सहायक जो ऊपर (ii) कंडिका में निर्दिष्ट किया गया है,

परन्तु जहाँ कार्पोरेट बाडी ऊपर (ii) कडिका में निर्दिष्ट दूसरे कार्पोरेट बाडी का मैनेजिंग एजेन्ट है, तो ऐसे दूसरे कार्पोरेट बाडी का कोई सहायक (subsidiary) उपर्युक्त मैनेजिंग एजेन्ट के संबंध में एक "सहायोजित" (associate) नहीं होगा; और

(d) जहाँ मैंनेजिंग एजेण्ट एक निजी कंपनी है या कोई कार्पोरेट बाडी है; जिसमें ५० से अधिक सदस्य नहीं हैं—ऊपर के उपखंड (c) में वर्णित व्यक्तियों के अतिरिक्त, निजी कम्पनी या कार्पोरेट बॉडी का सदस्य।

(स) मैंनेजिंग डाइरेक्टर—धारा २ (२६), जो "मैनेजिंग डाइरेक्टर" पद को परिभाषित करती है, भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ में नई-नई जोड़ी गई है। इसके अनुसार "मैंनेजिंग डाइरेक्टर" का तात्पर्य एक ऐसे डाइरेक्टर से है, जिसको कम्पनी के करार के आधार पर या सामान्य अधिवेशन में कम्पनी द्वारा या बोर्ड आव डाइरेक्टर्स द्वारा पारित किये गये संकल्प के आधार पर या उस कम्पनी के मेमोरेण्डम

आर आर्टिकिल्स आव एसोसियेशन के आधार पर, प्रबन्ध की सारवान शक्तियाँ सौंपी गई हैं, जो उसके द्वारा अन्यथा प्रयुक्त नहीं की जा सकती थीं; और इस पद में वह डाइरेक्टर भी सम्मिलित है, जो एक मैनेजिंग डाइरेक्टर की हैसियत धारण करता है, चाहे वह जिस नाम से पुकारा जाता हो।

नेमी स्वरूप (routine nature)--के प्रशासनिक कार्यों के करने की शक्ति जब मंडल ने वैसा करना प्राधिकृत कर दिया हो, जैसे किसी दस्तावेज पर कम्पनी की सामान्य मुहर लगाने की शक्ति या किसी बैंक में के हिसाब पर कोई चैक काटना एवं उस पर इण्डोर्स करना या किसी परक्राम्य लिखत (negotiable instrument) पर लिखना एवं इण्डोर्स करना अथवा शेयर के किसी प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करना, या किसी शेयर के हस्तान्तरण के रजिस्ट्रीकरण को निर्दिष्ट करना—इनकी बाबत यह नहीं समझा जायेगा कि ये प्रबन्ध की सारवान शक्तियों में सम्मिलित हैं।

एक मैनेजिंग डाइरेक्टर अपनी शक्तियों का प्रयोग बोर्ड आव डाइरेक्टर्स के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशन के अधीन ही करेगा।

मैनेजिंग डाइरेक्टर या तो कम्पनी द्वारा या कम्पनी के बोर्ड आव डाइरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। वह विशिष्ट शक्तियों से युक्त एक डाइरेक्टर के सिवाय और कुछ नहीं है। उसके कर्तव्य, तो भी, एक साधारण डाइरेक्टर के कर्तव्यों से उच्चस्तर के हैं और इसके परिणामस्वरूप वह एक साधारण डाइरेक्टर की अपेक्षा एक उच्चतर आधार पर स्थित रहता है। मैनेजिंग डाइरेक्टर की शक्तियाँ साधारणतया आर्टिकिल्स आव एसोसियेशन में परिभाषित की गई हैं।

(ड) सचिव और कोषाध्यक्ष (Secretaries and Treasurers)—इस पदावली से 'सचिव और कोषाध्यक्ष' का तात्पर्य किसी ऐसे फर्म या कार्पोरेट बाडी से है, जो (मैनेजिंग एजेण्ट न होकर) बोर्ड आव डाइरेक्टर्स के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निदेशन के अधीन रहते हुये कम्पनी के सारतः सम्पूर्ण कार्यों एवं मामलों का प्रबन्ध करता है, और इसमें वह फर्म या कार्पोरेट बाडी भी सम्मिलित है जो सचिवों और कोषाध्यक्षों की स्थिति धारण करता है, चाहे उसे जिस नाम से पुकारा जाता हो और चाहे वह सेवा की किसी संविदा के अधीन हो या न हो। [धारा २ (४४)]।

(इ) सचिव (Secretary)—'सचिव' का तात्पर्य उस व्यक्ति, फर्म या कार्पोरेट बाडी से है, जो उन कर्तव्यों के पालन के लिये नियुक्त किया गया है जिसका पालन कम्पनी अधिनियम के अधीन किसी सचिव द्वारा ही किया जा सकता है अथवा जो अनुसचिवीय (Ministerial) या प्रशासनिक कर्तव्यों के पालन के लिये नियुक्त किया

गया है। धारा २ (४५) में कोई यथोल्लिखित कर्तव्य विहित किया गया है। वह एक सेवक-मात्र होता है और जो उससे कहा जाता है, उसी को उसे करना होता है और भी कोई भी व्यक्ति यह अभिधारणा नहीं बना सकता कि उसे किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व करने का प्राधिकार प्राप्त है।

प्रश्न ४८—प्रबन्धक और प्रबन्ध-अभिकर्ता में अन्तर बताइये।

Point out the distinction between "manager" and "managing agent."

उत्तर—मैनेजर और मैनेजिग एजेण्ट में अन्तर—इन दोनों में निम्नलिखित मुख्य अन्तर हैं—

(१) मैनेजर और मैनेजिग एजेन्ट एक दूसरे में व्याप्त होते हैं। एक प्रबन्धक सभी मामलों में डाइरेक्टरों के नियन्त्रण एवं निदेशन के अधीन रहता है किन्तु जहाँ तक मैनेजिग एजेण्ट का सम्बन्ध है, वह करार द्वारा करार में यथोल्लिखित विषय के संबंध में निदेशकों के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण (supervision) से बिल्कुल स्वतंत्र होता है।

(२) प्रबन्धक सर्वदा एक व्यक्ति होता है किन्तु मैनेजिग एजेण्ट एक व्यक्ति, फर्म या कार्पोरेट बाडी हो सकता है।

(३) मैनेजर, बोर्ड आव डाइरेक्टर्स के अधीक्षण, नियन्त्रण, और निदेशन के अधीन रहते हुये कंपनी के संपूर्ण मामलों का प्रबंध करता है जबकि मैनेजिग एजेण्ट, कंपनी के साथ किये गये करार के आधार पर कंपनी के संपूर्ण या सारतः संपूर्ण मामलों के प्रबन्ध का अधिकार के रूप में हकदार होता है। प्रबन्ध के साथ करार नहीं भी हो सकता है किन्तु कम्पनी अधिनियम मैनेजिग एजेण्ट के संबंध में कम्पनी के साथ एक करार का आधार तत्व स्थापित करता है।

(४) जहां तक प्रबन्धक का संबंध है डाइरेक्टरों द्वारा नियन्त्रण और निदेशन के विस्तार का संशोधन नहीं किया जा सकता है लेकिन मैनेजिग एजेण्ट के मामले में संशोधन किया जा सकता है।

(५) अधिकतम मेहनताना जो प्रबन्धक को देय है, कंपनी के शुद्ध लाभों के ५ प्रतिशत तक सीमित है जबकि मैनेजिग एजेण्ट को शुद्ध लाभों के १० प्रतिशत तक मेहनताना दिया जा सकता है। (धारा ३८७)

प्रश्न ४९—प्रबन्ध-अभिकर्ता और प्रबन्ध-संचालक में अन्तर बताइये।

Point out the distinction between managing agent and managing director.

उत्तर—मैनेजिंग एजेएट तथा मैनेजिंग डाइरेक्टर में अन्तर—इन दोनों में निम्नलिखित मुख्य अन्तर है :

(१) मैनेजिंग एजेएट एक व्यक्ति, फर्म या कार्पोरेट बाडी हो सकता है जबकि एक मैनेजिंग डाइरेक्टर सर्वदा एक व्यक्ति होता है।

(२) मैनेजिंग एजेन्ट एक डाइरेक्टर हो सकता है जब कि वह एक व्यक्ति होता है, जबकि एक मैनेजिंग डाइरेक्टर सर्वदा एक व्यक्ति ही होता है।

(३) मैनेजिंग एजेएट, कम्पनी के संपूर्ण या सारतः सम्पूर्ण मामलों के प्रबन्ध का हकदार होता है जबकि मैनेजिंग डाइरेक्टर के ऊपर ऐसा भार नहीं सौंपा जा सकता। मैनेजिंग डाइरेक्टर

(१) कम्पनी के साथ किये गये करार के आधार पर, या

(२) सामान्य अधिवेशन में कम्पनी द्वारा पारित किये गये किसी प्रस्ताव के आधार पर, या

(३) बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स द्वारा पारित किये गये किसो प्रस्ताव के आधार पर, या

(४) कम्पनी के मेमोरेण्डम या आर्टिकिल्स आव् एसोसियेशन के आधार पर, बहुत सी शक्तियाँ सौंपी गई हैं।

(५) मैनेजिंग एजेन्ट या तो कम्पनी के साथ किसी करार के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है या उसके मेमोरेण्डम, या आर्टिकिल्स आव् एसोसियेशन के आधार पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके बोर्ड साव् डाइरेक्टर्स के नियन्त्रण, अधीक्षण एवं निदेशन के अधीन और कम्पनी के मेमोरेण्डम या आर्टिकिल्स आव् एसोसियेशन के अधीन रहता है। मैनेजिंग डाइरेक्टर, बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स के अधीक्षण, नियन्त्रण, और निदेशन के अधीन रहता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग, कम्पनी के करार के आधार पर या सामान्य अधिवेशन में कम्पनी द्वारा पारित किये गये एक प्रस्ताव के आधार पर, या बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स द्वारा पारित किये गये आधार पर, या मेमोरेण्डम या आर्टिकिल्स आव् ऐसोसियेशन के आधार पर, कर सकता है।

प्रश्न ५०—प्रबंध अभिकर्त्ता की परिभाषा दीजिए और भारतीय प्रमंडल

अधिनियम, १९५६ में उसकी नियुक्ति और परितोष पर क्या प्रतिबंध हैं उसका सारांश दीजिये। उनको किस प्रकार हटाया जा सकता है ? अन्य मामलों में उस पर क्या रोकें लगाई गई हैं ?

Define 'managing agent' and summarise the restrictions contained in the Companies Act, 1956, regarding their appointment and remuneration. How can they be removed ? What restrictions have been imposed on him in other matters ?

उत्तर—(१) मैनेजिंग एजेन्टों की नियुक्ति तथा पद की मियाद (Appointment and duration of office of managing agents) :—केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि ऐसी तारीख से जैसी को अधिसूचना में उल्लिखित है, निम्नलिखित उपबन्ध (provisions) उन सभी कम्पनियों पर लागू होंगे, जो उस तारीख पर ऐसे वर्ग के उद्योग या व्यापार पर लगी हों, जैसा कि उस अधिसूचना में उल्लिखित है :—

(क) जहाँ कि वह कम्पनी उल्लिखित तारीख पर कोई मैनेजिंग एजेन्ट रखती है, वहाँ उस मैनेजिंग एजेन्ट के पद की मियाद, यदि पहले ही खत्म नहीं होती है, तो उस उल्लिखित तारीख से तीन वर्षों के समाप्त होने पर खत्म होगी या १५ अगस्त, १९६० को खत्म होगी, जो कोई भी बाद में पड़े। समवाय उसी मैनेजिंग एजेन्ट को या दूसरे मैनेजिंग एजेन्ट को पुनः नियुक्त या नियुक्त न करेगी।

(ख) जहाँ कि उस उल्लिखित तारीख पर कम्पनी कोई मैनेजिंग एजेन्ट नहीं रखती है, या जहाँ कि वह उस तारीख पर या उसके बाद इन्कार्पोरेट की गई है, किसी मैनेजिंग एजेन्ट को नियुक्त नहीं करेगी (धारा ३२४)।

कोई भी कम्पनी जो किसी दूसरे कम्पनी के मैनेजिंग एजेन्ट के रूप में कार्य करती हो, पहली अप्रैल सन् १९५६ के पश्चात् अपने लिए कोई मैनेजिंग एजेन्ट नहीं नियुक्त करेगी चाहे वह उसके अलावा किसी दूसरे तरह का व्यापार करती हो या न करती हो। कोई भी कम्पनी जो मैनेजिंग एजेण्ट रखती है, उस तारीख के बाद किसी दूसरी कम्पनी के मैनेजिंग एजेन्ट की हैसियत से नियुक्त नहीं की जायेगी (धारा ३२५)।

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, १९६० के प्रारम्भ होने के बाद, कोई भी

कम्पनी, किसी बाडी कार्पोरेट को, जो या तो इसकी सहायक हो या किसी दूसरी बाडी कार्पोरेट की सहायक हो, अपने मैनेजिंग एजेन्ट के रूप में तब तक नियुक्त नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे प्रारम्भ के तुरन्त पहले वह कम्पनी किसी ऐसी सहायक बाडी कार्पोरेट (body corporate) को अपने बाडी कार्पोरेट की हैसियत से नहीं रखती है। (धारा ३३५-अ)

एक मैनेजिंग एजेन्ट निम्नलिखित तरीके से नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जायेगा—

(क) सामान्य अधिवेशन में कम्पनी द्वारा, और

(ख) जब ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति (re-appointment) के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। (धारा ३२६) मैनेजिंग एजेन्ट तथा कम्पनी के बीच में एक अलग करार (agreement) किया जाता है।

पहली अप्रैल १९५६ के बाद, कोई भी कम्पनी—

(क) जहाँ कि वह किसी मैनेजिंग एजेन्ट को पहली बार नियुक्त करती है (अर्थात् जहाँ कि उस कम्पनी ने अपने निर्माण के समय से लेकर अब तक कभी भी किसी मैनेजिंग एजेन्ट को न रखा हो) वहाँ १५ वर्षों से अधिक मियाद के लिए नियुक्त नहीं करेगी,

(ख) किसी दूसरे मामले में, किसी मैनेजिंग एजेन्ट को एक बार १० वर्षों से अधिक मियाद के लिए पुनर्नियुक्त (reappoint) या नियुक्त नहीं करेगी,

(ग) जहाँ कि किसी मैनेजिंग एजेन्ट की वर्तमान मियाद दो वर्ष या उससे अधिक अभी खत्म होने को बाकी हो, वहाँ उस मैनेजिंग एजेन्ट को नयी मियाद के लिए पुनर्नियुक्त करेगी। (धारा ३२८)

जहाँ कि कोई कम्पनी पहली अप्रैल सन् १९५६ को कोई मैनेजिंग एजेण्ट रखती है वहाँ ऐसे मैनेजिंग एजेण्ट के पद की मियाद, यदि यह पहले ही खत्म न हो जाती है, तो १५ अगस्त, १९६० को खत्म होगी, यदि उस तारीख के पहले, वह अधिनियम के नियमों के अनुसार एक नयी मियाद के लिए पुनर्नियुक्त नहीं किया जाता है (धारा ३३०)।

करार (agreement) के किसी मैनेजिंग एजेन्सी के शर्तों को बदलने के लिए, एक सामान्य अधिवेशन में कम्पनी के एक संकल्प की आवश्यकता होती है और एक ऐसे संकल्प के पारित होने के पहले, उस परिवर्तन के लिए केन्द्रीय सरकार

की पूर्व-मंजूरी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये। (धारा ३२९)। करार में के परिवर्तन का सम्बन्ध मैनेजिंग एजेन्ट के पद की शर्तों के कायम रखने से हो सकता है या किसी मैनेजिंग एजेन्ट को नियुक्त करने से हो सकता है या पारिश्रमिक बढ़ाने से हो सकता है।

नये अधिनियम के महत्वपूर्ण नियमों में से एक उपबन्ध यह है कि १५ अगस्त, १९६० के बाद कोई भी व्यक्ति एक ही समय १० से अधिक कम्पनियों में एक प्रबन्धक की हैसियत से पद धारण नहीं करेगा (धारा ३३२)। दूसरे शब्दों में, उस तारीख के बाद कोई भी मैनेजिंग एजेन्ट अपने प्रबन्ध के अधीन १० से अधिक कम्पनियों को रखेगा। इस प्रयोजन की कम्पनियों की संख्या गिनने में, वे प्राइवेट कम्पनियाँ जो लोक कम्पनियों की न तो सब्सिडियरी कम्पनी हैं, और न तो होल्डिंग कंपनी है वे असीमित कम्पनियाँ तथा संस्थायें, जो लाभ के लिये व्यापार नहीं चलाती हैं, वे लाभांशों के भुगतान का प्रतिषेध (prohibit) करती हैं, निकाल दी जाती हैं।

(२) मैनेजिग एजेन्ट को हटाना—धारा ३३७ यह नियम बनाती है कि एक कम्पनी साधारण अधिवेशन में संकल्प द्वारा, जिसकी सूचना उसके मैनेजिंग एजेन्ट को दी गई है, उसको कम्पनी या बाडी कार्पोरेट के मामलों के संबन्ध में, कपट के कारण, या न्यास-भंग (breach of trust) के कारण पद से हटा सकती है।

धारा ३३८ के अधीन एक कम्पनी, एक सामान्य अधिवेशन में, विशेष संकल्प द्वारा अपने मैनेजिंग एजेन्ट को, कम्पनी के मामलों में, घोर प्रमाद के लिए, या उनके घोर कुप्रबन्ध के लिए, पद से हटा सकती है।

(३) पारिश्रमिक (Remuneration)—नये अधिनियम के पहले मैनेजिंग एजेन्ट के पारिश्रमिक के ढंग प्रत्येक कम्पनी में भिन्न-भिन्न थे। कुछ अवस्थाओं में पारिश्रमिक के रूप में दिया गया कमीशन शुद्ध लाभों (net profits) पर भारित (charged) किया जाता था जबकि दूसरे मामलों में वह माल के हेरफेर या बेचियों पर भारित (charged) किया जाता था। कुछ अवस्थाओं में, शुद्ध लाभों पर देय (payable) रकम की प्रतिशत कम रखी जाती थी, किन्तु माहवारी आधार पर पद का भत्ता, उस कंपनी की ओर से उपागत (incurred) सभी खर्चों के भुगतान के अलावा, जिसका प्रबन्ध किया गया हो, अपेक्षाकृत (comparatively) अधिक दर पर भारित किया जा सकता था। लगभग सभी मामलों में, पद-भत्ता तथा शुद्ध लाभों पर रकम की प्रतिशत, चाहे जैसे आँकी गई हो, के अलावा,

मैनेजिंग एजेएट कम्पनी के प्रति की गयी सेवाओं के लिए कमीशन के रूप में पारिश्रमिक लेते थे; और कमीशन की दर एक कम्पनी में दूसरी कम्पनी में भिन्न-भिन्न होते हैं।

नये कानून में वर्तमान स्थिति (Present position under the New Law):— कोई कम्पनी अपने मैनेजिंग एजेन्ट को, किसी वित्त-वर्ष के संबंध में, जो पहली अप्रैल १९५६ के दिन या उसके बाद प्रारंभ होता है, उस वित्त-वर्ष के शुभ लाभों के दस प्रतिशत से अधिक कोई रकम नहीं देगी [धारा ३४८ (१)]। लेकिन यदि लाभ न हो, तो उस सूरत में कम-से-कम कुछ पारिश्रमिक अवश्य दिया जायगा (धारा १९८)।

कुल प्रबन्धकीय पारिश्रमिक (total managerial remuneration) जो कम्पनी द्वारा अपने डाइरेक्टरों तथा मैनेजिंग एजेन्टों को देय (payable) है; कम्पनी के शुद्ध लाभों (net profits) के ११ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। कम्पनी द्वारा देय कम से कम पारिश्रमिक एक वर्ष में ५०,०००) रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

एजेन्ट को किसी वित्त-वर्ष के लिए या उसके किसी भाग के लिये देय (payable) पारिश्रमिक उसको तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि ऐसे वित्त-वर्ष का कम्पनी का लेखा परीक्षित (audited) न किया गया हो और सामान्य बैठक में कंपनी के सामने रखा न गया हो। कम से कम पारिश्रमिक यदि कोई हो, जो धारा १९८ के अधीन देय है, मैनेजिंग एजेन्ट को ऐसे उपयुक्त किश्तों पर दिया जा सकता है जैसा कि कम्पनी की आर्टिकिल्स में या एक वार्षिक सामान्य अधिवेशन में कम्पनी द्वारा पारित किये गये किसी संकल्प (resolution) में या कम्पनी द्वारा निष्पादित (executed) किये गये मैनेजिंग एजेन्सी के करार में उल्लिखित किया गया हो। किन्तु इस पर ध्यान रखना आवश्यक है कि धारा ३५३ किसी कम्पनी को मैनेजिंग एजेन्टों के लिये कम से कम पारिश्रमिक नियत (fix) करने के लिये कोई शक्ति नहीं देती है जहाँ कि मैनेजिंग एजेन्टों के साथ किया गया करार ऐसे भुगतान के लिये नियम नहीं बनाता है। ऐसे मामलों में कम से कम पारिश्रमिक की मात्रा नियत करने के लिये कम्पनियों के लिये यह आवश्यक है कि वे उस प्रक्रिया का अनुसरण करें, जो धारा ३२९ द्वारा विहित (prescribed) की गई है।

मैनेजिंग एजेन्ट किसी पद-भत्ते (office-allowance) के लिये हकदार नहीं है किन्तु कम्पनी की ओर से उठाये गये खर्च उसे लौटाये जा सकते हैं, जो सामान्य बैठक में कम्पनी द्वारा मंजूर किये गये हैं। (धारा ३५४)।

एक दुराचरण (Malpractice) जो मैनेजिंग एजेन्ट की पद्धति के साथ जुड़ा हुआ था, यह था कि मैनेजिंग एजेएट एक प्रथा की तरह अपने को मैनेजिंग कम्पनी के, बेंचो और खरीद के एजेएट की हैसियत से नियुक्त करते थे और ऐसी सेवाओं के लिए कम्पनी से कमीशन लेकर अपने पारिश्रमिक को बढ़ाया करते थे। नया अधिनियम उपबन्ध करता है कि कोई भी मैनेजिंग एजेन्ट कम्पनी से उन मालों (gcods) के संबन्ध में, जो सब्सिडियरी द्वारा पैदा किये गये हैं, यदि बेंची उस स्थान से की जाती है, जहाँ वे माल पैदा किए गए थे या मैनेजिंग एजेन्ट के मुख्य कार्यालय (Head Office) से या भारत में किसी भी स्थान से की जाती है, कोई कमीशन या दूसरा कोई मेहनताना (पारिश्रमिक) नहीं लेगा। (धारा ३५६)।

कोई भी मैनेजिंग एजेन्ट, उन मालों की खरीदों के संबन्ध में जो भारत में कम्पनी की ओर से की गई हैं, कम्पनी से कोई मेहनताना नहीं लेगा किन्तु इन खर्चों को छोड़, कर जिनको उसने कम्पनी की ओर से उठाये हैं और जिनको बोर्ड ने या सामान्य बैठक में, कम्पनी ने मंजूर किया है। (धारा ३५८)।

मैनेजिग एजेन्ट, मैनेजिंग एजेन्ट की हैसियत के अलावा किसी दूसरे तरीके से की गयी सेवाओं के लिए अलग से मेहनताना न लें, इसके लिए नये अधिनियम ने पर्याप्त रक्षोपाय (adequate safeguards) का उपबंध किया है यह अधिनियम यह उपबन्ध करता है कि कोई भी संविदा, जो एक कम्पनी और उसके मैनेजिंग एजेन्ट के बीच में, किसी संपत्ति की बेंची, खरीद या पूर्ति (supply) के लिए या किन्हीं सेवाओं के करने के लिए किया गया हो कम्पनी द्वारा एक विशेष संकल्प से मंजूर होना चाहिए और ऐसी संविदा भी केन्द्रीय सरकार द्वारा मन्जूर होनी चाहिए, जो मैनेजिंग एजेन्ट के अलावा किसी दूसरी सेवाओं की पूर्ति या उनको करने के लिए किया गया है। (धारा ३६०) (१)]

जहाँ कि किसी कम्पनी का प्रबंध मैनेजिंग एजेन्ट, कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेहनताना (remuneration), छूट (rebate) कमीशन या किसी दूसरी वस्तु के रूप में, उपर्युक्त उपबन्धों (provisions) के उल्लंघन में, कोई रकम प्राप्त करता है, वहाँ उस रकम को कम्पनी को लौटा देगा और जब तक कि वह रकम लौटाई नहीं जाती है, तब तक वह उस रकम को कम्पनी के लिए न्यास के रूप में धारण करेगा। [धारा ३६३ (१)]।

यदि मैनेजिंग एजेएट ने अपने पारिश्रमिक को किसी को सौंपा है, या उसको भारित (charged) किया है, तो वह सौंपना या भार कम्पनी के खिलाफ शून्य

होगा। किन्तु इससे मैनेजिंग एजेण्ट तथा कम्पनी के अलावा उस किसी दूसरे व्यक्ति के आपसी अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा (धारा ३६४)।

(५) मैनेजर की शक्तियों पर रोक (Restrictions on the Powers of Management)—प्रबन्धक के सम्बन्ध में मैनेजिंग एजेन्ट पर लगाई रोक निम्नलिखित है :—

(क) मैनेजिंग एजेन्ट के लिए कर्ज :—पब्लिक कम्पनी द्वारा या पब्लिक कम्पनी की सब्सिडियरी कम्पनी द्वारा मैनेजिंग एजेन्ट को कर्ज देना मना किया गया है। (धारा ६६९)।

(क) मैनेजिंग एजेन्ट बोर्ड के नियन्त्रण के अधीन होता है :—किसी कम्पनी का मैनेजिंग एजेन्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग, अपने बोर्ड आव डाइरेक्टर्स के अधीक्षण, नियन्त्रण तथा निदेश (Superintendence, control and direction) के अधीन, कम्पनी के मेमोरेण्डम तथा आर्टिकिल्स के अधीन तथा कम्पनी अधिनियम (Companies Act) की अनुसूची (Schedule) ४ में दिये गये रोकों (restrictions) के अधीन करेगा। (धारा ३६८)।

अधिनियम की सातवीं अनुसूची मैनेजिंग एजेन्ट को यह आदेश देती है कि उसे, किसी व्यक्ति को कम्पनी के प्रबन्धक की हैसियत से, या कम्पनी के कर्मचारी के रूप में, ऐसे मेहनताने पर नियुक्त करने में, जो बोर्ड द्वारा निश्चित की गई सीमाओं से अधिक हो, या मैनेजिंग एजेन्ट के किसी रिश्तेदार को उस कम्पनी के एक कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने में, या बोर्ड द्वारा विहित (prescribed) सीमाओं से परे पूँजी-सम्पत्तियों के खरीदने या बेचने में, या अपने सहयोगी के खिलाफ कम्पनी के किसी दावे के प्रशमन (compounding) करने में, या उसके भुगतान (payment) की मियाद बढ़ाने में, या कम्पनी के खिलाफ अपने या अपने किसी सहयोगी के किसी दावे के प्रशमन करने में, बोर्ड की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

(ग) डाइरेक्टरों की नियुक्ति पर रोक :—किसी कम्पनी का मैनेजिंग एजेन्ट यदि आर्टिकिल्स द्वारा ऐसा करने के लिये प्राधिकार पाया हो तो अधिक से अधिक दो डाइरेक्टरों को जहाँ कुल डाइरेक्टरों की संख्या पांच से अधिक है और एक डाइरेक्टर को जहाँ डाइरेक्टरों की कुल संख्या पाँच से अधिक नहीं है, नियुक्त कर सकता है। [धारा ३७७ (१)]।

डाइरेक्टर द्वारा व्यापार के संचालन पर रोक :—कोई भी डाइरेक्टर अपनी इच्छा से खुद किसी ऐसे व्यापार को नहीं चलायेगा, जो वैसा ही हो जैसा कि

कम्पनी चला रही हो या जिस कम्पनी का वह मैनेजिंग एजेन्ट है, उसके द्वारा संचालित व्यापार के प्रत्यक्ष होड़ में हो। किन्तु यदि कम्पनी एक विशेष संकल्प द्वारा ऐसा करने की मंजूरी देती हो तो वह ऐगा कर सकता है। (धारा ३७५)

पद की हानि के लिये मुआवजा की सीमा (Limit of compensation for loss of office) :—एक कम्पनी अपने मैनेजिंग एजेन्ट को उसके पद की हानि के लिए, जो मुआवजा देगी, वह मुआवजा उस मेहनताने से अधिक नहीं होगा, जिसको उसने कमाया होता यदि वह अपनी अवधि के बाकी हिस्से तक अपने पद पर रहा होता या ३ वर्ष तक रहा होता, जो कोई भी कम समय होता। यह मुआवजा उस मेहनताने की औसत के आधार पर आँका जायगा, जिसे उसने उस तारीख के तुरन्त पहले ३ वर्षों के दरम्यान में वास्तविक रूप से कमाया होता, जिस तारीख पर उसका पद समाप्त हो गया, या जहाँ कि उसने तीन वर्ष से कम मियाद के लिये पद धारण किया था, वहाँ उन तीन वर्षों के भीतर जो कमाया होता।

प्रश्न ५१—डाइरेक्टर से आप क्या समझते हैं ? इनकी संख्या कितनी होनी चाहिये ? डाइरेक्टर की क्या योग्यताएँ होनी चाहिये ? उसकी क्या अयोग्यताएँ होती हैं ? उसका पद कब खाली हुआ समझा जाता है ? उसके निवृत्त होने की आयु क्या है ? उन्हें किस प्रकार हटाया जा सकता है ?

What do you understand by the trem "Director" ? What should be their number ?What are the qualifications of a director ? What are his disqualifications ? When his office is deemed to have been vacated ? What is the age of his retirement ? How can directors be removed ?

उत्तर– संचालक (डाइरेक्टर)—

प्रत्येक कम्पनी के लिये यह आवश्यक होता है कि वह एजेन्टों द्वारा कार्य करे, और वे एजेन्ट जिनके माध्यम से कम्पनी काम करती है, अर्थात् जो कम्पनी का व्यापार चलाते हैं, संचालक (डाइरेक्टर) कहे जाते हैं।

धारा ३०३ (१) की व्याख्या १ के अनुसार वह व्यक्ति, जिसके निदेशों (हिदायतों) या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के लिये संचालक-मंडल (बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स) आदि हैं, कम्पनी का संचालक (डाइरेक्टर) कहलाता है।

संचालकों की संख्या—

प्रत्येक पब्लिक कम्पनी में कम से कम तीन संचालक होने चाहिये। प्रत्येक प्राइवेट कम्पनी में कम से कम दो संचालक होने चाहिये। (धारा २४२)।

संचालक (डाइरेक्टर) की योग्यतायें—

धारा २६६ के अनुसार एक व्यक्ति आर्टिकल्स द्वारा किसी कम्पनी का डाइरेक्टर नियुक्त किये जाने योग्य तब तक नहीं है जब तक कि आर्टिकिल्स के रजिस्ट्रीकरण के पहले, प्रास्पेक्टस के प्रकाशन के या प्रास्पेक्टस के स्थान में एक विवरण के प्रकाशन के पहले; उसने—

(क) एक डाइरेक्टर की हैसियत से कार्य करने की एक लिखित सम्मति पर न तो हस्ताक्षर किया है और न उसे रजिस्ट्रार के पास पेश किया है; या

(ख) उन शेयरों के लिये मेमोरेण्डम या हस्ताक्षर नहीं किया है, जो शेयर उसके योग्यता शेयर (qualification shares) की संख्या या मूल्य से कम नहीं है; या

(ग) कम्पनी से अपने शेयरों को नहीं लिया है और उनका भुगतान या भुगतान करने का करार नहीं किया है; या

(घ) कम्पनी से अपने योग्यता-शेयरों को लेने के लिये, एक वचन-पत्र पर उसने हस्ताक्षर नहीं किया है और उसे रजिस्ट्रार के पास पेश नहीं किया है।

धारा २७० यह नियम बनाती है कि डाइरेक्टर को चाहिये कि वह एक डाइरेक्टर के रूप में अपनी नियुक्ति हो जाने के बाद २ महीनों के भीतर अपना योग्यता शेयर ले लेवें। योग्यता-शेयरों का अभिहित मूल्य ५०००) रु० से अधिक नहीं होता है, या एक शेयर के अविहित मूल्य (nominal value) से अधिक नहीं होता है, जहाँ वह ५००० रु० से अधिक होता है।

कोई भी व्यक्ति एक से अधिक कम्पनी में डाइरेक्टर नहीं चुना जा सकता, जो एक ही मैनेजिंग एजेन्ट के प्रबन्ध के अधीन है। लेकिन शेयरहोल्डरों के एक विशेष संकल्प द्वारा ऐसा किया जा सकता है। किन्तु यह पाबन्दी किसी वैतनिक डाइरेक्टर पर लागू नहीं होती है, जिसकी नियुक्ति धारा ३१४ के अधीन सम्मति (consent) से की गई है;

डाइरेक्टरों की अयोग्यतायें—एक व्यक्ति किसी कम्पनी का डाइरेक्टर नियुक्त किये जाने योग्य नहीं होगा; यदि—

(क) वह सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा विकृतचित्त (unsound mind) पाया जाता है और वह निष्कर्ष (finding) लागू है।

(ख) वह अनुन्मुक्त (undischarged) दिवालिया है;

(ग) उसने दिवालिया घोषित होने के लिये आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित (pending) है;

(घ) वह न्यायालय द्वारा नैतिक पतन (moral turpitude) के अपराध का दोषी ठहराया गया है और इस संबध में उसे कम से कम ६ महीनों के कारावास (imprisonment) का दण्डादेश (sentence) हुआ है और उस दण्डादेश के खत्म होने की तारीख से पाँच वर्षों का समय अभी बीता नहीं है;

(ङ) उसने कम्पनी के उन शेयरों के संबंध में, जिनको वह अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से (jointly) धारण करता है, किसी माँग का भुगतान नहीं किया है और उस माँग के भुगतान के लिये नियत किये गये आखिरी दिन से पाँच महीने बीत गये हैं; या

(च) किसी न्यायालय द्वारा धारा २०३ के अनुसार एक ऐसा आदेश पारित किया गया है, जो उसकी डाइरेक्टर की हैसियत से नियुक्ति को अयोग्य ठहराता है और तब तक लागू है जब तक कि उस धारा के अधीन उसकी नियुक्ति के लिये न्यायालय की अनुमति नही प्राप्त की गई है। (धारा २७४)।

केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा खंड (घ) तथा (ङ) में वर्णित अयोग्यताओं को हटा सकती है।

एक प्राइवेट कम्पनी जो किसी पब्लिक कम्पनी की सहायक नहीं है, अपने आर्टिकिल्स द्वारा यह नियम बना सकती है कि कोई भी व्यक्ति किसी अतिरिक्त आधार पर एक डाइरेक्टर की हैसियत से नियुक्त होने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है।

धारा २७५ में यह दिया हुआ है कि धारा २७६ में अन्यथा नियमित अवस्था को छोड़कर कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर २० से अधिक कम्पनियों में डाइरेक्टर की हैसियत से पद नहीं धारण करेगा।

डाइरेक्टर द्वारा पद खाली करना (Vacation of Office by Director)—एक डाइरेक्टर का पद निम्नलिखित परिस्थितियों में खाली हो जायेगा :—

१—यदि वह अपनी नियुक्ति के दो महीनों के भीतर अपने योग्यता-शेयरोंको पाने में विफल हो जाता है या उसके बाद किसी उन शेयरों को धारण नहीं करता है;

२—यदि वह सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा विकृतचित्त (of unsound mind) घोषित कर दिया जाता है;

३—यदि वह दिवालिया घोषित होने के लिये आवेदन करता है।

४—यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया जाता है;

५—यदि वह किसी न्यायालय द्वारा नैतिक पतन के अपराध का दोषी ठहराया जाता है और इस संबंध में उसे कम से कम ६ महीनों के कारावास का दण्डादेश (sentence) हो जाता है;

६—यदि उसने कम्पनी के उन शेयरों के संबंध में जिनको वह अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से धारण करता है, किसी माँग का भुगतान नहीं किया है और उस माँग के भुगतान के लिये नियत किये गये आखिरी दिन से पाँच महीने बीत गये हैं; यदि केन्द्रीय सरकार ने सरकारी गजट में अधिसूचना (notification) द्वारा उस अयोग्यता को, जो ऐसी विफलता के कारण पैदा हुई है, हटा न दिया हो;

७—यदि वह बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है या तीन महीने के लगातार समय तक बोर्ड की बैठकों में अनुपस्थित रहता है, जो कोई भी समय अधिक लंबा हो, और इस प्रकार अनुपस्थित रहने की उसने बोर्ड से अनुमति न ली हो ;

८—यदि वह (चाहे अपने खुद या अपने फायदे के लिये या अपने कारण किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा) या कोई फर्म, जिसमें वह एक पार्टनर है या कोई प्राइवेट कम्पनी जिसका कि वह एक डाइरेक्टर है, बिना केन्द्रीय सरकार की मन्जूरी के, कम्पनी से कोई ऋण, गारन्टी या ऋण के लिये प्रतिभूति (security) स्वीकार करता है;

९—यदि वह, कम्पनी के साथ किये गये संविदा (contract) या व्यवस्था (arrangement) के विषय में, जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध (interested) कोई बात बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स को नहीं बताता है;

१०—यदि वह किसी कम्पनी के प्रोमोशन, निर्माण या प्रबन्ध के संबंध में किसी अपराध का दोषी ठहराये जाने के कारण पर, न्यायालय के एक आदेश द्वारा डाइरेक्टर होने के लिये अयोग्य हो जाता है; या कम्पनी के समापन की कार्यवाहियों के संबंध में कपट या अपकरण (fraud or misfeasance) का दोषी ठहराया जाता है;

११—यदि वह धारा २८४ के अधीन साधारण संकल्प (ordinary resoiution) द्वारा अपने पद की मियाद के खत्म होने के पहले ही हटा दिया जाता है;

१२—यदि कम्पनी में कोई पद या कोई अन्य नियोजन (employment) धारण करने के कारण एक डाइरेक्टर की हैसियत से नियुक्त हो कर, या उस कम्पनी के मैनेजिंग एजेन्ट का नामित (nominee) होकर, वह उस कम्पनी में उस पद पर या उस नियोजन पर नहीं रह जाता है, या यथास्थिति उस मैनेजिंग एजेन्सी का अन्त हो जाता है [धारा २८३ (१)] ।

एक डाइरेक्टर का पद, किसी प्राइवेट कम्पनी के आर्टिकिल्स में दिये गये किसी आधार पर भी खाली होता है, जो प्राइवेट कम्पनी किसी पब्लिक कंपनी की सहायक कम्पनी नहीं है ।

और, एक डाइरेक्टर की बाबत यह समझा जाता है कि उसने अपना पद खाली कर दिया है; यदि :—

(१) उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है; (धारा २८०) जब तक कि आयु-सीमा (age limit) सामान्य अधिवेशन में कम्पनी द्वारा पारित किये गये एक संकल्प (resolution) द्वारा छोड़ न दी गई हो, जिसकी विशेष सूचना दी गई हो। (धारा २८१), या

(२) वह, उसका भागी पार्टनर या संबन्धी (relative) या कोई प्राइवेट कंपनी जिसका वह डाइरेक्टर है, कंपनी में लाभ का कोई पद या स्थान धारण करता है जब तक कि एक विशेष प्रस्ताव द्वारा दी गई सम्पत्ति पहले ही प्राप्त न की गई हो ।

डाइरेक्टर होने के लिए अयोग्यता (Disqualification for a director)—

(१) कोई अन-उन्मुक्त दिवालिया किसी कम्पनी का डाइरेक्टर नही नियुक्त किया जा सकता । [धारा २७३ (१)]

(२) डाइरेक्टर द्वारा प्रत्यायोजित (डेलीगेटेड) कोई व्यक्ति डाइरेक्टर का काम नहीं कर सकता । (धारा ३१२)

(३) किसी अपराध के सिद्ध-दोष व्यक्ति को जिसे कम से कम ६ माह के लिये दंडित किया गया है, दंड की समाप्ति के बाद पांच वर्ष तक डाइरेक्टर नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

(४) बीस कम्पनियों से अधिक का डाइरेक्टर होने वाला व्यक्ति डाइरेक्टर नहीं बनाया जा सकता।

(५) नियुक्ति की तारीख से दो माह के अन्दर योग्यता-अंशों को अर्जित न करने पर डाइरेक्टर नहीं बनाया जायगा।

(६) धारित शेयरों के बारे में कॉल का भुगतान न करने पर छः माह बीत जाने पर डाइरेक्टर रहने के अयोग्य होगा।

डाइरेक्टरों को हटाना (Removal of Directors) :—धारा २८४ के अधीन एक कम्पनी, साधारण संकल्प द्वारा, एक डाइरेक्टर को उसके पद की मियाद खत्म होने के पहले ही पद से हटा सकती है, किन्तु यह डाइरेक्टर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया डाइरेक्टर न हो। किन्तु किसी प्राइवेट कम्पनी का कोई डाइरेक्टर, जो पहली अप्रैल सन् १९५२ के दिन पर आजीवन पद धारण करता हो, इस तरह हटाया नहीं जा सकता है। डाइरेक्टर को हटाने के लिये संकल्प (resolution) की विशेष सूचना आवश्यक होती है।

प्रश्न ५२—डाइरेक्टरों की स्थिति और शक्तियों का वर्णन कीजिये। उसके क्या दायित्व हैं?

या

क्या डाइरेक्टर कम्पनी के एजेन्ट हैं या न्यासधारी? विवेचन कीजिये।

Describe the position and powers of directors? What are their duties and liabilities?

or

Are the directors the agents of the Company or trustees? Discuss.

उत्तर—डाइरेक्टरों की स्थिति एवं शक्तियाँ (Positions and Powers of Directors)—डाइरेक्टरों की शक्तियाँ और अधिकार संस्था की आर्टिकिल्स में दिये गये हैं। प्रायः यह दिया जाता है कि व्यापार का प्रबन्ध मैनेजिंग डाइरेक्टर द्वारा किया जायेगा। In re City Equitable Fire Insurance Co. Ltd. के मुकदमें में यह निर्णय किया गया कि जिस ढंग से किसी कम्पनी का कार्य बोर्ड आव डाइरेक्टर्स में तथा पदाधिकारियों में विभाजित किया जाएगा, वह ढंग व्यापार का विषय है, जो व्यापारिक नीतियों (business lines) के आधार पर फैसला किया जाएगा।

वे उन शक्तियों को हड़प नहीं सकते जो आर्टिकिल्स द्वारा शेयरहोल्डरों में निहित (vested) की गई हैं।

डाइरेक्टरों का कंपनी से सम्बन्ध न्यासवत् संबंध (fiduciary relationship) है और इसलिए यह आवश्यक है कि वे सावधानीपूर्वक कम्पनी के साथ अपने संव्यवहारों (dealings) में तथा उन व्यक्तियों के साथ संव्यवहारों में; जो उनके संपर्क में आते हैं, निष्पक्ष, ईमानदार तथा सक्रिय हों। आम जनता में वे कम्पनी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कम्पनी के विकास एवं सम्पन्नता (prosperity) का आधार बहुत कुछ उनका व्यवहार ही है। स्वरूपतः (ipso facto) तो वे किसी पारिश्रमिक (remuneration) का दावा नहीं करते है, किन्तु प्रायः आर्टिकिल्स में उनके लिए पारिश्रमिक का उपबन्ध किया गया रहता है। उनको कम्पनी के फायदे के लिये स्वविवेक (discretion) का प्रयोग करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। और न्यायालय वहाँ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जहाँ कि डाइरेक्टरों को विवेकाधिकार प्राप्त था और उन्होंने सद्भावनापूर्वक (bon a fide) कम्पनी के फायदे के लिए उसका प्रयोग किया था।

यदि डाइरेक्टर अपनी शक्तियों के बाहर कार्य कर देते हैं तो कम्पनी केवल उन कार्यों का अनुसमर्थन कर सकती है (ratify) जो उसकी शक्ति के अन्दर हैं, किन्तु यदि उन कार्यों का आर्टिकिल्स द्वारा निषेध किया गया है, तो उनका अनुसमर्थन विना आर्टिकिल्स को बदले नहीं किया जा सकता।

क्या डाइरेक्टर कम्पनी का न्यासधारी होता है या एजेन्ट होता है? Whether Directors are the Trustees or Agents of the Company)—कंपनी, डाइरेक्टर तथा शेयरहोल्डर की पारस्परिक स्थिति (position) को ठीक-ठीक शब्दों में बताना कठिन है। कुछ अवस्थाओं में डाइरेक्टरों को मैनेजिंग पार्टनर बताया गया है जब कि कुछ दूसरे मामलों में एजेन्ट या न्यासधारी (agents or trustees) माना गया है। परन्तु वे पूर्णरूप से उनमें से कोई एक भी नहीं हैं। यद्यपि उनके अन्दर कुछ न्यासधारियों के गुण मिलते हैं, जिस पर भी वे पूरे अर्थ में न्यासधारी नहीं हैं। एक न्यासधारी वह व्यक्ति होता है, जो संपत्ति का स्वामी owner) होता है और उस संपत्ति का संव्यवहार वह स्वामी या मालिक की हैसियत से करता है लेकिन वह केवल एक साम्यपूर्ण आभार (equitable obligation) के अधीन होता है, वह जिसमें उस व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार है, जिसके संबन्ध में वह न्यासधारी होता है और वह व्यक्ति फायदाग्राही (beneficiary) होता है। दूसरी ओर, एक डाइरेक्टर का पद कम्पनी के वैतनिक (paid) सेवक के

पद की तरह है। वह कभी अपने लिए संविदा (contract) नहीं करता है बल्कि सर्वदा कम्पनी के लिए करता है। वह ऐसी संविदा पर अपने नाम से मुकदमा नहीं चला सकता और न उसके नाम से दूसरों पर मुकदमा दूसरों द्वारा चलाया ही जा सकता है। डाइरेक्टरों की स्थिति (position) वहाँ तक न्यासधारियों की स्थिति के समान है जहाँ तक वे शेयर होल्डरों के फायदे के लिए कम्पनी के मामलों का प्रबन्ध करते हैं और कम्पनी के धन एवं संपत्ति का उचित लेखा देते हैं।

डाइरेक्टर कम्पनी के एजेन्ट भी होते हैं। बाहरी लोगों में वे कम्पनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कम्पनी की ओर से संविदा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी कम्पनी की होगी और उनकी नहीं, जब तक कि यह दिखाया नहीं जाता है कि उन्होंने कपट से या प्रमाद से (fraudulently or negligently) कार्य न किया हो। कम्पनी को यह शक्ति प्राप्त है कि वह डाइरेक्टरों द्वारा अपने प्राधिकार (authority) के बाहर किये गये कार्यों का अनुसमर्थन (ratify) कर सकती है।

अधिकार:— चूँकि डाइरेक्टर एजेन्ट और न्यासधारी दोनों हैं, इसलिये उनको यह हक है कि कम्पनी उनकी उन सभी हानियों एवं खर्चों की क्षतिपूर्ति करे जो उनके कर्त्तव्यों के सम्यक् रूप से पालन करने में उचित रूप से उपागत (incurred) हुये हैं। (Young v. Naval Military and Civil Service Co-operative Society of South Africa (1905) 1 K. B. 687]

डाइरेक्टारों की जिम्मेदारी :—डाइरेक्टरों की जिम्मेदारियाँ दो प्रकार की होती हैं—बाहरी व्यक्तियों के प्रति और खुद कम्पनी के प्रति। सामान्य नियम के अनुसार, डाइरेक्टर व्यक्तिगत रूप से उन संविदाओं (contracts) के लिये जिम्मेदार नहीं होते हैं, जो उनके द्वारा कम्पनी की ओर से किये जाते हैं। लेकिन यदि वे अभिव्यक्त रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं या अपने नामों से संविदा करते हैं, तो वे ही जिम्मेदार होंगे, कम्पनी नहीं होगी। दुष्कृति के कार्यों के लिये (acts of torts) जैसे कपट के लिये, यदि डाइरेक्टर ऐसा करते हैं, तो ये जिम्मेदार होंगे और उनके साथ-साथ वह कम्पनी भी उन कार्यों के लिये जिम्मेदार होगी, जिसकी वे डाइरेक्टर सेवा कर रहे हैं।

डाइरेक्टर, जानबूझ कर प्रमाद (wilful negligence) या दुराचार misconduct) का जिम्मेदार होता है एक डाइरेक्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आचरण में वही सावधानी और कुशलता दिखाये जो युक्तियुक्त (reasonable

मनुष्य के आचरण में देखी जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि एक डाइरेक्टर कोई विशेषज्ञ (expert) हो। वह कम्पनी के मामलों में लगातार ध्यान देने के लिये बाध्य नहीं है; किन्तु तब वह अपने को एक साधारण युक्तियुक्त मनुष्य की तरह कार्य करने से बचा नहीं सकता। डाइरेक्टर, जिम्मेदार होते हैं, यदि वे अपनी शक्तियों से बाहर कार्य करते हैं और इस मामले में कपट को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह बात कि किसी विशिष्ट मामले में एक युक्तियुक्त सावधानी बरती गई है उस मामले के तथ्यों (facts) पर निर्भर करता है।

डाइरेक्टर की दूसरी जिम्मेदारियाँ ये हैं :—

(१) एक डाइरेक्टर पुस्तकों को मिथ्या बनाने (falsification) के कारण गंभीर शास्तियों (penalties) के लिये जिम्मेदार होता है। (धारा ५३९)

(२) डाइरेक्टर निधियों के दुरुपयोग के लिये (misapplication of funds) तथा न्यास-भंग (breach of trust) के लिये जिम्मेदार होते है, जिनका पता समापन की कार्यवाहियों के दौरान में कम्पनी की संपत्तियों में करने में लग जाता है (धारा ५४३)।

(३) वे कम्पनी की संपत्ति को दोषपूर्ण ढंग से रोकने या उसके दुरुपयोग के कारण घोर दंड के लिये जिम्मेदार होते हैं (धारा ६३०)।

(४) वे अनियमित आबंटन (irregular allotment) के लिये कम्पनी और बँटनी (allottee) को हानिपूर्ति करने के लिये जिम्मेदार होते हैं [धारा ७१ (३)]।

(५) वे उस धन को लौटाने के लिये जिम्मेदार होते हैं, जिसको कम्पनी ने शेयरों के लिये आवेदकों से प्राप्त किया था, उस दशा में जब कि प्रास्पेक्टस के पहले प्रचालन के बाद १३० दिनों के भीतर वह धन लौटाया नहीं जाता है (धारा ६९)।

(६) वे कपटपूर्ण प्रास्पेक्टस के निकालने और प्रकाशन के लिये दीवानी रूप में जिम्मेदार होते हैं (धारा ६२)।

(७) वे शक्ति से बाहर किये गये कार्य के लिये व्यक्तिगतरूप से जिम्मेदार होते हैं।

डाइरेक्टरो के कर्त्तव्य— कर्त्तव्य के पालन करने में डाइरेक्टरों को ईमानदार अवश्य होना चाहिये और उन्हें एक साधारण व्यापारी की तरह युक्तियुक्त सावधानी बरतनी चाहिये।

कम्पनी अधिनियम के विभिन्न नियमों के अधीन डाइरेक्टरों के जो कर्त्तव्य बताये गये हैं, वे नीचे संक्षेप में दिये जाते हैं—

(१) जहाँ कि किसी शेयर या डिबेन्चर का बीमा किया जाता है वहाँ डाइरेक्टरों को चाहिये कि वे प्रास्पेक्टस में इस बात के विषय में वितरण दे कि बीमा करने वालों के साधन उनके आभार को (obligation) को उन्मुक्त (discharge) करने के लिये पर्याप्त हैं (धारा ५६)।

(२) डाइरेक्टरों को इसका विवरण देना पड़ता है कि प्रास्पेक्टस में उल्लिखित न्यूनतम अभिदान (minimum subscription) से अन्तर्गत संपत्ति की कीमत खरीद, प्रारंभिक खर्चे, उधार ली गई रकम का लौटाना तथा सक्रिय पूँजी सभी आ जाते हैं। (धारा ६६)।

(३) डाइरेक्टरों के लिये यह आवश्यक है कि वे वार्षिक सामान्य अधिवेशन में (annual general meeting) कम्पनी के सामने एक बैलेंस शीट और लाभ-हानि का लेखा रखें (धारा २१०)।

(४) डाइरेक्टर, बैलेंसशीट के साथ निम्नलिखित विषयों के संबंध में प्रतिवेदन देगा—

(क) कंपनी के मामलों की हालत के विषय में;

(ख) उन रकमों के संबंध में, यदि कोई हों, जिन्हें वह ऐसे बैलेंस शीट में आरक्षित निधि (reserve) में रखने का प्रस्ताव करता हो; और

(ग) उस रकम के विषय में, जिसके लिये वह सिफारिश करता है कि वह रकम लाभांश के रूप में चुकाई जाय (धारा २१७)।

(५) यह डाइरेक्टरों का कर्त्तव्य है कि वे निरीक्षक द्वारा अपेक्षित (required) सूचना तथा स्पष्टीकरण को निरीक्षक के सामने पेश करें। उसको चाहिये कि वे कम्पनी की सभी पुस्तकों तथा पत्रों को निरीक्षक के समक्ष पेश करे तथा उसको जाँच के संबंध में सभी प्रकार की सहायता पहुँचावें। [धारा (२४२)]।

(६) न्यायालय द्वारा सभापति की गई एक कम्पनी के डाइरेक्टरों का यह कर्त्तव्य है कि वे कम्पनी के मामलों के सम्बन्ध में एक विहित प्ररूप (prescribed form) में, जो एक शपथ-पत्र (affidavit) द्वारा सत्यापित (verified) किया गया हो; एक विवरण तैयार करें और उसे सरकारी परिसमापक (official liquidator) के पास पेश करें, जिसमें संपत्तियों, ऋणों (debts) तथा

जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में कम्पनियों की ठीक-ठीक स्थिति स्थिति दिखाई गई हो (धारा ४५४)।

(७) भूतपूर्व या वर्तमान डाइरेक्टरों का यह कर्त्तव्य है कि वे केन्द्रीय सरकार को उन व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये गये अभियोग (prosecution) के सम्बन्ध में सभी प्रकार की मदद दें, जिनका कम्पनी के साथ आपराधिक संबंध है (धारा २४२)।

(८) (क) बैठकों तथा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कर्त्तव्य :—जिस दिन सांविधिक अधिवेशन (statutory meeting—बैठक) की जाती है, उस दिन से कम से कम २१ दिन पहले, डाइरेक्टर लोग कम्पनी के प्रत्येक सदस्य के पास एक सांविधिक प्रतिवेदन (statutory report) भेजेंगे (धारा १६५)।

(ख वे कम्पनी के इन्कार्पोरेशन के १८ महीनों के भीतर पहला वार्षिक सामान्य अधिवेशन करेंगे और आगामी (next) वार्षिक सामान्य अधिवेशन को, उस वित्त वर्ष (financial year) की समाप्ति के बाद ६ महीने के भीतर करेंगे जिसमें पहला वार्षिक अधिवेशन किया गया गया था और इसी प्रकार बाद वाले वार्षिक समान अधिवेशन प्रत्येक वित्त के खत्म होने के बाद ६ महीने के भीतर किये जायेंगे (धारा १६६)।

(ग) वे कम्पनी के सदस्यों की किसी निश्चित संख्या की माँग पर कम्पनी की एक साधारण सामान्य (आम general) बैठक सम्यक् रूप में (duly) बुलायेंगे (धारा ६६)।

प्रश्न—५३ संचालन-मंडल की सामान्य शक्तियों का विवेचन कीजिये।

उत्तर—बोर्ड की सामान्य शक्तियाँ (General Powers of The Board) :—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी कम्पनी का बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स उन सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये, और उन सभी ऐसे कार्यों या वस्तुओं को करने लिये हकदार होगा, जिनका प्रयोग करने के लिये तथा जिन्हें कम्पनी प्राधिकार (authority) रखती है ;

परन्तु वह बोर्ड किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा या किसी ऐसे कार्य या वस्तु को नहीं करेगा, जिसके विषय में या तो इस अधिनियम द्वारा या किसी अन्य अधिनियम द्वारा या कम्पनी के मेमोरेण्डम या आर्टिकिल द्वारा या किसी दूसरी तरह से, यह निर्देश किया गया है या यह अपेक्षा की गई है कि उस शक्ति का प्रयोग

कम्पनी द्वारा सामान्य अधिवेशन में किया जायेगा या उस कार्य या वस्तु को कम्पनी सामान्य अधिवेशन में करेगी ;

परन्तु यह और भी कि ऐसी शक्ति के प्रयोग करने में या ऐसे कार्य या वस्तु के करने में, बोर्ड उन उपबन्धों के अधीन होगा, जो इस निमित्त इस अधिनियम में या कम्पनी के मेमोरैन्डम या आर्टिकिल्स में, या किन्हीं विनियमों में, जो उनसे असंगत (inconsistent) नहीं हैं और उचित रूप से उनके अधीन बनाए गए हैं और जिनमें वे विनिमय शामिल हैं, जो कम्पनी द्वारा सामान्य अधिवेशन में बनाए गये हैं।

(२) आम बैठक (सामान्य अधिवेशन) में कम्पनी द्वारा बनाया गया कोई विनिमय (regulation) बोर्ड के किसी पूर्व कार्य को अमान्य नहीं करेगा, जो मान्य रहता यदि वह विनिमय (regulation) पारित न किया गया होता (धारा २६१)।

प्रश्न ५४—सचिवों और कोषाध्यक्षों की नियुक्ति के नियमों का वर्णन कीजिये। उनके कार्य क्या हैं ?

उत्तर—State the rules as to appointment of Secretaries and Treasurers. What are their functions ?

सचिवों और कोषाध्यक्षों की नियुक्ति—भारतीय कम्पनी अधिनियम द्वारा सचिवों एवं कोषाध्यक्षों के संस्थापन को पहली बार वैध रूप से (legally) मान्यता दी गई है। एक कम्पनी किसी फर्म या बाडी कारपोरेट अपने सचिव एवं कोषाध्यक्ष की हैसियत से नियुक्ति कर सकती है। (धारा ३७८)। सचिव एवं कोषाध्यक्ष किसी संविदा के अधीन या किसी दूसरी तरफ से नियुक्त किये जा सकते हैं।

सचिवों एवं कोषाध्यक्षों के कार्य—इनसे उन्हीं कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है जिन्हें मैनेजिंग एजेन्ट करते हैं। (धारा ३७९)।

प्रश्न ५५—लेखा-परीक्षक कौन होता है ? उसकी नियुक्ति के बारे में क्या नियम हैं ? उसकी क्या शक्तियाँ और कार्य होते हैं ?

Who is an auditor ? What are the rules regarding his appointment ? What are his powers and functions ?

उत्तर—लेखा-परीक्षक (Autidors)—

धारा २२४ यह उपबन्ध करती है कि लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति कम्पनी द्वारा प्रत्येक साधारण अधिवेशन (जनरल मीटिंग) में की जायगी और वे इस अधिवेशन की समाप्ति से दूसरे अधिवेशन के शुरू होने तक पद धारण करते हैं। ऐसी नियुक्ति के सात दिनों के भीतर कम्पनी इस प्रकार की गई नियुक्ति की सूचना प्रत्येक लेखा-निरीक्षक को देगी जब तक कि वह निवृत्त होने वाला लेखा-परीक्षक न हो। इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रत्येक लेखा-परीक्षक, अपनी नियुक्ति की सूचना प्राप्त करनें के ३० दिन के भीतर रजिस्ट्रार को लिखित रूप से सूचित करेगा कि उसनें नियुक्ति को अंगीकार कर लिया है या अस्वीकार कर दिया है।

किसी साधारण अधिवेशन में निवृत्त होने वाले लेखा परीक्षक को, भले ही किसी प्राधिकारी ने उसकी नियुक्ति की हो, दुबारा नियुक्त किया जायगा, जब तक कि :—

(क) जब तक कि वह दुबारा नियुक्ति के लिये अनर्ह (डिस्क्वालिफाइड) न हो,

(ख) उसने कम्पनी को दुबारा-नियुक्ति के प्रति अपनी असहमति न सूचित कर दी हो;

(ग) उस अधिवेशन में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिये, या अभिव्यक्त रूप से उसकी नियुक्ति को वर्जित करते हुये प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो; या

(घ) जहाँ निवृत्त होने वाले लेखा-परीक्षक के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति किये जाने के प्रस्तावित संकल्प की सूचना दी गई हो, और व्यक्ति की मृत्यु, असमर्थता या निर्योग्यता के कारण संकल्प के सिलसिले में आगे कार्यवाही किया जा सकना सम्भव न हो।

जहाँ कि एक वार्षिक सामान्य अधिवेशन में कोई ऑडिटर नियुक्त या फिर से नियुक्त नहीं किये जाते हैं, वहाँ केन्द्रीय सरकार उस खाली स्थान को भरने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

केन्द्रीय सरकार की यह शक्ति जब प्रयोग लाने योग्य हो गयी हो, उसके सात दिनों के भीतर, कम्पनी उस तथ्य की सूचना उस सरकार को देगी।

किसी कम्पनी के पहले लेखा-परीक्षक (auditors) बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स द्वारा कम्पनी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख के १ महीने के भीतर नियुक्त किये जायेंगे

और वे आडिटर, जो उस प्रकार नियुक्त किये गये हैं, पहले वार्षिक सामान्य अधिवेशन की समाप्ति तक पद धारण करेंगे। कम्पनी, एक सामान्य अधिवेशन में ऐसे आडिटर को हटा सकती है और उसके या उनके स्थान में किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है, जो कम्पनी के किसी सदस्य द्वारा नियुक्ति के लिये नामित (nominated) किया गया है और उसके नाम-निर्देशन (nomination) की सूचना कम्पनी के सारे सदस्यों को अधिवेशन की तारीख से कम से कम १४ दिन पहले दे दी गयी हो। यदि बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स जैसा ऊपर कहा गया है, उसके अनुसार पहले लेखा-परीक्षक को नियुक्त करने में विफल हो जाता है, तो कम्पनी सामान्य अधिवेशन में पहले लेखा-परीक्षकों को नियुक्त कर सकती है।

जहाँ कि किसी लेखा-परीक्षक के इस्तीफा देने के कारण कोई स्थान खाली हो जाता है, तो वह खाली स्थान केवल कम्पनी द्वारा सामान्य अधिवेशन में ही भरा जायगा। (धारा २२४)।

लेखा-परीक्षकों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य—(१) एक कम्पनी का लेखा-परीक्षक सभी अवसरों पर उस कम्पनी की पुस्तकों (बहियों), लेखाओं तथा वाउचरों तक पहुँच रखने का अधिकार रखता है चाहे वे कम्पनी के कार्यालय में रखे हों या किसी दूसरी जगह रखे हों, और उसे यह हक है कि वह कम्पनी के पदाधिकारियों से ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण (explanations) की अपेक्षा करे, जैसा कि वह लेखा-परीक्षक, लेखा-परीक्षक की हैसियत से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक समझे। [धारा (२२७)]।

(२) बैंकिंग कम्पनी के मामले में, जिसके कार्यालय की कोई शाखा भारत से बाहर है, यह पर्याप्त है यदि लेखा-परीक्षक को उस शाखा (branch) की पुस्तकों और लेखाओं की ऐसी प्रतियों (copies) या उनके ऐसे उद्धरणों की जाँच करने की मन्जूरी मिल जाती है, जो भारत में कम्पनी के मुख्य कार्यालय को भेजी जाती है। [धारा २२८ (२)]।

(३) किसी कम्पनी के किसी सामान्य अधिवेशन की सभी सूचनायें या उससे सम्बन्धित दूसरी संसूचनायें भी (communications), जिसके लिये उस कम्पनी का कोई सदस्य इसका हकदार है कि वे उसके पास भेजी जायें, कम्पनी के लेखा-परीक्षक के पास भेजी जायेंगी और वह लेखा-परीक्षक किसी सामान्य अधिवेशन में, उपस्थित होने का, और सामान्य अधिवेशन में, जिसमें वह उपस्थित होता है, व्यापार

के किसी भाग पर सुने जाने का जो एक लेखा-परीक्षक की हैसियत से उससे सम्बन्धित है, हक्क रखता है।

(४) लेखा-परीक्षक का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने पद की अवधि में उन लेखाओं पर, जिनकी उन्होंने जाँच की है, और प्रत्येक बैलेंस शीट तथा लाभ-हानि के लेखा पर, और उस प्रत्येक के दूसरे लेखा पर, जो अधिनियम द्वारा उस बैलेंस शीट का, लाभ-हानि के लेखा का भाग या उससे संलग्न घोषित किया गया है, जो सामान्य अधिवेशन में कम्पनी के सामने पेश किये जाते हैं, कम्पनी के सदस्यों को प्रतिवेदन देगा। लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन (report) में विहित विवरण (prescribed particulars) अवश्य दिये जाने चाहिये। [धारा २२७ (२)] । लेखा-परीक्षक को प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करना चाहिये।

(५) एक लेखा-परीक्षक को चाहिये कि वह अपने को ईमानदारी से लेखाओं की सच्चाई के विषय में सन्तुष्ट करे। यदि वह किसी लेखा को सत्य प्रमाणित करता है यह जानते हुये कि वह मिथ्या (false) है, जो अपने को आपराधिक अभियोग (criminal prosecution) के लिये जिम्मेदार बनाता है। यदि एक युक्तियुक्त (reasonable) और प्रज्ञावान् (prudent) आदमी की तरह उसकी यह राय है कि कोई गलत कार्य किया गया है; तो वह उसकी ओर सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करेगा। जांच-पड़ताल करने में वह उन दस्तावेजों पर विश्वास करने का हकदार है, जो कम्पनी द्वारा उसके सामने पेश किये जाते हैं, जब तक कि उसके पास यह-विश्वास करने का कारण न हो कि कम्पनी के पदाधिकारी बेईमान हैं। कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों के परिणाम-स्वरूप उसके कर्त्तव्यों को निम्नलिखित रूप में संक्षिप्त किया जा सकता है :—

(क) उसको अपने को बैलेंस शीट की अंकगणितीय यथार्थता (arithmetical accuracy) को सत्यापित (verify) करने के कार्य तक सीमित नहीं करना चाहिये। उसे चाहिये कि वह उसकी सारवान् यथार्थता (substantial accuracy) की जाँच करे और यह अभिनिश्चित करे कि क्या इसमें कम्पनी के मामलों की हालत का सही और यथार्थ (correct) वर्णन किया गया है।

(ख) एक लेखा-परीक्षक का यह कर्त्तव्य है कि वह उस कार्य में, जिसको उसे करना है, वह कुशलता, सावधानी और सतर्कता लाये, जो प्रत्येक मामलों की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह जासूस हो या

इस संदेह के साथ, या पूर्वकल्पित किसी ऐसी धारणा से अपना काम करे कि कोई गलत काम अवश्य किया गया है। वह एक रक्षक की तरह है, भक्षक की तरह नहीं। उसके लिये कम्पनी के परीक्षित सेवकों पर विश्वास करना तथा यह मानना कि वे ईमानदार हैं और अपने निरूपण (representation) में विश्वसनीय हैं, उचित है, परन्तु उसे युक्तियुक्त सावधानी बरतनी चाहिये, किन्तु यदि कोई चीज, जो सन्देह उत्पन्न करती है, आ जाती है, तो वह उसकी तह तक निगरानी करने के लिये बाध्य है। जो कुछ उससे अपेक्षा की जाती है वह है एक युक्तियुक्त आदमी की सावधानी और प्रज्ञा (prudence), जो अपने पेशे में कुशल है।

(ग) उसे वाउचरों की उचित और युक्तियुक्त जाँच द्वारा यह अवश्य देखना है कि सभी भुगतान उचित रूप से किये गये हैं। यदि वह किन्हीं अवैध या अनुचित भुगतानों का पता लगाता है, तो उसे यह अवश्य चाहिये कि वह एक प्रतिवेदन द्वारा उसे प्रकाशित करे।

(घ) उसे कम्पनी की सही हालत जानने के लिये पुस्तकों की जाँच अवश्य करना चाहिये। इस बात पर उसे विचार नहीं करना है कि व्यापार दूरदर्शिता (prudence) के साथ चल रहा है कि नहीं। उसका कर्त्तव्य शेयरहोल्डरों को यह प्रतिवेदित (report) कराना है कि बैलेंस शीट, कम्पनी के मामलों की वास्तविक और यथार्थ स्थिति को प्रकट करती है कि नहीं और कम्पनी के सामने कम्पनी की सही आर्थिक स्थिति की आवश्यक सूचना पेश करना है। सलाह देना एक लेखा-परीक्षक के कर्त्तव्य का भाग नहीं है। उसको उन लेखाओं पर प्रतिवेदन देना चाहिये जो समवाय द्वारा उसके सामने रखे जाते हैं। उसका यह वैध कर्त्तव्य नहीं है कि वह डाइरेक्टरों या शेयरहोल्डरों को कर्ज देने की उनकी नीति के विषय में सलाह दे।

(ङ) उसे भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ का अध्ययन तथा कम्पनी के मेमोरेण्डम और आर्टिकिल्स का अध्ययन, अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिये, जो उस पर सौंपे गये हैं, अवश्य करना चाहिये।

(च) यदि कोई लेखा-परीक्षक उन जमानतों की वैयक्तिक रूप से जाँच करने की चूक करता है, जो किसी व्यक्ति, फर्म या कम्पनी की अभिरक्षा (custody) में हैं, जिनकी अभिरक्षा में उन्हें नहीं होना चाहिये, तो ऐसी चूक करना उसके लिये न्यायसंगत नहीं है और यदि उसे इसका पता चल जाता है, तो वह उस विषय को तुरन्त ठीक करा दे या शेयरहोल्डरों को रिपोर्ट कर दे।

V उधार लेने की शक्तियाँ
(Borrowing Powers)

प्रश्न ५६—उधार लेने की शक्तियों से तुम क्या समझते हो ? वे किस प्रकार प्रयोग की जाती हैं ?

What do you understand by the term "Borrowing powers" ? How can they be exercised ?

उधार लेने की शक्तियाँ

उत्तर—किसी कम्पनी की उधार लेने की शक्तियों का तात्पर्य सामान्यतया व्यापार के प्रयोजन के लिए उधार लेने की शक्ति से है। बहुसंख्यक कम्पनी जैसे साधारण व्यापारी अपने व्यापार के प्रयोजन के लिये समय-समय पर उधार लेना आवश्यक समझते हैं। इस प्रयोजन के लिये कम्पनी को उधार लेने की शक्तियाँ अवश्य रखनी चाहिए और वे शक्तियाँ मेमोरेण्डम द्वारा उसको अभिव्यक्त रूप से प्रदान की गई होनी चाहिए; अथवा कम्पनी के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए कि उधार लेने की शक्ति को उनका प्रासंगिक (incidental) माना जा सके, और उस अवस्था में ऐसी शक्ति को व्यापार चलाने के प्रयोजन के लिए निहित या विवक्षित (implied) मानना चाहिये। उधार लेने की शक्ति वाणिज्यिक व्यापार (commercial trading) तथा महाजनी कम्पनियों (banking companies) की स्थिति में विवक्षित (implied) होती है किन्तु इन कम्पनियों की स्थिति में भी सामान्यतया उधार लेने की शक्ति मेमोरेण्डम तथा आर्टिकिल्स में इसलिए अन्तर्विष्ट रहती है कि इस विवाद को हटा दिया जाय कि क्या ऐसी शक्ति कम्पनी के उद्देश्यों में विवक्षित (implied निहित) है। अन्य कम्पनियों को, मेमोरेन्डम में उधार लेने की शक्तियाँ अवश्य दी जानी चाहिए यदि उनको उधार लेना है। यदि मेमोरेन्डम निश्चित रूप से उधार लेने को मना करता है या एक सीमा विहित करता है (prescribes), जिसके अन्तर्गत ही उधार लिया जा सकता है, तो एक अवस्था में मेमोरेन्डम में के निषेध की, तथा दूसरी अवस्था में उधार लेने की सीमा को आर्टिकिल्स द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जहाँ कि कम्पनी में उधार लेने की शक्ति निहित है, वहाँ डाइरेक्टर को केवल सीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं।

यदि कोई कम्पनी उधार लेने के लिए प्राधिकृत है, तो वह अनेक प्रकारों में किसी भी प्रकार से उधार ले सकती है जैसे साधारण ऋण द्वारा, प्रोनोटों द्वारा, या

बैंक के ओवरड्राफ्टों द्वारा, गिरवी (pledge) द्वारा, वैधिक या साम्यिक बन्धक (legal or equitable mortgage) द्वारा, अपनी अचल या चल-सम्पत्ति पर भार द्वारा, डिबेन्चरों द्वारा, डिबेन्चर स्टाक द्वारा या सम्पत्ति पर चल भार द्वारा, या कम्पनी के समस्त उपक्रम पर भार द्वारा । कम्पनी अनभियाचित (uncalled) पूँजी को भी भारित कर सकती है ।

प्रश्न ५७—एक कम्पनी अपनी शक्तियों से उधार लेती है । उधार देने वाले को क्या उपचार उपलब्ध हैं ?

A company borrows beyond its powers. What are the remedies available to the lender ?

उत्तर—एक कम्पनी की उधर लेने की शक्तियाँ मेमोरेन्डम द्वारा यथावत् (strictly) सीमित कर दी गई हैं । जहाँ कि कोई कम्पनी मेमोरेन्डम में अन्तर्विष्ट निषेध के बावजूद भी उधार लेती है या मेमोरेन्डम में विहित सीमा के परे उधार लेती है, तो ऐसा कार्य कम्पनी की शक्ति के परे माना जाएगा । यह शेयरहोल्डरों द्वारा अनुसमर्पित नहीं किया जा सकता और इसे शून्य माना जाएगा ।

किन्तु यदि डाइरेक्टरों द्वारा उनकी शक्तियों के अतिरिक्त उधार लिया जाता है तो वह उधार लेना निस्संदेह डाइरेक्टरों की शक्ति के परे है लेकिन कम्पनी की शक्ति के परे नहीं है । ऐसा उधार शेयरहोल्डरों द्वारा अनुसमर्थित किया जा सकता है ।

किन्तु यदि ऋणदाता का धन कम्पनी के विधिपूर्ण ऋणों के भुगतान में प्रयुक्त किया गया है तो वह उस धन को इस आधार पर वसूल कर सकता है कि वह कम्पनी के ऋणदाता के रूप में स्थित है । ऐसी अवस्था में उधार देने वाला सब्रोगेशन के द्वारा उस ऋणदाता की स्थिति में हो जाता है, जो भुगता दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, यदि उधार दिए गये धन का पता लग सकता है या वह कम्पनी के किसी विनिधान (investment) में प्रयुक्त किया गया है, तो उधार देने वाला उसका अनुसरण कर सकता है और ऐसी रकम को वसूल कर सकता है, जिसको निपटाया नहीं गया है या उस प्रकार से लगाया गया है । यह भी निर्णय किया गया है कि यदि कम्पनी की चल संपत्तियाँ ऐसे उधार से बढ़ गई हैं, तो उधार देने वाला उस बढ़ती का हकदार है । (देखिये Sinclair v. Brougham, 1914 A. C. 398).

और भी यदि धन खर्च नहीं किया गया है, तो उधार देने वाला कम्पनी पर यह व्यादेश (injunction) जारी करवा सकता है कि कम्पनी को उस धन को

खर्च करने से रोका जाय, या वह प्राधिकार की निहित समाश्वासन (warranty) को भंग करने के कारण डाइरेक्टरों के विरुद्ध मुकदमा चला सकता है।

इस प्रकार "समामेलन" और "पुनर्निर्माण" शब्द कोई वैध या पारिभाषिक (technical) अर्थ नहीं रखते हैं। पुनर्निर्माण में नई कम्पनी पुरानी कम्पनी का भार ग्रहण करती है और उन्हीं शेयरहोल्डरों के साथ उसका संचालन करती रहती है जबकि समामेलन में दो से अधिक वर्तमान कम्पनियों का एक कम्पनी में एक सम्मिश्रण होता है और उन दोनों कम्पनियों के शेयरहोल्डर कई सम्मिश्रित (blended) कम्पनी के शेयरहोल्डर होते हैं। समामेलन से या तो एक नई कम्पनी का निर्माण होता है या एक कम्पनी, दूसरी कम्पनी में विलीन (absorbed) हो जाती है।

कम्पनियों के पुनर्निर्माण एवं समामेलन की प्रक्रिया :—धारा ३९१ के अधीन, किसी समझौते या व्यवस्था की मंजूरी के लिये, जैसा कि उसमें वर्णन किया गया है, न्यायालय में एक आवेदन देना चाहिये।

न्यायालय के समक्ष यह दिखाना चाहिये कि किसी एक कम्पनी या किन्हीं कम्पनियों के पुनर्निर्माण के लिये या किन्हीं दो या दो से अधिक कम्पनियों के समामेलन के लिये एक संयोजना (scheme) के प्रयोजन से समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित कर दी गई है; और—

(२) उस संयोजन के अधीन, उससे सम्बन्धित किसी कम्पनी के सारे उपक्रम (undertaking) सम्पत्ति या जिम्मेदारियों को या उनके किसी हिस्से को हस्तांतरी कम्पनी के पास हस्तांरित करना है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, उसके अनुसार न्यायालय के संतुष्ट हो जाने पर न्यायालय, उस समझौते या व्यवस्था को मंजूर करने वाले आदेश द्वारा या बाद में किसी आदेश द्वारा, निम्नलिखित सभी विषयों के लिये या उनमें से किसी एक विषय के लिये उपबन्ध कर सकता है :—

(१) हस्तान्तरक कम्पनी (Transferor Company) के सारे उपक्रम, सम्पत्ति या जिम्मेदारियों का, या उनके किसी भाग का, हस्तान्तरी कम्पनी के पास हस्तान्तरण के लिये :—

(२) हस्तान्तरी कम्पनी द्वारा उस कम्पनी में के शेयरों, डिबेंचरों या दूसरे वैसे ही हितों को बांटना या विनियोजन करना जिनको उस समझौते या व्यवस्था के अधीन बाँटना या लगाना हैं।

(३) हस्तान्तरी कम्पनी के द्वारा या खिलाफ की गई कार्यवाहियों का चालू रहना; जो हस्तान्तरक कम्पनी के द्वारा या खिलाफ की गई है, किन्तु लम्बित (pending) है;

(४) बिना समापन के ही हस्तान्तरक कम्पनी का विघटन करना;

(५) उन व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना जो उस समझौते या व्यवस्था से असहमत हो जाते हैं; और

(६) ऐसे प्रासंगिक आनुषांगिक या अनुपूरक विषय (incidental, consequential and supplemental matters) जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि पुनर्निर्माण या समामेलन पूर्ण रूप से और प्रभावी रूप से पूरा किया जायेगा। [धारा ३६४ (१)]।

न्यायालय का आदेश, जो सम्पत्ति या जिम्मेदारियों का उपबंध करता है, उनको हस्तान्तरी कम्पनी में निहित करता है और वह न्यायालय उस समझौते या व्यवस्था के आधार पर किसी संपत्ति को किसी भार से मुक्त (free होने का निदेश दे सकता है। [धारा ३६४ (२)]।

न्यायालय द्वारा आदेश होने के बाद १४ दिनों के भीतर प्रत्येक कम्पनी जिसके विषय में वह आदेश किया जाता है, उस अदेश की एक प्रमाणित प्रति (certified copy) करवायेगी और उसको रजिस्ट्रीकरण के लिये रजिस्ट्रार के पास पेश करेगी। [धारा ३६४ (३)]।

जहाँ कि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि यह लोक-हित में आवश्यक है कि दो या दो से अधिक कम्पनियाँ समामेलित (amalgamate) हों, वहाँ केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा जो आदेश सरकारी गजट में अधिसूचित किया गया हो, उन कम्पनियों के एक-एक कम्पनी में समामेलन (amalgamation) का नियम बना सकती है और उस समामेलित कम्पनी का संगठन (constitution) उसकी संपत्ति, शक्तियाँ, अधिकार, हित, प्राधिकार, विशेषाधिकार, जिम्मेदारी, कर्त्तव्य, और आभार वैसे ही होंगे, जैसा कि उस आदेश में उल्लिखित किये गये होंगे।

ऐसे आदेश में ऐसे आनुषंगिक, प्रासंगिक और अनुपूरक नियम रहेंगे, जो उस समामेलन को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हैं। [धारा ३६६ (१), (२)]।

ऐसा आदेश तब तक नहीं किया जायगा, जब तक कि उस प्रस्तावित आदेश की एक प्रारूपित नकल प्रत्येक सम्बन्धित कम्पनी को भेज न दी गयी हो और केन्द्रीय

सरकार ने उन सुझावों और आपत्तियों (objections) पर विचार न कर लिया हो, जो उसे किसी ऐसी कम्पनी से या इसके शेयरहोल्डरों से प्राप्त होते हैं। (धारा ३९६ (४)]।

उपर्युक्त नियम, जो धारा ३९६ में दिये गये हैं, पहले पहल १९५६ के अधिनियम में जोड़े गये हैं।

VI समामेलन और पुर्ननिमाण

(Amalgamation and Reconstruction)

प्रश्न ५८—पदों "समामेलन" और "पुर्ननिर्माण" से तुम क्या समझते हो ?

किस प्रकार और कब एक कम्पनी का समामेलन और पुर्ननिर्माण हो सकता है ?

What do you understand by the terms "amalgamation and reconstruction" ?

How and when reconstruction of a company and amalgamation take place ?

उत्तर—पुर्ननिर्माण वहां होता है, जहाँ कोई कम्पनी अपने सारे उपक्रम (undertaking) तथा संपत्ति को किसी नई कम्पनी के पास हस्तान्तरित (transfer) कर देती है, यह हस्तान्तरण एक व्यवस्था (arrangement) के अधीन किया जाता है, जिसके द्वारा पुरानी समवाय के शेयरहोल्डर नई कम्पनी में कुछ शेयरों या ऐसे ही दूसरे हितों को प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

एक कम्पनी का पुर्ननिर्माण निम्नलिखित तीन तरीकों से हो सकता है :—

(१) मेमोरेन्डम में दी गई शक्तियों के अधीन कम्पनी द्वारा अपने सारे उपक्रम (undertaking) की किसी नई कम्पनी के हाथ बेच दिये जाने से;

(२) परिसमापक द्वारा धारा ४९४ के अधीन, कम्पनी के उपक्रम को बेंच दिये जाने से; और

(३) धारा ३९१ के अधीन व्यवस्था (arrangement) की किसी संयोजन द्वारा। "व्यवस्था" में कम्पनी की शेयर पूँजी का पुनर्गठन (reorganisation) भी शामिल है, जो विभिन्न वर्गों के शेयरों के समेकन (consolidation) द्वारा, या

शेयरों को विभिन्न वर्गों में शेयरों को विभाजित करके, या इन दोनों तरीकों से किया जाता है।

समामेलन (amalgamation) का अर्थ होता है दो या दों से अधिक कम्पनिमों का एक कम्पनी में मिलना या दो या दो से अधिक कम्पनियों के व्यापार का एक-एक कंपनी के नियंत्रण में होना। 'समामेलन' पद का कोई निश्चित वैध अर्थ नहीं है। इसमें वस्तुओं की एक ऐसी स्थिति की कल्पना की गई है, जिसके अधीन दो कम्पनी दूसरे से इस तरह मिल जाती हैं कि उनके मिलने से एक तीसरी सत्ता (entity) का निर्माण हो जाता है या एक कम्पनी किसी दूसरी कम्पनी के साथ विलीन (absorbed) या सम्मिश्रित (blended) हो जाती है। समामेलन में नई कम्पनी का निर्माण शामिल है जो पुरानी कम्पनी के व्यापार को संचालित करती है लेकिन वह समामेलन केवल उसीतक सीमित नहीं है। एक कम्पनी एक व्यापार कार्य के रूप में दूसरी कम्पनियों के साथ किसी तरह से अपनी पूरी संपत्तियों को बेंच कर समामेलन (amalgamate) हो सकती है और वह रकम के लिये नहीं (अर्थात् बेंची के रूप में), बल्कि खरीदने वाली कम्पनी के शेयरों के लिये समामेलित हो सकती है।

प्रश्न ५६—"समझौता" या "व्यवस्था" का क्या अर्थ है? इनके बारे में उपबंधों का वर्णन कीजिये।

What do you mean by compromise and arrangement? State the provisions as to these.

उत्तर—समझौता का अर्थ (Meaning of compromise)—"समझौता पद में निस्संदेह एक करार (agreement) शामिल है, जो दो या दो से अधिक कम्पनियों के बीच में उनके अधिकारों के अभिनिश्चय के लिये किया जाता हैं, जब दावेदार (claimant) के अधिकारों के, निकटतम पाई तक (to the uttermost farthing) प्रवर्तन (enforcement) में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है। यह शब्द वहीं लागू होता है, जहाँ कि कोई विवाद (controversy) या ऐसी कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो। एक समझौते का अर्थ एक व्यवस्था से है, जो दो पक्षों के बीच में की जाती है और जिसके द्वारा वे दोनों रिआयत (concessions) करते हैं और कुछ चीजों को छोड़ते हैं।

व्यवस्था का अर्थ (Meaning of arrangement) :—धारा ३९० (ब) के अनुसार "व्यवस्था" शब्द में कम्पनी की शेयर पूँजी का पुनर्गठन (reoganisation) शामिल है, जो विभिन्न वर्गों के शेयरों के समेकन द्वारा या शैयरों के विभिन्न वर्गों के शेयरों में विभाजत द्वारा, या इन दोनों तरीकों से किया जाता है।

"व्यवस्था" शब्द "समझौता" शब्द से अधिक विस्तृत शब्द है और इसका अर्थ आवश्यक रूप से किसी ऐसी चीज से होता है, जो कुछ अर्थ में समझौता के समान होती है।

ऋणदाताओं और सदस्यो के साथ किये गये समझौते या व्यवस्था के सम्बन्ध म नियम जहाँ कि कोई समझौता या व्यवस्था:—

(क) एक कम्पनी और उसके ऋणदाताओं के बीच में, या

(ख) एक कम्पनी और उसके सदस्यों के बीच में—की जाती है, वहाँ न्यायालय कम्पनी के आवेदन पर, या कम्पनी के किसी ऋणदाता या सदस्य के आवेदन पर या किसी उस कम्पनी के मामले में, जो समापित की जा रही हो, परिसमापक के आवेदन पर, ऋणदाताओं की, या ऋणदाताओं के किसी वर्ग की, या सदस्यों की या सदस्यों के किसी वर्ग की एक बैठक बुलाई जाने का, उसे करने का, और न्यायालय के निदेशों के अनुसार संचालित करने का आदेश दे सकता है। [धारा ३६१ (१)]।

धारा ३६३ यह अपेक्षा करती है कि ऋणदाताओं की या ऋणदाताओं के किसी वर्ग की, सदस्यों की या सदस्यों के किसी वर्ग की बैठक की सूचना के साथ, जो बुलाई गयी हो एक विवरण अवश्य लगा रहना चाहिये जिसमें उस समझौते या व्यवस्था की शर्तों को अवश्य उल्लिखित किया गया हो और जिसमें उसके प्रभाव को भी स्पष्ट किया गया हो, और विशेषकर जिसमें कम्पनी के डाइरेक्टरों, मैनेजिंग डाइरेक्टरों वगैरह के सारवान हितों का वर्णन किया गया हो और उन हितों पर उस समझौते या व्यवस्था के प्रभाव का भी विवरण दिया गया हो, यदि वह उस प्रभाव से भिन्न हो, जो दूसरे व्यक्तियों के समान हितों पर पड़ता है। [धारा ३६३ (१) (अ)]

यदि किसी बैठक में ऋणदाता या सदस्य बहुमत से जो मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिपत्री (proxy) द्वारा उपस्थित होते हैं और मतदान करते हैं, किसी समझौते या व्यवस्था से सहमत हो जाते हैं जो वह समझौता या व्यवस्था न्यायालय द्वारा मंजूर की जा सकती है। न्यायालय को किसी संयोजना को मंजूरी देने के विषय में, जो इसके सामने लाई जाती है, बहुत विस्तृत विवेकाधिकार प्रदान किया गया है। यदि अपेक्षित (requisite) बहुमत से किसी संयोजना (scheme) को मंजूरी मिल भी गई हो तो भी इससे आवेदक (applicant) यथाक्रम से उस समझौते के लिये आदेश पाने का हकदार नहीं हो जाता है।

वह समझौता या व्यवस्था, जो न्यायालय द्वारा मंजूर हो गई हो, सभी

ऋणदाताओं और सदस्यों पर बन्धनकारी होती है और कम्पनी पर भी बन्धनकारी होती है या, उस कम्पनी की अवस्था में जो समापित हो रही हो उस कम्पनी के परिसमापक और अंशदायियों पर बन्धनकारी होती है। [धारा ३९१ (२)]।

उस संयोजना को मंजूर करने वाला आदेश तब तक कोई प्रभाव नहीं रखता है जब तक कि उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति (certified copy) रजिस्ट्रार के पास पेश न कर दी गई हो। [धारा ३९१ (३)]।

न्यायालय के आदेश की एक प्रति कम्पनी के मेमोरेण्डम के प्रत्येक प्रति के साथ लगा देनी चाहिये जो रजिस्ट्रार के पास उस आदेश की एक प्रमाणित नकल के पेश किये जाने के बाद प्रचलित किया गया है। [धारा ३९१ (४)]।

न्यायालय उस समय के बाद किसी भी समय, जब धारा ३९१ (१) के अधीन, संयोजना की मंजूरी के लिये आवेदन दे दिया गया हो, किसी वाद या कार्य-वाही की शुरुआत (Commencement) या चालू रहने को तब तक रोक सकता है, जब तक कि उस आवेदन का अन्तिम रूप से निपटारा न कर दिया गया हो। [धारा ३९१ (६)]।

संयोजनाओं को चालू करने की न्यायालय की शक्ति—जहाँ कि कोई उच्च न्यायालय एक ऐसा आदेश करता है, जो किसी कम्पनी के सम्बन्ध में किसी समझौते या व्यवस्था को मंजूरी देता है, वहाँ इसको उस समझौते या व्यवस्था के पालन के पर्यवेक्षण (supervise) करने की शक्ति प्राप्त है। और वह आदेश करने किसी भी समय या उसके बाद किसी समय, उस समझौते या व्यवस्था के उचित कार्य-संचालन के लिये निदेश दे सकता है। यदि उच्च न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट है कि वह समझौता या व्यवस्था, जो मंजूर की गई है, संतोषप्रद रूप में संचालित नहीं की जा सकती है, तो वह, या तो अपनी प्रेरणा से या किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर, जो उस कम्पनी के मामलों में हितबद्ध है, उस कम्पनी के समापन के लिये आदेश दे सकता है। (धारा ३९२)।

प्रश्न ६०—समझौता या व्यवस्था को स्वीकृति देने वाले न्यायालय के आदेश द्वारा क्षुब्ध पक्षकार को क्या उपचार उपलब्ध है ?

What is the remedy available to party aggrieved by the order of the court sanctioning the compromise or atrangement ?

उत्तर—असन्तुष्ट (aggrieved) पक्षकार (party) उस आदेश के विरुद्ध

एक अपील कर सकता है। धारा ३६१ (७) यह उपबन्ध करती है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा किये गये आदेश के विरुद्ध अपील होगी और उस न्यायालय में होगी, जिसे अपीलों को सुनने की शक्ति प्राप्त है। ऐसी अपील उस न्यायालय के फैसले के खिलाफ होगी, या यदि एक से अधिक न्यायालय अपील सुनने की शक्ति रखते हों तो अपील उनमें से अवर क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में (to the court of inferior jurisdiction) होगी।

VII समापन

(Winding up.)

प्रश्न ६१—कम्पनी के समापन से तुम क्या समझते हो ? यह कितने प्रकार से (या ढंगों से) संभव हो सकता है ?

What do you underseand by winding up of company ? In how many ways (or modes) it may be possible ?

उत्तर—(a) समापन का अर्थ—कम्पनी का समापन उसकी जिन्दगी की आखिरी दशा का सूचक है। इसका अर्थ कम्पनी के कार्यों को बन्द कर देना हैं। निम्नलिखित कारणों से इसका प्रयोग किया जा सकता है :—

(१) यदि कम्पनी एक सीमित मियाद के लिये इन्कार्पोरेट की गई हो, तो उस मियाद के समाप्त होने पर यह कम्पनी अवश्य समापित (wound up) हो जायेगी ; या

(२) यदि कम्पनी किसी विशेष व्यापार को करने के लिए निर्मित की गई हो, तो उस व्यापार के समाप्त होने पर समापित हो जाएगी; या

(३) यदि कुप्रबन्ध, अदूरदर्शिता या आर्थिक दशा के कारण कम्पनी को समापित करना आवश्यक हो जाय, तो वह समापित कर दी जायेगी।

(b) समापित करने के ढंग—भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ की धारा ४२५ यह नियम बनाती है कि किसी कम्पनी का समापन निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है :—

क्योंकि उस समय कम्पनी दिवालिया रहती है और अपने ऋणों को भुगताने में असमर्थ रहती है।

प्रश्न ६२—किन दशाओं में कम्पनी का न्यायालय द्वारा समापन हो सकता है ? कौन व्यक्ति समापन के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं, और समापन के आदेश का क्या प्रभाव पड़ता है ?

In what circumstances may a company be wound up by the Court ! Who are entitled to petition and what is the effect of a winding up order ?

न्यायालय द्वारा कम्पनी का समापन—

उत्तर—वे आधार और परिस्थितियाँ जिनमें न्यायालय किसी कम्पनी को समापित करने का आदेश दे सकता है, भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ की धाराओं ४३३ और ४३४ में गिनाई गई हैं। धारा ४३३ के अधीन एक कम्पनी न्यायालय द्वारा समापित की जा सकती है, यदि—

(क) कम्पनी ने विशेष संकल्प द्वारा यह प्रस्तावित किया है कि कम्पनी न्यायालय द्वारा समापित होनी चाहिए;

यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस आधार पर समापन बहुत कम होता है क्योंकि अक्सर सदस्य लोग कम्पनी को स्वेच्छा से समापित करना पसन्द करते हैं ताकि समापन में उनका भी प्रभाव रहे; या

(ख) रजिस्ट्रार के पास सांविधिक प्रतिवेदन (statutory report) अर्पित करने में चूक की जाती है या सांविधिक अधिवेशन (statutory meeting), करने में चूक की जाती है; या

(ग) वह कम्पनी अपने इन्कार्पोरेशन के समय से २ वर्ष के भीतर अपना व्यापार प्रारम्भ नहीं करती है, या पूरे वर्ष भर अपना कारबार बन्द रखती है।

इस विषय में न्यायालय को विवेकाधिकार प्राप्त है। यह समापित करने का आदेश देने से इन्कार करेगा यदि देरी होने का उचित कारण बताया जाता है और यह दिखाया जाता है कि कम्पनी अपने व्यापार को चलाना चाहती है या सदस्यों के बहुमत की यह इच्छा है कि कम्पनी अपना व्यापार चालू रखे। लेकिन कम्पनी ने अपना व्यापार क्यों नहीं प्रारंभ किया, यदि इस बात का कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बताया जाता है, तो समापित करने का आदेश दे दिया जायेगा; या

(घ) सदस्यों की संख्या कम कर दी जाती है, एक पब्लिक कंपनी के मामले में सात से कम कर दी जाती है और एक प्राइवेट कम्पनी के मामले में दो से कम कर दी जाती है; या

(ङ) कम्पनी अपने ऋणों को भुगताने में असमर्थ है; धारा ४३४ के अनुसार एक कम्पनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ समझी जायेगी यदि :—

(i) किसी ऋणदाता ने, जिसके प्रति कम्पनी ५००) रु० से अधिक देय रकम के लिये कर्जदार है, दूसरे को सौंप करके या किसी अन्य प्रकार से; उस कम्पनी पर, कम्पनी के कार्यालय में अर्पित करके या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या अन्य प्रकार से अपने हस्ताक्षर सहित माँग की एक सूचना तामील करवाई हो, जिसमें कम्पनी से देय रकम का भुगतान करने की अपेक्षा की गई हो और कम्पनी ने इस माँग-पत्र की प्राप्त के ३ सप्ताह बाद तक उस रकम को भुगताने मे उपेक्षा की हो या उस रकम के लिए जमानत देने में या उसको इस प्रकार समझौता करने में उपेक्षा [neglect) की हो जिससे कि ऋणदाता को युक्तियुक्त सन्तोष हो जाय; या

(ii) यदि कम्पनी के ऋणदाता के पक्ष में किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश पर निष्पादन की या अन्य कोई आदेशिका जारी की गई हो और वह बिना पूर्ण रूप से या भागतः (partly) उसका पालन हुये वापिस आ गई हो; या

(iii) यदि यह न्यायालय के सन्तोष-प्रद रूप में सिद्ध कर दिया जाता है कि कम्पनी की आकस्मिक तथा प्रत्याशी (prospective) जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी अपने कर्जों का भुगतान करने में असमर्थ है।

माँग को ऋणदाता के हाथ में सम्यक् रूप से दी गई तब कहा जाता है जब इस पर किसी एजेन्ट का या उसकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये किसी कानूनी सलाहकार का हस्ताक्षर होता है, या एक फर्म के मामले में जब इस पर किसी ऐसे एजेन्ट का, या कानूनी सलाहकार का, या फर्म के किसी सदस्य का हस्ताक्षर होता है।

(च) न्यायालय की यह राय हो कि यह उचित और साम्यिक (equitable) है कि कम्पनी को समापित किया जाय।

न्यायालय (च) खण्ड के अधीन उस दशा में समापन का आदेश दे सकता है :—

(१) जब कम्पनी अपनी वर्तमान माँगों को पूरी करने में असमर्थ हो जाती है; या

for winding up by the Court)—समापन के लिए एक आवेदन न्याया-लय में याचिका द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा—

(क) कम्पनी द्वारा; या

(ख) ऋणदाता या ऋणदाताओं के द्वारा, जिसमें आकस्मिक (contingent) या प्रत्याशी (prospective) ऋणदाता या अनेक ऋणदाता भी सम्मिलित हैं; या

(ग) किसी अन्शदायी या अन्शदायियों (contributories) के द्वारा; या

(घ) खण्ड (अ), (ब), (स) में उल्लिखित सभी पक्षकारों द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चाहे साथ-साथ या अलग-अलग, या

(ङ) रजिस्ट्रार द्वारा, या

(च) किसी उपयुक्त मामले में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो।

याचिका पेश करने के प्रयोजन के लिए, एक प्रतिभूत (secured) ऋण-दाता को, डिबेन्चरों को धारण करने वाले व्यक्ति को, डिबेन्चर स्टाक धारण करने वाले व्यक्ति को, डिबेन्चर होल्डरों के न्यासधारी (trustee) को 'ऋणदाता' माना जाता है।

एक अंशदायी कम्पनी के समापन के लिये एक याचिका पेश कर सकता है, चाहे वह—

(i) पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों को धारण करता हो, या

(ii) कम्पनी के पास कुछ भी संपत्तियाँ न हों, या

(iii) जिम्मेदारियों के भुगतान के बाद शेयरहोल्डरों के बीच में वितरण करने के लिये कम्पनी के पास सरप्लस संपत्तियाँ न बची हों,

एक अंशधारी किसी समवाय के समापन के लिये कोई याचिका पेश करने के लिये तब तक हकदार नहीं है, जब तक कि—

(क) किसी पब्लिक कम्पनी के मामले में, सदस्यों की संख्या सात से कम तथा किसी प्राइवेट कम्पनी के मामले में सदस्यों की संख्या दो से कम नहीं कर दी जाती है, या

(ख) वे शेयर, जिनके विषय में वह अंशदायी है, या तो उसे प्रारम्भ में ही

बाँटे न गये हों या समापन के प्रारम्भ होने के तुरन्त पहले १८ महीनों के दरम्यान में छः महीनों तक उसके द्वारा न तो धारण किये गये हों और न उसके नाम से रजिस्ट्रीकृत किये गये हों।

रजिस्ट्रार केन्द्रीय सरकार की मन्जूरी से कोई याचिका केवल इसी आधार पर पेश कर सकता है कि कम्पनी की आर्थिक स्थिति उसके बैलेंस शीट में प्रकट कर दी गई है या निरीक्षक का प्रतिवेदन (report) ऐसा है कि कम्पनी अपने कर्जों को चुकाने में असमर्थ है। (धारा ४३६)

न्यायालय द्वारा किसी कम्पनी के समापन की बाबत यह समझा जाता है कि वह कम्पनी उस समय नहीं प्रारंभ होती है जब समापन के लिये याचिका पेश की जाती है।

समापन की याचिका के साथ-साथ उस व्यक्ति का एक हलफनामा (affidavit) होना चाहिये, जो उसे पेश करता है और उसमें आधारों का वर्णन होना चाहिये जिन पर समापन चाहा जाता है। याचिका की सुनवाई के समय, न्यायालय, कम्पनी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर (reasonable opportunity) प्रदान करने के बाद, उस मामले के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करेगा और वह उस याचिका को खारिज कर सकता है, मन्जूर कर सकता है, और कम्पनी को समापित करने का आदेश भी जारी कर सकता है।

प्रश्न ६४—न्यायालय के द्वारा किये गये समापन आदेश के परिणामों का वर्णन कीजिये।

Describe the consequences of winding up order made by the Court

उत्तर—धारायें ४४६ और ४४७ समापन के आदेश के परिणामों का संव्यवहार करती हैं। धारा ४४६ यह नियम बनाती है कि जब किसी कम्पनी के संबंध में समापन का आदेश हो गया हो, या सरकारी परिसमापक (Official Liquidator) अस्थायी (provisional) परिसमापक नियुक्त कर दिया गया हो, तो कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी, या यदि समापन के आदेश की तारीख पर लम्बिल (pending) हो तो न्यायालय की अनुमति के सिवाय और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि न्यायालय लागू करे, कम्पनी के खिलाफ चलाई जायगी [उप-धारा (१)]

कम्पनी को समापित करने वाले न्यायालय को—

(क) कम्पनी के द्वारा, या कम्पनी के खिलाफ विए गए किसी मुकदमे या कार्यवाही को;

(ख) कम्पनी के द्वारा या कम्पनी के खिलाफ किए गए किसी दावे को, (जिसमें वे दावे भी शामिल हैं, जो भारत में उसकी शाखाओं के द्वारा या उनके खिलाफ किए गए हैं);

(ग) कम्पनी द्वारा या कम्पनी के संबन्ध में धारा ३६१ के अधीन किये गये आवेदन को;

(घ) प्राथमिकताओं (priorities) के किसी प्रश्न को या किसी दूसरे प्रश्न को, जो भी हो, चाहे वह कानूनी प्रश्न हो या तथ्य का प्रश्न हो, जो कम्पनी के समापन से संबन्ध रखता हो या उससे उत्पन्न होता हो [धारा ४४५ (२)]—ग्रहण करने या निपटाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

समापन के आदेश का दूसरा प्रभाव यह है कि किसी कम्पनी को समापित करने का आदेश उस कम्पनी के सभी ऋणदाताओं तथा अंशदायिओं (Contributories) के पक्ष में इस प्रकार लागू होता है कि मानों वह आदेश एक ऋणदाता और एक अंशदायी की संयुक्त याचिका (joint petition) पर किया गया है। (धारा ४४७)

प्रश्न ६५– किन दशाओं में कम्पनी का ऐच्छिक समापन हो सकता है ?

शोधनक्षमता (declaration of solvency) से क्या आशय है और इसका ऐच्छिक समापन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

In what circumstances may a Company be wound up voluntarily ?

What is meant by declaration of solvency, and how does it affect a voluntary winding up ?

उत्तर—वे परिस्थितियाँ जिनमें कम्पनी स्वेच्छा से समापित की जा सकती है—भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा ४८४ उन परिस्थितियों का विवरण देती है, जिनमें कम्पनी स्वेच्छा से समापित की जा सकती है। उस धारा के अनुसार एक कम्पनी नीचे लिखे हुये तरीकों से स्वेच्छा से समापित की जा सकती है:—

(१) (अ) जब वह मियाद, जो आर्टिकिल्स द्वारा कम्पनी के चालू रहने के लिये नियत की गई थी, समाप्त हो गई हो; या

(ब) जब कोई ऐसी घटना घट गई हो, जिसके घटने पर आर्टिकिल्स यह कहती हो कि कम्पनी को विघटित हो जाना है और जब कम्पनी सामान्य अधिवेशन (आम-सभा) में एक संकल्प (resolution) पारित करती है, जिसमें कम्पनी को स्वेच्छा से समापित करने की अपेक्षा की गई हो; या

(२) विशेष संकल्प द्वारा कम्पनी स्वेच्छा से समापित की जाय।

(d) स्वेच्छा से समापित करने का प्रभाव (effect of voluntarily winding up)—भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ की धारा ४८७ यह नियम बनाती है कि स्वेच्छा से समापित होने की दशा में कम्पनी, समापन के प्रारम्भ से अपने व्यापार को बन्द कर देगी लेकिन उस सूरत के सिवाय जिसमें उस व्यापार के लाभ-प्रद समापन के लिये अपेक्षित हो। किन्तु कम्पनी की कार्पोरेट दशा और कार्पोरेट शक्तियाँ तब तक चालू रहेंगी, जब तक वह कम्पनी विघटित नहीं हो जाती है।

शोधन-क्षमता की घोषणा और इसका ऐच्छिक समापन पर प्रभाव (Declaration of solvency and its effect on voluntary winding up) :—जहाँ किसी कम्पनी के स्वैच्छिक समापन का प्रस्ताव हो, तो उसके डाइरेक्टरों या यदि कम्पनी के दो से अधिक डाइरेक्टर हैं, तो डाइरेक्टरों का बहुमत, बोर्ड की मीटिंग में, शपथपत्र द्वारा सत्यापित एक घोषणा कर सकेंगे कि उन्होंने कम्पनी के कारोबार की पूरी जांच की है, और ऐसा करने के बाद, उनका यह मत है कि कम्पनी का कोई ऋण नहीं है, या कि कम्पनी अपने ऋणों का भुगतान, समापन के प्रारंभ से ऐसी अवधि के भीतर, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, कर सकेगी, जैसा कि घोषणा में उल्लिखित किया जाएगा।

उपरोक्त घोषणा का ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक कि (क) इसे कम्पनी के समापन के लिये प्रस्ताव पारित किए जाने की तारीख से ठीक पिछले ५ सप्ताहों में न किया गया हो और उस तारीख से पहले रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिये परिदत्त न कर दिया गया हो, और (ख) उसके साथ (ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार और जहां तक परिस्थितियों द्वारा तैयार करना संभव हो) कम्पनी के ऑडिटरों द्वारा कम्पनी के लाभ-हानि के लेखे और बैलेन्स शीट पर तैयार की गई रिपोर्ट, जिसमें कम्पनी की परिसम्पत् और दातव्यों का कथन भी हो, न लगाया गया हो। हानिलाभ का लेखा कम्पनी के अन्तिम हानिलाभ के लेखे की तारीख से लेकर घोषणा किये जाने के पहले अन्तिम व्यवहार्य तारीख तक के लिये होना चाहिये, और

बैलेंस शीट भी अन्तिम व्यवहार्य तारीख तक तैयार किया गया होना चाहिये। परिसम्पत् और दातव्यों का कथन भी इसी प्रकार इस अन्तिम व्यवहार्य तारीख तक के लिये होगा। आडिटरों की रिपोर्ट इसी अवधि के लिये लाभहानि के लेखे, बैलेन्स शीट और परिसम्पत् और दातकों के कथन के संदर्भ में होगी।

यदि घोषणा के बाद पाँच सप्ताह की अवधि के भीतर पारित किये गये प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी का समापन कर दिया जाता है, लेकिन यदि घोषणा में उल्लिखित अवधि के भीतर उसके ऋणों का भुगतान नहीं किया जाता, या उनका पूर्ण प्राविधान नहीं किया जाता, तो यह अनुमान किया जायगा, जब तक कि इसके विपरीत न दिखाया जाय, कि डाइरेक्टर के पास अपने मत के लिये युक्तिसंगत आधार नहीं था। यदि कोई डाइरेक्टर बिना युक्तिसंगत आधार के घोषित करता है कि कम्पनी उल्लिखित अवधि के भीतर अपने ऋणों का भुगतान कर सकेगी तो वह कारावास और जुर्माने द्वारा दंडनीय होगा।

ऐसे समापन को जिसमें शोधक्षमता की घोषणा की गई है और उसे उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार परिदत्त किया गया है, 'सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन' कहा जाता है, और ऐसे समापन को, जिसमें कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई या परिदत्त की गई है "ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक समापन" कहा जाता है। (धारा ४८८)। ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक समापन ऐसी कम्पनी को लागू होता है जिसके पास दातव्यों के पूर्ण भुगतान के लिये पर्याप्त परिसम्पत् नहीं होती।

प्रश्न ६५— सदस्यों के स्वैच्छिक समापन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।

Describe the procedure followed in members' voluntary winding up.

उत्तर—स्वेच्छा से समापित करने के संकल्प का प्रकाशन :—जब किसी कम्पनी ने स्वेच्छा से समापित करने का संकल्प पारित कर दिया है, तो वह उस संकल्प के पारित होने के १४ दिनों के भीतर उस संकल्प की सूचना सरकारी गजट में और किसी अखबार में, विज्ञापन (advertisement) द्वारा जो उस जिले में प्रचलित है, जिसमें उस कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित (situate) है, देगी। (धारा ४८५)

स्वेच्छा से किये गये समापन का प्रारम्भ (Commencement of voluntary winding up) :—स्वेच्छा से किये गये समापन का प्रारम्भ उस

समय से समझा जायेगा, जब स्वेच्छा से समापन के लिए संकल्प पारित किया जाता है। (धारा ४८६)

शोध-क्षमता की घोषणा— जहाँ कि किसी कम्पनी को स्वेच्छा से समापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, वहाँ उसके डाइरेक्टर या उस अवस्था में, जब कम्पनी के पास दो से अधिक डाइरेक्टर हों, तो उन डाइरेक्टरों की बहुसंख्या बोर्ड के अधिवेशन में, यह एक घोषणा, जो उस प्रभाव तक एक हलफनामा द्वारा सत्यापित की (verified) गई हो, कर सकती है कि उन्होंने कम्पनी के मामलों की पूरी जाँच की है और उनकी यह राय है कि कम्पनी के पास कोई कर्ज नहीं है या वह अपने कर्जों को ऐसी अवधि के भीतर दे सकेगी, जो समापन प्रारंभ होने के समय से तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी, जैसा कि घोषणा में उल्लिखित किया जा सकता है। जिस तारीख को समापन के लिये संकल्प पारित किया जाता है, उस तारीख के तुरन्त पहले ५ सप्ताहों के भीतर घोषणा कर देनी चाहिये ताकि वह अपना प्रभाव रख सके और उस तारीख के पहले रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण के लिये दे देनी चाहिए और इसके साथ-साथ कम्पनी के लेखा-परीक्षकों (auditors) के उस प्रतिवेदन (report) की एक प्रति भी होनी चाहिये, जो कम्पनी के लाभ और हानि के लेखा पर दिया जाता है, और वह उस अवधि (period) का होता है, जो उस तारीख से शुरू होती है, जिस पर पिछला ऐसा ही लेखा तैयार किया गया था और उस नवीनतम सम्भव तारीख पर खत्म होती है, जो घोषणा के तुरन्त पहले पड़ती है और उसके साथ-साथ बैलेन्सशीट की भी एक प्रति रहेगी, जो आखिरी तारीख पर दिखाई गई थी तथा उसमें उस तारीख पर की कम्पनी की सम्पत्तियों तथा जिम्मेदारियों का विवरण (statement) भी लगा रहेगा। (धारा ४८८)

सदस्यों की स्वेच्छापूर्वक समापन की प्रक्रिया (Procedure for members' voluntary winding up)—सदस्यों की स्वेच्छापूर्वक समापन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया धाराओं ४९० से लेकर ४९८ में दी हुई है।

(१) परिसमापकों की नियुक्ति तथा उनके मेहनताना को नियत करना (Appointment and fixation of remuneration of liquidators)—धारा ४९० के अधीन कंपनी सामान्य अधिवेशन में अपने कार्योंको समापित करने के लिये एक या अनेक परिसमापकों को नियुक्त करेगी, जो कम्पनी की संपत्तियों का वितरण (distribute) करेंगे और परिसमापकों को दिये जाने वाले मेहनताना को नियत करेंगे। मेहनताना नियत हो जाने के बाद परिसमापक अपने पद का भार ग्रहण करेगा।

(२) बोर्ड की शक्तियों का अन्त—एक परिसमापक की नियुक्ति हो जाने पर, बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स की शक्तियों का अन्त हो जायगा किन्तु रजिस्ट्रार को ऐसी नियुक्ति की सूचना देने के लिये वे शक्ति रखेंगे। (धारा ४६१)

(३) परिसमापक के पद की रिक्तता को भरना— यदि किसी नियुक्त परिसमापक (liquidator) का पद मृत्यु, इस्तीफा या किसी अन्य प्रकार से खाली होता है, तो कम्पनी उस खाली जगह को सामान्य अधिवेशन में भर सकती है। (धारा ४६२)

(४) परिसमापक की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार को देना— कम्पनी ने परिसमापक की जो नियुक्ति की है, उसकी सूचना परिसमापक को देनी होगी, और परिसमापक के पद में खाली होने वाली जगह की, और उस खाली जगह को भरने के लिये नियुक्त किये गये परिसमापक के नाम की सूचना रजिस्ट्रार को देनी होगी। कम्पनी द्वारा उस घटना के १० दिनों के भीतर जिससे वह संबन्धित हैं, ऐसी सूचना अवश्य देनी चाहिये। (धारा ४६३)

(५) कम्पनी की सम्पत्ति की बेची के लिये प्रतिफल के रूप में शेयरों वगैरह को स्वीकार करने की कम्पनी की शक्ति— हस्तान्तरण करने वाली कम्पनी का परिसमापक, उस कम्पनी के विशेष संकल्प की मन्जूरी से, जो परिसमापक को या तो कोई सामान्य प्राधिकार (a general authority) देता है, या किसी विशेष व्यवस्था (particular arrangement) के लिये कोई प्राधिकार प्रदान करता है—

(क) हस्तान्तरण (transfer) या बेची के लिये मुआवजा के रूप में हस्तान्तरी कम्पनी (transferee company) में शेयरों, बीमा पालिसियों या दूसरे हितों को ग्रहण कर सकता है और उनको हस्तान्तरक कम्पनी (transferor company) के सदस्यों में वितरित करने के लिये भी वैसा कर सकता है, या

(ख) कोई ऐसा समझौता कर सकता है, कि जिससे हस्तान्तरक कम्पनी के सदस्य नकदी या शेयरों वगैरह को लेने के बजाय ट्रान्सफरी कम्पनी के लाभ में हाथ बँटा सकते हैं या उससे कोई दूसरा फायदा उठा सकते हैं। (धारा ४६४)

(६) प्रत्येक वर्ष के अन्त में सामान्य अधिवेशन करना— उस दशा में, जब समापन एक वर्ष से अधिक समय तक जारी रहता है, परिसमापक—

(क) समापन शुरू होने के पहले वर्ष के अन्त में कम्पनी का सामान्य अधिवेशन (आम बैठक) बुलायेगा या प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष के अन्त में, या जितनी जल्दी हो सके

उतनी जल्दी उस वर्ष के अन्त से ३ महीने के भीतर या उतनी लंबी अवधि के भीतर जैसा कि केन्द्रीय सरकार मन्जूर करे, सामान्य अधिवेशन बुलायेगा, और

(ख) अधिवेशन के सम्मुख पिछले वर्ष में किये गये अपने कार्यों, संव्यवहारों (dealings) तथा समापन के संचालन (conduct) का लेखा प्रस्तुत करेगा और उसके साथ-साथ विहित प्ररूप (prescribed form) में एक विवरण रहेगा, जिसमें परिसमापन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विहित विवरण (prescribed particulars) अन्तर्विष्ट होंगे। (धारा ४६६)

(७) अन्तिम अधिवेशन और विघटन (Final meeting and dissolution)—धारा ४६७ के अनुसार कम्पनी के कार्य ज्यों ही पूर्ण रूप से समापित हो जाते हैं, त्योंही परिसमापक—

(क) समापन का एक लेखा (account) तैयार करेगा, जिसमें यह दिखायेगा कि समापन कैसे संचालित किया गया गया है और कम्पनी की सम्पत्ति कैसे निपटाई गई है; और

(ख) कम्पनी का एक सामान्य अधिवेशन बुलायेगा ताकि वह उसके सम्मुख लेखा रख सके और उसका स्पष्टीकरण (explanation) कर सके।

अधिवेशन के बाद १ सप्ताह के भीतर, परिसमापक रजिस्ट्रार के पास उस लेखा की एक प्रति भेजेगा और उसको अधिवेशन करने का तथा अधिवेशन करने की तारीख का विवरण देगा। रजिस्ट्रार उस लेखा और विवरण को पाने के बाद तुरन्त उनको रजिस्ट्रीकृत करेगा और उनके रजिस्ट्रीकरण से ३ महीने बीत जाने के बाद, कम्पनी को विघटित (dissolved) समझा जायेगा। लेकिन न्यायालय, परिसमापक के आवेदन पर या किसी दूसरे व्यक्ति के आवेदन पर, जो न्यायालय को दृष्टि में हित-बद्ध प्रतीत होता है, उस तारीख को जिस पर कम्पनी का विघटन होने वाला हो, उतने समय के लिये रोक सकता है, जितना कि वह ठीक समझे।

प्रश्न ६७—ऋणदाताओं के स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से विवेचन कीजिये।

Describe fully the procedure that should be followed in Creditor's voluntary winding up.

उत्तर—ऋणदाताओं के स्वेच्छापूर्वक समापन में लागू होने वाली प्रक्रिया—ऋणदाताओं के स्वेच्छापूर्वक समापन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ५०० से ५०६ धाराओं में दी गई है। प्रक्रिया नीचे दी जाती है :—

१—ऋणदाताओं की बैठक (Meeting of creditors):—कम्पनी उस दिन पर, या उस दिन के तुरन्त बाद आने वाले किसी दिन पर, जिस पर कम्पनी का सामान्य अधिवेशन होने वाला हो और अधिवेशन में स्वेच्छापूर्वक समापन के लिए संकल्प प्रस्तावित होने वाला हो, उस कम्पनी के ऋणदाताओं की एक बैठक बुलवायेगी, और कम्पनी के अधिवेशन की सूचनाओं के साथ-साथ ऋणदाताओं की बैठक की सूचनायें डाक द्वारा ऋणदाताओं को देगी। कम्पनी का बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स ऋणदाताओं की सूची तथा अपने दावों की आँकी गई रकम के साथ, कम्पनी के मामलों की स्थिति का एक पूर्ण विवरण होने वाली ऋणदाताओं की बैठक में पेश करेगा और उन डाइरेक्टरों में से किसी एक डाइरेक्टर को उस बैठक का सभापति नियुक्त करेगा। (धारा ५००)।

(२) ऋणदाताओं की बैठक में पारित किये गये संकल्पों की सूचना देना— कम्पनी द्वारा ऋणदाताओं की बैठक में पारित किये गये संकल्प की सूचना उस संकल्प के पारित होने के १० दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को दे दी जायेगी। (धारा ५०१)

(३) परिसमापक की नियुक्ति (Appointment of Receiver):—ऋणदाता तथा कम्पनी अपने-अपने अधिवेशन पर कम्पनी के कार्यों को समापित करने के लिये तथा कम्पनी की संपत्तियों को वितरित करने के लिये किसी व्यक्ति को परिसमापक के रूप में नामित (nominate) कर सकते हैं, यदि ऋणदाता तथा कम्पनी दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को नामित करते हैं तो ऋणदाताओं द्वारा नामित किया गया व्यक्ति परिसमापक होगा। यदि ऋणदाता किसी व्यक्ति को नामित नहीं करते हैं, तो कम्पनी द्वारा नामित किया गया व्यक्ति परिसमापक बनेगा और यदि कम्पनी किसी व्यक्ति को नामित नहीं करती है; तो ऋणदाताओं द्वारा नामित किया गया व्यक्ति परिसमापक बनेगा। (धारा ५०२)।

(४) निरीक्षण समिति की नियुक्ति (Appointment of committee of inspection)—ऋणदाता अपनी बैठक में या अपने पश्चाद्वर्ती (subsequent) बैठक में निरीक्षण करने की एक समिति नियुक्त कर सकते हैं, जिसमें पाँच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। यह समिति नियुक्त हो जाती है, तो कम्पनी या तो उस अधिवेशन में, जिसमें स्वेच्छापूर्वक समापन के लिये संकल्प पारित किया जाता है या उसके बाद होने वाले किसी अधिवेशन में पाँच व्यक्तियों से अनधिक (not more than) व्यक्तियों की उस समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के

लिये नियुक्त कर सकती है। किन्तु ऋणदाता यह संकल्प कर सकते हैं कि कम्पनी द्वारा उस प्रकार से नियुक्त किये गये सभी व्यक्तियों या उनमें से कुछ व्यक्तियों को निरीक्षण-समिति का सदस्य नहीं होना चाहिये। यदि ऋणदाता ऐसा संकल्प करते है, तो वे व्यक्ति, जो संकल्प में वर्णित किये गये हैं, जब तक न्यायालय अन्यथा (otherwise) निदेश नहीं देती है तब तक उस समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये योग्य नहीं बन सकते हैं। (धारा ५०४)

(५) परिसमापक के मेहनताना को नियत करना निरीक्षण समिति या यदि ऐसी कोई समिति न हो तो ऋणदाता लोग परिसमापक या परिसमापकों को दिये जाने वाले मेंहनताना को नियत (fix) कर सकते हैं। जहाँ कि मेहनताना नियत नहीं किया गया है, वहाँ यह न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (धारा ५०४)

(६) बोर्ड की शक्तियों का अन्त—परिसमापक की नियुक्ति हो जाने पर बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स की सारी शक्तियों का अन्त हो जायेगा।

(७) कम्पनी की सम्पत्ति की बेंची के लिये प्रतिफल के रूप में शेयरों वगैरह को स्वीकार करने की कम्पनी की शक्ति ट्रान्सफरर कम्पनी का परिसमापक, उस कम्पनी के विशेष संकल्प की मन्जूरी से, जो परिसमापक को या तो कोई सामान्य प्राधिकार (general authority) देता है या किसी विशेष व्यवस्था के लिये कोई प्राधिकार प्रदान करता है—

(क) हस्तान्तरण (transfer) या बेंची के लिये मुआवजा के रूप में ट्रान्सफरी कम्पनी में, शेयरों, बीमा-पालिसियों के या दूसरे हितों को ग्रहण कर सकता है और उनको ट्रान्सफरर कम्पनी के सदस्यों के वितरित करने के लिये भी वैसा कर सकता है, या

(ख) कोई ऐसा समझौता कर सकता है, जिससे ट्रान्सफरर कम्पनी के सदस्य नकदी या शेयरों वगैरह को लेने के बजाय ट्रान्सफरी कम्पनी के लाभ में हाथ बँटा सकते हैं या उससे कोई दूसरा फायदा उठा सकते हैं।

परिसमापक इस शक्ति का प्रयोग या तो न्यायालय की या निरीक्षण-समिति की मन्जूरी से ही कर सकते हैं।

(८) कम्पनी और ऋणदाताओं की बैठकें बुलाना—उस दशा में, जब समापन एक वर्ष से अधिक समय तक जारी रहता है, परिसमापक—

(क) समापन शुरू होने के पहले वर्ष के अन्त में कम्पनी का सामान्य अधिवेशन बुलायेगा, या प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष के अन्त में, या जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी

उस वर्ष के अन्त से ३ महीनों के भीतर या उतनी लम्बी अवधि के भीतर जैसा कि सरकार मन्जूर करे, सामान्य अधिवेशन बुलायेगा, और

(ख) अधिवेशन के सम्मुख पिछले वर्ष में किये गये अपने कार्यों, संव्यवहारों (dealings) तथा समापन के संचालन (conduct) का लेखा प्रस्तुत करेगा और उसके साथ-साथ विहित प्ररूप (prescribed form) में एक बयान रहेगा, जिसमें परिसमापन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विहित बयान (prescribed particulars) अन्तर्विष्ट होंगे। (धारा ५०८)

(६) अन्तिम अधिवेशन और बैठक (Final meeting and dissolution) – ज्योंही कम्पनी के मामलों का समापन हो जाय, त्योंही

(क) समापन का एक लेखा तैयार करेगा, जिसमें यह दिखायेगा कि कम्पनी का समापन कैसे संचालित हुआ है और कैसे कम्पनी की संपत्ति का निपटारा किया गया है; और

(ख) उस लेखा (account) को बैठकों के सामने रखने के लिए तथा उसका स्पष्टीकरण देने के लिए कम्पनी का अधिवेशन एवं ऋणदाताओं की एक बैठक बुलायेगा।

बैठक की तारीख से एक सप्ताह के भीतर या यदि उसी तारीख पर कम्पनी की तथा ऋणदाताओं की बैठकें नहीं बुलाई जाती हैं, तो बाद में होने वाली बैठक की तारीख के बाद, परिसमापक रजिस्ट्रार के पास उस लेखा की एक प्रति (copy) भेजेंगे और उसको वे उन बैठकों के बुलाने का विवरण (return) देंगे और उस तारीख या उन तारीखों का भी विवरण देंगे, जिन पर वे बैठकें की गई थीं। उस लेखा तथा उस विवरण को पा जाने पर रजिस्ट्रार तुरन्त उन्हें रजिस्ट्रीकृत करेगा और उनके रजिस्ट्रीकरण से तीन महीनों के बीत जाने के बाद कम्पनी को विघटित (dissolved) समझा जायेगा।

प्रश्न ६८—'न्यायालय के पर्यवेक्षण में समापन' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

Write a note on "the winding up under the supervision of the court."

उत्तर—न्यायालय के पर्यवेक्षण में समापन (Winding up subject to supervision of the court)—न्यायालय के पर्यवेक्षण में समापन भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ के अध्याय ४ में अन्तर्विष्ट ५२२ से लेकर ५२७ तक की

धाराओं में संव्यवहृत किया गया है। न्यायालय के पर्यवेक्षण में किया गया समापन, न्यायालय के आदेश द्वारा किये गये समापन से भिन्न होता है। पहले में स्वेच्छापूर्वक समापन (voluntary winding up) की पूर्वकल्पना की जाती है किन्तु बाद वाले में समापन न्यायालय के प्रत्यक्ष प्राधिकार से सरकारी परिसमापक (official liquidator) द्वारा किया जाता है, लेकिन पहले वाले में ऋणदाता अंशदायी (contributories) तथा दूसरे व्यक्ति अपनी आवाज उठाने का पर्याप्त अवसर पाते हैं।

जब कम्पनी ने स्वेच्छापूर्वक समापन के लिए कोई संकल्प पारित कर दिया हो तो उसके बाद न्यायालय उसी आदेश से या किसी बाद के आदेश से एक और भी परिसमापक नियुक्त कर सकता है। तो भी साधारण तौर से पुराना परिसमापक कार्य करता है। वह कम्पनी की संपत्तियों की संरक्षा के लिए न्यायालय से आदेशों के लिये आवेदन कर सकता है। सामान्यतया, उसे वही अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गए किसी सरकारी परिसमापक को प्राप्त होते हैं। पर्यवेक्षण-आदेश का प्रभाव यह है कि परिसमापक, न्यायालय द्वारा आरोपित किये गये रुकावटों के अधीन रहते हुये बिना न्यायालय की मन्जूरी या हस्तक्षेप के, उसी तरह अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, मानो वह कम्पनी स्वेच्छा से समापित की गई है। इसके अलावा, वह आदेश समापन का आदेश होता है, जिसमें मुकदमों को तथा अन्य कार्यवाहियों को रोकना भी शामिल है और वह आदेश न्यायालय को माँगों को करने तथा उनको लागू करने का पूर्ण अधिकार देता है तथा उन सभी शक्तियों को प्रयुक्त करने का पूर्ण अधिकार देता है, जिनको इसने प्रयुक्त किया होता, यदि कम्पनी के समापन के लिये न्यायालय द्वारा कोई आदेश किया गया होता।

पर्यवेक्षण-आदेश का उद्देश्य सामान्य रूप से अल्पसंख्यक अंशदायियों (contributories) के हितों की संरक्षा करना है, और यह आदेश उन आधारों पर किया जाता है, जो न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को न्याय-संगत (justify) बनाते हैं जैसे पक्षपात (partiality), प्रमाद (negligence) या जब समापन उचित रूप से संचालित नहीं किया जाता है। न्यायालय को यह नहीं चाहिए कि वह किसी एक शेयरहोल्डर की याचिका (petition) पर बहुसंख्यक शेयरहोल्डरों की इच्छाओं के खिलाफ ऐसा आदेश पारित करे। वह ऋणदाता पर्यवेक्षण-आदेश (supervision order) का हकदार नहीं है, जो यह आपत्ति करता है कि स्वेच्छापूर्वक समापन की कार्यवाहियाँ शून्य (void) हैं।

न्यायालय के पर्यवेक्षरण-आदेश के अभिलाभ

(Advantages of the Supervision Order of the Court)

(१) आदेश हो जाने पर कुर्की और निष्पादन (attachment and execution) शून्य और प्रवर्तनहीन (void and inoperative) हो जाते हैं।

(२) बिना न्यायालय के आदेशों के, कार्यवाहियों को दायर या कार्यवाहियों का चालू रहना प्रारंभ नहीं किया जा सकता है या पुष्ट (confirm) नहीं किया जा सकता है।

(३) न्यायालय ऐसी शर्त एवं शर्तों को स्थापित कर सकती है, जो ऋण-दाताओं तथा अंशदायियों के हितों की रक्षा करेंगे।

प्रश्न ६८—अरजिस्ट्रीकृत कम्पनी से तुम क्या समझते हो? ऐसी कम्पनी का समापन किस प्रकार किया जा सकता है?

What do you mean by "unregistered company"? How can such company be wound up?

उत्तर—अरजिस्ट्रीकृत कम्पनी का अर्थ (meaning of unregistered company)—'अरजिस्ट्रीकृत कम्पनी' पद में, जैसा कि धारा ५८२ में परिभाषित किया गया है, एक साझेदारी (partnership) संस्था (association) या वह कम्पनी, जिसमें सात सदस्यों से अधिक सदस्य हैं, उस समय शामिल होते हैं, जब उस साझेदारी संस्था या कम्पनी को जैसी स्थिति हो, समापित करने के लिये न्यायालय के समक्ष याचिका पेश की जाती है। इसका यह परिणाम निकलता है कि यदि सदस्यों की संख्या सात से कम है, तो ऐसी कम्पनी या संस्था अरजिस्ट्रीकृत कम्पनी या संस्था नहीं मानी जायेगी। निम्नलिखित कम्पनी अरजिस्ट्रीकृत कम्पनी नहीं होती है—

(१) जहाँ रेलवे कम्पनी जो संसद (parliament) के किसी अधिनियम (Act) द्वारा या किसी अन्य भारतीय विधि द्वारा या यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के किसी ऐक्ट द्वारा इन्कार्पोरेटेड है,

(२) वह समवाय, जो भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई हो, या

(३) वह कम्पनी किसी भूतपूर्व कम्पनी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई

हो और जो वह कम्पनी न हो, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बर्मा, अदन या पाकिस्तान में, उस कम्पनी के तुरन्त पहले रहा हो, जब भारत से वह देश अलग हुआ था या जम्मू और काश्मीर राज्य में २६ जनवरी, १९५० के तुरन्त पहले रहा हो।

अरजिस्ट्रीकृत कम्पनी का समापन (winding up of unregistered company)—धारा ५८३ यह उपबंध करती है कि कोई भी अरजिस्ट्रीकृत कम्पनी, कम्पनी अधिनियम (Companies Act) के अधीन समापित की जा सकती है और इस अधिनियम के सारे नियम निम्नलिखित अपवादों (exceptions) तथा जोड़ों (additions) के साथ लागू होंगे—

(१) समापन के लिये आदेश देने का क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय उस राज्य का न्यायालय होगा, जिस राज्य में कम्पनी के व्यापार का मुख्य स्थान स्थित हो और जो स्थान समापन के प्रयोजनों के लिये उस कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय समझा जायेगा;

(२) अधिनियम के अधीन कोई भी ऐसी कम्पनी न्यायालय के पर्यवेक्षण (supervision) में स्वेच्छा से समापित नहीं की जायेगी, अर्थात् परिसमापन (liquidation) न्यायालय के आदेशों द्वारा ही होना चाहिये;

(३) ऐसी कम्पनी समापित की जा सकती है यदि वह कम्पनी विघटित हो गई हो, या व्यापार करना छोड़ दिया हो, या केवल अपने व्यापार को समापित करने के लिये ही व्यापार चला रही हो, या यदि कम्पनी अपने कर्जों को भुगताने में असमर्थ हो गई हो, या यदि न्यायालय की यह राय हो कि उस कम्पनी को समापित कर देना उचित और साम्यिक (equitable) है।

(४) ऐसी कम्पनी को अपना कर्ज चुकाने में उन्हीं आधारों पर, असमर्थ समझा जायेगा, जो आधार रजिस्ट्रीकृत कम्पनियों के लिये धारा ४३४ में उल्लिखित किये गये हैं। एक और आधार होगा जो विशेषकर इसी के लिये है, उदाहरण के लिये, यह तथ्य कि कोई मुकदमा या कानूनी कार्यवाही किसी सदस्य के विरुद्ध कर्ज के लिये जो कर्ज कम्पनी से या एक सदस्य के रूप में, उसमें प्राप्य है, दायर की गई हो, और उस मुकदमे के दायर किये जाने की सूचना कम्पनी को दी गई हो, और उस कम्पनी ने, सूचना तामील होने के १० दिनों के भीतर उस कर्ज को न तो प्रतिभूत (secured) किया हो और न प्रशमित (compounded) किया हो और न तो उस मुकदमे या कानूनी कार्यवाही को रोका ही हो और न तो उस

मुकदमे या कानूनी कार्यवाही तथा परिव्यय एवं खर्चों के विरुद्ध प्रतिवादी (defendant) की, उसके संतोषपर्यन्त क्षतिपूर्ति ही किया हो ;

एक विदेशी कम्पनी जो उस देश में विघटित कर दी गई है जिसमें वह इन्कार्पोरेट हुई थी, भारत में धारा ५८४ के अनुसार एक अरजिस्ट्रीकृत कम्पनी की तरह समापित की जा सकती है ।

धारा ५८८ के अनुसार, न्यायालय समापन के आदेश द्वारा यह निदेश (direction) दे सकता है कि कम्पनी की सारी संपत्ति चाहे वह चल-संपत्ति रही हो या अचल संपत्ति हो, या उस संपत्ति का कोई भाग, सरकारी परिसमापक, अपनी इस हैसियत से कम्पनी की ओर से मुकदमा चला सकता है और मुकदमों का प्रतिवाद (defend) कर सकता है । जब किसी ऐसी कम्पनी के समापन के लिये आदेश किया जा चुका है, तब कोई मुकदमा या कोई कानूनी कार्यवाही, कम्पनी के ऋण के संबंध में कम्पनी के किसी अंशदायी (contributory) के खिलाफ नहीं की जा सकेगी । किन्तु न्यायालय की अनुमति से और उन शर्तों के अधीन रहते हुये, जैसा कि न्यायालय लागू करे उस प्रकार मुकदमा या कार्यवाही की जा सकती है ।

प्रश्न ६६—'निरीक्षण समिति' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ।

Write a brief note on the "Committee of Inspection."

उत्तर—निरीक्षण-समिति (Committee of Inspection):—

(क) न्यायालय, किसी कम्पनी के समापित करने का आदेश देते समय या उसके बाद, यह निदेश दे सकता है कि परिसमापक के साथ कार्य करने के लिये एक निरीक्षण-समिति की नियुक्ति होगी;

(ख) जहाँ कि न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निदेश (direction) दिया जाता है, वहाँ, परिसमापक उस निदेश की तारीख से दो महीने के भीतर, यह निर्धारित करने के लिये कम्पनी के ऋणदाताओं की एक बैठक बुलाएगी कि उस समिति के कौन से लोग सदस्य होंगे । [धारा ४६४(१)]

परिसमापक, ऋणदाताओं की बैठक की तारीख से १४ दिनों के भीतर, या ऐसे अतिरिक्त (further) समय के भीतर, जैसा कि न्यायालय स्वविवेक (discretion) से उस प्रयोजन के लिये मन्जूर कर दे, समिति की सदस्यता के

सम्बन्ध में दिये गये ऋणदाताओं के फैसले पर विचार करने के लिये अंशदायियों (contributories) की एक बैठक बुलायेगा और अंशदायी लोग अपनी बैठक में इस बात के लिये स्वतन्त्र होंगे कि वे ऋणदाताओं के फैसले को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के, स्वीकार करें या न करें या उसे एकदम अस्वीकृत कर दें। (धारा ४६४ (२)]

यदि अंशदायी लोग ऋणदाताओं के फैसले को पूर्णरूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो परिसमापक का यह कर्त्तव्य है कि न्यायालय में इस सम्बन्ध में निदेश देने के लिये आवेदन करे कि उस समिति के सदस्य कौन से लोग होंगे। [धारा ४६४ (३)]

इस समिति में कुल बारह सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और वे सदस्य कम्पनी के ऋणदाताओं तथा अंशदायियों में से लिये जाते हैं या उन व्यक्तियों में से लिये जाते हैं, जो ऋणदाताओं या अंशदायियों में अटार्नी की सामान्य या विशेष शक्तियाँ धारण करते हैं। यदि ऋणदाता तथा अंशदायी, ऋणदाताओं तथा शेयर-होल्डरों के एक निश्चित अनुपात पर करार करते हैं, तो, उस करार (agreement) को प्रभावी बनाना चाहिये, किन्तु यदि उनकी रायें भिन्न-भिन्न हों, तो अनुपात सम्बन्धी विषय का फैसला न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

समिति को वह शक्ति प्राप्त है कि वह सभी युक्तियुक्त अवसरों पर परिसमापक के लेखाओं का निरीक्षण करे और इस प्रकार वह समिति परिसमापक पर एक उपयोगी निरोध (useful check) का काम करती है। जब-जब यह बैठक का समय नियत करे, तब-तब इसे अवश्य बैठक करनी चाहिये। समिति के एक बैठक के लिये कोरम सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई होती है या दो होती है, जो कोई भी अधिक हो। इसके सदस्यों के बहुमत की राय बन्धनकारी (binding) होती है।

समिति का सदस्य लिखित सूचना द्वारा, जिस पर उसका हस्ताक्षर अवश्यी होना चाहिये, इस्तीफा दे सकता है और वह सूचना परिसमापक को अर्पित की जायेग यदि समिति का कोई सदस्य दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या ऋणदाताओं के साथ कपट-सन्धि (colludes) कर लेता है, या उन सदस्यों की बिना अनुमति लिये, जो उसके सहित ऋणदाताओं तथा अंशदायियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, समिति की लगातार पाँच बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसका पद खाली हो जायेगा। समिति का कोई सदस्य एक साधारण संकल्प (ordinary resolution) द्वारा हटाया जा सकता है बशर्ते कि बैठक के उद्देश्य का विवरण देते हुये सात दिन की सूचना दे दी गई हो, और यदि वह ऋणदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऋण-दाताओं की बैठक में, या यदि अंशदायियों की बैठक में इस प्रकार का संकल्प पारित

किया जा सकता है। समिति में कोई जगह खाली होने पर परिसमापक को ऋण-दाताओं या अंशदायियों की, जैसी स्थिति हो, उस खाली जगह को भरने के लिये एक बैठक अवश्य बुलानी चाहिये, और वह कम्पनी संकल्प द्वारा उसी व्यक्ति को फिर सदस्य नियुक्त कर सकती है या उस खाली जगह को भरने के लिये किसी दूसरे ऋण-दाता या अंशदायी को नियुक्त कर सकती है। यदि परिसमापक, समापन की स्थिति पर ध्यान रखते हुये यह राय देता है कि खाली जगह का भरा जाना आवश्यक है, तो वह न्यायालय में आवेदन करेगा और वह न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि खाली जगह भरी नहीं जायेगी या उन परिस्थितियों को छोड़कर, जो आदेश में उल्लिखित की गई हैं, भरी नहीं जायेगी। (धारा ४६५)

प्रश्न ७०—कुप्रबन्ध या पीड़न के मामलों में समापन का वैकल्पिक उपाय क्या है ? सकारण बताइये।

What is the alternative remedy to winding up in cases of mismanagement or oppression ? Give reasons.

उत्तर—कुप्रबन्ध या पीड़न के मामलों मे वैकल्पिक उपाय (Alternative remedy in cases of mismanagement oppression)

अध्याय ६ की ३९७ से लेकर ४०७ तक की धारायें, कम्पनी के कुप्रबन्ध (mismanagement) तथा शेयर होल्डरों का अल्प संख्या के पीड़न से सम्बन्धित मामलों में समापन के अलावा एक वैकल्पिक उपाय का नियम बनाती है। धारा ३९७ (१) के अनुसार पीड़ित सदस्य या सदस्य लोग कम्पनी के समापन के लिये आवेदन किये बिना ही परेशानियों से छुटकारा पा सकते है। यह धारा यह नियम बनाती है कि किसी कम्पनी के कोई सदस्य, जो यह शिकायत करते हैं कि कम्पनी के कार्यों का संचालन ऐसी रीति से हो रहा है कि वह किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के लिये पीड़क है, न्यायालय में एक आदेश के लिये आवेदन कर सकते हैं; परन्तु ऐसे सदस्यों को आवेदन करने का अधिकार पहले से ही हो। कम्पनी के निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन करने का अधिकार रखते हैं :—

(क) किसी ऐसी कम्पनी के मामले में, जिसके पास शेयर पूँजी है, शिकायत करने वालों को यह अवश्य चाहिये कि वे कम्पनी के कम से कम १०० सदस्यों की, या कम्पनी के कुल सदस्यों की कम से कम एक दहाई (१/१०) संख्या की, जो कोई भी कम हो, लिखित सम्मति प्राप्त करें, या वे कम्पनी की प्रचालित शेयर कैपिटल का दसवाँ भाग अवश्य धारण करते हों, परन्तु वह आवेदक या वे आवेदक सभी माँगों का तथा उन दूसरी सभी रकमों का, जो उनके शेयरों पर देय हैं, भुगतान कर दिये हों;

(ख) किसी ऐसी कम्पनी के मामले में, जो शेयर-पूंजी नहीं रखती है, शिकायत करने वाले सदस्यों को यह अवश्य चाहिये कि वे कम्पनी के कुल सदस्यों की संख्या के पाँचवें भाग की लिखित सम्मति प्राप्त करें। (धारा ३९९)

यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियाँ वर्तमान हैं, जिनमें ऐसा करना उचित और सुनीतिसंगत (equitable) है, तो वह कम्पनी के किसी सदस्य या सदस्यों को न्यायालय में आवेदन करने का प्राधिकार दे सकती है, इसके बावजूद भी कि खंड (क) तथा (ख) की अपेक्षायें (requirements) पूरी न की गई हों। केन्द्रीय सरकार एक आदेश के लिये न्यायालय में खुद आवेदन कर सकती है या उसके लिये प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के लिये न्यायालय में आवेदन करवा सकती है। (धारा ४०१)

जहाँ कि किसी शेयर या शेयरों को दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से धारण करते हैं, तो व्यक्ति एक सदस्य गिने जाते हैं। (धारा ३९९ (२)]

न्यायालय में दिये गये प्रत्येक आवेदन की सूचना न्यायालय द्वारा केन्द्रीय सरकार को दी जायगी और वह न्यायालय, अन्तिम आदेश पारित होने के पहले, केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यायालय में किये गये अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) पर विचार करेगा। (धारा ४००)

आवेदन पर, न्यायालय, शिकायती विषयों को खत्म करने के विचार से ऐसा आदेश कर सकती है, जैसा वह उचित समझती है, यदि उसकी यह राय हो कि—

(क) कम्पनी के कार्य इस ढङ्ग में संचालित किये जा रहे हैं कि वे किसी सदस्य या सदस्यों के लिये पीड़क होंगे; और

(ख) कम्पनी को समापित कर देने से किसी सदस्य या सदस्यों पर अनुचित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा किन्तु दूसरी तरह से, तथ्यों के अनुसार इस आधार पर दिया गया समापन का आदेश न्याय-संगत होगा कि कम्पनी समापित करना उचित और सुनीतिसंगत (equitable) है।

कुप्रबन्ध के मामलों में प्रक्रिया (Procedure in cases of mismanagement) धारा ३९८ (१) के अनुसार किसी कम्पनी के कोई सदस्य, जो यह शिकायत करते हैं कि :—

(क) कम्पनी के मामले इस ढङ्ग से संचालित किये जा रहे हैं, जिससे कम्पनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या

(ख) कम्पनी के प्रबन्ध तथा नियन्त्रण में एक सारवान परिवर्तन हो गया है (वह परिवर्तन ऐसा नहीं है, जो कम्पनी के ऋणदाताओं के द्वारा या उनके हितों के

लिये किया गया हो) और ऐसे परिवर्तन के कारण यह सम्भव है कि कम्पनी के कार्य इस ढङ्ग से संचालित किये जायेंगे जो कि कम्पनी के हितों को प्रतिकूलतः प्रभावित करेगा, धारा ३६८ के अधीन एक आदेश के लिये न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं परन्तु ये सदस्य इस प्रकार से आवेदन करने का अधिकार रखते हों ;

निम्नलिखित बातों के द्वारा कम्पनी के प्रबन्ध तथा नियन्त्रण में एक सारवान परिवर्तन किया जा सकता है :—

(क) कम्पनी के बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स में, या इसके प्रबन्ध-अभिकर्ता, सचिवों एवं कोषाध्यक्षों में परिवर्तन द्वारा; या

(ख) किसी फर्म या बाडी कार्पोरेट के संगठन या नियन्त्रण में परिवर्तन द्वारा जो इसके मैनेजिंग एजेन्ट, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की हैसियत से कार्य करती है; या

(ग) कम्पनी के शेयर के स्वामित्व (ownership) में परिवर्तन द्वारा; या

(घ) यदि यह कोई शेयरपूँजी नहीं रखती है, तो इसकी सदस्यता में परिवर्तन द्वारा; या

(ङ) किन्हीं दूसरे ढङ्गों से जो कोई भी हों।

किसी किसी कम्पनी के सदस्य, जिनको कुप्रबन्ध के मामलों में धारा ३६९ के अनुसार आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है, वे सदस्य हैं, जो धारा ३९७ के अधीन पीड़न के मामलों में है। केन्द्रीय सरकार स्वयं न्यायालय में आवेदन कर सकती है या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, जो वैसा करने के लिये प्राधिकृत (authorised) हो।

न्यायालय में दिये गये प्रत्येक आवेदन की सूचना न्यायालय द्वारा केन्द्रीय सरकार को दी जायेगी और वह न्यायालय, अन्तिम आदेश पारित होने के पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यायालय में किये गये अभ्यावेदन पर विचार करेगा।

यदि आवेदन पर, उस न्यायालय की यह राय है कि कम्पनी के कार्य इस ढङ्ग से चलाये जा रहे हैं, कि उनका कम्पनी के हित में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, या किसी सारवान परिवर्तन के कारण यह सम्भव है कि कम्पनी के कार्य उपर्युक्त ढङ्ग से चलाये जायँगे, तो न्यायालय उन शिकायती या आशंकित विषयों को खत्म करने के या रोकने के विचार से आदेश कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

पीड़न या कुप्रबन्ध के मामलों में न्यायालय का आदेश निम्नलिखित विषयों के लिये नियम बनायेगा।

(१) भविष्य में, कम्पनी के कार्यों के संचालन को रेग्युलेट करने के लिये;

(ख) कम्पनी के किन्हीं सदस्यों के शेयरों या हितों को, उसके दूसरे सदस्यों द्वारा या खुद उस कम्पनी द्वारा, खरीदे जाने के लिये;

(ग) जब कम्पनी अपने शेयरों को खरीदती है, तो उस हालत में उसके परिणामस्वरूप उसके शेयरों में घटाव (reduction) के लिये;

(घ) किसी करार (agreement) के अन्त (termination), रद्द करने, या संशोधन के लिये जो उस कम्पनी तथा निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के बीच में किया गया है—

(१) मैनेजिंग डाइरेक्टर,

(२) कोई अन्य निदेशक डाइरेक्टर,

(३) मैनेजिंग एजेन्ट,

(४) सचिव एवं कोषाध्यक्ष (secretaries and treasurers),

(५) मैनेजर,

(घ) उस कम्पनी और किसी ऐसे व्यक्ति के बीच में किये गये करार के अन्त रद्द करने या संशोधन के लिये, जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं किया गया है, परन्तु कोई भी ऐसा करार, उस सूरत के सिवाय जिसमें सम्बन्धित पक्ष को सम्यक् सूचना दे दी गयी है, खत्म, रद्द या संशोधन नहीं किया जायेगा;

(ङ) किसी हस्तान्तरण (transfer), माल के अर्पण, भुगतान (payment), निष्पादन (execution) प्रेफेरेन्स या संपत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य कार्य को रद्द करने के लिये, जो कम्पनी द्वारा या कम्पनी के खिलाफ, आवेदन देने की तारीख के पहले ३ महीनों के भीतर किया गया हो, जो यदि किसी व्यक्ति विशेष (individual) के द्वारा या उसके खिलाफ किया गया होता तो उसके दिवालियापन में उसे कपटपूर्ण समझा जाता;

(च) किसी अन्य विषय के लिये, जिसके लिये न्यायालय की राय में यह उचित और सुनीतिसंगत (equitable) है कि नियम बनाया जाय (धारा ४०२)

धारा ४०४ यह नियम बनाती है कि न्यायालय का आदेश कम्पनी के मेमोरेन्डम या आर्टिकिल्स में भी परिवर्तन कर सकता है। ऐसे आदेश होने की हालत में, कम्पनी मेमोरेण्डम या आर्टिकिल्स में बिना न्यायालय की अनुमति के और कोई संशोधन नहीं करेगी। कोई ऐसा परिवर्तन बिना अनुमति के नहीं करना चाहिये, जो आदेश से संगत न हो।

प्रश्न ७१—अंशदायी कौन होते हैं? उनके दायित्व की प्रकृति और विस्तार का वर्णन कीजिये।

Who are contributories ? Dcscribe the nature and extent of their liability.

उत्तर—अंशदायी का अर्थ (Meaning of Contributory)—भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ४२८ के अनुसार 'अंशदायी' पद का अभिप्राय उस प्रत्येक व्यक्ति से है, जो कम्पनी के समापन की हालत में उसकी संपत्तियों में अंशदान (contribute) करने के लिये जिम्मेदार है; और इस पद में उन शेयरों को धारण करने वाला शेयरहोल्डर भी शामिल है, जो शेयर पूर्ण रूप से प्रदत्त कर दिये गये हैं। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, जिसे अंशदायी कहा जाता है।

उस हालत में, जब कोई अरजिस्ट्रीकृत कम्पनी समापित की जाती है, वह प्रत्येक व्यक्ति एक अंशदायी (contributory) समझा जाता है; जो—

(क) कम्पनी के किसी कर्ज या जिम्मेदारी के भुगतान में, या

(ख) आपस में सदस्यों के अधिकारों के समायोजन के लिये किसी रकम के भुगतान में, या

(ग) कम्पनी के समापन के परिव्ययों, प्रभारों (charges) और खर्चों के भुगतान में—अंशदान करने के लिये जिम्मेदार होता है।

अंशदायी की जिम्मेदारी—जब कम्पनी समापित हो, उस हालत में प्रत्येक वर्तमान और भूतपूर्व सदस्य कम्पनी की आस्तियों में ऐसी रकम का अंशदान करने के लिये जिम्मेदार होंगे, जो उस कम्पनी के ऋणों, जिम्मेदारियों, परिव्ययों, प्रभारों तथा समापन के खर्चों के भुगताने में तथा आपस में शेयर होल्डरों के अधिकारो के समायोजन करने में पर्याप्त (sufficient) हो।

एक भूतपूर्व सदस्य अंशदान करने के लिये जिम्मेदार नहीं है—

(क) यदि वह समापन प्रारंभ होने के पहले एक वर्ष से या और अधिक समय से कम्पनी का सदस्य नहीं रहा है;

(ख) कम्पनी के किसी ऐसे ऋण या जिम्मेदारी के लिये, जो उसके सदस्य न रहने के बाद किये गये संविदा द्वारा उत्पन्न हुआ था;

(ग) जब तक कि न्यायालय को यह प्रतीत नहीं होता कि वर्तमान सदस्य भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन अपेक्षित अंशदानों की पूर्ति करने में असमर्थ है;

(घ) शेयरों द्वारा सीमित किसी कम्पनी के मामले में, उस रकम से अधिक रकम, जो उन शेयरों पर प्रदत्त नहीं की गई है जिसके विषय में वह एक सदस्य की हैसियत से जिम्मेदार है।

(ङ) गारन्टी द्वारा सीमित कम्पनी के मामले में उस रकम से ज्यादा रकम,

जिसका अंशदान कम्पनी की संपत्तियों में उसके समापित होने की हालत में करने का उसने वचन दिया था। (धारा ४२६)

कोई भी अंशदान किसी वर्तमान सदस्य से निम्नलिखित हालत में अपेक्षित नहीं किया जा सकता—

(क) शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी के मामले में, उस रकम से अधिक रकम, जो उन शेयरों पर अप्रदत्त है, जिनके विषय में वह एक सदस्य की हैसियत से जिम्मेदार है।

(ख) गारन्टी द्वारा सीमित किसी कम्पनी के मामले में, उस रकम से ज्यादा रकम, जिसके लिये उसने वचन दिया था कि कम्पनी के समापित होने की हालत में उसकी संपत्तियों में वह उस रकम का अंशदान करेगा।

किन्तु गारन्टी द्वारा सीमित किसी ऐसी कम्पनी के समापन में, जो शेयर पूँजी रखती है, उस कम्पनी का प्रत्येक सदस्य उस रकम के अलावा, जिसके लिये उसने वचन दिया था कि कम्पनी के समापित होने की हालत में वह उस कम्पनी की संपत्तियों में उस रकम का अंशदान करेगा, उस रकम का भी अंशदान करने के लिये इस तरह जिम्मेदार होगा जो रकम उन शेयरों पर अप्रदत्त (unpaid) है, जिन्हें उसने धारण किया है, कि मानो वह कम्पनी शेयरों द्वारा सीमित एक कम्पनी है (धारा ४२६)

किसी सीमित कम्पनी के समापन में एक डाइरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सचिव एवं कोषाध्यक्ष या प्रबंधक चाहे वह भूतपूर्व सदस्य हो या वर्तमान सदस्य हो, जिसकी जिम्मेदरी असीमित है, एक सदस्य की हैसियत से अंशदान करने की अपनी जिम्मेदारी के अलावा, और भी अंशदान करने के लिए जिम्मेदार होगा इस प्रकार कि मानों वह समापन के शुरू होने के समय किसी असीमित कम्पनी का सदस्य था।

किन्तु कोई भूतपूर्व डाइरेक्टर, मैनेजिंग डाइरेक्टर, सचिव एवं कोषाध्यक्ष या प्रबन्धक ऐसा अतिरिक्त अंशदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा:—

(क) यदि उसने समापन प्रारम्भ होने से पहले एक वर्ष या इससे भी अधिक समय तक पद धारण न किया हो;

(ख) यदि कम्पनी के उस ऋण या जिम्मेदारी के सम्बन्ध में कोई संविदा उस समय किया गया हो जब वह पद धारण नहीं करता था।

कम्पनी की आर्टिकिल्स के अधीन, कोई डाइरेक्टर, मैनेजिंग एजेन्ट, सचिव एवं कोषाध्यक्ष या प्रबन्धक ऐसा अतिरिक्त अंशदान करने के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं है जब तक कि न्यायालय उस कम्पनी के ऋणों और जिम्मेदारियों को तथा समापन के परिव्ययों (costs), प्रभारों (charges) और खर्चों को, चुकाने के लिए उस अंशदान की अपेक्षा करना आवश्यक नहीं समझता है। (धारा ४२७)

यदि कोई अंशदायियों की सूची में अपना नाम आने के पहले या बाद में, मर जाता है, तो उसके वैध प्रतिनिधि (legal representatives) उस मृत व्यक्ति की संपदा (estate) के प्रशासन (administration) के उचित क्रम में उसकी जिम्मेदारी के उन्मोचन (discharge) के लिये, कम्पनी की सम्पत्तियों में अन्शदान करेंगे (अर्थात् अभियाचनाओं का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे) और तदनुसार अंशदायी भी होंगे। यदि वे वैध प्रतिनिधि उस रकम को चुकाने में चूक करते हैं, जिसको चुकाने के लिए उन्हें आदेश मिला है, तो उस मृत अंशदायी की सम्पदा के प्रबन्ध के लिए तथा उसमें से देय रकम के भुगतान के लिए कार्यवाहियाँ की जायेंगी।

यदि कोई अंशदायी दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या किसी बाडी कार्पोरेट को, जो एक अंशदायी है, समापित करने का आदेश दे दिया जाता है, तो अंशदायियों की सूची में उसका या उस बाडी कार्पोरेट का नाम आने के पहले या बाद में :—

(क) दिवाला में उसके अभिहस्तांकिती (assignee) अर्थात् जिनको भार सौंपा गया हो या उस बाडी कारपोरेट का परिसमापक (liquidator) उसका प्रतिनिधित्व करेंगे या समापन के सभी प्रयोजनों के लिये वह बाडी कार्पोरेट उसका प्रतिनिधित्व करेगा और वे अन्शदायी होंगे तथा उस दिवालिये की संपदा (estate) के खिलाफ या उस बाडी कार्पोरेट की सम्पत्तियों के खिलाफ प्रमाण स्वीकार करने के लिये बुलाये जा सकते हैं या किसी दूसरी तरह से उसकी या उस बाडी कार्पोरेट की संपत्तियों में से कानून के यथोचित क्रम से उस रकम के भुगतान को मन्जूर करने के लिये बुलाये जा सकते हैं, जो कम्पनी की सम्पत्तियों में अंशदान करने के उसके या बाडी उस कार्पोरेट की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में उस व्यक्ति के द्वारा या उस बाडी कार्पोरेट के द्वारा देय है; या

(ख) उस दिवालिये की सम्पदा (estate) के खिलाफ या उस बाडी कार्पोरेट की सम्पत्तियों के खिलाफ भावी माँगों या पहले की गई माँगों के प्रति; उसके या उस बाडी कारपोरेट की जिम्मेदारी के अनुमानित मूल्य (estimated value) का प्रमाण दिया जा सकता है। (धारायें ४३१ और ४३२)।

किसी अंशदायी की जिम्मेदारी एक ऐसे ऋण को पैदा करती है, जो उस समय से ही उनके द्वारा देय हो जाता है जब से उसकी जिम्मेदारी का प्रारम्भ हुआ किन्तु वह ऋण उन्हीं समयों पर भुगताने योग्य होता है, जो समय माँगों में उल्लिखित किये गये हैं और माँगें जिम्मेदारी को लागू करने के लिये उससे की गयी हैं। किसी अंशदायी की जिम्मेदारी पर आधारित कोई दावा लघुवाद न्यायालय (court

of small causes) द्वारा काग्निजेबुल नहीं होगा जो न्यायालय प्रेसीडेन्सी टाउन के बाहर बैठता है। (धारा ४२६)।

VIII विविध
(Miscellaneous)

प्रश्न ७२—उत्पीड़न और कुप्रबन्ध के रोकने के लिये न्यायालय और केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को बताइये।

Indicate the powers of the Court and of the Central Government of the prevention of oppression and mismanagement.

उत्तर—न्यायालय की शक्तियाँ :—

प्रश्न संख्या ७० देखिये।

केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ :—

केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ—पीड़न और कुप्रबन्ध के निवारण करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ धारायें ४०८ और ४०९ में दी गई हैं। धारा ४०८ के अधीन केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक दो व्यक्तियों को कम्पनी के डाइरेक्टरों की हैसियत से पद धारण करने के लिये किसी भी अवसर पर जैसा कि वह ठीक समझती है, ऐसी अवधि (period) तक के लिये, उस कम्पनी के कम से कम १०० सदस्यों के, या कम्पनी के उन सदस्यों के जो उस कम्पनी में कुल मतदान शक्ति का कम से कम एक दसवाँ (१/१०) हिस्सा धारण करते हैं, आवेदन पर जाँच करने के बाद इस बात पर सन्तुष्ट है कि कम्पनी के मामलों के निम्नलिखित ढङ्ग से संचालन को रोकने के लिये वह नियुक्ति करना आवश्यक है :—

(क) एक ऐसे ढङ्ग से, जो कम्पनी के किसी सदस्य के लिये पीड़नकारी हो, या

(ख) एक ऐसे ढङ्ग से, जो कम्पनी के हितों को प्रतिकूलतः प्रभावित करता हो।

कम्पनी से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में कुल मतदान करने की शक्ति का अर्थ होता है, उन मतों की कुल संख्या, जो मत कम्पनी की बैठक में किसी मतदान (poll) में उस विषय के सम्बन्ध में दिये जाते हैं यदि उस कम्पनी के सभी सदस्य और वे सभी दूसरे व्यक्ति, जो उस विषय पर मत (vote) देने का अधिकार रखते हैं, उस बैठक में उपस्थित हों और अपने मतों को देते हों। [धारा २ (४८)]।

उपर्युक्त आदेश पारित करने के स्थान में, केन्द्रीय सरकार, यदि कम्पनी

उस विकल्प का लाभ न उठाया हो, जो इसे दिया गया है, धारा २६५ के अधीन, ८ को, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपना कर अपनी आर्टिकिल्स को संशोधित करने के लिये तथा उस प्रकार से संशोधित की गई आर्टिकिल्स के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा उल्लिखित समय के भीतर, डाइरेक्टरों की नई नियुक्ति करने के लिये, निदेश दे सकती है। [धारा ४०८ (१) का परन्तुक (proviso)]।

ऐसे मामले में, केन्द्रीय सरकार यह और निदेश दे सकती है कि जब तक कि नये डाइरेक्टरों की नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उल्लिखित अधिक से अधिक दो व्यक्ति उस समवाय के अतिरिक्त डाइरेक्टरों की हैसियत से पद धारण करेंगे। [धारा ४०८ (२)]।

कम्पनी के डाइरेक्टरों की कुल संख्या की दो-तिहाई या किसी दूसरे अनुपात (proportion) की गणना में, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई डाइरेक्टर नहीं लिया जायेगा अर्थात् उसे उस अनुपात में शुमार नहीं किया जायेगा। [धारा ४०८ (३)]।

धारा ४०९ यह उपबन्ध करती है कि जहाँ कि किसी कम्पनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर द्वारा या किसी दूसरे निदेशक द्वारा, प्रबन्ध-अभिकर्त्ता द्वारा या सचिवों एवं कोषाध्यक्षों द्वारा, या प्रबन्धक द्वारा, केन्द्रीय सरकार के पास कोई शिकायत की जाती है कि कम्पनी में धारण किये गये किन्हीं शेयरों के स्वामित्व (ownership) में एक परिवर्तन के परिणामस्वरूप, जो परिवर्तन या तो हो गया है या होने वाला है, बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स में एक परिवर्तन होने वाला है, जो यदि मन्जूर कर दिया गया तो, कम्पनी के मामलों को प्रतिकूलतः प्रभावित करेगा (prejudicially affect), वहाँ केन्द्रीय सरकार, यदि वह जाँच करने के पश्चात् इस बात से सन्तुष्ट है कि ऐसा करना उचित और न्यायसंगत (just) है, आदेश द्वारा यह निदेशित (direct) कर सकती है कि शिकायत की तारीख के बाद बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स में परिवर्तन करने के लिये, कोई भी संकल्प, जो पारित कर दिया गया है, या पारित किया जा सकता है, अथवा कोई भी कार्यवाही जो की जा चुकी है या की जा सकती है तब तक कोई प्रभाव नहीं रखेगी, जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्ट (confirmed) न की गई हो।

सरकार का ऐसा आदेश :—

(क) भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ में; या

(ख) कम्पनी के मेमोरेण्डम में; या

(ग) कम्पनी की आर्टिकिल्स में; या

(घ) कम्पनी के साथ किये गये किसी करार में; या

(ङ) सामान्य अधिवेशन में, समवाय के द्वारा या कम्पनी के बोर्ड आव् डाइरेक्टर्स द्वारा पारित किये गये किसी संकल्प में—प्रतिकूल उपबन्धों के होने के बावजूद भी प्रभावी (effective) होगा।

जब केन्द्रीय सरकार को शिकायत प्राप्त हो जाती है, तो वह पूर्वोक्त जाँच करने या उसे पूरी करने के पहले, पूर्वोक्त प्रभाव का एक अन्तरिम (Interim) आदेश कर सकती है।

धारा ४०६ में अन्तर्विष्ट उपर्युक्त नियम किसी प्राइवेट कम्पनी पर तब तक लागू नहीं होते हैं, जब तक कि वह किसी लोक कम्पनी की सहायक कम्पनी न हो।

प्रश्न ७३—कम्पनीज़ ऐक्ट के अन्तर्गत कम्पनियों के रजिस्ट्रार के विषय में टिप्पणी लिखिये।

Write a note about the Registrar of Companies under the Companies Act.

उत्तर—कम्पनियों का रजिस्ट्रार—

भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा २(४०) यह उपबन्ध करती है कि 'रजिस्ट्रार' का अर्थ एक रजिस्ट्रार, एक अतिरिक्त (additional) रजिस्ट्रार, संयुक्त (joint) रजिस्ट्रार, एक उपरजिस्ट्रार (Deputy Registrar) या एक सहायक रजिस्ट्रार (Assistant Registrar) से है, जिनका कर्त्तव्य अधिनियम के अधीन कम्पनियों का रजिस्ट्रीकरण करना है।

संयुक्त पूंजी (joint stock) कम्पनियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि उनका इन्कार्पोरेशन सम्यक् रूप से (duly) रजिस्ट्रीकृत होना चाहिये, और ऐसी कम्पनियों के कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का भी रजिस्ट्रीकरण होना चाहिये तथा उनको विधि के नियमों के अनुसार सरकारी कार्यालय में रखना या पेश करना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये जो अहलकार (functionary) नियुक्त किया जाता है, उसे कम्पनियों का रजिस्ट्रार कहते हैं और इस प्रकार उसका संगठन कम्पनी विधि के साथ-साथ वर्तमान है।

संविधान में, कार्पोरेशनों और कम्पनियों के निगमन (incorporation), विनियमन (regulation) और समापन के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति तथा कम्पनी अधिनियम के प्रशासन का कार्यकारी प्राधिकार (executive authority) दोनों केन्द्रीय सरकार में निहित (vested) किये गये हैं।

१९५६ के कम्पनी अधिनियम में, राज्यों में पूरे समय तक के लिये रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की गई है। एक प्रभावी प्रशासनिक प्रक्रिया (effective administrative procedure) स्थापित की गई है और इन रजिस्ट्रारों के कार्यालयों के लिये और पूरे समय तक के लिये कार्यालय के कर्मचारी वृन्द (staff) के लिये मंजूरी भी दी गई है। नये अधिनियम में, यह ध्यान रखना चाहिये कि, प्रत्येक राज्य में एक रजिस्ट्रार का कार्यालय होना अनिवार्य नहीं है।

कार्यालय के संगठन, प्रक्रिया, निवेशन, (filing), अभिलेखों के पोषण (maintenance of records), विवरणों के परिनिरीक्षण (scrutiny) वगैरह के साँचे मे एकरूपता (uniformity) का माप (measure) स्थापित किया गया है ताकि नई कम्पनी विधि के प्रशासन में सब और प्रशासनिक व्यवस्था (administrative machinery) सब तरह से कुशल और सहायक हो।

रजिस्ट्रारों के कार्य का समन्वय (co-ordination), निर्देशन एवं पर्यवेक्षण करने के लिये तथा न केवल रजिस्ट्रारों के कार्यालयों तथा केन्द्रीय सरकार में सम्पर्क (link) स्थापित करने के लिये बल्कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार मे भी संपर्क स्थापित करने के लिये रीजनल डारेक्टर्स के चार कार्यालय—मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में स्थापित किये गये हैं। रजिस्ट्रारों के कार्यालयों से भिन्न प्रादेशिक संगठन सांविधिक (statutory) नहीं होता है। उसका मुख्य उद्देश्य है—केन्द्रीय सरकार से लेकर नीचे तक विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्था का उपबंध करना जिसका कार्य है कंपनियों की सहायता करना, कम्पनियों के प्रबंध का कार्य-दर्शन (guide) करना, जिससे कानून द्वारा स्थापित किये गये कर्तव्यों और आभारों के पालन में वे कम्पनियाँ समर्थ हो सकें। प्रादेशिक पदाधिकारी (Regional officers) केन्द्रीय संगठन की स्थानीय शाखाओं का काम करते हैं और संबंधित राज्यों के घनिष्ठ सम्पर्क में रहते हैं और केन्द्र की राज्यों में, कम्पनी प्रणाली (practice) तथा प्रबन्ध में महत्वपूर्ण विकासों की सूचना देते रहते हैं। वे रजिस्ट्रारों को सभी विषयों पर सलाह देते हैं, यदि ऐसे सलाह की चाह की जाती है।

कम्पनियों के रजिस्ट्रारों का कार्य—रजिस्ट्रार तीन तरह के कार्य करते हैं। पहला यह है कि उनका संगठन एक रजिस्ट्री है, जहाँ मौलिक दस्तावेज, जो कम्पनियों के इन्कार्पोरेशन और कार्य-संचालन के लिये आवश्यक हैं, रखे जाते हैं जैसा कि कानून द्वारा विहित (prescribe) किया गया है। यह कार्पोरेट बाडियों को जिम्मेवारी का एक समुचित वैध अभिलेख (proper legal record) रखने के उद्देश्य

को सिद्ध करता है, जो उनके आन्तरिक मामलों तथा लोक के साथ व्यवहारों, दोनों को प्रभावित करते हैं और कम्पनी के सदस्य या कम्पनियों के साथ व्यवहार करने वाले लोग इसका निरीक्षण कर सकें, इसके लिये या जब न्यायालय के समक्ष सारवान साक्ष्य के रूप में अभिलेखों को प्रस्तुत करना अपेक्षित हो उस समय ऐसे दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये, सुविधायें प्रदान करते हैं। अतएव रजिस्ट्रीकरण संयुक्त पूंजी संगठन (joint stock organisation) की संकल्पना (concept) के लिये एक आवश्यक लक्षण है। दूसरे यह कि भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९५६ भी यह उपबन्धित करता है कि कौन से दस्तावेज कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखे जायेंगे और कौन से विवरण विहित ढंग से रजिस्ट्रार के पास पेश किये जायेंगे।

यह देखना रजिस्ट्रार का कर्तव्य है कि विवरण उसके पास समुचित प्ररूप (proper form) में पेश किये जाते हैं कि नहीं और विहित समय के भीतर पेश किये जाते हैं कि नहीं और उनकी अन्तर्वस्तुयें (contents) कानून की अपेक्षाओं को पूरी करती हैं कि नहीं। देरी या चूक के मामले में कानून में दण्ड का उपबन्ध किया गया है और रजिस्ट्रार विवरणों के पेश करने में देरी का अस्पष्टीकरण (explanations) माँग सकता है और उनको फिर से पेश करने पर आग्रह कर सकता है या चूक करने वाले के खिलाफ अभियोग चला सकता है। अन्ततः रजिस्ट्रार के संगठन का मुख्य कार्य केवल कम्पनियों के विवरणों के नियमित रूप से पेश किये जाने की ही जाँच-पड़ताल नहीं करना है, बल्कि उन विवरणों की अन्तर्वस्तुओं का परिनिरीक्षण (scrutiny) भी करना है। यदि ऐसे परिनिरीक्षण से, या किसी अन्य कारण से, रजिस्ट्रार यह मानता है कि कम्पनी के मामलों की दशा में कोई भारी गलती हो गई है, तो उसे कानून द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह उस दशा (position) को ठीक करने के उपाय कर सके। इसी लिये रजिस्ट्रार को किन्हीं दस्तावेजों के सम्बन्ध में जानकारी या स्पष्टीकरण माँगने की शक्ति प्राप्त है, जो दस्तावेज़ अधिनियम के अधीन उसके पास पेश होने के लिये अपेक्षित होते हैं।

सलाहकारी कार्य (Advisory functions)—जो कोई स्पष्टीकरण रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह कम्पनी के उस मूल अभिलेख (original record) के साथ लगा दिया जायेगा, जो उसके पास रखा जायेगा और वह स्पष्टीकरण उस अभिलेख का एक भाग होगा। स्पष्टीकरण पाने के बाद भी यदि रजिस्ट्रार की अब भी यह राय है कि प्राप्त हुये दस्तावेज कम्पनी के मामलों की असन्तोषजनक स्थिति को बतलाते हैं, और उस स्थिति के पूर्ण एवं उचित विवरण को नहीं प्रकट करते हैं, जिससे वे सम्बन्धित हैं, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह

उस मामले को केन्द्रीय सरकार के पास प्रतिवेदित (report) करे, ताकि वह सरकार उस कम्पनी के खिलाफ कानून के अन्दर जैसी आवश्यक समझे, वैसी और भी कार्यवाही करे। रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी कार्यवाही उस सूचना के आधार पर माँगी जा सकती है, जो किसी ऋणदाता, अंशदायी या किसी दूसरे हितबद्ध (interested) व्यक्ति द्वारा यह अभिकथन (alleging) करते हुये, उसके सामने पेश की गई है कि कम्पनी का व्यापार किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध (unlawful) प्रयोजन के लिये चलाया जा रहा है। ऐसी शिकायत पर, रजिस्ट्रार शिकायतकर्त्ता (complainant) से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपनी बातों को विशेषकर लिखित रूप में कहे और तुच्छ तथा तंग करने वाली शिकायतों पर रोक के लिये कानून यह उपबन्ध करता है कि रजिस्ट्रार सूचना देने वाले की पहचान को कम्पनी के सामने प्रकट कर सकता है।

शिकायतों का संव्यवहार करने वाली इन सांविधिक शक्तियों (statutory powers) के अलावा, रजिस्ट्रार इसके लिये स्वतन्त्र है कि वह विवरणों से संबंधित किन्हीं प्रश्नों को कम्पनियों द्वारा पेश कराये या उससे की गई शिकायतों से उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न की चर्चा शिकायतकर्त्ताओं से या कम्पनी के प्रतिनिधियों से कराये। इस प्रकार उसके लिये विवरणों के प्ररूप और अन्तर्वस्तुओं (contents) से संबंधित किसी त्रुटिपूर्ण प्रणाली या प्रक्रिया परस्पर मैत्रीपूर्ण ढङ्ग से निपटारा करना, तथा कम्पनियों के कार्य-संचालन से संबंधित पक्षकारों (parties) के बीच में संघर्ष का निवारण करना, संभव है। इन्हीं असांविधिक (non-statutory) शक्तियों के प्रयोग में ही, अनावश्यक परेशानी और मुकदमेबाजी को रोकने के लिये जिनको स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त करने की उन्हें सलाह दी जा सकती है, रजिस्ट्रार को अपने निपटारे पर, रीजनल डाइरेक्टर तथा विशेषज्ञों (experts) की सहायता लेनी पड़ती है।